पंचम माला, खंड 39, अंक 47, मंगलवार, 30 अप्रैल, 1974/10 वैशाख, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XXXIX, No. 47, Tuesday, April 30, 1974/Vaisakha, 10, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

Vol. XXXIX contains Nos.41 to 50
[खंड 39 में अंक 41 से 50 तक हैं]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains] Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची CONTENTS

अंक 47, मंगलवार, 30 अप्रैल, 1974/10 वैशाख, 1896 (शक)

No. 47, Tuesday, April 30, 1974/Vaisakha 10, 1896 (Saka)

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
	निधन सम्बन्धी उल्लेख	**Obituary Reference**	
894	नदी बोर्ड अधिनयम, 1956 के अन्तर्गत नदी बोर्डों की स्थापना	Setting up of River Boards under River Board Act, 1956	1
895	ईराक की रेवाल्यूशनरी कमांड कौंसिल के इकानामिक ब्यूरो के चेयरमैन की यात्रा	Visit of Chairman of Economic Bureau of Revolutionary Command Council of Iraq	4
897	सभी रेलवे जोनों में "कैश विटनेस भत्ता" देना	Payment of cash witness allowance on all Zonal Railways	6
898	औषध फर्मों के निर्यात के लक्ष्य	Export Target of Drug Firms . .	9
899	गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर कम्पनी को डी० ए० पी० उर्वरक के मूल्य में वृदिध करने की अनुमति	Permission to Gujarat State Fertilisers Company to increase price of DAP Fertilisers	13
900	हावड़ा डिवीजन (पूर्व रेलवे) में ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसियेशन द्वारा "मासिक रिपोर्ट मूवमेंट" (सामूहिक रूप से बीमारी के अधार पर छुट्टी लेने का आन्दोलन	Mass Sick Report Movement by All India Station Masters' Association, Howrah Division (Eastern Railway) . .	14
902	तेल के लिए खुदाई करने की नई तकनीक	New Technology for Oil Drilling. .	15
	अल्प-सूचना प्रश्न	SHORT NOTICE QUESTION	
अ० सू० 5	संख्या 14 राष्ट्रीय चलचित्र निगम	Natioal Film Corporation	16
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्रा० संख्या S. Q. No.			
896	नलकूपों और ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए ग्राम्य विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर की गई परन्तु खर्च न की गई धनराशि का उपयोग	Utilisation of Unspent Amount Sanctioned by REC for Tube Wells and electrification of Villages . . .	20

किसी नाम पर अंकिय यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।
The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
901	इंडियन आयल कम्पनी के विपणन विभाग के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन	Agitation by Employees of IOC Marketing Division	20
903	विद्युत् निकाय की तीन स्तरीय प्रणाली आरंभ करना	Introduction of Three Tier System of Power Body	21
904	रेलवे को स्वायत्त शासी निगम बनाना	Conversion of Railways into an Autonomous Corporation	21
905	राजस्थान में सलेदीपुरा में उर्वरक कारखाना स्थापित करना	Setting up of a Fertilizer Plant at Saledipura in Rajasthan	22
906	न्यायालयों में पांच दिन के सप्ताह की मांग	Demand for Five Days' Week in Courts.	22
907	विदेशी औषध फर्मों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किये बिना वस्तुओं का निर्माण	Manufacturing items by Foreign Drug Firms without Licences . . .	22
908	पांचवीं योजना में राज्यों में बाढ़ नियंत्रण और जल-निस्सारण पद्धति के लिये परिव्यय	Outlay for Flood Control and Drainage System in States in Fifth Plan . .	23
909	बिहार की चौथी योजना की पन तथा तापीय बिजली परियोजनाओं को पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में आरंभ करना	Hydel and Thermal Projects of Bihar of Fourth Plan to be taken up in the First Year of Fifth Plan . . .	23
910	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा एन्टीबायोटिक औषधियों का उत्पादन बंद किया गया	Suspension of Antibiotics Production by Hindustan Anti biotics Limited .	24
911	गाड़ियों के देरी से चलने की घटनाओं में वृद्धि	Increase in the Late Running of Trains .	24
912	वर्ष 1973-74 में प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित रेल डिब्बों से प्राप्त आय	Earnings from First Class Air conditioned Coaches during 1973-74 . .	25
913	तेल उत्पादक देशों द्वारा भारत को तेल, डीजल और पेट्रोल की सप्लाई	Supply of Oil, Diesel and Petrol by Oil Producing Countries to India . .	25
914	डीजल इंजनों के उत्पादन में कमी	Curtailment in production of Diesel Engines	25

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
8646	रेलवे तार कर्मचारियों से ज्ञापन	Memorandum from Railway Telegraph Employees	26
8647	हिन्डालको द्वारा तापीय विद्युत् केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Thermal Plant by HINDALCO	27

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8648	दूधियों द्वारा महिला यात्रियों से अभद्र व्यवहार	Indecent behaviour towards women passengers by milkmen	28
8649	कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दे का दिया जाना	Donation made to the political parties by the companies	29
8650	मध्य प्रदेशक उद्योगों के लिए मिट्टी के तेल की कमी	Scarcity of Kerosene oil for industries in M.P.	29
8652	आंध्र प्रदेश में उद्योगों को पैराफीन मोम की सप्लाई	Supply of Paraffin Wax for industries in Andhra Pradesh	30
8653	नर्मदा नदी में बाढ़ आने के कारण कपास तथा गन्ने की पौध को हानि	Damage to cotton and sugarcane saplings due to floods in Narmada River . .	31
8654	अभाव-समिति की बैठकें	Meeting of the Shortage Committee .	31
8655	बहु-राष्ट्रीय औषध फर्मों की इंडियन फार्मास्यूटिकल इन्डस्ट्री को प्रभावित करने वाली गतिविधियां	Activities of Multi National drugs firms affecting Indian Pharmaceutical Industry	31
8656	बुरहानपुर से पंजाब मेल के लिए आरक्षण का कोटा	Reservation quota for Punjab Mail from Burhanpur	32
8657	जुलाई, 1973 में जबलपुर उच्च न्यायालय में बिना सुनवायी पड़े मुकदमे	Cases pending in Jabalpur High Court (M.P.) in July, 1973	32
8658	मैसर्ज मे एण्ड बेकर, सेन्डोज और सिनेमाईड द्वारा निर्मित किये गये फार्मुलेशन	Formulation manufactured by M/s May & Baker, Sandoz and Cynamide .	33
8659	पांचवीं योजना में औषध उद्योग के बारे में विभिन्न संस्थानों से प्राप्त प्रस्ताव	Proposals from different Institutions about drug industry in Fifth Plan . .	34
8661	सिलचर और जिरीबम के बीच रेल लाईन	Railway line between Silchar and Jiribam	34
8662	मणिपुर के लिए आसाम मेल तथा कामरूप एक्सप्रैस में सीटों के आरक्षण का कोटा	Reservation of quota of Seats in Assam Mail and Kamrup Express for Manipur	34
8663	लोकतक बहुद्देश्य पनबिजली परियोजना	Loktak Multi Purpose Hydro Electric Project . . .	35
8664	पश्चिमी रेलवे में कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच	Departmental enquiries against employees of Western Railway	35

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8665	1974-75 के दौरान आंध्र प्रदेश में ओवर ब्रिजों का निर्माण	Over bridges to be constructed in Andhra Pradesh during 1974-75 . . .	36
8666	फार्टिलाईजर्स एन्ड केमिकल्स ट्रावनकोर उद्योग मंडल तथा कोचीन उर्वरक संयंत्र का उत्पादन	Production of FACT Udyog Mandal and Cochin Fertilizer Plant . .	36
8667	शरावती नदी पर लिंगानमुक्की बांध के पास एक बिजली घर की स्थापना	Setting up of a Power Station at Linganmukki Dam across Sharvathi River .	37
8668	उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम का संशोधन	Amendment to MRTP Act with a view to meeting the growing demand of consumer goods	38
8669	बम्बई में विमान इंधन के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of aviation fuel in Bombay	38
8670	बिहार में बसों के लिए डीजल की कमी	Shortage of diesel for buses in Bihar	38
8671	अपर इण्डिया एक्सप्रैस द्वारा यात्रा करने वाले एक यात्री की मृत्यु	Death of a passenger travelling by Upper India Express . . .	39
8672	इंडिया पिस्टन्स लिमिटेड का विस्तार	Expansion of India Pistons Limited	39
8673	उज्जैन स्थित श्री सिंथेटिक मिल्स के तुलन पत्र की विशेष लेखा परीक्षा किये जाने का प्रस्ताव	Proposal to conduct special audit of Balance sheet of Shri Synthetic Mills at Ujjain	40
8674	इंडियन ट्यूब कम्पनी के उत्तरी भारत के वितरकों के विरुद्ध एकाधिकारी एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रक्रिया आयोग के पास आई शिकायतें	Complaints against the distributors of Indian Tube Company for Northern India with MRTP Commission . .	40
8675	पश्चिम बंगाल में ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण	Rural Engineering Survey in West Bengal .	41
8676	ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षण	Rural Engineering Survey .	41
8677	फर्टीलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर के युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकी	Threat to Youth Congress workers of FACT	43

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8678	गत दो वर्षों के दौरान दहेज तथा बाल विवाह को निषिद्ध करने वाले कानून का उल्लंघन करने के लिये व्यक्तियों पर मुकदमे चलाया जाना	Persons prosecuted for violating Law prohibiting Dowry and Child marriage during last two years	43
8679	बिड़ला बन्धुओं द्वारा गोवा में उर्वरक कारखाने का स्थापित किया जाना	Fertilizer Factory set up at Goa by the Birlas	43
8680	एस्सो के नियंत्रण में ले लेने के समझौते की शर्तों के अनुसार इसमें निहित शक्तियां	Powers vested in ESSO in terms of its take over agreement	44
8681	उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत बड़े गृहों और विदेशी फर्मों को दी गई छूट	Relaxation given to large houses and foreign firms under Industries Development and Regulation Act . .	44
8682	औषध निर्माण करने वाली फर्में	Firms manufacturing Drugs.	45
8683	कोटा (राजस्थान) में एक तापीय बिजली घर की स्थापना	Setting up of a Thermal Power Station at Kota (Rajasthan)	46
8684	सोडा एश तथा सोडा कास्टिक संयंत्रों के लिये अनिर्णीत पड़े आवेदनपत्र	Pending Application for Soda Ash and Soda Caustic Plants .	46
8685	राजस्थान में बिजली की सप्लाई में वोलटेज में घटबढ़ी होने के कारण बिजली उपकरण को क्षति	Damage to Electrical Equipment due to Fluctuations in Electricity Supply in Rajasthan .	46
8687	वर्ष 1973 में उत्तर रेलवे में सी० बी० आई० द्वारा भ्रष्टाचार व गबन के मामलों की जांच	Cases of Corruption and Embezzlement on Northern Railway Investigated by the CBI during 1973 . . .	47
8688	ईराकी अशोधित तेल के लिये ईराक से समझौता	Agreement with Iraq for Supply of Iraq Crude	47
8689	गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी का नया उर्वरक संयंत्र	New Fertiliser Plant of Gujarat State Fertiliser Company	47
8690	फर्टीलाईजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के उद्योगमंडल एकक में अमोनिया का उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to increase production of Ammonia in Udyog Mandal Unit of FACT	48

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8691	भारतीय उर्वरक निगम का लाभ	Profit of Fertiliser Corporation of India	48
8692	1970 से उच्चतम न्यायालय में बकाया दाण्डिक अपीलें	Criminal Appeals pending with Supreme Court since 1970	49
8693	अन्तर्राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नियम	Rules under Inter States Water Disputes Act 1956	50
8694	कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा तुंगभद्रा बांध और जलाशय पर नियंत्रण के लिए एकल निकाय का समर्थन	Single Body favoured by Krishna Water Disputes Tribunal for Control of Tungabhadra Dam and Reservoir . .	50
8695	गुजरात तेल शोधक कारखाने का विस्तार	Expansion of Gujarat Refinery .	51
8696	मोनोब्लाक कंक्रीट स्लीपरों के निर्माण के कारण रेलवे को घाटा	Loss to Railways due to manufacture of Monoblock Concrete Sleepers . .	51
8697	गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर कम्पनी द्वारा कमाया गया लाभ	Profit earned by Gujarat State Fertiliser Company	52
8698	गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर कम्पनी में गुजरात सरकार की शेयर पूंजी	Gujarat Government's Share Capital in GSFC	52
8699	जूनागढ़ से देलवाड़ा तक रेल लाइन को पुनः चालू करना	Reopening of Railway Line from Junagarh to Delwarda	52
8700	धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) में कमर्शियल क्लर्कों के पदों का दर्जा बढ़ाने की मांग	Demand for upgradation of posts of Commercial Clerks in Dhanbad Division (Eastern Railway) . . .	53
8701	वाणिज्यिक क्लर्कों के पदों के दर्जे को ऊँचा करने की प्रतिशतता में वृद्धि	Increase in Upgradation of posts of Commercial Clerks	56
8702	श्रेणी तीन के अनुसचिवीय कर्मचारियों के पदोन्नति कोटे में वृद्धि	Increase in promotional Quota of Class III Ministerial Staff	56
8703	दिसम्बर, 1973 में पूर्वी और पूर्वोत्तर जोनों के अनुसचिवीय कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Ministerial staff of Eastern and North Eastern Zones in December, 1973	56
8704	चोपान (पूर्व रेलवे) के लोको शेड और यार्ड से कोयले और अल्यूमिनियम की कथित चोरी	Alleged theft of coal and Aluminium from Loco Shed and Yard at Chopan (Eastern Railway)	57
8705	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से तटदूर खुदाई कार्य वापस लेने का प्रस्ताव	Proposal for taking away offshore Operations from O & N G C . .	58

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8706	डीज़ल-सप्लाई की स्थिति के कारण रेलवे को क्षति होना	Railways to suffer in Diesel Supply.	58
8707	ईरान से अशोधित तेल के आयात की विनिमय दर पर मुआवजा	Compensation in Exchange Rate for Import of Crude from Iran . . .	59
8708	पेट्रोल पम्पों पर सप्लाई किये गये मिट्टी के तेल की चोर बाजारी	Black Marketing of Kerosene Oil supplied at Petrol Pumps	59
8709	भारतीय तेल टेंकर "बेलाडिला" का इटली के प्राधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाना	Seizure of Indian Oil Tanker 'Bailadila' by Italian Authorities . . .	59
8710	भारत में कोयले से अशोधित तेल निकालने में अमरीका द्वारा रुचि लेना	U.S. Interest in Extraction of Crude Oil from Coal in India	60
8711	पणजी में उच्च न्यायालय की स्थापना	Setting up of a High Court at Panaji .	60
8712	आयात रोकने के लिए चिकनाई-तेलों के व्यापार का भारतीयकरण करने का प्रस्ताव	Proposal to Indianise Business of Lubrication to avoid Import . .	60
8713	दिल्ली बाढ़ नियंत्रण विभाग में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनें	Registered Trade Unions of Delhi Flood Control . . .	61
8714	91/92 बीकानेर मेल में दिल्ली से सीकर के लिए तीसरे दर्जे का एक अतिरिक्त डिब्बा लगाने की मांग	Demand to attach an additional Third Class Coach from Delhi to Sikar in 91/92 Bikaner Mail	61
8715	सदूलपुर-हनुमानगढ़ सैक्शन पर पहाड़सर के निकट फ्लैग स्टेशन बनाने का निर्णय	Decision to start a Flag Station near Paharsar on Sadulpur-Hanuman Garh Section	62
8716	वर्ष 1973-74 में राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को मंजूरी	Sanction of rural electrification schemes for Rajasthan for 1973-74 . . .	62
8717	जयपुर में उच्च न्यायालय में बेंच की स्थापना की मांग	Demand for High Court Bench at Jaipur	63
8718	विदेशी भेषज फर्मों द्वारा धन का प्रत्यावर्तन	Remittances by foreign drug firms	63
8719	अलाटी माता-पिता को आवंटित आवास में रखने के लिए मंजूरी	Permission for sharing of accommodation with allottee parents . . .	64

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8720	उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए धनराशि की व्यवस्था	Amount provided for flood control measure in Orissa	64
8721	बिहार में पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में सिंचाई सुविधाएं	Irrigation facilities for Bihar in 1st year of Fifth Plan	64
8722	लघु उद्योगों को भट्टी के तेल के वितरण के मामले पर राज्य सरकारों से परामर्श	Consultation with State Governments on distribution of furnace oil to small scale industries	65
8723	समुद्री-भूमि-कटाव रोकने संबंधी योजनाओं के लिए महाराष्ट्र को सहायता	Assistance to Maharashtra for Anti Sea Erosion Schemes . . .	65
8726	उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान सरकार, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा किया गया खर्च	Expenditure incurred on election in Uttar Pradesh by Government Candidates and Political parties . .	66
8727	बिजली की दरों पर उपकर लगाने के प्रस्ताव	Proposal to levy a cess on Power rates	66
8728	दादरा और नागर हवेली में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in Dadra and Nagar Haveli	67
8729	पांचवी योजना के दौरान दादरा और नगर हवेली में बिजली की स्थिति को सुधारने के लिए मंजूर की गई धनराशि	Amount Sanctioned for Improvement of Power position in Dadra and Nagar Haveli during Fifth Plan . . .	67
8730	बिजली की कमी के कारण दादरा और नगर हवेली में उद्योगों का बन्द होना	Closure of Industries in Dadra and Nagar Haveli due to Power Shortage . .	67
8731	बिजली की आवश्यकता और उसके उत्पादन के बारे में सर्वेक्षण	Survey regarding Generation and Requirement of Power	68
8732	डीजल और मोबिल आयल की आवश्यकता और उपलब्धि	Requirements and availability of Diesel and Mobil Oil . .	68
8733	जल संसाधनों का विकास करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी	Advance Technology for Development of Water Resources . .	69
8734	पश्चिम बंगाल में सिंचाई और विद्युत परियोजनायें	Irrigation and Power Projects in West Bengal	69
8735	रेल प्रशासन की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of Powers of Railway Administration . . .	70

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8736	बंबई हाई और खंभात क्षेत्र में तेल के भारी भंडार	Potential Oil Deposits in Bombay High and Cambay Region	70
8737	आसाम में चौथी योजना में बिजली उत्पादन का लक्ष्य	Target for Power Generation in Assam during Fourth Plan	71
8738	चौथी पंचवर्षीय योजना में आसाम में बनाई गई नई रेल-लाइनें	New Railway lines in Assam during Fourth Five Year Plan	72
8739	रेल कर्मचारियों द्वारा धनबाद के उपायुक्त के समक्ष 21 जनवरी, 1974 को प्रदर्शन	Demonstration by Railwaymen on 21-1-1974 before Deputy Commissioner, Dhanbad	72
8740	डिप्टी डिवीजनल सुप्रिटेंडेंट, धनबाद द्वारा कर्मचारी समन्वय समिति, धनबाद से ज्ञापन लेने से इंकार	Refusal to accept memorandum from Employees Co-ordination Committee, Dhanbad by Dy. Divisional Superintendent, Dhanbad	72
8741	धनबाद डिवीजन के रेलवें अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये नियत और खर्च किया गया धन	Funds allocated and spent for Railway Hospital and Health units of Dhanbad Division	72
8742	उद्योगों को भट्टी तेल की सप्लाई में 20 प्रतिशत की कटौती	20 per cent cut in supply of Furnace Oil to Industry	73
8743	महाराष्ट्र के पिराई कारखाने के सम्मुख माल डिब्बों की कमी की स्थिति	Maharashtra Crushing Units facing Wagons Shortage	74
8744	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा शुरू किया गया विद्युत बचत अभियान	Saving of Power Drive Launched by DESU	74
8745	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में गुजरात राज्य में नई रेलवे लाइनों के लिये गुजरात सरकार से प्रस्ताव	Gujarat Government proposal for new Railway Lines in Gujarat State during Fifth Five Year Plan . . .	74
8746	गुजरात राज्य उर्वरक कंपनी को हुई हानि	Loss suffered by Gujarat State Fertiliser Company	76
8747	बिजली इंजीनियरों द्वारा आन्दोलन की धमकी	Agitation threat by Power Engineers .	76
8748	चौथी योजना में गुजरात में बिजली की कमी	Shortage of Power in Gujarat in Fourth Plan	77
8750	गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर कंपनी के विस्तार की योजना	Expansion plan of Gujarat State Fertiliser Company	77
8751	हल्दिया शोधनशाला के लिये फ्रांसीसी विक्रेता के माध्यम से ईरानी अशोधित तेल की सप्लाई	Supply of Iranian Crude Oil to Haldia Refinery through French Suppliers .	78

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8752	वर्ष 1971-72 और 1972-73 में पश्चिम बंगाल और आसाम में गैर-सरकारी तथा सरकारी लिमिटेड कंपनियां	Private and Public Limited Companies in West Bengal and Assam during 1971-72 and 1972-73	78
8753	पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में निर्माता कंपनियां	Manufacturing Companies in West Bengal and Maharastra	80
8754	वर्ष 1972-73 और 1973-74 के अन्त में पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ज्वांइट स्टाक कंपनियां	Joint Stock Companies in West Bengal and Maharashtra at the end of 1972-73 and 1973-74	80
8755	पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में 10 करोड़ रुपये और इससे अधिक पूंजी निवेश वाले उपक्रम	Undertakings in West Bengal and Maharashtra with Capital Investment of Rs. 10 crores and above	81
8756	गैर-सरकारी क्षेत्र में दो बड़ी उर्वरक परियोजनाओं को मंजूरी	Approval for two Giant Fertiliser Projects in Private Sector . . .	82
8757	मुजफ्फरपुर (उत्तर पूर्व रेलवे) में रेलवे आयोग में कदाचार और भ्रष्टाचार	Malpractices and Corruption in Railway Commission at Muzaffarpur (North Eastern Railway) . . .	82
8758	मैसर्स लारसन एंड टुबरो द्वारा मैसर्स हिन्तुस्तान ब्राउन बोवेरी के बिक्री कार्य को अपने अधीन लेना	Taking over of selling of products of M/s Hindustan Brown Boveri by M/s. Larson and Toubre	83
8759	ए० ई० एन०/एम० डोरनाकाल के अन्तर्गत खलासियों की सेवाएं समाप्त करना	Termination of Services of Khalsis under AEN/M. Dornakal	83
8760	एशियन केबिल्स कार्पोरेशन लिमिटेड	Asian Cables Corporation Limited .	83
8761	ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये राजस्थान को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Rajasthan for Electrification of Villages . . .	84
8762	राजस्थान में तहसीलों का विद्युतीकरण	Electrification of Tehsils in Rajasthan .	85
8763	उदयपुर और चितौड़गढ़ के बीच चलने वाली गाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of Trains running between Udaipur and Chittaurgarh . . .	85
8764	उड़ीसा कन्क्रीट प्राडक्ट्स लिमिटेड	Orissa Concrete Products Limited.	85
8765	आनन्द बाजार पत्रिका प्राईवेट लिमिटेड' कलकत्ता	Ananda Bazar Patrika Private Limited, Calcutta	86
8766	बामर लारी एंड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता के स्वामित्व में परिवर्तन	Change in the Ownership of Balmer Lawrie & Co. Ltd., Calcutta . .	86

अ ता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8767	चौथी योजना में राजस्थान के लिये बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाएं	Major and medium Irrigation schemes for Rajasthan in Fifth Plan . .	8 7
8768	वर्ष 1973-74 और 1974-75 में राजस्थान के ग्रामों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in Rajasthan in 1973-74 and 1974-75 . . .	87
8769	पिछली चार पंचवर्षीय योजनाओं में तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनें	New Railway lines in Hilly areas during Plans and Fifth Five Year Plan . .	88
8770	विभिन्न राज्यों के लिये पेट्रोल और डीज़ल का कोटा	Quota of Petrol and Diesel for different States	88
8771	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये नई रेलवे आवास बस्तियों का निर्माण	Construction of new Railway Housing Colonies for Class IV Staff during Fifth Five Year Plan	88
8772	पांचवीं योजना में पन बिजली के उत्पादन के लिये मांगी गई विदेशी वित्तीय सहायता	Foreign Financial Assistance sought for generation of Hydel Power in Fifth Plan	89
8773	लघु उद्योगों के लिये प्लास्टिक का कोटा	Plastic Quota for Small Scale Industries .	89
8774	सौराष्ट्र क्षेत्र में गत छः महीनों में गाड़ियों का रद्द किया जाना	Trains cancelled in Saurashtra Region during the last Six Months. . .	90
8775	गुजरात में प्लास्टिक उद्योग की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to set up a plastic Industry in Gujarat	92
8776	गत छः मास में गुजरात में बिजली का उत्पादन	Power production in Gujarat during last six months	92
8777	देशव्यापी हड़ताल रोकने के लिये रेल कर्मचारी महासंघ के साथ वार्ता	Negotiations with Railway men Federation to avoid Nation Wide Strike .	92
8778	देशव्यापी रेल हड़ताल की धमकी पर रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड में मतभेद	Differences between Railway Ministry and Railway Board on threatened Nation wide Railway Strike . .	92
8779	भट्टी-तेल का राशन करने की योजना	Scheme for rationing of furnace oil. .	93
8780	ताप बिजली घरों में कोयले का संकट	Coal crises in thermal power stations .	93
8781	अन्तर्राज्यीय नदी विवाद	Inter State River disputes . . .	94
8782	नहरों के माध्यम से सिंचाई जल की सप्लाई में जल रिसने के कारण होने वाली क्षति	Loss in supply of Irrigation Water through canals and seepage	95

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8783	जल संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन घोषित करना	Declaration of water resources as a National asset	95
8784	पांचवीं योजना में ग्राम विद्युतीकरण की 20 नई परियोजनायें आरम्भ करना	Setting up of 20 new Rural Electrification Projects during Fifth Plan . . .	96
8785	इंजीनियरों की हड़ताल के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल द्वारा मांगी गई सहायता	Assistance sought by West Bengal in the wake of strike of Engineers. . .	96
8786	वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान विलम्ब शुल्क की वसूल न की गई राशि	Unrealised amount of demmurage charges during 1971-72, 1972-73 and 1973-74 .	96
8787	पश्चिम बंगाल को सन्थालडीह बिजलीघर से बिजली की सप्लाई	Supply of power to West Bengal from Santaldih Power Station . . .	97
8788	जीवन रक्षक औषधियों के लिये छोटे पैकों की कमी	Shortage of Small packs of life saving drugs	98
8789	नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रैस से होने वाली हानि	Loss suffered due to running of Rajdhani Express from New Delhi to Howrah .	98
8790	हिमाचल प्रदेश में तेल के लिये खोज	Exploration for oil in Himachal Pradesh.	99
8791	चौथी और पांचवीं योजना में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में सिंचित भूमि	Irrigated Land in U.P. M,P, Rajasthan and Bihar in Fourth & Fifth Plan .	99
8792	हड़तालों पर रोक	Check on strikes	100
8793	अरब देशों की गोमांस के बदले तेल देने की पेशकश	Arab countries offer of oil in Exchange of Beef	100
8794	दिल्ली में और अन्य राज्यों में बिजली की बचत करने संबंधी योजना	Scheme to save Electricity at Delhi and other States	101
8795	चौथी पंचवर्षीय योजना की सिंचाई परियोजनाओं को पांचवीं योजना में पूरा करना	Completion of Irrigation Projects of Fourth Plan in Fifth Plan . . .	101
8796	कर्नाटक द्वारा कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के सम्मुख पुनर्विलोकन याचिका दायर करना	Review petition Filed by Karnataka before Krishna Water Dispute Tribunal .	102
8797	कर्नाटक में अवैतनिक रेलवे मजिस्ट्रेटों को यात्रा/दैनिक भत्ते की अदायगी न किया जाना	Non payment of TA/DA to Hony. Railway Magistrate in Karnataka . .	102

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8799	कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायधीशों के रिक्त पद	Seats of Judges vacant in calcutta High Court	103
8800	बी० एन० एलियस एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	B.N Elias and Company Private Ltd. .	103
8801	बिजली की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में इस्पात पुनर्वेलन एककों का बन्द हो जाना	Closure of Steel Re-rolling Units in U.P. due to Power Shortage . . .	104
8802	वार्नर हिन्दुस्तान द्वारा चिकलैट बनाना	Manufacture of Chiklets by warner Hindustan	104
8803	औषधि उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों पर लगाए गये मूल्य नियंत्रण का तुलनात्मक अध्ययन	Comparative Study of Price Control on Different Sectors of Drug Industry .	105
8804	स्वर्णरेखा तटबंध योजना का क्रियान्वयन	Implementation of Subarnarekha Embankment Scheme	105
8805	रोशनी करने पर प्रतिबंध लागू करना	Imposition of Restrictions on Illumination	105
8806	जलपाईगुड़ी और रंगापानी (पूर्वोत्तर रेलवे) स्टेशनों के बीच रेल पटरियों से फिश प्लेटों का गायब होना	Fish Plates missing from Railway Tracks between Jalpaiguri and Rangapani Station (N.E. Railway) . .	106
8807	बीकानेर डिवीजन के सहायक स्टेशन मास्टरों/स्टेशन मास्टरों को 1972 के दौरान नमक की गलत बुकिंग के लिये दोषपत्र का दिया जाना	Assistant Station Masters/Station Masters, Bikaner Division Charge sheeted for Wrong Booking of Salt during 1972	106
8808	ब्रिटिश फर्मों के विरुद्ध उनके कर्मचारियों द्वारा एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग से की गई शिकायत	Complaint made against British Firms by their Employees to MRTP Commission	107
8809	उड़ीसा में सिंचाई नहर	Irrigation Canal in Orissa .	107
8810	प्रथम पंचवर्षीय योजना से उड़ीसा में रेलवे लाइन का बिछाया जाना	Railway Mileage added in Orissa since first Five Year Plan . . .	108
8811	उड़ीसा में उद्योगों को विद्युत की सप्लाई	Supply of power to Industries in Orissa .	109
8812	विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने और विक्रय में कथित कदाचार	Alleged Malpractices in regard to pricing and Marketing of Products indulged by Foreign Companies . .	109

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8813	पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की उपलब्धता तथा खपत	Availability and Consumption of Petrol, Diesel and Kerosene Oil . . .	110
8814	आन्ध्र प्रदेश द्वारा कर्नाटक के लिये पानी का छोड़ा जाना	Release of Water by Andhra Pradesh for Karnataka	111
8815	नेफ्था के मूल्य में वृद्धि के कारण पेट्रो-रसायन उद्योग को हुई हानि	Loss to Petro Chemical Industry due to increase in price of Naphtha . .	111
8816	अधीनस्थ क्लर्क द्वारा हस्ताक्षर किये गये जाली आय-कर कटौती प्रमाण-पत्र (हुबली-मैसूर)	Fake I.T. Deduction certificates (Hubli Mysore) Signed by Subordinate . .	111
8818	वर्ष 1973-74 में उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर की गई धनराशि	Amount sanctioned by REC in Orissa during 1973-74	112
8819	उम्मीदवारों द्वारा अनिवार्य चुनाव विवरण दायर करने की व्यवस्था समाप्त करने का प्रस्ताव	Proposal to abolish compulsory filling of election returns by Candidates . .	112
8820	बिजली बोर्डों के चैयरमैन का विद्युत उत्पादन योजनाओं को क्रियान्वित करने का अनुरोध	Request by Chairman of Electricity Boards for Implementation of Power Production Schemes	112
8821	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयला क्षेत्रों को डीजल आयल तथा अन्य स्नेहकों की सप्लाई	Supply of Diesel Oil and other Lubricants to NCDC Coal Fields . . .	113
8822	बरौनी शोधनशालाओं में अशोधित पैट्रोलियम कोक का उत्पादन	Production of Raw Petroleum Coke in Barauni Refinery	114
8823	घाघरा नदी पर मांझी तथा तुरती-पार रेलवे पुल का बनाया जाना	Manjhi and Turtipar Railway Bridge across Ghaghara river	115
8824	उत्तर प्रदेश के पुर्वी जिलों में छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना	Conversion of lines into Broad Gauage in Eastern Districts of Uttar Pradesh	115
8825	पूर्व रेलवे के स्टेशनों पर पेय जल की व्यवस्था	Arrangements to supply Drinking Water at Stations on Eastern Railway . .	116
8826	बलिया (पूर्वोत्तर) में रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज तथा अंडर ब्रिज का निर्माण	Construction of Over Bridge and Under Bridge at Railway Crossing at Ballia (N.E. Railway).	116
8827	दिल्ली में वकीलों द्वारा सैशन न्यायालय का बहिष्कार	Boycot of Sessions courts by Advocates in Delhi	117
8828	तमिलनाडु सरकार का पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सेतुसमुद्रम योजना के लिये अनुरोध ।	Tamil Nadu Government request for Sethusamudram Scheme in Fifth Plan .	117

अता० प्र० संख्या U.S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8829	रेलवे के अंगुली छाप परीक्षकों से अच्छे वेतन-मानों के लिये अभ्यावेदन	Representation from Finger Print Examiners of Railways for better Scales of Pay	118
8830	विभिन्न देशों के साथ अशोधित तेल के लिये समझौते	Agreements with different countries for Crude Oil . . .	118
8831	वर्ष 1971-73 के दौरान रेलवे को अदा किया गया विलम्ब-शुल्क	Amount of demmurage paid to Railways during 1971-73	119
8832	बिजली के संकट के बारे में उच्च शक्ति-प्राप्त समिति का गठन	Setting up of a High Power Committee on Power Crisis . . .	119
8833	रेल मंत्रालय तथा परिवहन और नौवहन मंत्रालय में तालमेल	Coordination between the Ministries of Railways and Transport and Shipping	120
8834	आन्ध्र प्रदेश की रेल लाइनों की अखिल भारतीय औसत से अनुरूपता	Railway lines in Andhra Pradesh conforming to All India average .	121
8835	गान्धीधाम से लखपत-बरास्ता मांडवी रेलवे लाइन के विस्तार तथा गान्धीधाम के भुज मीटर गेज को बड़ी लाइन में बदलना	Extension of Railway line from Gandhidham to Lakhpat via Mandvi and conversion of Gandhidham to Bhuj metre gauge to broad gauge . . .	121
8836	मछलीपटम और रेपाल्ले क्षेत्रों में पेट्रोलियम के निक्षेप	Petroleum deposits in Masulipatam and Repalle areas .	121
8837	रूसी तटदूर भुकम्पीय अभियान-दल का प्रतिवेदन	Report of Russian offshore seismic Expedition, 1967	122
8838	परिशिष्ट 2 आई० आर० ई० एम० के कोटे से अधिक कर्मचारियों को, जो वापिस भेजे गये, राहत	Relief to Appendix 2 IREM Staff reverted in excess of quota (Western Railway) .	122
8839	रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों का कालका स्टेशन पर पार्सल क्लर्कों के घरों में घुस जाना	Entry of R.P.F. Personnel into Parcel clerks residence at Kalka Station	123
8840	छतरपुर जिला (म० प्र०) में रंगवान बांध के नहर के विस्तार का कार्य	Canal extension work from Rangwan Dam in Chhatarpur district (M.P.) . .	
8841	बिहार में अपर सकरी बांध का निर्माण	Construction of Upper Sakri Dam in Bihar . .	124
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	124
	अनेक जाली समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को अखबारी कागज का कोटा दिये जाने का समाचार	Reported issue of Newsprint quotas to fictitious news papers and Periodicals	124

श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihar Vajpayee	125
श्री आई० के० गुजराल	Skri I. K. Gujral . .	125
रेल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के बारे में	Re. Strike by Railway Employees	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	133
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege . . .	134
भारतीय तेल निगम के श्री सी० आर० दास गुप्त द्वारा पाइप लाइनस जांच आयोग के समक्ष पेश किया गया शपथ-पत्र	Affidavit of Shri C.R. Das Gupta of I.O.C. before pipelines Inquiry Commission .	134
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	Committee on Absence of Members from sitting of the Houses . .	145
14 वां प्रतिवेदन	Fourteenth Report . .	145
प्राक्कलन समिति —	Estimates Committee .	145
64वां, 66वां, 53वां, 56 वां, और 63वां, प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	64th ,66th, 53rd, 56th and 63rd Reports and Minutes . . .	145
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee .	146
113वां, 132वां, और 133वां प्रतिवेदन	113th, 132rd and 133rd Reports	146
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति —	Committee on Public Undertakings	146
55 वां, 56 वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	55th, 56th, Reports and Minutes .	146
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	Joint Committee on Offices of profit	146
9वां प्रतिवेदन	Ninth Report . . .	146
विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक	Disturbed Areas (Special Courts) Bill	146
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	Report of Joint Committee .	146
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की राज्यसभा को एक सदस्य का निर्वाचन करने की सिफारिश	Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Recommendation to Rajya Sabha to elect a Member	147
कोयला खान (संरक्षण और विकास) विधेयक-पुरः स्थापित	Coal Mines (Conservation and Development) Bill-Introduced	147
नियम 377 के अधीन मामले —	Matters Under Rule 377	148
(1) पश्चिम बंगाल में नमक के संकट का समाचार	Reported Salt Crisis in West Bengal .	148

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
(2) कोलार सोना खानों को बंद करने का समाचार	Reported closure of Kolar Gold Mines	149
वित्त विधेयक, 1974	Finance Bill, 1974	150
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	150
श्री यशवंतराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan .	150
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya .	151
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri NKP Salve	153
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwary . .	154
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	156
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Sayam Sunder Mohapatra .	157
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai .	158
श्री बी० बी० नायक	Shri B.V. Naik . .	160
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar	161
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chaplandu Bhattacharyya .	162
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdev Prasad Verma	163
श्री गिरधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango	164

लोक-सभा
LOK-SABHA

मंगलवार, 30 अप्रैल, 1974/10 वैशाख, 1896 (शक)
Tuesday, April, 30 1974, Vaisakha 10, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे सम्वेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
(Mr. Speaker in the Chair)

[निधन संबंधी उल्लेख
Obituary Reference]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि श्री विपिन बिहारी वर्मा का पटना में, 28 अप्रैल, 1974 को 82 वर्ष की आयु में दुखद निधन हो गया है ।

श्री वर्मा वर्ष 1934 से 1939 तक तथा 1945 से 1947 तक केन्द्रीय संविधान सभा के, वर्ष 1952 से 1952 तक अस्थायी संसद के और वर्ष 1952 से 1962 तक पहली तथा दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे । महात्मा गांधी के तक सहयोगी के रूप में उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिये कारावास भोगा । वह एक कृषक तथा त्याग-सेवी थे और उन्होंने राहत कार्यों एवम् हरिजनों के उत्थान में गहरी रूचि ली । उन्होंने अपने राज्य के अनेक संगठनों तथा स्थानीय निकायों में कार्य किया ।

हम इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि उनके दुखी परिवार के प्रति अपनी सम्वेदनायें प्रकट करने में सभा भी मेरे साथ है ।

अब सभा शोक प्रकट करने के लिये कुछ क्षणों के लिये मौन खड़ी होगी ।

इसके पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षणों तक मौन खड़े रहे :
The Members then stood in Silence for a short while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWER TO QUESTIONS

नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नदी बोर्डों की स्थापना

*894. **श्री के. नारायण राव :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत किन्ही नदी बोर्डों की स्थापना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री के० नारायण राव : नदी बोर्डों का गठन करने के लिये नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में पारित किया गया था । और उसके साथ ही 10 वर्ष पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम भी पास किया गया था ।

दुर्भाग्य से, राज्य सरकारों की उपेक्षापूर्ण प्रवृत्ति के कारण कोई भी राज्य नदी बोर्ड गठित नहीं कर पाया । जहां तक संविधान का सबंध है मंत्री महोदय को भली प्रकार मालूम है कि विशेष रूप से अन्तर्राज्यीय जल राष्ट्र की सम्पत्ति हैं । इसलिये, अन्तर्राज्यीय जल संबंधी विकास तथा उपयोग के विषय संसद तथा केन्द्र सरकार के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं । परन्तु सरकार ने इस पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार नहीं किया है । मैं यह जानना चहुंगा कि क्या सरकार राज्य सरकारों को इस अधिनियम की आवश्यकता का अनुभव कराने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ? अन्यथा क्या सरकार किसी कानून को प्रभावहीन ही रखना चाहेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यद्यपि अधिकांश राज्यों ने उसकी आवश्यकता स्वीकार नहीं की है तो भी मेरे विचार से उसे इससे अधिक स्वीकार्य तो नहीं बनाया जा सकता ।

श्री मोहनराज कलिंगारामर : मैं मंत्री महोदय से इस बात की पुष्टि करना चाहुंगा कि क्या सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को अपने-अपने राज्य में ऐसे बोर्डों का सदस्य बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर दे चुके हैं कि कोई भी नदी बोर्ड गठित नहीं किया गया है । अत : यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : क्या नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अधीन इस अधिनियम की धारा 13 तथा 14 के अन्तर्गत कार्य करने के लिए एक सलाहकार समिति या समितियां गठित की गई है ; और यदि हां, तो इन समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने कौन-कौन से महत्वपूर्ण नदीं जल विवादों तथा योजनाओं को हाथ में लिया तथा उनका निपटान किया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप तो एक कदम आगे जा रहे हैं ।

श्री नरसिंह नारायन पांडे : नदी बोर्ड अधिनियम की धारा 13 तथा 14 में प्रावधान है कि बोर्ड के अधीन नदी जल विवादों, यदि कोई हों तो तथा बोर्ड के अन्य कुछ कार्यों को सरकार द्वारा किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : जब बोर्ड ही गठित नहीं होंगे समितियों की बात कहां से आएगी ?

श्री नरसिंह नारायण पांडे : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई समिति सरकार ने गठित की है ? क्या किसी राज्य सरकार ने कोई समिति बनाने को कहा है ?

श्री कृष्न चन्द्र पंत : कोई बोर्ड गठित नहीं किया गया है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : If no board was to be constituted why this act was passed?

Mr. Speaker: You have asked for information and that he has supplied.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Sir, there is ample criticism outside Parliament that one minute's proceedings in the Parliament cost Rs. 10,000. We enact legislation but they are not implemented. If no Board was to be set up why this legislation was enacted at all?

Mr. Speaker: There is a legislation for family planning also but it is ineffective for those who go on producing children. What is the use of such a legistation for persons like you?

Shri D. N. Tiwari: There are certain rivers which originate outside our country. What provisions have been made for disputes, if any, in those cases? For instance, Kosi and Gandak originate from outside our country. Is there any river board or any consultative committee to settle those disputs? How do you settle them?

Shri K. C. Pant: This question pertains to the basins of rivers within India. Negotiations with other countries do not come under this Board. There are separate arrangements to deal with those matters.

Shri D. N. Tiwari: But is there any agency therefor?

Shri K. C. Pant: For that we have to discuss separately for separate issues. There is no question of having any agency. .Separate negotiations are required in each case.

श्री बीर भद्र सिंह : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से ऐसा लगता है कि राज्य सरकारों की ओर से कुछ विरोध के कारण नदी बोर्ड गठित नहीं किये गये हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले बोर्डों के बारे में क्या राज्य सरकारों से कोई बातचीत हुई थी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : श्री तिवारी के प्रश्न के उत्तर में मुझे याद है--मैं सिंधु आयोग तथा भारत बंगला देश आयोग को इससे अलग रख रहा हूं--कि वह किसी अन्य मामले के बारे में था नेपाल के बारे में नहीं ।

इस प्रश्न पर राज्य सरकारों से सातवें दशक के प्रारम्भ में विचार-विमर्श हुआ था, और गुजरात ने आरम्भ में तो स्वीकार कर लिया था परन्तु बाद में अपनी सहमति वापस ले ली थी । महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश राजी नहीं हुए थे और बिहार ने इसका विरोध किया था ; तमिल नाडु तथा कर्नाटक ने इसकी आवश्यकता ही नहीं समझी थी ; उत्तर प्रदेश के विचार से इसकी कोई उपयोगगता नहीं थी, और इसी प्रकार के विचार मिले थे । इसीलिये बोर्ड गठित नहीं किया गया । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकार ने सिंचाई आयोग के सुझाव के आधार पर नदी-नालों के समूचे आयोजन के लिये कोई व्यवस्था बनाने के प्रश्न पर विचार करना ही बन्द कर दिया है । इस पर पृथक से विचार किया जा रहा है । इससे इसका कोई संबंध नहीं है ।

ईराक की रेवाल्यूशनरी कमांड कौंसिल के इकानामिक ब्यूरो के चेयरमैन की यात्रा

*895. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक की रेवाल्यूशनरी कमांड कौसिल के इकानामिक ब्यूरो के चेयरमैन ने मार्च, 1974 में दिल्ली की यात्रा की थी ;

(ख) क्या उन्होंने भारत के पेट्रोलियम और योजना मंत्रियों से बातचीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की बातचीत हुई और क्या निर्णय लिये गये ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) दोनों देशों के बीच में वर्तमान आर्थिक तथा तकनीकी संबंधों को और सुदृढ़ करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए चर्चा हुई । उद्योग, कृषि, व सिंचाई व्यापार तथा प्रशिक्षण व शिक्षा की सुविधाओं के क्षेत्रों में इन विचार विमर्शों के परिणामस्वरूप आपसी सहयोग के लिए विशिष्ट प्रायोजनों को विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान तथा भविष्य करारों को कार्यान्वित तथा समन्वय करने और दोनों देशों के बीच में व्यापक सहयोग के नये मार्ग खोजने और निकालने के लिए स्थायी भारत-ईराक संयुक्त आयोग स्थापित करने का निर्णय ले लिया गया है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : श्रीमन्, आप देखेंगे कि यह प्रश्न योजना मंत्रालय से पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय को स्थानान्तरित किया गया है और मंत्री महोदय ने उद्योग, व्यापार कृषि, सिंचाई तथा शिक्षा मंत्रालयों का तो जिक्र किया है परन्तु अपने मंत्रालय के बारे में कुछ नहीं कहा है । मैं जानना चाहूंगा कि इराक की रिवेल्यूशनरी कमांड कांऊसिल के इकोनोमिक ब्यूरो को प्रमुख तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के मध्य क्या बातचीत हुई थी ?

श्री शाहनवाज खां : प्रशिक्षण के क्षेत्र में यह स्वीकार किया गया था कि हम इराक के तकनीशियनों को संयंत्र के भीतर का प्रशिक्षण देंगे । यह भी स्वीकार किया गया था कि हमारे देश से हमारे मंत्रालय के लोग इराक में एक पेट्रोलियम संस्थान स्थापित करेंगे । हम एक दल पहले ही भेज चुके हैं जोकि इराक में तेल के लिए छिद्रण हेतु खोज कार्य करेंगे, और इसके लिये हमें भूमि की लीज भी दे दी गई है । इन सभी सुविधाओं पर चर्चा हुई थी और इस सारे करार पर मेरे वरिष्ट सहयोगी श्री देवकांत बरुआ ने हस्ताक्षर किये थे ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या इराक सरकार के इकोनोमिक ब्यूरो के प्रमुख का यह दौरा भारत सरकार के कहने पर हुआ था या कि उन्होंने स्वयं किया था ? दूसरे इस चर्चा के फल स्वरुप इराक सरकार तथा पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों द्वारा किये गये निर्णयों के अलावा भारत सरकार को कोई रियायतें भी मिली हैं ।

श्री शाहनवाज खां : जैसा कि सभा को मालूम है, इराक सरकार के साथ हमारे अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध है और ऐसे दौरे दोनों देशों के परस्पर हितों में ही आयोजित किये जाते हैं जिन का स्वागत है ।

जहां तक तेल के लिये करार का संबंध है, हमने चालू वर्ष 1974-75 के लिये लगभग 30 लाख टन इराकी कच्चे तेल के आयात के लिये बातचीत की थी । अन्य विवरण मैं इस समय नहीं देना चाहूंगा क्योंकि हमारी सरकार अन्य देशों की सरकारों से भी बातचीत कर रही है और हम इस समय सारा ब्यौरा नहीं देना चाहेंगे ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या मंत्री महोदय यह बताना चाहेंगे कि क्या यह निमंत्रण भारत सरकार ने दिया था ? यदि हां, तो क्या ऐसे ही निमंत्रण अन्य तेल उत्पादक देशों को भी पेट्रोलियम सप्लाई के बारे में बातचीत करने के लिये दिये गये हैं ?

श्री शाहनवाज खां : इन सभी देशों में हमारे राजनयिक प्रतिनिधि हैं । वे विभिन्न सरकारों से निरंतर सम्पर्क बनाये होते हैं और जब भी कोई सरकार हमसे कोई चर्चा करना चाहती है या प्रशिक्षण सुविधाओं आदि के लाभ के लिये विचार-विमर्श करना चाहती है, हम इसका स्वागत करते हैं । इनकी व्यवस्था परस्पर आधार पर होती है ।

अध्यक्ष महोदय : जनरल साहेब, यह प्रश्न विशेष रूप से इस बारे में था कि पहल किसने की थी । हमने उनको आमंत्रित किया था या कि उन्होंने हमारे साथ बातचीत की इच्छा व्यक्त की थी ?

श्री शाहनवाज खां : यह पहल तो मुख्यतः इराक सरकार की ओर से हुई थी ।

अध्यक्ष महोदय : बस । शेष विवरणों में जाने की क्या जरूरत है ।

श्री त्रिदिव चौधरी : मंत्री महोदय ने अभी-अभी बताया है कि वर्ष 1974-75 में इराक से 30 लाख टन कच्चा तेल आयात किया जायेगा उसके पूर्व इराक सरकार के साथ किसी विशिष्ट अवधि तक कच्चे तेल की लगातार सप्लाई के बारे में उस देश के साथ दस वर्षीय करार की घोषणा की गई थी । क्या वह दस वर्षीय क़रार बना हुआ है याकि अब प्रति वर्ष बातचीत करने की नई व्यवस्था की गई है ।

श्री शाहनवाज खां : पहले विभिन्न विदेशी कपनियां थी जोकि ईराक में तेल का उत्पादन तथा शोधन कर रही थी । उनका भी कच्चे तेल की सप्लाई के लिये हमारे देश के साथ क़रार था । अब तेल आयोग का राष्ट्रीयकरण करने के बाद इराक सरकार ने वे क़रार रद्द कर दिये हैं और हम उनसे सीधे ही क़रार करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री त्रिदिव चौधरी : यह उत्तर तो सर्वथा असंगत है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इराक़ सरकार के साथ विदेशी तेल कंपनियों के साथ नहीं पहले भी कोई क़रार था ? वह क़रार भी उनके वरिष्ठ सहयोगी श्री देवकांत बरुआ द्वारा किया गया था और वह कच्चे तेल की लगातार सप्लाई के लिये दस वर्षीय क़रार था । मैं जानना चाहता था कि क्या वह क़रार अभी भी बना रहेगा अथवा वार्षिक आधार पर नई व्यवस्था के अनुसार काम होगा ? क्या वह क़रार बरक़रार है याकि विश्व भर में हम उथल पुथल के कारण इराक सरकार उस क़रार से फिर गई है और हमें नया क़रार करना पड़ रहा है ?

श्री शाहनवाज खां : मैं नहीं समझता कि इराक सरकार किसी करार से फिर गई है । ये नये क़रार हैं जो कि हम इराक सरकार के साथ कर रहे हैं ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : पुराने करार का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : सभा को बताया गया था कि तेल की सप्लाई के लिये एक 10 वर्षीय क़रार किया गया है । श्री त्रिदिव चौधरी का प्रश्न बहुत ही सीधा है । क्या वह क़रार अभी लागू है अथवा उसके स्थान पर नई व्यवस्था हो गई है ?

श्री शाहनवाज खां : ये बात-चीत तो नहीं हैं जोकि तेल उत्पादक देशों के निर्णयों की दृष्टि से की गई है । ये सब नये क़रार हैं ।

श्री त्रिदिव चौधरी : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनका उत्तर...

अध्यक्ष महोदय : कई बार मंत्री महोदय के लिये विशिष्ट तथा स्पष्ट उत्तर देना कठिन हो जाता है । उन्होंने आपको संतुष्ट करने का प्रयास किया है और साथ ही वह बातचीत के लिए कुछ गुंजाइश रखना भी चाहते हैं ।

श्री त्रिदिव चौधरी : कुछ मास पूर्व एक क़रार पर हस्ताक्षर हुए थे क्या हम यह समझें कि वह क़रार समाप्त हो गया है और नयी व्यवस्था कर ली गई है ? यह बड़ी अजीब सी बात है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय का ध्यान फिर आकर्षित करता हूं । क्या यह नई बातचीत उस करार के संदर्भ में कोई नई कड़ी है या कि यह एक पृथक मामला है ?

श्री शाहनवाज खां : यह तो एक अलग व्यवस्था है ।

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य के संदर्भ में कि एक भू-क्षेत्र हमारे तेल निगम को इराक सरकार ने दे दिया है क्या वहां जब छिद्रण के पश्चात् तेल निकलेगा तो क्या कच्चा तेल, साफ तेल तथा पेट्रोलियम भारत सरकार को मिलेगा याकि इराक़ सरकार को सौंप दिया जायेगा और फिर बाद में आपको उनसे मिलेगा ? इस संबंध में स्थिति क्या है ?

श्री शाहनवाज खां : वह तेल इराक़ सरकार का होगा और फिर हमें इस बारे में उनके साथ क़रार करना होगा ।

सभी रेलवे जोनों में "कैश विटनैस भत्ता" देना

*897 **श्री राजदेव सिंह :**

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेल मंत्री "कैश विटनेस भत्ता" के भुगतान के बारे में आदेशों को लागू करने के बारे में 18 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5147 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "कैश विटनेस भत्ता" केवल दक्षिण रेलवे में ही कैश विटनेस को क्यों दिया जाता है ; और

(ख) क्या इस भत्ते के भुगतान के आदेश अन्य रेलवे जोनों को दिए जायेंगे ताकि भारत के सभी रेलवे जोनों में समान प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सकें ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इन कर्मचारियों द्वारा दोहरी घर-गृहस्थी रखने पर किये जाने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए इन्हें यह भत्ता दिया जाता है ।

(ख) प्रत्येक रेलवे की परिस्थितियां भिन्न-भिन्न हैं और इसलिए एक समान नियम निर्धारित करने का कोई विचार नहीं है ।

श्री राजदेव सिंह : मंत्री महोदय द्वारा प्रयुक्त "परिस्थितियां" शब्द भ्रामक है । मेरे विचार में "कारण" शब्द का प्रयोग होना चाहिए । क्या दक्षिण रेलवे में दिया जा रहा "कैश विटनेस भत्ता" अन्य रेलवों में नहीं दिया जाता है और क्या सर्राफ द्वारा पैसे गिनने और 28,000 रुपये से अधिक रुपये गिनने पर प्राप्त किए जाने वाले भत्ते के बारे में अलग-अलग रेलवे की अलग-अलग परिस्थितियां है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : दक्षिण रेलवे में यह प्रथा तब से चली आ रही है जब इस रेलवे का कार्य-भार कम्पनी पर था । प्रत्येक रेलवे के अपने-अपने सिद्धांत हैं । हमने प्रत्येक रेलवे को छूट दे रखी है और जब भी कोई रेलवे प्रणाली को बदलने की आवश्यकता का अनुभव करे तो वह प्रणाली बदल सकता है ।

श्री राजदेव सिंह : मंत्री महोदय ने प्रश्न के 'ख' भाग के बारे में "दोहरी घर-गृहस्थी" की बात की है । दोहरी घर-गृहस्थी चलाने के अतिरिक्त और भी कई जोखिम उठाने पड़ते हैं जैसे लाखों रुपये लाने ले जाने वाले 'स्ट्रांग रूम' में 'शिफ्ट ड्यूटियों' में काम करना । ऐसे जोखिम हर रेलवे में हैं ? अतः क्या सरकार इस पर फिर से विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप जो अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या वे आपके पास लिखित रूप में भी है ? क्या आप हमेशा लिखित अनुपूरक प्रश्न लेकर आते हैं ?

श्री राजदेव सिंह : मैंने प्रश्नों को लिख लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न दिए गए उत्तरों के बारे में पूछे जाते हैं और उनको बिना पूर्व तैयारी के अथवा तत्काल पूछा जाना चाहिये ।

श्री राजदेव सिंह : मैं मंत्री महोदय द्वारा आज दिए गए उत्तर के बारे में पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : : मंत्री महोदय अपने उत्तर में सब कुछ बता चुके हैं । मंत्री महोदय एक बार फिर बता दें ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : : प्रत्येक ज़ोनल रेलवे ने अपने अनुकूल सिद्धांत बना रखे हैं । यदि वे प्रणाली को बदलना चाहें, तो उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में माननीय सदस्य अब संतुष्ट हो गए होंगे ।

श्री राजदेव सिंह : "दोहरी घर-गृहस्थी चलाने" का मामला केवल दक्षिण रेलवे तक सीमित नहीं है । यह स्थिति प्रत्येक रेलवे में है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : अलग-अलग रेलवे में अलग-अलग प्रणालियां है । कुछ रेलवे में 15 दिन अथवा एक सप्ताह के लिए कर्मचारी प्रतिनियुक्त किए जाते हैं । दक्षिण रेलवे में बिल्कुल अलग प्रणाली है । वहां लम्बी अवधि के लिए व्यक्तियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है । अतः उनको दोहरी घर-गृहस्थी चलानी पड़ती है--एक तिरुचिरापल्ली में और दूसरी मुख्यालय में जहां वे ठहरे हुए हैं ।

श्री राजदेव सिंह : मैं स्पष्टीकरण के लिए एक और अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं । यदि अवधि 15 दिन से अधिक हो तो क्या सरकार ऐसे लोगों को "कैश भत्ता" देने के लिए तैयार है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जी, नहीं ।

Shri Chandrika Prasad: The reply given by tne Hon. Minister is meaningless Movement of cash is made from every station. Counting is done by Accounts Department and one employee from cash Department is also present there so as to aviod any manipulation. That is the procedure everywhere. I am not able to understand the statement of the Hon. Minister that each Railway has different norms. Railway Board issued an order that allowance be given w.e.f. April, 1972. Are the Government giving allowance in accordance with that order?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: I had replied th t each Railway has different norms and we have given them a free hand to change their system when needed. No employee is deputed in Cash work unless Varification regarding his earnestness and responsibility is made. Therefore, it is the responsibility of Railways to depute the right person.

Shri Chandrika Prasad: I would like to know whether allowance is being given w.e.f. April, 1972 as per orders of the Railway Board?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: Discussion regarding Southern Railway took place in 1970 and Cash allowance was increased to Rs. 60, which is being given since then.

Shri Hukam Chand Kachwai: So far as the question of Counting Cash is concerned this is done in all the Railways and the nature of work is also the same. Therefore, same allowance should be given. Is it not the duty of Government to issue orders to the Railways that equal salaries and allowances should be given? Does he not think, so?

Shri Mohd. Sahafi Qureshi: As I have already stated, we have given a free hand to the Railways. Railways are fully responsible in the matter of cash and they have to see how they can shoulder this responsibility. But, if they want to change the system, there are no restrictions.

श्री अमृत नाहाटा : रेलवे में नकदी गिनने का काम "श्राफों" द्वारा किया जाता है और प्रत्येक श्राफ को यह नौकरी शूरू करने से पूर्व प्रतिभूति जमा करवानी होती है । जब सभी रेलवे में कर्मचारी-वर्ग से प्रतिभूति ले ली जाती है और सभी "श्राफों" को एक सा काम करना होता है, तो क्या कारण है कि एक रेलवे में तो भत्ता दिया जा रहा है और अन्य रेलवे में नहीं दिया जा रहा ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह भत्ता कुछ रेलवे में दिया जा रहा है अन्य रेलवों में दैनिक भत्ता और मंहगाई भत्ता दिया जाता है । जहाँ तक "विटनैस भत्ते" का प्रश्न है, "श्राफों" को कोई भत्ता नहीं दिया जाता ।

औषध फर्मों के निर्यात के लक्ष्य

*898. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री राम भगत पासवान :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध फर्में निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वर्ष 1973-74 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अन्तर्गत, संगठित क्षेत्र के औषध का निर्माण करने वाले एककों को अपने उत्पादन का 5 प्रतिशत निर्यात करने का दायित्व होता है। वर्ष 1961-62 में निर्यात का स्तर 0.98 करोड रुपये का था तथा उसके बाद 1972-73 में औषध तथा भेषज का निर्यात स्तर उसी वर्ष के लगभग 350 करोड के विक्रय की तुलना में 11.92 करोड़ रुपये तक पहुंच गया । उन एककों के आयात हकदारी में कटौती की जाती हैं जो आवश्यक निर्यात नहीं कर पाते ।

(1) कुछ अधिक महत्वपूर्ण औषधों, जिन्होंने भूत काल में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय औषधौ को अप्रतियोगी बना दिया था, के भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में विशेष मूल्यांतर रहा है ।

(2) कुछ औषधों जिनकी देश में उत्पादन क्षमता सीमित है तथा जिनकी देशीय उपभोग के लिए आवश्यकता है, को मनमाने रूप में निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन देना उपयुक्त नहीं होगा । इस लिए कुछ औषधों की कम उत्पादन क्षमता होने के कारण निर्यात समभाव्यता आवश्यक रूप से सीमित है ।

(3) कुछ देशीय कच्चे माल तथा पैंकिंग वस्तुओं, जिनकी इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कमी है, की कमी के कारण निर्यात प्रोत्साहन में बाधा उत्पन्न हुई है ।

(4) भारत में औषध निर्माण एककों का आकार सामान्यतः अब बड़े निर्यातक देशों से छोटा है जिसके परिणामस्यरूप उनके अन्तर्राष्ट्रीय निर्यातक घरानों से कम सम्बन्ध हैं तथा उनके विपणन प्रयत्न भी पर्याप्त नहीं हैं ।

श्री एम० गोपाल रेड्डी : क्या औषध फर्में अपने निर्यात लक्ष्यों की पूर्ति में असफल रही हैं ? निर्यात आंकड़े प्रस्तुत करने के उपरान्त मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कितनी औषधियों का निर्यात किया गया। यदि इस कार्य में कुछ असफलता हुई है तो इसका कारण क्या है ?

श्री शाहनवाज खां : मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है कि कुल उत्पादन के लगभग 3 प्रतिशत का निर्यात किया गया । वास्तव में उत्पादन का 5 प्रतिशत निर्यात किया जाना था । केवल 3 प्रतिशत का ही निर्यात किया गया । कुछ कारणों से वह अपेक्षित मात्रा में निर्यात करने में सफल नहीं हुई । इन में से प्रमुख कारण यही है भारत प्रचलित मूल्यों तथा विदेशों में प्रचलित मूल्यों में काफी असमानता है ।

कुछ वस्तुओं के बारे में तो स्थिति यह थी कि भारत प्रचलित मूल्य विदेशों की तुलना में अधिक थे। इतना अधिक निर्यात करना फर्मों के लिये कठिन है। सुप्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय फर्मों से कच्चे माल का आयात करना कठिन है। उसकी भारत में ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी कमी है। यही कारण है कि ये फर्में निर्यात नहीं कर पाई हैं। कुछ औषधियां ऐसी भी हैं जो हमारे देश में ही कम मिलती हैं अतः सरकार ऐसी औषधियों को निर्यात करना भी नहीं चाहती।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी: अन्तर्राष्ट्रीय मुल्य कम है हमारे मूल्य अधिक हैं और फिर भी हम कुछ वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। इस प्रकार हमारी फर्मों को हानि हो रही है। औषध कारखानों के संबंध में भी यही प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जाती ?

श्री शाहनवाज खां: मैं सदस्य महोदय को यह बताना चाहता हूं कि हमारे निर्यात में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। वर्ष 1961-62 के दौरान कुल 98 लाख रुपये का निर्यात किया गया जब कि वर्ष 1972–73 में हमने 11.92 करोड़ रुपये का निर्यात किया और पांचवीं योजना के दौरान हमारा लक्ष्य 30 से 35 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात करने का है।

श्री राम भगत पासवान: क्या सरकार का विचार सरकारी एककों में अधिकाधिक औषध उत्पादन करने का है ताकि देश की अपनी आवश्यकता के लिये उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। निर्यात की जाने वाली औषधियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और जिन औषधियों का निर्यात किया जाता है, क्या वह देश की आवश्यकता से अधिक होती हैं ?

श्री शाहनवाज खां: औषधियां निर्माण करने के तीन सरकारी कारखाने हैं जिनमें से प्रथम ऋषिकेश, दूसरा हैदराबाद और तीसरा पिम्परी में है। इन कारखानों की उत्पादन क्षमता में धीरे-धीरे वृद्धि की जा रही है ताकि श की औषिधियों की मांग को अधिक से अधिक सीमा तक पूरा किया जा सके तथा जब भी संभवः हो उनका निर्यात भी किया जा सके।

श्री सेझियान: मंत्री महोदय द्वारा जो उत्तर दिये गये हैं उनसे स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय औषध मूल्यों तथा भारतीय औषध मूल्यों में काफी अन्तर है। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय औषध मूल्य इतने अधिक हैं कि उनका अन्तर्राष्ट्रीय औषध मूल्यों के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि औषध उद्योगों के मूल्य निर्धारित करने के लिये क्या ऐसी कार्यवाही की गई है जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय मंडी की स्पर्धा में आने के लिये उनके मूल्य कम किये जा सकें ?

श्री शाहनवाज खां: औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा देश में बहुत अधिक खपत वाली कुछ औषधियों का सार्वधिक पुनरक्षण किया जाता है और अभी कुछ ही समय पूर्व मैंने सभा पटल पर वे मूल्य रखे थे। जिनकी सिफारिश ब्यूरो द्वारा की गई थी। यह सुनिश्चित करने के लिये कि मूल्य आवश्यकता से अधिक न हो सरकार द्वारा मूल्यों का लगातार पुर्नवेक्षण किया जाता है परन्तु होता यह है कि जब भी कोई उद्योग आरम्भ किया जाता है तो मूल्य अधिक होते हैं परन्तु ज्यों ज्यों उत्पादन में वृद्धि होती जाती है मूल्य कम होते जाते है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे: अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा के कारण निर्यात में कुछ ढील आई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा ऐसी फर्मों से मुआवजा लिया जा रहा है क्योंकि निर्यात लक्ष्यों के लिये

विदेशी मुद्रा देते समय उन पर इस प्रकार की शर्त लगाई जाती है। औषध निर्माण के क्षेत्र में जो अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी कार्य पाश्चात् जगत में हुआ है उसकी तुलना में हमारा देश अभी पीछे है, फिर भी हमारे निर्यात लक्ष्यों की स्थिति अच्छी है अतः अपने संपूर्ण औषध निर्माणी उद्योग के निर्यात के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश से निर्यात में कम हुई है या वृद्धि ।

श्री शाह नवाज खां : हमारे औषध निर्यात में कमी नहीं अपितु वृद्धि हो रही है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : वैसे इसमें भले ही विस्तार हो रहा हो परन्तु विश्व औषध निर्यात की तुलना में इसकी प्रतिशतता क्या है ? हमारी पूर्व प्रतिशतता क्या थी और वर्तमान प्रतिशतता क्या है ?

श्री शाह नवाज खां : वर्ष 1961–62 में हमने लगभग 98 लाख रुपये का निर्यात किया और अब हमने 11 करोड़ रुपये का निर्यात किया है। हमारे निर्यात में वृद्धि हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न बड़ा ही स्पष्ट था कि अन्य देशों की तुलना में हमारी प्रतिशतता क्या है ?

श्री शाहनवाज खां : अभी हम प्रारम्भिक चरण में है और हम अपने व्यापार में वृद्धि करने का प्रयत्न कर रहे हैं। औद्योगिक तथा वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्ण विकसित देशों के साथ हम एकदम स्पर्धा नहीं कर सकते।

जहां तक कुछ जमीनें या वसूली आदि का प्रश्न है, यह कार्य तो निर्यात तथा आयात नियंत्रक द्वारा किया जाता है। जब कभी भी कोई फर्म अपने निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रहती है, उसकी आयात हकदारी में कुछ कटौती कर दी जाती है।

श्री मालजी भाई परमार : क्या यह सच है कि मैसर्स 'फाइजर्स' ने अभी तक अपने निर्यात बांड का निष्पादन न करके अपने पिछले लाइसेंस की अवधि बढ़ाये जाने संबंधी शर्तों का उलंघन किया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिए उत्तदायित्व निर्धारित क्यों नहीं किया जाता और इसके लिए मंत्रालय के जो अधिकारी उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जाती या फिर यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को क्यों नहीं सौंप दिया जाता क्योंकि इस बहुराष्ट्रीय विदेशी फर्म द्वारा अपने देश को काफी धन भेजा जा रहा है जिससे एक तो हमारे देश की काफी विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है और दूसरे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इंण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मेयूटिकल्ज लिमिटेड के कार्यकरण पर इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है ?

श्री शाहनवाज खां : जो भी धनराशि विदेशों को भेजी जाती है उसे रिर्जव बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार भेजा जाता है और इनका पालन सभी फर्मों को करना पड़ता है और जो ऐसा नहीं करता, उसे जुर्माना देना पड़ता है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : कुछ विदेशी, विशेषरूप से अमरीका के एकाधिकार वादी सहकारी भारत में औषध निर्माता कम्पनियों के साथ सुचारु रूप से कार्य करने में लगे हुए हैं, अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सिनामाइड इंडिया तथा ऐसे ही अन्य सहकारियों द्वारा निर्यात लक्ष्यों तथा देशीय

खपत के लक्ष्यों को पूरा किया जाता है ? माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताया गया है कि जो एकक लक्ष्यों को पूरा करने में सफल नहीं होते उनकी निर्यात हकदारी में कटौती कर दी जाती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो एकक अपने निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रही है, उनके नाम क्या है ?

श्री शाहनवाज खां : यह कार्य निर्यात और आयात की मुख्य नियंत्रक का है जिसे ऐसे मामलों की जांच करने का अधिकार है ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैंने तो केवल ऐंसी फर्मों के नाम पूछे हैं।

श्री शाह नवाज खां : इससे संबंद्ध अपेक्षित जानकारी अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैंने तो केवल उन एककों के नाम पूछे हैं जो इन लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्यों को कई बार बताया है कि जब भी उन्हें आंकड़ों से संबद्ध कुछ विशिष्ट जानकारी प्राप्त करनी है उसके लिए उन्हें अलग प्रश्न की सूचना देनी चाहिये।

श्री राम सहाय पांडे : औषध तथा भेषज से संबद्ध जो 350 करोड़ रुपये का व्यापार किया गया, उसे दृष्टिगत रखते हुये यह कहा जा सकता है कि हमारा निर्यात काफी कम है और औषध तथा भषज आदि में हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के साथ स्पर्धा नहीं कर सकते। च्यूंकि हमारे अपने देश की खपत के लिए अपेक्षित औषधियों की कमी है और मूल्यों में वृद्धि हो रही है। अतः क्या हम ऐसी औषधियों जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हम स्पर्धा नहीं कर सकते का निर्यात न करके उन के स्थान पर हम स्वदेशी बाजार ही ध्यान क्यों नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं अपितु सुझाव है।

श्री मायुर्य हालदार : हमारे देश में नकली औषधियां बनाने की क्षमता का भी विकास हो गया है। क्या कोई ऐसी मशीनरी भी है जो यह सुनिश्चित करे कि अन्य देशों को नकली औषधियों का निर्यात न किया जा सके ? कानपुर वाली घटना के बाद क्या निर्यात में कमी आई है या इसमें कमी आने की संभावना है ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत सामान्य सा प्रश्न है। खैर यदि उनके पास जानकारी उपलब्ध है, तो वह इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री शाह नवाज खां। निर्यात की गई औषधियों के बारे में हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। कुछ ही वर्ष पूर्व हमारा फार्मूलेशनों का निर्यात 30 प्रतिशत था और अब यह 80 प्रतिशत है। इससे यहि सिद्ध होता है कि विदेशी बाजार में हमारी औषधियों की मांग में वृद्धि हुई है।

श्री माधुर्य हालदार : मेरा प्रश्न तो दूसरा ही था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप को पहले ही अनुमति दे दी थी यद्यपि वह मुख्य प्रश्न से काफी अलग था।

श्री शाह नवाज खां : हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न को छोड़ते ही नहीं है। परिणाम यह होता है कि हम काफी प्रश्नों को निपटा नहीं पाते हैं।

गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर कम्पनी को डी० ए० पी० उर्वरक के मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति

*899. **श्री बेकारिया :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर कम्पनी लिमिटेड को डी० ए० पी० उर्वरक के मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां : (क) और (ख) डी० ए० पी० के मुख्य नियंत्रण के अंतर्गत न होने के कारण इसके मूल्य में संशोधन करने हेतु सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती।

श्री बेकारिया : बताया गया है कि डी० ए० पी० उर्वरक मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं आता। क्या प्रत्येक किस्म का उर्वरक आवश्यक वस्तुओं की सूची में सम्मिलित है ? क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत सरकार मूल्य वृद्धि के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सकती है ? आज के मूल्य उन मूल्यों से दुगने हो गये हैं जो तीन मास पूर्व थे। क्या सरकार इस की जांच करके आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही कर सकती है ?

श्री शाहनवाज खां। केवल नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों पर ही कानून द्वारा नियंत्रण है। अन्य उर्वरकों के मूल्य नियंत्रित नहीं हैं। फर्टीलाइजर एसोसिएशन आफ इंडिया अनौपाचारिक रूप से मूल्य नियंत्रण करने के लिए सहमत हो गया है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आता है या नहीं, इससे मूल्य ढांचे या मूल्य निर्धारण पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। वे ऐसा करने के लिये स्वतन्त्र हैं।

श्री बेकारिया : गुजरात सरकार के जी० एस० एफ० में 49 प्रतिशत शेयर हैं। गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उसके शेयर बढ़ाकर 51 प्रतिशत कर दिये जायें ताकि मूल्य वृद्धि के प्रश्न पर वे कुछ कर सकें। क्या केन्द्रीय सरकार, गुजरात सरकार के इस अनुरोध पर विचार कर रही है ?

श्री शाहनवाज खां : मेरे विचार से इस पर वित्त मंत्रालय निर्णय करेगा। हमारा मंत्रालय इससे सम्बद्ध नहीं है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या यह सच है कि डी० ए० पी० का अभाव है और पंजाब तथा हरियाणा के किसानों को इस के लिए काले बाजार में बहुत अधिक कीमत देनी पड़ रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : चूंकि मूल्य नियंत्रण नहीं है, इसलिये यह मूल प्रश्न से जुड़ जाता है। फास्फेट उर्वरक की मांग बहुत अधिक है और उससे कहीं अधिक उसकी कमी है।

अध्यक्ष महोदय : उर्वरक शब्द से प्रश्न का क्षेत्र तो व्यापक नहीं होता।

श्री बीरेन्द्र सिंह : प्रश्न तो वी० ए० पी० के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं आपको इसके लिए अनुमति नहीं दे सकता।

Shri Arvind M. Patel: May I know whether one of reasons of increase in the prices of fertilizers of Gujarat state Fertilizer Company is that Naptha is being supplied to it at the rate of Rs 2400/- per tonne instead of the fixed rate of Rs 1200/-.

अध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai: The hon. Minister has said that Government is not responsible for checking the rise in the prices of fertilizers. But it has become an essential Commodity now and the same is not available in the market. I would like to know? Whether it is not the duty to control the rising prices of fertilizers, and the reasons why Government cannot control the rise in prices.

Shri Shahnawaz Khan: Government always see as to what is the difference between the prices of imported fertilizers and indigenous fertilizers. If the prices of indigenous fertilizers are less than that of imported ones, it can be said that they are not abnormally high.

हावड़ा डिवीजन (पूर्व रेलवे) में ग्राल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसियेशन द्वारा "मास सिक रिपोर्ट मूवमेंट" (सामूहिक रूप से बीमारी के ग्राधार पर छुट्टी लेने का ग्रान्दोलन)

***900. श्री कमल मिश्र मधुकर :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा, डिवीजन, पूर्व रेलवे में ग्राल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोशिएशन ने 23 दिसम्बर, 1973 से 31 दिसम्बर, 1974 तक "मास सिक रिपोर्ट मूवमेंट" चलाई थी, ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उन की मांग क्या थीं ग्रौर प्रशासन ने प्रत्येक मांग पर क्या कार्यवाही की है ?

रेलमंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Ramavatar Shastri: Mr. Speaker, Sir, Government has made a wrong statement. Here I have All India Station Masters Associations monthly magazine "Movement" in which there is a mention of 'Agitation in Howrah Division. It is related to my question. Some Station Masters and Asstt. Station Masters went on mass sick leave from 23rd December to 31st Dec. 1973 in support of their demands. Thus they wanted to press the Railway Administration to accept their demands. If it a fact that the D.O.S. T), Howrah had talks with them and assured them that their demands regarding rotational transfer and promotion would be looked into? if the hon. Minister has some information about it, why did he say that they did not proceed on mass sick leave.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: In the question the hon. member had said that all people went on mass sick leave but the fact is that only 10 percent of 900 station Masters went on sick leave and thus it cannot be said that there was mass sick leave.

Shri Ramavatar Shastri: The fact is that a number of Trains were cancelled in Eastern and South Railway during that period. If it is so, may I know the reasons for cancelling the trains?

Mr. Speaker: Are you putting questions to cross examine a witness in a criminal case. You should not go astray.

Shri Ramavatar Shastri: Sir, the hon. Minister himself had announced in the house that reduced number of trains were running in that region during that period. There must be some reason for it either mass sick leave movement or scarcity of coal etc.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

Shri Ramavatar Shastri: Sir, I want to know the reasons for cancellation of trains.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: The reason is obvious as he has himself said the strike by 10 per cent Station Masters meant to dislocate the train services, is bound to effect the movement of trains.

Shri A. P. Sharma: When people were on sick leave how can it be said that they did not attend their duty.

Mr. Speaker: Being a trade unionist you are asking this type of question.

Shri A.P. Sharma: I am asking about sick leave. How can they attend their duty when they are on sick leave?

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार प्रश्न काल में पक्ष और विपक्ष में तर्क नहीं दिये जा सकते।

श्री ए० पी० शर्मा : बीमारी की छुट्टी को ड्यूटी कैसे माना जा सकता है।

Shri Mohd. Shafi Qureshi: I can understand 'sick leave' but I do not understand what is mass sicke leave?'

तेल के लिये खुदाई करने की नई तकनीक

*902. **श्री पी० गंगा देव :**

श्री अनादि चरण दास:

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्बात की खाड़ी में दहानू, दियू, बेसीन, तारापुर और ताप्ती में तेल मिलने की संभावना का सरकार को पता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बम्बई के खुले समुद्र के पास उक्त स्थानों में तेल की खोज के प्रयास आरम्भ किए गए हैं ;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग उत्पादन प्लेटफार्मों को छोड़ कर एक ही मुख्य समाहरण प्लेटफार्म का प्रयोग करने की नई तकनीक अपनाने की सभावना पर विचार कर रहा है; और

(घ) क्या यह तकमीक स्थायी उत्पादन प्लेटफार्म के उपयोग के परम्परागत तरीके से कहीं अधिक किफायती है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां,

(ख) "सागर सम्राट" द्वारा प्रथम कूप का व्यधन तारापुर संरचना पर किया गया था, लगभग 2,780 मी० व्यधन कर लेने के बाद, इस कूप का अग्रिम व्यधन कार्य कुछ व्यधन समस्याओं के कारण रोक देना पड़ा। उपरोक्त क्षेत्रों में 10 और स्थल दे दिए गए हैं जिन पर बम्बई हाई में कुछ कूपों का व्यधन कर लेने के बाद, अन्वेषी व्यधन कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

श्री पी० गंगादेव : देश में तेल की कमी को पूरा करने की दृष्टि से और उत्पादन तेजतर करने के लिये क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग खम्बात की खाड़ी में तेल समृद्ध क्षेत्रों की खुदाई के लिए और अधिक प्लेटफार्म युद्धस्तर पर स्थापित करेगा ?

श्री शाह नवाज खां : जैसा कि माननीय सदस्य को पता है कि "सागर सम्राट" पहला खुदाई—प्लेटफार्म है। यदि बम्बई के खुले समुद्र में सौभाग्य से तेल मिल गया—कूप की उत्पादन की दृष्टि से पहले ही जांच की जा रही है—तो हम और अधिक प्लेटफार्म प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और जैसे ही वे उपलब्ध होंगे हम उन्हें खरीद लेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी यह बता चुके हैं।

श्री पी० गंगा देव : जो राशि बम्बई हाई में तेल की खोज आदि हेतु निर्धारित की गई है, वह खम्बात की खाड़ी से अन्य क्षेत्रों के लिये भी है। इस दृष्टि से क्या सरकार बम्बई हाई के पूर्वी और पश्चिमी दोनों घाटों पर तेल की गहन खोज के लिए तेल खुदाई—प्लेटफार्म अन्य देशों से खरीदेगी, यदि हां, तो इस मामले में किन-किन देशों से संपर्क किया जा चुका है ?

श्री शाह नवाज खां : जैसा कि माननीय सदस्य को पता है कि कई स्थानों को खुदाई के लिये उपयुक्त पाया गया है। वहां पर तेल मिलने की सभावना है। हम प्रयास कर रहे हैं कि अन्य देश इस खुदाई-कार्य में रुचि लें। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि भूकम्पीय सर्वेक्षण उपकरणों से सज्जित एक पोत भी हमें उपलब्ध हो जाये। हम इस बारे में अमरीका से बातचीत कर रहे हैं कि वे हमें एक ऐसा जहाज दे दें।

श्री अनादिचरण दास : क्या 'म्योसिन' चट्टानों में खनिज तेल का पता लगा है। यदि हां, तो क्या देश के अन्य भागों में ऐसी चट्टानों से तेल प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री शाह नवाज खां : सम्पूर्ण देश में हम तेल की खोज में लगे हैं और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तट पर और तट दूर क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर खुदाई कार्य में लगा है। आसाम में हम बहुत अधिक व्यस्त हैं। जम्मू और काश्मीर में भी हमारा विचार खुदाई शुरू करने का है। पश्चिम बंगाल में खोज कार्य जारी है। जहां भी हमें कोई उपयुक्त क्षेत्र मिलता है, हम वहां अपना काम शुरू कर देते हैं :

राष्ट्रीय चल-चित्र निगम

अ० सू० प्र० संख्या 14. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीय चलचित्र निगम (नेशनल फिल्म कारपोरेशन) की स्थापना के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह निगम चलचित्र उद्योग में सामान्य रूप से सुधार करने में समर्थ होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिन्हा) : (क) प्रस्ताव का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा चुका है परन्तु इसको अभी सरकार की अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होनी है।

(ख) राष्ट्रीय फिल्म निगम फिल्म उद्योग की जरूरतें पूरी करेगा परन्तु उद्योग में सामान्य रूप से सुधार करने से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होगा।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : अनुदानों की मांगों से पता चलता है कि इस निगम के लिये 26 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। फिर इस संबंध में निर्णय करने में सरकार को क्या दिक्कत है? क्या यह कठिनाई राष्ट्रीय चलचित्र निगम के गठन के कारण हैं अथवा उस निगम के काम के स्वरूप के कारण है?

श्री धर्मवीर सिन्हा : इस पर विस्तार से विचार किया गया है। परन्तु अन्तिम रूप से निर्णय विभिन्न मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श के बाद किया जायेगा। हम वही कर रहे हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मंत्री महोदय ने कहा है कि यह निगम आम तौर पर फिल्म उद्योग की आवश्यकताए पूरी करेगा परन्तु उसके आम सुधार से इस का सीधा संबंध नहीं होगा। यदि फिल्म उद्योग की सहायता करनी है और स्वास्थ्य फिल्म उद्योग स्थापित करना है तो स्टूडियो तथा प्रयोगशाला उपकरण के लिये सहायता देनी होगी। क्योंकि मंत्रालय के पास राष्ट्रीय चलचित्र के लिये पहले ही से एक प्रस्ताव है। तो क्या सरकार राज्य व्यापार निगम से भारतीय चलचित्रों के निर्यात का काम तथा कीमतों के आन्तरिक वितरण का काम अपने हाथ में लेगा और उन स्टूडियो तथा चलचित्रों को रंगीन बनाने वाली प्रयोगशालाओं को सहायता देगी जोकि इस समय वित्त की कमी के कारण संकटग्रस्त हैं?

श्री धमवीर सिन्हा : राष्ट्रीय चलचित्र निगम मूलत : चलचित्रों के आयात निर्यात वितरण तथा यथा संभव सीमा तक प्रदर्शन स्तर की फिल्मों को प्रोत्साहन और फिल्म उद्योग की सेवा करने का कार्य करेगा। जब राष्ट्रीय चलचित्र निगम आस्तित्व में आ जायेगा तो फिर स्वभावत: ही अन्य क्षेत्रों पर भी इस का प्रभाव पड़ेगा चाहे वे प्रयोगशालायें हों अथवा स्टूडियो।

श्री एच० एन० मुखर्जी : जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी-अभी कहा कि यह प्रस्तावित निगम फिल्मों के प्रदर्शन के काम को भी देखेगा। तो क्या सरकार इस निगम के माध्यम से संभवता: कुछ संकट ग्रस्त सिनेमा गृहों तथा विशेष रूप से मैट्रो गोल्डविन मैयर जैसे संगठनों द्वारा संचालित सिनेमा गृहों को इस निगम की प्रारंभिक कार्यवाही के रूप में अपने अधिकार में ले लेगी?

श्री धर्मवीर सिन्हा : माननीय सदस्य जानते हैं कि मैट्रों का मामला एक अलग मामला हैं राष्ट्रीय चलचित्र निगम का विचार तो आगामी पांच वर्षों में चलचित्रों के प्रदर्शन के लिये लगभग 100 सिनेमा गृह स्थापित करने का है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मंत्री महोदय ने चलचित्र आयात को भी निगम का एक कार्य बताया है। क्योंकि चलचित्रों को आयात के लिये विदेशी मुद्रा का कोई नियतन अभी तक नहीं किया गया है तो देश में विदेशी फिल्मों के आयात संबंधी प्रस्ताव क्या है? क्या यह आयात तथा निर्यात के परस्पर लेन-देन पर आधारित होगा अथवा आयात करने का एक अलग ही आधार होगा?

श्री धर्मवीर सिन्हा : मैं माननीय सदस्य की एक स्थान पर त्रुटि ठीक कर दूं? चलचित्रों के आयात के लिये 35 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गई है। हम इस राशि का उपयोग भारत में विदेशी फिल्मों का आयात करने के लिये और फिल्मों का गैर-परम्परागत मंडियों में निर्यात करने के लिये करेंगे।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दार : क्या इस निगम का विचार उड़ीसा, पंजाबी, आसामी तथा बंगाली की क्षेत्रीय फिल्मों के लिये वित्तीय सहायता देने का भी है?

श्री धर्मवीर सिंहा : यह कार्य तो फिल्म वित्त निगम पहले ही कर रहा है।

श्री बी० वी० नायक : रेडियो तथा टेलीविजन जोकि सरकारी क्षेत्र में हैं, को छोड़कर यह एक गैर-प्राथमिकता प्राप्त संचार माध्यम हैं। जबकि मंत्री महोदय ने एक समाचार को सरकारी क्षेत्र में चलाने से इन्कार कर दिया है तो हम चलचित्र जैसी गैर-प्राथमिकता प्राप्त मदों पर सरकार के संसाधनों को व्यर्थ क्यों करें जबकि वहां पहले से काला धन कार्य कर रहा है और भारतीय फिल्म उद्योग तो पनप रहा है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री धर्मवीर सिन्हा : सरकार फिल्म निर्माण के क्षेत्र में पदार्पण नहीं कर रही है। फिल्म वित्त निगम गैर-सरकारी फिल्म निर्माताओं को फिल्में बनाने के लिये सहायता देता है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : राज्य मंत्री के होते हुए वहां निर्माण कार्य बड़े सुरक्षित ढंग से हो सकेगा जो कि अब नहीं हो रहा है। क्या सरकार को मालूम है कि इस निगम के विरुद्ध अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप हैं, विशेषकर इस तरीके के बारे में जिससें आप फिल्मों का आयात कर रहे हैं? यदि आपने भी सुना है तो इस बारे में क्या किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : यह निगम तो अभी गठित होना है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं तो इस तरीके के बारे में कह रहा हूं जिससे बम्बई में फिल्मों का आयात किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि निगम की स्थापना के बारे में सभी बातों पर अभी विचार किया जा रहा है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : फिल्मों के आयात संबंधी प्रक्रिया में अनियमितताओं एवम् भ्रष्टाचार के लिये बहुत गुंजाइश रखी गई है और इसी पर बहुत चिन्ता है? क्या उक्त आरोपों के बारे में मंत्रालय को मालूम हुआ है, यदि हां, तो उन्होंने इस संबंध में क्या किया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : मेरे मित्र एक अच्छे वकील होने के कारण कई बातों की कल्पना कर लेते हैं। अभी तो यह संगठन बनना है और फिल्मों का आयात भी अभी आरम्भ नहीं हुआ है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मेरी कठिनाई यह है कि मेरे विद्वान मित्र एक वकील नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में कोई विद्वान मित्र नहीं है।

श्री आई० के० गुजराल : वह एक समस्या के बारे में ही कल्पना ही कर रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai: The hon. Minister has stated that he has a scheme to import films worth Rs. 30 lakhs, and there have been certain complaints of irregularities in that behalf. In view of these complaints are you going to plan less expenditure of foreign exchange? It is a fact that Indian films are getting popular in the world and there is so much demand of Indian films that we are not able to fulfil those?.. ....

Mr. Speaker: What you are leading to? You have now come to popularity.

Shri Hukam Chand Kachwai: Mr. Speaker, Sir, they would be importing films worth Rs. 30 lakhs,....

Mr. Speaker: You did not follow. These proposals are yet under considerations.

Shri Hukam Chand Kachwai: The hon. Minister has stated that they import films worth Rs. 30 lakhs. I have stated that there are certain irregularitres in the proposed imports and so, whether they propose to cut that expenditure ?

Mr. Speaker: It would be thought upon when something comes up. It has not yet come up.

श्री अमृत नहाटा : मंत्री महोदय के अनुसार प्रस्तावित राष्ट्रीय चलचित्र निगम कुछ ऐसे कार्य भी करेगा जो कि इस समय इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कारपोरेशन तथा फिल्म वित्त निगम द्वारा किये जा रहे हैं। फिर इन दो फिल्म निकायों की क्या स्थिति होगी ? क्या ये दोनों संगठन राष्ट्रीय चलचित्र निगम के सहायक निकाय होंगे अथवा उन्हें इस फिल्म निगम में विलय कर दिया जायेगा ? क्या यह निगम चलचित्रों के आयात और निर्यात पर एकाधिकार रखेगा ? क्या यह निगम देश भर में आर्ट थियेटर बनाकर न केवल फिल्मों को प्रोत्साहन देगा बल्कि देश के सिनेमागृहों को भी संरक्षण देगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत संगत प्रश्न है।

श्री धर्मवीर सिन्हा : फिल्म वित्त निगम राष्ट्रीय चलचित्र निगम का सहायक निगम होगा और "इम्पेक" का उसमें विलय कर दिया जायेगा। जहां तक एकाधिकार और अन्य समस्याओं का संबंध है उस बारे में इस समय कुछ कहना सभव नहीं है। प्रस्ताव यह है कि जब यह निगम बन जायेगा तो इस के पास देश भर में कम से कम 100 सिनेमागृह होने चाहियें।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने कहा है कि 100 सिनेमागृह बनाये जायेंगे। इस विचार से कि हमारे देश की 75 प्रतिशत आबादी गांवों में है, तो कितने सिनेमागृह ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे तथा कितने नगरीय क्षेत्रों में ? क्या यह भी सही है कि प्रेस समाचारों के अनुसार अनेक भारतीय फिल्मों की देश के बाहर तस्करी हो रही है और उनके निर्माता बाहर से पैसा कमा रहे हैं और यदि हां, तो क्या इन बातों पर बिचार किया जायेगा ?

श्री धर्मवीर सिंहा : इन 100 थियेटरों के स्थानों के बारे में हमने अभी कोई निर्णय नहीं किया है। ये आर्ट थियेटर होंगे और हम उन सभी स्थानों पर विचार करेंगे जहां इन आर्ट थियेटरों के लिये कुछ दर्शक उपलब्ध हों सकें।

जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है इस संबंध में कुछ शिकायतें मिली थीं। और वह मामला उपयुक्त प्राधिकरणों को सौंप दिया गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS

नलकूपों और ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये ग्राम्य विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर की गई परन्तु खर्च न की गई धनराशि का उपयोग

*896 **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ग्राम्य विद्युतीकरण निगम द्वारा बिहार को सहायता के बारे में 2 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5370 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य विद्युतीकरण निगम द्वारा गत तीन वर्षों में मंजूर की गई परन्तु खर्च न की गई धनराशि चालू वर्ष में सभी नलकूपों को कनेक्शन देने और ग्रामों का विद्युतीकरण करने के लिये खर्च की जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) बिजली के कनेक्शन न मिलने के कारण कुल कितने पम्पिंग सेट और नलकूप अप्रयुक्त पड़े हैं और बिहार में उन ग्रामों की कुल संख्या कितनी है जिनमें बिजली पहले ही लगाई जा चुकी है और उनका बिजली न लगाये गये ग्रामों के साथ अनुपात क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों को पांच वर्ष तक की अवधि में पूरा करना चरणबद्ध किया जाता है। किश्तों का वितरण वर्षवार चरणबद्धता तथा स्कीम की प्रगति के अनुसार किया जाता है। व्यय न किए गए धन को अगले वर्षों में ले जाया जाता है। अतः पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत स्कीमों की शेष धनराशि अगले वर्षा में दे दी जाएगी/स्वीकृत धनराशि से 4127 गांवों का विद्युतीकरण तथा 44954 पंपों का ऊर्जन करना प्रस्तावित है। 1971-72 तथा 1972-73 के वर्षों में स्वीकृत स्कीमों के प्रति जून, 1973 तक 258 गांवों का विद्युतीकरण तथा 1023 पम्पों का ऊर्जन किया जा चुका है।

(ग) बिहार में 67,665 गांव हैं। दिसम्बर, 1973 तक 9,560 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की संख्या 58,105 है। विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकृत न किए गए गांवों के साथ 1.6 का अनुपात है।

बिजली कनेक्शनों के अभाव में प्रयोग न किए जा रहे पम्पों तथा नलकूपों के ब्यौरे बिहार राज्य बिजली बोर्ड से एकत्र किए जा रहे हैं। यह सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इण्डियन आयल कम्पनी के विपणन विभाग के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

*901. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कम्पनी, विपणन विभाग, पूर्वी प्रदेश के कर्मचारियों ने 25 मार्च से 'धीमे कार्य करो' आन्दोलन और 'रिले' भूख हड़ताल प्रारंभ की थी;

(ख) क्या उनकी एक मांग यह है कि प्रबन्धकों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिये एक आयोग बनाया जाये ;

(ग) क्या उन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें अन्य बातों के अलावा यह भी आरोप लगाया है कि इण्डियन आयल कम्पनी ने कुछ ग्राहकों को 'डेलवक' तेल के स्थान पर पानी से भरे ड्रम सप्लाई किये ; और

(घ) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगों और आन्दोलन के निपटान के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) इण्डियन आयल एम्प्लाइज यूनियन (भारतीय तेल कर्मचारी संघ) समय समय पर विभिन्न मांग प्रस्तुत करती रही है तथा पूर्वी ब्रांच के कार्यकरण में अनियमितताओं भ्रष्टाचार तथा अनाचार के विगत मामलों के बारे में भी सूचित करती रही है । यूनियन ने प्रबंध मण्डल द्वारा प्रबल भ्रष्टाचार के अभियोगों की जांच हेतु जांच आयोग की स्थापना करने को भी कहा था। 25 मार्च से धीरे काम करो आन्दोलन तथा रिले भूख हड़ताल विशिष्टत: किसी विशेष मांग को पूरा करने के लिए नही की गई अपितु ये आन्दोलन एवं भूख हड़ताल सभी शेष मांगों को पूरा करने के लिए की गई थी।

(ग) जी हां। यूनियन द्वारा बताये गये विशिष्ट मामलों की भारतीय तेल निगम द्वारा पहले भी जांच की गई थी तथा भारतीय तेल निगम के प्रतिस्थापनों से समीपस्थ रेलवे स्टेशन को बुकिंग हेतु उत्पादों को ले जाने वाले ठेकेदार की सेवाएं 19 जनवरी, 1971 से असन्तोषपूर्ण कार्य करने के कारण बन्द की गईं ।

(घ) आन्दोलन 2 अप्रैल, 1974 से वापस ले लिया गया था। अब यूनियन ने प्रबन्ध मण्डल से एक नया दीर्घावधि करार के विचार विमर्श हेतु एक मांग पत्र पेश किया है ।

विद्युत निकाय को तीन स्तरीय प्रणाली आरंभ करना

*903. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री एम० सुदर्शनम :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में तीन स्तरीय अर्थात् केन्द्रीय, क्षेत्रीय और राज्यीय विद्युत निकाय प्रणाली आरंभ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) विद्युत आपूर्ति उद्योग की उपयुक्त ढंग में पुनसंरचना करने के प्रस्तावों पर राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

Conversion of Railways into an Autonomous Corporation

*904. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) Whether the Central Railway Employees' Union in its 10th Annual session held on the 22nd and 23rd February, 19 74 has demanded in a resolution that the Railways should be converted into an Autonomous Corporation; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Railways (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government does not consider it necessary to convert the Railways into an autonomous corporation.

राजस्थान में सलेदीपुरा में उर्वरक कारखाना स्थापित करना :

*905. **श्री एस० एन० सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की उपलब्धता तथा सीकर जिले के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार राजस्थान में सलेदीपुरा में उर्वरक कारखाना स्थापित करने का है ; और

(ख) सलेदीपुरा में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में अध्ययन दल की सिफारिश क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) राजस्थान में स्थानीय उपलब्ध पाइराइट्स तथा राकफास्फेट पर आधारित उर्वरक काम्पलैक्स की स्थापना की सम्भाव्यता पर कुछ अध्ययन किये गये है तथा और अध्ययन किये जा रहे हैं । राकफास्फेट तथा पाइराइट्स की मित्तव्ययता के आधार पर उपलब्धता के सम्बन्ध में उपलब्ध पूर्ण पक्के आंकड़ों के प्राप्त होने के पश्चात् ही इस सम्बन्ध में निर्णय किया जा सकेगा ।

न्यायालयों में पांच दिन के सप्ताह की मांग

*906. **श्री अमर सिंह चौधरी :**

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वकील और उनके संगठन न्यायालयों में पांच दिन के सप्ताह की मांग कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) न्यायालयों में पांच दिवसीय सप्ताह करने के लिये दिल्ली बार एसोसिएशन की ओर से मांग की गई है । चूंकि यह मामला सामान्य नीति के ऐसे प्रश्न से संबंधित है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इसलिये दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है ।

भारत सरकार के पास, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जिसमें विभिन्न राज्यों के वकीलों ने इसी प्रकार की मांग की हो ।

विदेशी औषध फर्मों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किये बिना वस्तुओं का निर्माण

*907. **श्री भालजी भाई परसार** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी विदेशी फर्में, जिनमें 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्वीटी शेयर हैं, उचित औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किये बिना अभी भी नई वस्तुओं का निर्माण कर रही है ;

(ख) कौन कौन सी फर्में कौन-कौन सी वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं तथा उनकी उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है ; और

(ग) इस अप्राधिकृत उत्पादन को रोकने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) उन फर्मों, जिन में 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य शेयर है, के औषधों एंव भेषजों के लिये उपयुक्त औद्योगिक लाइसेंस बिना वस्तुएं निर्माण करने के 2 मामलों के बारे में सरकार को रिपोर्ट मिली है । उन में से एक अर्थात् मिन रेमीडीज, का सी० ओ० बी० लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र विचाराधीन है और जहां तक दूसरी अर्थात् मैसर्स स्मिथ कलाइन एण्ड फ्रेंच का संबंध है, कम्पनी को एम्पीसिलिन कैप्सूल्ज जो उनको पहले से दिये गये हैं सी० ओ० बी० लाइसेंस के अंतर्गत नहीं आते, का उत्पादन बन्द करने के लिये पहले ही कहा गया है । उत्पादों के नाम तथा क्षमता जिस के लिये मैसर्स जर्मन रेमीडीज ने आवेदन-पत्र दिया है, का उल्लेख सभा पटल पर रखे गये विवरण-पत्र में किया गया है । **[मंत्रालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6873/74]**

पांचवीं योजना में राज्यों में बाढ़ नियंत्रण और जल-निस्सारण पद्धति के लिये परिव्यय

*908. **श्री अर्जन सेठी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों में, राज्यवार बाढ़ नियंत्रण और जल-निस्सारण पद्धति के लिये कुल कितना परिव्यय रखा गया है ;

(ख) क्या इसमें उड़ीसा में वैतरणी और ब्राह्मणी नदी के बाढ़ नियंत्रण को भी शामिल किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग) बाढ़ नियंत्रण एवं जल-निस्सारण के लिए कुल परिव्यय जैसा कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में बताया गया है, 281 करोड़ रुपये का है जिसमें से राज्य योजनाओं में परिव्यय 172.6 करोड़ रुपये है । पांववीं योजना के परिव्यय और बाढ़ नियंत्रण एवं जल-निस्सारण के लिए राज्य-वार आवंटनों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

उड़ीसा राज्य की पांचवीं योजना के मसौदे में बाढ़ नियंत्रण एवं जल-निस्सारण के लिए 500 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है । इसमें ब्राहमणी बेसिन में कार्यों के लिये 100 लाख रुपये और बैतरनी बेसिन के कार्यो के लिए 100 लाख रुपये शामिल हैं । ये प्रावधान इन बेसिनों में कटाव-रोधी कार्यों, जल-निस्सारण में सुधार और अन्य लघु कार्यों के कार्यान्वयन के लिये हैं ।

बिहार की चौथी योजना की पन तथा तापीय बिजली परियोजनाओं को पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में आरम्भ करना

*909. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में चौथी योजना में पूरी न हुई ऐसी पन तथा तापीय बिजली परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं जिनका कार्य पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में आरंभ किया जाएगा ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : बिहार की निम्नलिखित जल-विद्युत् और ताप विद्युत् परियोजनाएं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ले जाई गई हैं :—

(1) कोसी जल-विद्युत् परियोजना

इस परियोजना में चतुर्थ योजना अवधि के दौरान 5-5 मैगावाट के 4 सैटों की प्रतिष्ठापना परिकल्पित थी । इस योजना के दौरान केवल 3 सैटों को चालू किया जा सका । चतुर्थ यूनिट के 1974-75 में चालू होने की संभावना है ।

(2) सुवर्णरेखा जल-विद्युत् परियोजना

इस परियोजना को 2×65 मैगावट के सेटों की स्थापना के साथ चतुर्थ योजना के दौरान हाथ में लिया गया था और उस योजना के दौरान प्रथम यूनिट का चालू होना अनुसूचित था । उनमें से अब एक यूनिट के 1975-76 में और अन्य के 1976-77 में चालू होने की संभावना है ।

(3) बरौनी ताप केन्द्र विस्तार स्कीम

इस स्कीम में 110 मैगावाट की एक यूनिट की प्रतिष्ठापना करना शामिल है और यह 1977-78 में पूर्ण होगी

(4) पयरातु ताप केन्द्र विस्तार स्कीम

यह स्कीम जिसमें 110–110 मेगावाट की दो यूनिटों की प्रतिष्ठापना करना शामिल है, 1976-77 में पूर्ण होगी ।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा एन्टीबायोटिक औषधियों का उत्पादन बन्द किया जाना

*910. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग चार-पांच करोड़ रुपये का पूंजी निवेश कर चुकने के पश्चात् हिन्दुस्तान एन्टी-बायोटिक्स लिमिटेड ने एन्टी-बायोटिक औषधियों के उत्पादन की नई परियोजना त्याग दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गाड़ियों के देरी से चलने की घटनाओं में वृद्धि

*911. **श्री पी० बैंकटा सुब्बया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 में गाड़ियों के देरी से चलने की घटनाओं में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में ये आंकड़े क्या हैं और वृद्धि के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) 1973-74 के वर्ष में (फरवरी, 1974 तक) सवारी ले जाने वाली सभी गाड़ियों का समय-पालन कुल मिलाकर बड़ी लाइन पर 80.0% और मीटर लाइन पर 84.1% रहा जबकि 1972-73 में यह क्रमशः 85.8% और 89.9% था । 1973-74 में गाड़ियों के समय-पालन की स्थिति बिगड़ने के मुख्य कारण ये थे :—लोको रनिंग कर्मचारियों की हड़ताल, सिगनल एवं दूर-संचार, सवारी और माल डिब्बा कारखाना और लोको अनुरक्षण कर्मचारियों द्वारा 'नियमानुसार काम करो' आन्दोलन, छात्र आन्दोलन, समय-समय पर जनता और कर्मचारियों द्वारा किये गये अन्य अन्दोलन, सूखे के कारण पानी की कमी, बार-बार बिजली की कटौती, कोयले की कठिनाई और खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं की वृद्धि ।

वर्ष 1973–74 में प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित रेल डिब्बों से प्राप्त आय

*912. **श्री शंकर राव सामन्त**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1973-74 में रेलवे को प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित रेल डिब्बों से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ ; और

(ख) उक्त अवधि में प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित रेल डिब्बों में उपलब्ध स्थान क्षमता की तुलना में वास्तव में यात्रा करने वालों की प्रतिशतता कितनी थी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) 1973-74 में वातानुकूल पहले दर्जे के यात्रियों से लगभग 4.06 करोड़ रुपये (अनन्तिम) की आमदनी होने की सम्भावना है।

(ख) 1973-74 के पूरे वर्ष में वातानुकूल पहले दर्जे के सवारी डिब्बों के शायिकाकिलोमीटरों से यात्री किलोमीटरों का प्रतिशत उपलब्ध नहीं है । लेकिन 1973-74 की पहली छमाही का यह प्रतिशत इस प्रकार है :—

बड़ी लाइन : 68.6

मीटर लाइन : 43.4

Supply of Oil, Diesel and Petrol by Oil Producing Countries to India

*913. **Shri Phool Chand Verma**: Will be Minister of **Petroleum and Chemicals** be, pleased to state:

(a) whether oil producing countries have expressed their inability to supply oil diesel and petrol to India as per India's demand; and

(b) if not, the quantity of oil, diesel and petrol which these countries are prepared to supply and at what price?

The Minister of State in the Ministry of Peotroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) & (b) The price of crude oil has increased steeply since the beginning of 1974. The prevailing market price of crude oil at present is of the order of $10/bbl. The main problem, therefore, is not of the availability of crude oil or other petroleum products, but that of the exorbitant foreign exchange cost. It has accordingly been decided to restrict the programme of imports of crude oil and other products during 1974.

Curtailment in Production of Diesel Engines

*914. **Shri Jagannathrao Joshi:**

Shri Atal Bihari Vajpayee:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state;

(a) Whether a decision has been taken to curtail the production of diesel engines in view of non-availability of diesel and increase in its prices; and

(b) if so, the future policy of Government in regard to manufacture of various types of railway engines?

The Minister of Railways (Shri L. N. Mishra) : (a) Keeping in view the requirements of motive power to meet the traffic needs, there has been no curtailment in the production programme for manufacture of main line diesel locomotives. The production during 1974-75 has, however, been restricted due to the paucity of funds allocated under this plan head.

In view of the oil crisis, however, and keeping in view the need to cut down the consumption of diesel oil, it has been decided to restrict the manufacture of diesel shunting locomotives for the Railways, and the work will continue to be done by the existing fleet of steam locomotives for some more time.

(b) The future policy of the Government in regard to various types of motive power is at present under consideration, keeping in view the constraints and resources but in the interim period it has been decided to keep in service most of the steam locomotives which would have otherwise been phased out in favour of superior forms of motive power (*viz.* diesel and electric locomotives).

Memorandum from Railway Telegraph Employees

8646. Shri Chandra Bhal Mani Tiwari:

Shri Ishwar Chaudhry:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether he has received any memorandum from Railway Telegraph employees requesting that their pay scales might be brought at par with the employees of the Posts and Telegraphs Department;

(b) whether some employees had also been staging a dharna at Rail Bhavan, New Delhi in support of their demands; and

(c) if so, the extent to which Government have agreed to meet their demands?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Quareshi): (a) & (c) Yes. A statement showing the deamands made in their memorandum is attached. The main demand of the Railway Telegraphists is for parity with their counterparts in the P&T Department in the matter of scales of pay etc. The Third Pay Commission specifically dealt with this demand but did not consider it justified. Government have decided to accept the recommendations made by the Third Pay Commission regarding the pay scales of Railway Telegraph Staff and these pay scales have since been notified.

The question of improving the promotional prospects of Class III Railway Staff including Signallers is receiving attention. The pie-money rate applicable to Signallers has been doubled in pursuance of a recommendation of the Pay Commission.

(b) Yes.

STATEMENT

The demands made in the memorandum received from the All India Railway Telegraph Staff Council are:

(a) That pay scales, terms and conditions of working and other avenue of promotions, higher percentage of the Railway Signallers should be at par with Post and Telegraph Signallers and Assistant Station Masters.

(b) The Railway Telegraph Signallers as and when utilised against other categories should be adequately compensated, fact being that they can be utilised in other categories but not vice-versa.

(c) The Railway Telegraph Signallers should be entitled to a higher grade scales/ promotions in categories such as Welfare Inspectors, Controllers, Traffic Inspectors and Vigilance Inspectors etc.

(d) The Railway Telegraph Signallers should be allowed up-gradation in higher grades minimum 45 per cent in each grade scale. This will avoid stagnation/ blockage.

(e) That the Pay Scales, Terms and conditions of Service, conditions of working and other avenue of promotions of Railway Telegraph peons should be at par with the Post and Telegraph Messengers.

हिन्डाल्को द्वारा तापीय विद्युत केन्द्र की स्थापना

8647. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत की अत्यधिक कमी तथा इसके परिणामस्वरूप एल्यूमीनियम के उत्पादन में कमी आने के उपरांत भी हिन्डाल्को के स्वामित्व वाले तापीय विद्युत केन्द्र की स्थापना का कार्य लाल-फीताशाही के कारण बन्द पड़ा है यद्यपि सरकार ने इसे सिद्धान्तस्वरूप स्वीकार कर लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड और उनकी सहायक, रेणुसागर विद्युत कम्पनी लिमिटेड ने रेणुसागर विद्युत कम्पनी की वर्तमान क्षमता के विस्तार के रूप में 1 × 135 मैगावाट के कैप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्र का आयात करने और प्रतिष्ठापित करने के लिए सरकार की अनुमति मांगी है । इस प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत उन्हें सलाह दी गई थी कि वे कैप्टिव संयंत्र के रूप में 110 मैगावाट के एक विदेशी विद्युत उत्पादन संयंत्र को प्रतिष्ठापित कर सकते हैं और उन्हें 110/120 मैगावाट की और विद्युत जनन क्षमता को स्थापित करने के लिये अनुमति दी जा सकती है परन्तु शर्त यह है कि वे दीर्घकालीन करार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा उन्हें पहले से सप्लाई की जा रही रिहन्द की 55 मैगावाट बिजली को रिलीज करने के आयात के लिए सहमत हों । एम० आर० टी० पी० एक्ट के अधीन उन्हें आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भी सलाह दी गई थी ।

तब कम्पनी ने 250 मैगावाट के एक सेट के आयात और प्रतिष्ठापन का प्रस्ताव रखा था । इस प्रस्ताव पर कम्पनी के साथ विचार-विमर्श किया गया था तथा यह पाया गया था कि 12 मैगावाट के आयतित बैंक प्रैसर टर्बाइन के साथ 1 × 200 मैगवाट अथवा 2 × 110 मैगवाट के सेटों को प्रतिष्ठापित

करना समान रूप से लाभदायक होगा जो कि स्वदेश में ही उपलब्ध हो जाएंगे 1 अप्रैल, 1974 में एम० आर० टी० पी० की स्वीकृति की अपेक्षा का प्रस्ताव किया गया था परन्तु कम्पनी से 1X200 मैगावाट अथवा 2X10 मैगावाट के सेटो के लिए कोई भी प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और न ही वह रिहन्द की 55 मैगावाट बिजली को रिलीज करने के लिए राजी हुई है । कुछ दिनों पूर्व कम्पनी 1X66 मैगावाट के एक सेट के आयात के लिए एक और प्रस्ताव भेजा था । इस प्रस्ताव की जांच की जानी है।

Indecent behaviour towards women passengers by milkmen

8648. **Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have conducted an enquiry into an incident that occurred on 8th March, 1974 in which certain milkmen behaved indecently with women passenger and also manhandled them in Tundla Shuttle between Delhi and Ghaziabad;

(b) if so, the main features of the findings thereof; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to prevent recurrence of such incidents in the running trains?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi). (a) and (b) On 8-3-1974, milkmen travelling by 2 ATD train from Delhi to Ghaziabad behaved indecently with women and other passengers and also at Railway Station Ghaziabad, beat the driver of 2NG passenger train who intervened in the matter. This incident occurred on the occasion of "Holi" festival. Three cases u/s 147/323/427/332/354//353/224/225/395 IPC read with Sections 120/121 Indian Railway Act were registered by Government Railway Police, Ghaziabad and investigation taken up. As a result of this, 29 persons were arrested on the spot, in one case which is pending trial. The remaining two cases are still under investigation.

(c) The following measures are taken for preventing decoities, robberies and other henious crimes in trains and railway premises:—

To the extent possible Government Railway Police escorts are provided on all important night passenger trains to ensure safety of passengers in the affected areas;

(2) Railway Protection Force staff have been directed to extend active co-operation to Government Railway Police and Civil Police in tracking down criminals responsible for such incidents on Railways;

(3) Close liaison is maintained with Government Railway Police and Civil Police to keep strict surveillance over the bad characters operating in the sections;

(4) Raids in the affected sections are also arranged by the Government Railway Police;

(5) Frequent meetings at all levels are held by the Railway Protection Force with Government Railway Police with a view to ensuring better co-ordination and effective prevention and detection of crimes.

कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दे का दिया जाना

8649. श्री वयालार रवि : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान राजनीतिक दलों को, दलवार चन्दा दिया ; और

(ख) क्या सरकार का विचार राजनीतिक चन्दे पर प्रतिबन्ध को हटाने के लिये कम्पनी अधिनियम का संशोधन करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 293क की उप-धारा (1), जो 28 मई, 1969 से लागू हुई है, के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा राजनीतिक चंदे देने पर प्रतिबन्ध हैं। अत : कोई भी कम्पनी राजनीतिक दलों को चंदा नही दे सकती और यदि वह ऐसा करती है तो उस पर उक्त धारा की उप-धारा (2) के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाएगा।

जबकि कुछ मामलों की जांच की जा रही है, उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन करने वाले जिन मामलों को कम्पनी कार्य विभाग के ध्यान में लाया गया है, उसका ब्यौरा निम्नलिखित है :--

कम्पनी का नाम	राजनीतिक दल (दलों) के नाम जिन्हें चंदा दिया गया
1. चातूराम होरिल राम (प्राइवेट) लिमिटेड	बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति
2. इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	(क) कांग्रेस मंडल (ख) संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (ग) भारतीय जनसंघ
3. विक्टोरिया आयरन वर्क्स लिमिटेड	फार्वर्ड ब्लाक
4. वजीर ग्लास वर्क्स लिमिटेड	शिव सेना
5. न्यू राजपूर मिल्स कम्पनी लिमिटेड	अहमदाबाद सिटी जिला कांग्रेस समिति
6. इस्टर्न सीफूड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	केरल प्रदेश कांग्रेस समिति

(ख) जी, नहीं।

Scarcity of kerosene oil for Industries in M.P.

8650. Shri G.C. Dexit: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether the scarcity of kerosene oil has adversely affected numerous heavy and essential industries in Madhya Pradesh;

(b) if so, whether the Madhya Pradesh Government have requested for the early supply of kerosene oil to the State; and

(c) whether any steps have been taken by Government in this regard; and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) No such report has been received in this Ministry. Kerosene (Restricion on Use) Order, 1966 also restricts its use for lighting and cooking purposes only. Its use by industries is restricted except where special permission has been obtained from the State Government.

(b) Madhya Pradesh Government has requested for increase in the quota of kerosene oil due to the great inconvenience being felt in distribution of kerosene oil to consumers general public.

(c) Due to the increase in demand for agricultural and transport sectors diesel oil has to be given priority. Curtailment of kerosne oil quotas to the States may therefore have to continue atleast till June 1974.

आंध्र प्रदेश में उद्योगों को पैराफीन मोम की सप्लाई

8652. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में ऐसे 325 औद्योगिक एकक हैं जो कि पैराफीन मोम का इस्तेमाल कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने गत एक वर्ष में आंध्र प्रदेश को कितनी मात्रा में मोम आवंटित किया है ; और

(ग) इस दृष्टि से कि आंध्र प्रदेश की मोम की वार्षिक आवश्यकता 6000 मिलियन टन है, तो क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिये पैराफीन मोम के नियतन में वृद्धि करने का निर्णय किया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां, राज्य सरकार द्वारा भेजे गए आंकडों के अनुसार है ।

(ख) क्लैंडर वर्ष 1973 में आंध्र प्रदेश को 874 मीटरी टन पैराफिन वैक्स आवंटित की गई थी ।

(ग) पिछले वर्ष प्रत्येक राज्य द्वारा उसकी खपत और इस वर्ष उसकी अनुमानित उपलब्धता के आधार पर पैराफिन वैक्स का आबंटन किया जाता है । उपरोक्त प्रस्तुत नीति के अनुसार 1974 वर्ष के लिए राज्य सरकारों को पैराफिन वैक्स का आबंटन पहले ही कर दिया है । इस समय राज्यों को इसका अतिरिक्त आबंटन करने के लिए फालतू वैक्स नही है । यदि बाद में वैक्स की कुछ मात्रा उपलब्ध हो जाती है तो आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त वैक्स की सप्लाई करने के मामले पर अन्य राज्यों की मांगों सहित गुणदोषों के आधार पर विचार किया जायेगा ।

Damage to cotton and sugarcane saplings due to Floods in Narmada River

8683. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether cotton and sugarcane saplings were damaged due to floods in the Narmada river ; and

(b) the action proposed to be taken by the Central Government in this regard?

The Deputy Minister in the Minister of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad: (a) & (b) There is no mention of damage to cotton and sugarcane saplings in the reports on flood situation or in the memoranda furnished to the Central Teams by the State Governments of Gujarat and Madhya Pradesh on the flood damages by the Narmada river in 1973.

अभाव समिति की बैठकें

8654. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभाव-समिति की गत एक वर्ष के दौरान कितनी बैठकें हुईं;

(ख) इस समिति की बैठक में किन-किन लोगों को आमंत्रित किया गया तथा वहां हुई चर्चा की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार इस समिति के कार्यवाही सारांश की एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) : सरकार द्वारा कोई "अभाव समिति" की स्थापना नहीं की गई है । कच्चे माल/सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों तथा औषध मध्यवर्ती पदार्थ पैकिंग सामग्री, सूत्रयोग आदि के उपलब्धता के सम्बन्ध में समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा विभिन्न उद्योगों, राज्य व्यापार निगम, सरकार के विभिन्न सम्बन्धित संगठनों, अर्थात् तकनीकी विकास महानिदेशालय, स्वास्थ्य महानिदेशालय, कृषि मंत्रालय आदि के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है । तथा जहां आवश्यक होता है, वहां उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

बहु-राष्ट्रीय औषध फर्मों की इंन्डियन फार्मास्यूटिकल इन्डस्ट्री को प्रभावित करने वाली गतिविधियां

8655. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **पंट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में बहु-राष्ट्रीय औषध निर्माता फर्मों की गतिविधियों ने इण्डियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को पूर्णतया नियंत्रित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने तथा इंडियान फार्मास्यूटकल इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) औषध उद्योग के भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं:—

(1) निर्माण संबंधी योजनाओं के अनुमोदन में उद्योग के भारतीय क्षेत्र को तरजीह दी जाती है ।

(2) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से प्रपुंज औषधों का बढ़ती हुई संख्या में उत्पादन करना ।

(3) प्रायः विदेशी फर्मों को सूत्रयोगों के उत्पादन हेतु औद्योगिक लाइसेंस तब तक नहीं दिये जाते जब तक कि उन्हें प्रपुंज औषधों के उत्पादन से सम्बद्ध नहीं किया जाता ।

(4) उनसे क्षमता या नये कार्यकलापों को आरम्भ करने से पूर्व और अधिक मूल चरणों से प्रपुंज औषधों का उत्पादन करने तथा अपने प्रपुंज उत्पादन की पर्याप्त मात्रा का एक उपयुक्त भाग देश के असम्बद्ध सूत्रयोग निर्माताओं को देने के लिये कहा जाता है ।

(5) क्षमता के विस्तार की अनुज्ञा देने अथवा नये कार्यों को हाथ में लेने के लिये शर्त के रूप में उपयुक्त निर्यात दायित्वों को लागू किया जाता है ।

Reservation Quota for Punjab Mail from Burhanpur

8656. **Shri G.C. Dexit.** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Punjab Mail goes via Burhanpur, District East Nimar, Madhya Pradesh;

(b) whether reservation quota has not been fixed for the journey by the train from Burhanpur; and

(c) if so, the reasons therefor and whether the desirability of fixing reservation quota for some seats for Burhanpur for journey by this train will be considered; and if so, the time by which a decision in this regard is likely to be taken?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) and (c) No quota has been fixed for reservation for train journey from Burhanpur as the demand for reseverd accommodation at Burhanpur Railway station is negligible.

Cases pending in Jabalpur High Court (M.P.) in July, 1973

*8657. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Law, Justice & Company Affairs** be pleased to state:

(a) the number of cases pending hearing in the Jabalpur High Court, Madhya Pradesh in July, 1973.

(b) whether Government propose to have any scheme to dispose of these cases expeditiously; and

(c) if so, the salient features thereof?

The Minister of Law, Justice & Company Affairs (Shri H.R. Gokhale): (a) 24,085 cases were pending on Ist July, 1973.

(b) & (c) A statement giving the steps taken for the expeditious disposal of cases is attached.

STATEMENT

1. The State authorities have been advised to review the Judge strength in each High Court from time to time with a view to speedy disposal of civil and criminal cases.

2. A Committee of Judges under the Chairmanship of Shri Justice J.C. Shah had made a number of recommendations for reducing arrears and for minimising delays in dispensing justice. The Recommendations of the Committee which are purely administrative in nature and which do not require amendment to the rules, status or law have been communicated to the State Governments and High courts for implementation. The recommendations involving amendment to the statute or law are being examined.

3. The Law Commission has suggested certain specific amendments to the Code of Civil Procedure, 1908 with a view to eliminating and minimising delays in civil litigation and thereby reducing costs. The report of the Law Commission was examined and a Bill for amending the Code of Civil Procedure was introduced in Lok Sabha on April 8, 1974.

4. The Law Commission had also made a number of recommendations for the amendment of the procedural law in criminal matters. Based on those recommendations a new Code of Criminal Procedure has been enacted recently.

मैसर्स में एंड बेकर, सेन्डोज और सिनेमाईड द्वारा निर्मित किये गए फार्मुलेशन

8658. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पेंट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स में एण्ड बेकर, सेन्डोज सिनेमाईड द्वारा अनुमति-पत्रों के आधार पर किन-किन फार्मूलेशनों का निर्माण किया गया;

(ख) उपरोक्त अनुमति पत्रों के आधार पर इन तीनों फर्मों को (पृथक-पृथक) कितनी राशि के कच्चे माल के आयात की अनुमति दी गई; और

(ग) इसके फलस्वरूप प्रत्येक कम्पनी ने वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा बाहर भेजी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) :(क) मैसर्स में एण्ड बेकर सेन्डोज (इंडिया) लिमिटेड, और मैसर्स साइनामिड (इंडिया) लिमिटेड द्वारा विगत तीन वर्षों की अवधि में अनुमति पत्रों के अन्तर्गत निर्मित सूत्रयोगों के ब्यौरे के बारे में एक विवरण-पत्र संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6874/74]

(ख) और (ग) इन तीन कम्पनियों सहित औषध एककों को उनके विगत वर्षों के उपयोग के आधार पर कच्चे माल का आवंटन किया जाता है । अनुमति पत्र सहित विभिन्न स्वीकृतियों के अन्तर्गत आवंटन किये गये कच्चे माल के पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

पांचवीं योजना में औषध उद्योग के बारे में विभिन्न संस्थानों से प्राप्त प्रस्ताव

8659. **श्री के० एस० चावड़ा**: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिये औषध योजना के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय को डी० जी०टी०डी०, डी०जी० एच० एस०, आई० डी०एम० ए० तथा ओ० पी० पी० आई० और अन्य संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ख) उक्त औषध योजना को तैयार करने के लिये हुई चर्चा सम्बन्धी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) और (ख) योजना आयोग जिसने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत औषध उद्योग के विकास हेतु एक योजना बनाई थी, ने औषध एवम् भेषज के लिये एक कार्यकारी दल की स्थापना की । जिसमें, तकनीकी विकास महा-निदेशालय, स्वास्थ्य मंत्रालय आई० डी० एम० ए० तथा ओ० पी० पी० आई० आदि के प्रतिनिधि को सम्मिलित किया गया था ।

पांचवीं योजना की अवधि में औषध उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आई०डी०एम०ए०, ए०आई०एम०ओ०, ओ० पी० पी० आई० के प्रतिनिधियों के साथ इस उद्योग के विकास कच्चे माल की उपलब्धि मूल्य निर्धारण नीति, अनुसंधान एवं विकास प्रयत्न तथा गुण नियंत्रण संबंधी कार्यों के प्रश्नों पर विचार विमर्श किया गया ।

सिलचर और जिरीबम के बीच रेल लाइन

8661. **श्री एन० टोम्बी सिंह**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिल्चर और जिरीवम के बीच रेल लाइन बनाने का जो प्रस्ताव है; उसके निर्माण-कार्य की प्रगति क्या है ;

(ख) क्या यह परियोजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरी हो जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय आने की संभावना है और यह कितने समय में पूरी हो जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) सिल्चर से जीरीबाम तक नयी लाइन के निर्माण के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरी, एवं

(ख) यातायात सर्वेक्षण पूरे हो गये हैं और रिपोर्टों की जांच की जा रही है। और रिपोर्टों की जांच पूरी हो जाने के बाद इस काम को पांचवीं पंचवर्षीय योजना (ग) के दौरान शुरू करने के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा ।

मणिपुर के लिए आसाम मेल तथा कामरूप एक्सप्रेस में सीटों के आरक्षण का कोटा

8662. **श्री एन० टोम्बी सिंह**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर के लिये आसाम मेल तथा कामरूप एक्सप्रैस में सीटों के कोटे में वृद्धि करने पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वर्तमान स्थिति में मणिपुर से आने वाले यात्रियों को होने वाली अत्यधिक कठिनाइयों की सरकार को जानकारी है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दीयापुर रेलवे स्टेशन से सम्बंध इम्फाल आउट ऐजेन्सी मणिपुर राज्य के यात्रियों की सेवा करती है । इस आउट एजेन्सी को 4 डाउन असाम मेल में पहले दर्जे की एक बर्थ, तीसरे दर्जे की एक 3-टियर शायिका तथा दो टियर वाले सवारी डिब्बे में तीसरे दर्जे की दो सीटों का कोटा दिया गया है । 16-11-73 से 6 डाउन कामरूप एक्सप्रैस में तीसरे दर्जे की दो 3-टियर शायिकाओं का कोटा भी दे दिया गया है । आउट एजेन्सी को दिये गये कोटे का उपयोग पूरी तरह नहीं होता । अतः वर्तमान कोटे में वृद्धि करने का कोई औचित्य नहीं है ।

लोकतक बहुउद्देश्य पनबिजली परियोजना

8663. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोकतक बहुउद्देश्य पनबिजली परियोजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी नहीं हो पाएगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) आवश्यक परिवर्तनों के बाद इस बारे में वर्तमान निर्धारित कार्यक्रम क्या है; और

(घ) इसके समय पर पूरा करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) 35 मै०वा० की प्रथम यूनिट को मूल रूप से मार्च, 1975 तक चालू करना अनुसूचित था । बहरहाल, आयात की जा रही मुख्य जनन यूनिट, की सुपुर्दगी में विलम्ब हो जाने के कारण अब प्रथम यूनिट के मार्च, 1976 तक चालू होने की संभावना है । चालू करने के लिये अपेक्षित सभी अन्य आनुषंगिक तथा बैलेंस उपस्करों के लिये आदेश दे दिया गया है तथा इनमें से कुछ स्थल पर प्राप्त हो गए हैं । संशोधित लक्ष्य के अनुसार कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करने के लिये परियोजना पर प्रगति का निरन्तर पुनरीक्षण किया जा रहा है।

Departmental enquiries against employees of Western Railway

8664. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the number of Railway employees in Western Railway against whom departmental enquiries were conducted on charges of pilferage of Railway property during the last two years;

(b) the number of employees against whom the departmental qenuiry is at present pending; and

(c) the number of those employees against whom enquiry was conducted by the Central Bureau of Investigation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Nil.

(b) Does not arise

(c) Nil.

Over bridges to be constructed in Andhra Pradesh during 1974-75

8665. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of new over bridges proposed to be constructed in Andhra Pradesh during the financial year 1974-75;

(b) the number of over bridges for construction of which proposals have been submitted to the Central Government by the State Government; and

(c) the amount of expenditure proposed to be incurred by Central Government on construction of new bridges and over bridges in the State during the financial year 1974-75 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) Proposals for construction of 8 new road over/under bridges in place of existing level crossings in Andhra Pradesh State have been included in the 1974-75 Works Programme. Further, 7 works of road over/under bridges in place of existing level crossings have been included as throw-forward works in the 1974-75 Budget.

In addition to the throw-forward works mentioned above, there are 8 more proposals from the State Government for construction of road over/under bridges. These are in various stages of preliminary investigations and planning.

In addition, there are proposals for 4 works of road over/under bridges to be constructed by the Railways as 'deposit works' at the cost of the State Government/Road Authority. These are in various stages of investigation and planning.

Railways' share of expenditure on construction of road over/under bridges in Andhra Pradesh State during 1974-75 is expected to be Rs. 10.13 lakhs.

फर्टिलाईजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर उद्योग मंडल तथा कोचीन उर्वरक संयंत्र का उत्पादन

8666. **श्री वयालार रवि** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाईजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर उद्योग मंडल तथा कोचीन प्रथम चरण उर्वरक संयंत्र ने दिसम्बर 1973 से मार्च 1974 के दौरान प्रतिमास कितना उत्पादन किया ; और

(ख) इनकी स्थापित क्षमता की तुलना में यह उत्पादन कितने प्रतिशत है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) इस अवधि के दौरान उत्पादन तथा उसकी कुल स्थापित क्षमता की तुलना में प्रतिशतता निम्नलिखित थी :—

उत्पाद	दिसम्बर 1973		जनवरी 1974		फरवरी 1974		मार्च 1974	
	उत्पादन	%	उत्पादन	%	उत्पादन	%	उत्पादन	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उद्योग मंडल								
एमोनियम सल्फेट	7922.2	48.0	5636.5	34.1	7423.3	45.0	6245.3	37.8
एमोनियम फास्फेट								
16.20	6006.0	54.6	6561.2	59.6	6008.3	54.6	4942.0	44.8
20.20	2426.9	58.9	1814.5	44.0	2092.8	50.7	1367.2	33.1
सुपरफास्फेट	4007.7	97.1	4097.0	99.2	2945.6	71.5	1066.3	25.8
कोचीन चरण–1								
यूरिया	1719.0	5.5*	1731.0	5.6*	11214.0	40.0*	1240.0	4.0*

*परीक्षणात्मक उत्पादन आरम्भ हो गया है लेकिन एकक द्वारा अपने परिचालनों को बनाये रखना शेष है ।

शारावती नदी पर लिंगानमुक्की बांध के पास एक बिजलीघर की स्थापना

8667. **श्री जी० वाई० कृष्णन**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारावती नदी पर निर्मित लिंगानमुक्की बांध के पास एक बिजलीघर स्थापित करने संबंधी योजना को योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या जेनरेटिंग संयंत्र तथा उपकरण का आयात किया जाएगा; और

(घ) बिजलीघर के कब तक चालू किये जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) जी, हां। शारावती नदी पर लिंगना बांध पर विद्युत् केन्द्र में मुक्की 27.5—27.5 मैगावाट की दो यूनिटों की प्रतिष्ठापना परिकल्पित है । इस परियोजना की अनुमानित लागत 937 लाख रुपये है। उत्पादन यूनिटों का आयात करने का प्रस्ताव है । यह प्रत्याशा है कि इस बिजली केन्द्र की प्रथम यूनिट दिसम्बर, 1976 में तथा दूसरी यूनिट जून, 1977 में पूर्ण हो जाएगी ।

उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम का संशोधन

8668. **श्री सी० के० जाफर शरीफ:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या** देश में उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अन्तर्गत अब तक लगाये गये नियमों और प्रतिबन्धों में ढील देने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार जो वादविवाद करने जा रही है उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत वरूआ) : (क) से (ग) देश में उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिये एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया के वर्तमान उपबन्धों के रहते हुए किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई में विमान-ईंधन के मूल्यों में वृद्धि

8669. **श्री एम०एम० जोजफ :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई नगर विमान-ईंधन की दृष्टि से विश्व भर में सब से महंगा नगर है जहां गत वर्ष तेल के संकट के बाद से इसके मूल्यों में 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ख) : जी, नहीं। 16-4-1974 से समस्त भारतीय हवाई अड्डों पर जो अन्तर्राष्ट्रीय संवाहकों की सेवा करते हैं अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइनों (एयर-इंडिया को सम्मिलित करते हुए) के लिये विमानन तेल के मूल्यों को 504.72 रुपये प्रति किलो लीटर तक घटाने के बाद, ऐसा नहीं है।

Shortage of Diesel for Buses in Bihar

8670. **Shri G. P. Yadav:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether over 300 buses of Bihar State Road Transport Corporation and private bus owners have stopped plying due to unprecedented shortage of diesel oil;

(b) whether Government propose to normalise the supply of diesel in view of the inconvenience of the public and the tourists; and

(c) if so, by what time?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) to (c) Due to the problems of rail transport in the Eastern Sector, loading high speed diesel oil to Bihar was adversely affected particularly in the last two months

resulting in local shortages. Road movement was however carried out by the oil companies to the maximum extent possible. With the commissioning of Maurigram-Rajbandh product pipeline and improvement in rail transport, the position is expected to normalise during the current month provided no further setback is caused again to the rail despatches this month.

Death of a passenger travelling by Upper India Express

8671. **Shri Chandra Shailani:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether Shri Ranjit Singh, son of Shri Douli Ram, resident of Chuna Mathi, Sarai Rohilla, New Delhi, who was travelling by Upper India Express was injured in a railway accident on the 12th February, 1974;

(b) whether Shri Ranjit Singh died in Irwin Hospital the next day;

(c) the amount of compensation sanctioned for being paid to the heirs of the deceased and the time by which the same would be paid to them; and

(d) the names of the heirs and their relationship with the deceased?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) Yes.

(c) and (d) Applications have been received by the Additional District Magistrate, North District, Delhi who functions as the Claims Commissioner to adjudicate on claims in regard to this accident, from three persons claiming relationship with the late Shri Ranjit Singh as follows:

Names of heirs	lationship
(i) Shri Babu Lal	Brother
(ii) Shrimati Kalawati (widow)	Sister
(iii) Shri Ramswaroop alias Pappu	Adopted son

The compensation payable for death, under the Indian Railways Act, is Rs. 50,000/- per passenger. The case is pending before the Claims Commissioner and is sub-judice.

"इण्डिया पिस्टन लिमिटेड" का विस्तार

8672. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने साम्य अंशों को कम करने तथा 18 प्रतिशत निर्यात अनिवार्यता की कुछ शर्तें लगाकर इंडिया पिस्टन्स लिमिटेड के विस्तार प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है; और

(ख) क्या इस बारे में सरकार की ये सिफारिशें मिल गई हैं और उन पर कुछ कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य, मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : (क) तथा (ख) आयोग ने साम्य अंशों को कम करने और पांचवें वर्ष में 15 प्रतिशत निर्यात अनिवार्यता की कुछ शर्तें लगाकर अनुमोदन का सुझाव देते हुए इन प्रस्तावों पर अपनी रिपोर्ट दे दी है । ये सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं ।

Proposal to conduct special audit of Balance sheet of Shri Synthetic Mills at Ujjain

8673. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to issue an order for conducting special audit of the Balance Sheet of Shri Synthetics Mills at Ujjain under the Companies Act; and

(b) whether an expenditure of Rs. 22 lakhs has been stated to have been incurred in the Stores Department with a view to showing heavy loss in the said Factory?

The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua): (a) No proposal to order special audit under section 232A of the Companics Act, 1956 is under consideration.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

इंडियन ट्यूब कम्पनी के उत्तरी भारत के वितरकों के विरुद्ध एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रक्रिया एवं उद्योगों के पास आई शिकायतें

8674. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ट्यूब कम्पनी और उस के उत्तरी भारत के वितरकों के विरुद्ध एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार पद्धति उद्योग के पास शिकायतें आदी, हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : (क) तथा (ख) 3 नवम्बर, 1972 को दिल्ली पाइप डीलर्स एसोसियेशन ने आयोग के समक्ष यह आरोप लगाते हुए शिकायत प्रस्तुत की कि इंडियन ट्यूब कम्पनी लिमिटेड और उत्तरी भारतीय क्षेत्र में उसके 3 वितरकों द्वारा कतिपय प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं का अनुगमन किया जा रहा है । एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 11 द्वारा यथा अपेक्षित आयोग ने मामले को अपने जांच निदेशकों प्राथमिक जांच और उसकी रिपोर्ट देने के लिये भेज दिया । जांच-निदेशक ने अपनी रिपोर्ट इंडियन ट्यूब कम्पनी लिमिटेड को किसी भी प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं में ग्रस्त होने के आरोपों से पूर्ण-रूप से मुक्त कर दिया, किन्तु उसने रिपोर्ट में पाया कि उत्तर भारतीय क्षेत्र के तीन वितरक कतिपय प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं में ग्रस्त थे । 8 जनवरी, 1974 को आयोग ने जांच प्रारम्भ की और इंडियन ट्यूब कम्पनी लिमिटेड और उसके तीन वितरकों को निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा (जांच) विनियम, 1970 के विनियम 7 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया । इंडियन ट्यूब कम्पनी को भी एक पार्टी बनाया गया क्योंकि वह उस सामग्री का उत्पादक था, जिसके विषय में प्रतिबन्धात्मक

व्यापार प्रथाओं को आरोपित किया गया था और जिसके वितरण की किसी भी योजना, जो अन्तिम रूप से बनाई जा सके और जिसमें उसकी उपस्थिति अपेक्षित समझी जाए । क्योंकि उसके कुछ अधिकारियों के विरुद्ध आरोप थे, अतः उसकी उपस्थिति भी आवश्यक समझी गई। जांच के अनिर्णीत होने के मध्य तीन वितरकों ने 18 मार्च, 1974 को एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 37 (2) के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रस्तुत वितरण की योजना जो विरतण हेतु की गई शिकायत में निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथा का निरसन करेगी, विषयक आयोग के अनुमोदन के लिये एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । इंडियन ट्यूब कम्पनी योजना के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिये राजी हो गई। आयोग ने अपने आदेश दिनांक 11-4-1974 के द्वारा धारणा की कि योजना से सुनिश्चित हुआ है कि व्यापार प्रथाएं जनहित में अब हानिकारक नहीं रहेंगी और धारा 37(1) के अन्तर्गत जांच सम्पन्न करना और उसके अनुसार आदेश देना आवश्यक नहीं है । तदनुसार आयोग ने योजना का अनुमोदन कर दिया और 1 मई, 1974 से उसके कार्यान्वयन की अनुमति दे दी ।

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण

8675. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में कोई ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकृत की गई और गत तीन वर्षों के दौरान किये गये ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण का निष्कर्ष क्या है; और

(ग) सर्वेक्षण में जिलावार तथा वर्षवार अद्यतन कौन-कौन से गांव सम्मिलित किये गये ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पश्चिम बंगाल के लिये ग्राम इंजीनियरी सर्वेक्षण स्कीम अक्तूबर, 1971 में स्वीकृत की गई थी तथा क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य 1972-73 में प्रारम्भ हुए थे।

(ख) इस कार्य के लिये राज्य सरकार को पिछले तीन वर्षों में अवमुक्त किये गये अनुदान की राशि 28.28 लाख रुपये थी, ग्राम-वार इंजीनियरी सर्वेक्षण तथा भू-सर्वेक्षण मिदनापुर तथा पुरलिया जिलों में प्रारम्भ किये गये हैं । इन जिलों में 456 ग्रामों में इंजीनियरी सर्वेक्षण तथा 303 ग्रामों में भू-सर्वेक्षण पूरे किये जा चुके हैं ।

(ग) इंजीनियरी सर्वेक्षण किये गांवों की जिलेवार तथा वर्षवार संख्या उपाबन्ध एक में तथा भू-सर्वेक्षण किये गये गांवों की उपाबन्ध दो में दी जाती है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-6875/74]

ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षण

8676. **श्री हाजी लुतफल हक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गत तीन वर्षों में ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कार्य में कितनी प्रगति हुई है और उपरोक्त अवधि में राज्यवार कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(ग) उपरोक्त अवधि में राज्यवार कितने ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण कार्य की राज्यवार प्रगति और स्कीम के लिये अब तक दी गई राशि नीचे दी जाती है :—

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	ग्रामों की संख्या जहां		1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान दी गई राशि
		इंजीनियरिंग सर्वेक्षण पूरे हो गए हैं	भू-सर्वेक्षण पूरे हो गए हैं	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	182	196	31.29
2.	असम	86	—	6.55
3.	बिहार	31	8	24.61
4.	गुजरात	1	15	9.85
5.	हरियाणा	729	331	19.79
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	2.72
7.	जम्मू और काश्मीर	—	—	3.20
8.	केरल	24	33	5.04
9.	मध्य प्रदेश	243	—	19.24
10.	महाराष्ट्र	41	44	14.00
11.	कर्नाटक	1328	1117	40.95
12.	उड़ीसा	144	49	17.56
13.	पंजाब	103	108	6.33
14.	राजस्थान	72	117	21.60
15.	तमिलनाडु	173	111	18.04
16.	उत्तर प्रदेश	695	1100	31.65
17.	पश्चिम बंगाल	456	303	28.28
	कुल	4308	3532	300.70

फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर के युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकी

8677. **श्री वयालार रवि :**
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टीलाईजर्स एंड कैमिकल्स के प्रबन्धकों ने वहां नियुक्त युवक कॉंग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) कम्पनी के एक कर्मचारी ने (जो फर्टीलाईजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर युवक कांग्रेस एकक का सचिव भी है) मार्च, 1974 को एक पुस्तिका जारी की जिसमें कम्पनी के प्रबन्धकों और प्रबन्धक निदेशक के विरुद्ध कुछ आरोप निहित थे । चूंकि कम्पनी के प्रमाणित स्थायी आदेशों के अधीन ऐसी कार्रवाई कदाचार है, इसलिये प्रबन्धकों ने उनका स्पष्टीकरण मांगा है ।

गत दो वर्षों के दौरान दहेज तथा बालक विवाह का निषेध करने वाली विधि का उल्लंघन करने के लिये अभियोजित व्यक्ति

8678. **श्री डी० बी० चन्द्रगोडा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में दहेज तथा बालक विवाह का निषेध करने वाली विधि का उल्लंघन करने के लिये कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है; और

(ख) इस संबंध में लोगों को शिक्षित करने के लिये सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जानकारी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) दहेज और बालक विवाह की समस्यायें सामाजिक बुराइयां हैं । आशा की जाती है कि जनता में, विशेष रूप से स्त्रियों में, शिक्षा के प्रसार के साथ दहेज और बालक विवाह जैसी बुराइयां समाप्त हो जायेंगी । राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से इस बारे में प्राप्त की गई कोई और जानकारी ससंद के पटल पर रख दी जायेगी ।

बिड़ला बन्धुओं द्वारा गोआ में उर्वरक कारखाने का स्थापित किया जाना

8679. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला बन्धुओं ने विदेशी सहयोग से गोआ में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना की है;

(ख) क्या इस कारखाने ने बिना किसी वैध लाइसेंस के उत्पादन करना शुरू कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) मैसर्स जुआरी एग्रो केमिकल्स लि० ने विदेशी वित्तीय साझेदारी से गोआ में उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

एस्सो के नियंत्रण में ले लेने के समझौते की शर्तों के अनुसार इसमें निहित शक्तियां

8680. **श्री मधु लिमये** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस्सो को नियंत्रण में ले लेने के समझौते में ऐसे खण्ड हैं जिनके अनुसार एस्सो को 'वीटो' का अधिकार दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये शक्तियां नये निगम की 50 लाख रुपये से अधिक की परिसम्पत्तियों की बिक्री, किन्हीं अन्य क्षेत्रों के लिये विविधीकरण तथा ऋण इक्विटी अनुपात में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के मामले के संबंध में है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956, के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, एस्सो के साथ किये गये साझेदारी करार में उसके कुछ अनुच्छेदों को शामिल कर लिया है जिससे बहुमत और अल्पमत के दोनों शेयर धारकों, अर्थात् भारत सरकार और एस्सो की क्रमशः निम्नलिखित के सम्बन्ध में विशेष संकल्पों द्वारा सहमति की अपेक्षा है :—

(क) प्राधिकृत पूंजी में कोई वृद्धि करना ;

(ख) सहमत सीमा से ऋण इक्विटी अनुपात में किसी प्रकार का परिवर्तन करना ;

(ग) 50 लाख रुपये से अधिक व्यक्तिगत आस्तियों की कोई बिक्री करना ;

(घ) असम्बद्ध लाइनों का विविधीकरण करना ।

इस प्रकार के उपबन्धों को उसी प्रकार के करारों में प्रायः शामिल कर लिया जाता है ।

उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत बड़े गृहों और विदेशी फर्मों को दी गई छूट

8681. **श्री खेमचन्द्र भाई चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 27 मई, 1969 के प्रैस नोट के अन्तर्गत दी गई छूट कैमीकल III द्वारा जारी किये गये औद्योगिक विकास तथा विनियम अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत छूटों में से एक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिनांक 16 फरवरी, 1973 को बड़े गृहों तथा विदेशी फर्मों से सभी प्रकार की छूट वापस ले ली गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इस त्रुटि का विदेशी फर्मों और बड़े गृहों को लाभ क्यों दिया गया है जो कि अन्य सभी छूटें वापस ले ली गई हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इस त्रुटि का प्रभाव के अध्ययन कर लिया है और उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) लोक सभा दिनांक 26 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4548 में पहले से ही बताया गया है कि 27 मई, 1969 को जारी किये गये प्रैस नोट में दी गई छूट /ढील की अब भी मान्यता है और यह उन सूत्रयोगों को सीमित करती है जो सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा उत्पादित किये गये मूल औषधों से उत्पादित किये गये हैं तथा उसके अन्तर्गत उत्पादित किये जाने वाले सूत्रयोगों की मात्रा को भी सीमित करती है जिसमें मूल औषधों की मात्रा के उत्पादन की अनुमति दी गई है और उनका प्रयोग वशवर्ती खपत हेतु किया जाता है । इसके अलावा यह भी प्रतिबन्ध है कि उत्पादक को कोई कच्चे माल या उपस्कर के आयात में नहीं फंसना चाहिये । यह औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के अनुभाग 29 बी के अन्तर्गत जारी किया गया था ।

औषध निर्माण करने वाली फर्में

8682. **श्री भालजीभाई परमार** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री उपक्रमों को मिश्र-उत्पाद (प्रोडक्ट मिक्स) के लिये अनुमति दिये जाने के बारे में 27 फरवरी, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 107 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल औषध निर्माण करने वाली ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें उसी आधार पर मिश्र औषधियों (फार्मूले) तैयार करने की अनुमति दी गई थी;

(ख) "ट्रेड मार्क" और "मार्क" के अर्थों में क्या अन्तर है;

(ग) मूल औषधियों के आधार पर कितनी संख्या में मिश्र-उत्पाद (प्रोडक्ट मिक्स) पत्र जारी किये गये;

(घ) क्या अधिकांश मिश्र-उत्पाद (प्रोडक्ट-मिक्स) पत्रों के मामले में इस शर्त का पालन नहीं किया गया है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में मिश्र-उत्पाद (प्रोडक्ट-मिक्स) पत्र जारी करने के कारण जिसके आधार पर वे अभी तक उत्पादन कर रही है; विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हुई और विदेशी फर्मों द्वारा आस्तियां एकत्र करने के कारण कितनी हानि हुई ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) लगभग सभी औषध निर्माता फर्में औषध सूत्रयोगों का निर्माण करती हैं ।

(ख) "मार्क" और "ट्रेड मार्क" के तात्पर्य हेतु ट्रेड एण्ड मर्चेन्डाइज़ मार्कस एक्ट 1958 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ग) से (ङ) शायद यहां पर इस संदर्भ का संकेत पैट्रोलियम और रसायन तथा खान एवं धातु मंत्रालय को 27-5-1969 की अधिसूचना से है जिसके अन्तर्गत मूल औषधों के लाइसेंसीकृत औद्योगिक उपक्रमों को उन मूल औषधों के सूत्रयोगों के निर्माण हेतु लाइसेंस लेने की आवश्यकता से छूट दी गई थी। उस अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए, पृथक पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं थी ।

कोटा (राजस्थान) में एक तापीय बिजलीघर की स्थापना

8683. **श्री लालजी भाई** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने योजना आयोग और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को कोटा में एक तापीय बिजलीघर की स्थापना करने के संबंध में एक परियोजना प्रतिवेदन भेजा है;

(ख) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और रेलवे विभाग ने 1971 में राजस्थान सरकार को इस परियोजना के लिये पर्याप्त सप्लाई करने का आश्वासन दिया था ;

(ग) क्या राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार से पहले ही 507 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर चुका है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) जी, हां। परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने 1971 में बताया था कि चिरमारी कोयला खानों से कोयले की सप्लाई उपलब्ध की जा सकती है । यह मालूम हुआ है कि परियोजना के लिये आवश्यक भूमि अर्जित कर ली गई है ।

Pending Application for Soda Ash and Soda Caustic Plants

8684. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Petroleum And Chemicals** be pleased to state:

(a) the number of applications from companies for setting up soda ash and caustic soda plants pending with Government;

(b) whether the said companies had fulfilled all the required conditions; and

(c) if so, the reasons for delay in issuing th e licence?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) 11 applications for Soda Ash and 31 Applications for Caustic Soda plants.

(b) and (c) The applications are at various stages of consideration.

राजस्थान में बिजली की सप्लाई में वोलटेज में घट-बढ़ी होने के कारण बिजली उपकरणों को क्षति

8685. **डा० कर्ण सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि बीकानेर तथा राजस्थान के अन्य नगरों में बिजली की सप्लाई में वोलटेज में भारी घटबढ़ी होने के परिणामस्वरूप नलकूप मोटरों सहित बिजली के उपकरण को भारी क्षति पहुंची है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) और (ख) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी भागों और बीकानेर को बिजली की सप्लाई की वोल्टता में घटा-बढ़ी होती है । इन क्षेत्रों को भाखड़ा नंगल प्रणाली से सप्लाई मिलती है। यह घटा-बढ़ी इस क्षेत्र में सप्लाई करने वाली लम्बी पारेषण लाइन में भारी भार के कारण है।

यह आशा की जाती है कि अतिरिक्त पारेषण लाइनों के निर्माण और 220/132 के०वी० 100 एम०वी०ए० ट्रांसफार्मर के इरेक्शन तथा जयपुर में 2 × 20 एम०वी०ए० तुल्यकाली संघारित्र के प्रतिष्ठापन और भाखड़ा प्रबंध बोर्ड के साथ समेकित तरीके से सम्पूर्ण प्रणाली प्रचालन के प्रबन्ध से इन क्षेत्रों में वोल्टता स्थिति में काफी सुधार हो जाएगा ।

Cases of corruption and embazzelment on Northern Railway Investigated by the CBI during 1973

8617. **Shri Nageshwer Dwivedi:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of corruption and embezzlement cases on Northern Railway investigated by CBI during 1973; and

(b) the number out of them entrusted by the Railway Administration to CBI and the number of those detected by CBI on their own information?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) During 1973 the CBI undertook investigation into 34 cases of corruption, etc. pertaining to Northern Railway. Out of these, 27 cases were taken by the CBI on the basis of their own information and the remaining 7 were entrusted to them by the Railway Administration.

ईराकी संशोधित तेल के लिये ईराक से समझौता

8688. **श्री श्रीकृष्ण मोदी :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ईराकी अशोधित तेल की उपलब्धि के लिये ईराक के साथ कोई समझौता किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह समझौता उसी प्रकार का है जैसा कि हाल ही में ईरान के साथ किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) अशोधित कच्चे तेल की सप्लाई हेतु ईरान और ईराक के साथ द्विपक्षीय व्यवस्था की गई है । इन प्रबन्धों के ब्यौरे बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ।

गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी नया उर्वरक संयंत्र

8689. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 121 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी द्वारा एक नया उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जायेगा जिससे 120 करोड़ रुपये तक की विदेशी मुद्रा की बचत होगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ;

(ग) क्या इस परियोजना से गुजरात को प्रतिवर्ष बिक्री कर के रूप में 1 करोड़ रुपया और उत्पाद शुल्क से केन्द्र के लिये 80 करोड़ रुपया प्राप्त होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शाह नवाज खां):(क) और (ख) गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी की विस्तार योजना, जिसके लिये हाल ही में एक आशय पत्र जारी किया गया है, में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख मीटरी टन यूरिया का उत्पादन होगा । प्रति टन यूरिया के 300 डालरों के मूल्य के आधार पर यूरिया की इसके बराबर मात्रा की लागत विदेशी मुद्रा में प्रतिवर्ष लगभग 150 मिलियन डालर (अथवा 120 करोड़ रुपये) होगी ।

(ग) 5 लाख मीटरी टन यूरिया की बिक्री पर राज्य को अनुमानतः लगभग 1.4 करोड़ रुपये का बिक्री-कर प्राप्त होगा । यूरिया की उक्त मात्रा पर केन्द्र को लगभग 6--6.5 करोड़ रुपये का उत्पादन-शुल्क प्राप्त होगा ।

(घ) विस्तार परियोजना के पांचवीं योजना अवधि के अन्त तक मुकम्मल हो जाने की आशा है ।

फर्टीलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के उद्योग एकक में अमोनिया का उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव

8690. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टीलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के उद्योग मंडल एकक द्वारा उत्पादन का विविधीकरण करने तथा अमोनिया का उत्पादन बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि० से निम्नलिखित के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

(1) उद्योग मंडल पर उत्पादन में विधिकरण; तथा

(2) कोचीन में अमोनिया क्षमता का विस्तार ।

इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

Profit of Fertiliser Corporation of India

8691. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the profit earned by the Fertilizer Corporation of India in 1972-73 from the sale of fertilisers:

(b) whether in view of this profit, Government propose to make the fetilizers available at a cheaper price; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) (a) Rs. 50 lakhs from the sale of fertiliser;

(b) No proposal in this regard is presently under consideration;

(c) The profit earned by the Corporation by sale of fertiliser is only nominal. The deliverd prices of Nitrogenous fetilizers are already pitched low, as compared to the landed cost of similar type of imported fetilizers.

1970 से उच्चतम न्यायालय में लम्बित दाण्डिक अपीलें

8692. **श्री के० नारायण राव :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970 से उच्चतम न्यायालय में कितनी दाण्डिक अपीलें लम्बित हैं और उनका वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन अपीलों को शीघ्र निपटाने के लिये कोई विशेष कदम उठाये गये हैं क्योंकि इनमें वैयक्तिक स्वतन्त्रता मुख्य विषय है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) इस समय उच्चतम न्यायालय में लम्बित दाण्डिक अपीलों की संख्या 851 है । उनका वर्षवार विभाजन निम्नानुसार है:–

1970	15
1971	227
1972	219
1973	238
1474	152
कुल	851

(ख) तथा (ग) : दाण्डिक अपीलों को शीघ्र निपटाने के लिये उच्चतम न्यायालय नियमों में दिये गये उपबन्धों के अतिरिक्त, इस प्रयोजन के लिये निम्नलिखित और उपाय किए गए हैं—

(1) केवल दाण्डिक अपीलों को ही सुने जाने के लिये या ऐसी अपीलों की सुनवाई सिविल अपीलों के साथ किए जाने के लिये जिनकी शीघ्र सुनवाई के लिये विशेष रूप से निदेश दिए जाते हैं, सदैव ही एक बैंच की व्यवस्था की जाती है ।

(2) मृत्यु दण्ड से संबंधित अपीलें, उनके सुने जाने के लिये तैयार होने के तुरन्त बाद, पक्षकारों को एक सप्ताह की सूचना देकर, सुनवाई के लिये दैनिक बोर्ड पर लाई जाती है एसी अपीलों को सुनवाई के लिये तैयार किये जाने हेतु समय-सीमा नियत कर दी जाती है ।

(3) विशेष रूप से निदेशित दाण्डिक अपीलों को विशेष रूप से निदेशित सिविल अपीलों पर पूर्विकता प्राप्त होती है ।

अन्तर्राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नियम

8693. **श्री के० नारायण राव :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 13 के अन्तर्गत कोई नियम बनाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) नियमों में निम्नलिखित प्रावधान हैं —

(1) किसी जल विवाद की शिकायत करने का ढंग और तरीका ;

(2) प्रतिनिधियों को नामांकित करने के लिये पक्षों को नोटिस देना ;

(3) प्रतिनिधियों को नामांकन न किये जाने की स्थिति में प्रक्रिया ;

(4) न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों इत्यादि को देय पारिश्रमिक, भत्ता अथवा फीस ;

(5) न्यायाधिकरण के अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तें ;

(6) केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला व्यय; और

(7) न्यायाधिकरण का मुख्यालय ।

कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा तुंगभद्रा बांध और जलाशय पर नियंत्रण के लिये एकल निकाय का समर्थन

8694. **श्री के० आर० नारायण राव :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण ने समस्त तुंगभद्रा बांध और जलाशय और दायों तथा बायों और स्पिलवे द्वारों के रखरखाव और संचालन पर नियंत्रण के लिये एकल निकाय का समर्थन किया है ;

(ख) क्या यह विचार किया गया है कि इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त विधान की आवश्यकता होगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ने यह विचार किया है कि संपूर्ण तुंगभद्रा बांध और जलाशय तथा बाई और दाई ओर उमड़मार्ग फाटकों के अनुरक्षण और प्रचालन पर नियंत्रण एक ही नियंत्रण निकाय में निहित होना चाहिये, परन्तु यह व्यवस्था समुचित विधान द्वारा की जानी चाहिये । किसी अन्य नियंत्रण निकाय की स्थापना होने तक इस प्रकार का नियंत्रण तुंगभद्रा बोर्ड में ही निहित रखा जाए । अन्तर्राज्यीय जल विवाद, अधिनियम, 1956 की धारा 5(3) के अधीन न्यायाधिकरण को स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन के लिये दिए गए संदर्भों पर न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिये जाने के उपरांत इस मामले पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।

गुजरात तेलशोधक कारखाने का विस्तार

8695. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री एन० शिवप्पा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 30 करोड़ रुपये की लागत से गुजरात तेलशोधक कारखाने के विस्तार की मंजूरी दे दी है और इस प्रकार इसे देश का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना बना दिया है; और

(ख) क्या विस्तार की मंजूरी का निर्णय अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि होने से पूर्व किया गया था ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) गुजरात रिफाइनरी की 28.08 करोड़ की अनुमानित लागत की 4.3 एम० टी० पी० ए० से 7.3 एम० टी० पी० ए० तक विस्तार करने की परियोजना की स्वीकृति सरकार ने अगस्त 1973 में दी थी।

मोनोब्लाक कन्क्रीट स्लीपरों के निर्माण के कारण रेलवे को घाटा

8696. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री एम० एस० पुरती :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च घनत्व और अधिक गति यातायात के लिये उपयुक्त मोनों ब्लाक कन्क्रीट स्लीपरों की सप्लाई करने के लिये दो फर्मों को क्रयादेश दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन फर्मों ने काफी समय के बाद घटिया स्लीपरों की सप्लाई की ; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे को इससे कितनी क्षति हुई और दोषी फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1968-69 में मोनोब्लाक कंक्रीट स्लीपरों के उत्पादन के लिये 3 फर्मों को आर्डर दिये गये थे और बाद में इनके अलावा तीन और फर्मों को आर्डर दिये गये थे।

(ख) जी नहीं, । लेकिन ये फर्में आर्डर की अपेक्षा बहुत कम सप्लाई कर सकीं । इनमें से कुछ को कम मूल्य पर मंजूर किया जा रहा है क्योंकि वे या तो केवल मुख्य लाइनों या लूप लाइनों के लिये उपयुक्त हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर कम्पनी द्वारा कमाया गया लाभ

8697. **श्री बेकारिया :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर कंपनी ने गत दो वर्षों के दौरान, वर्षवार, कुल कितना लाभ कमाया है ; और

(ख) शेयरधारियों को प्रति शेयर कितना लाभांश दिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) कंपनी द्वारा अर्जित लाभ और गत दो वर्षों अर्थात्, 1971-72 और 1972-73 के दौरान प्रतिशेयर वितरित लाभांश इस प्रकार है :—

वर्ष	शुद्ध लाभ	प्रतिशेयर लाभांश
	रु०	रु
1971-72 . .	3,18,18,292	16
1972-73	3,74,79,124	20

गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर कम्पनी में गुजरात सरकार की शेयर पूंजी

8698. **श्री बेकारिया :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर कंपनी में अपनी शेयर पूंजी 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस मामले में सरकार द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

जूनागढ़ से देलवाड़ा तक रेल लाइन को पुनः चालू करना

8699. **श्री बेकारिया :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूनागढ़ से देलवाड़ा तक रेलवे लाइन बन्द हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) इसे कब तक पुनः चालू किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) में कमर्शियल क्लर्कों के पदों का दर्जा बढ़ाने की मांग

8700. **श्री के० आर० मधुकर :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के 20 जून, 1970 के पत्र संख्या 70/टी०सी०/आर० सी० सी०/आई० एम० पी०/426 के द्वारा सभी जनरल मैनेजरों को परामर्श दिया गया है कि वे गुमशुदा माल के क्षतिपूर्ति दावों के निपटारे के लिये जांच समितियां की स्थापना के बारे में एक सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को कार्यान्वित करें ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के आदेशानुसार प्रत्येक रेलवे में इस संगठन के प्रभावी कार्यकरण के लिये कितने पदों की, जिनमें कमर्शियल कंट्रोलर के पद भी शामिल हैं अब तक डिवीजनवार मंजूरी दी गई है ; और

(ग) डिवीजनल कमर्शियल सुपरिटेंडेंट, धनबाद द्वारा रेलवे प्राधिकरण से बहुत समय पूर्व औचित्य बनाये जाने पर इसे संगठन में पदों की मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है ।

(ग) धनबाद मंडल में एक पद की मंजूरी दी गयी है ।

विवरण

जिन मामलों में परेषण गंतव्य स्टेशनों पर प्राप्त नहीं होते उनमें जांच करने के लिये संगठन के प्रभावी कार्य संचालन के वास्ते मंजूर किये गये पदों की मंडल वार संख्या, जिनमें वाणिज्यिक नियंत्रक शामिल हैं।

रेलवे	मंडल	पदों की संख्या
मध्य	बम्बई	1
	भुसावल	1
	नागपुर	1
	जबलपुर	3
	झांसी	3
		9
पूर्व	सियालदह	2
	हावड़ा	2
	आसनसोल	2
	धनबाद	1
	दानापुर	1
		8

रेलवे	मंडल	पदों की संख्या
उत्तर . .	इलाहाबाद	1
	बीकानेर	1
	दिल्ली	1
	फिरोजपुर	1
	जोधपुर	1
	लखनऊ	1
	मुरादाबाद	1
	मुख्यालय	1
		8
पूर्वोत्तर	इज्जतनगर	1
	लखनऊ	2
	वाराणसी	2
	समस्तीपुर	2
		7
पूर्वोत्तर सीमा . .	कटिहार	2
	अलीपुरदुवार जं०	1
	लमडिंग	1
	तिनसुखिया	1
	मुख्यालय	2
		7
दक्षिण	मद्रास	1
	ओलवक्कोड	2
	गुन्तकल्लु	1
	मैसूर	1
	मदुरै	1
	तिरुचिरापल्ली	1
	मुख्यालय	1
		8

रेलवे	मंडल	पदों की संख्या
दक्षिण मध्य	सिकन्दराबाद	1
	शोलापुर	1
	विजयवाड़ा	1
	हुबली	1
	मुख्यालय	1
		5
दक्षिण पूर्व	आद्रा	2
	बिलासपुर	2
	चक्रधरपुर	2
	खड़गपुर	2
	खोरधा रोड	2
	नागपुर	2
	बालतेरु	2
	मुख्यालय	2
		16
पश्चिम	बड़ोदरा	1
	अजमेर	1
	राजकोट	1
	भावनगर	1
	बम्बई सेंट्रल	1
	जयपुर	1
	कोटा	1
	रतलाम	1
	मुख्यालय	1
		9

वाणिज्यिक क्लर्कों के पदों के दर्जे को ऊंचा करने की प्रतिशतता में वृद्धि

8701. **श्री के० एम० मधुकर :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया रेलवे कमर्शियल क्लर्क्स एसोसियेशन ने नवम्बर, 1973 में अन्य मांगों के साथ-साथ वाणिज्यिक क्लर्कों के दर्जे को ऊंचा करने की प्रतिशतता को 45 से बढ़ाकर 75 करने के लिये अभ्यावेदन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे प्रशासन ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) पदोन्नति के अवसरों में सुधार की संभावना का पता लगाने के उद्देश्य से विभिन्न कोटियों में पदों के ग्रेडवार वितरण का पुनरीक्षण करने के लिये कार्रवाई शुरू कर दी गयी है ।

श्रेणी III के अनुसचिवीय कर्मचारियों के पदोन्नति कोटे में वृद्धि

8702. **श्री के० एम० मधुकर :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 नवम्बर, 1973 को रेलवे बोर्ड के सदस्य (कर्मचारी) के साथ बातचीत के दौरान आल इंडिया रेलवे मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसियेशन के प्रतिनिधियों ने श्रेणी III के अनुसचिवीय कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी कोटे में वृद्धि करने के बारे में श्री सी० एम० पुनाचा के आश्वासन को शीघ्र क्रियान्वित करने सहित अनुसचिवीय कर्मचारियों की अन्य समस्याओं के बारे में एक नोट प्रस्तुत किया था ; और

(ख) यदि हां, तो अनुसचिवीय कर्मचारियों का दर्जा बढ़ाये जाने के बारे में टिप्पणियों (नोटों) की प्रत्येक मद को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) पदोन्नति के अवसरों में सुधार की संभावना का पता लगाने के उद्देश्य से विभिन्न कोटियों में पदों के ग्रेडवार वितरण का पुनरीक्षण करने के लिये कार्रवाई शुरू कर दी गयी है ।

दिसम्बर, 1973 में पूर्वी और पूर्वोत्तर जोनों के अनुसचिवीय कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

8703. **श्री के० एम० मधुकर :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी और पूर्वोत्तर जोनों के अनुसचिवीय कर्मचारियों ने 3 दिसम्बर, 1973 से 7 दिसम्बर, 1973 के बीच कार्यालयों के मुख्य अधिकारियों के समक्ष प्रदर्शन किया और रेलवे बोर्ड को अपने

विचार और भावनाएं प्रेषित करने के लिये भारी संख्या में कर्मचारियों ने मांग-पत्र प्रस्तुत किये थे ; और

(ख) यदि हां, तो मांगों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। पूर्व रेलवे के लिपिक-वर्गीय कर्मचारियों ने आसनसोल के मंडल कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था और एक ज्ञापन दिया था, जबकि कई अन्य स्थानों पर केवल मांग-पत्र दिये गये थे ।

(ख) ज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न मांगें नीचे बतायी गई हैं :—

(1) छियानवे प्रतिशत ग्रेड उन्नयन ।

(2) आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी ।

(3) सभी रेल कर्मचारियों को बोनस ।

(4) सभी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना ।

(5) कुशलता रोध परीक्षा, उपयुक्तता परीक्षा को हटाना/वरिष्ठता के अनुसार चयन और पदोन्नति ।

(6) भर्ती पर रोक हटाना ।

(7) विभागवार सभी ग्रेडों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिये मानदंड का निर्धारण ।

(8) भिन्न-भिन्न लिपिक ग्रेडों में छुट्टी रिजर्व का प्रतिशत नये सिरे से निश्चित करना और छुट्टी रिजर्वों की संख्या को कार्यरत कर्मचारियों की संख्या से अलग करना ।

(9) प्रशासनिक/मंडल कार्यालयों के कर्मचारियों तथा कारखानों/शैडों के कर्मचारियों के काम के घंटों में समानता ।

(10) एक दिन के सामान्य काम के घंटे पूरे हो जाने के बाद प्रति घंटे के आधार पर समयोपरि भत्ते का भुगतान, आदि आदि ।

ऐसे मुद्दे समय-समय पर मान्यताप्राप्त श्रम संगठनों द्वारा उठाये जाते हैं और विभिन्न स्तरों पर स्थायी वार्ता तंत्र तथा संयुक्त परामर्श तंत्र की बैठकों में वार्ता द्वारा तय किये जाते हैं। इसके अलावा, किसी भी स्रोत से जिनमें गैर-मान्यताप्राप्त यूनियनें भी शामिल हैं, आने वाले प्रतिवेदनों पर समुचित विचार किया जाता है और जो कार्रवाई ठीक समझी जाती है, की जाती है । प्रशासन के समक्ष जो भी मांगें प्रस्तुत की जाती हैं उन पर वित्तीय साधन, नियमों और विनियमों की रचना, मांग को स्वीकार करने का औचित्य तथा उनके स्वीकार कर लेने पर होने वाली प्रतिक्रिया जैसी बातों को ध्यान में रखकर परम सहानुभूतिपूर्वक समुचित विचार किया जाता है ।

चोपान (पूर्व रेलवे) के लोको शेड और यार्ड से कोयले और अल्यूमिनियम की कथित चोरी

8704. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री के० एम० मधुकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चोपान (पूर्व रेलवे) के लोको शेड और यार्ड से कोयला और अल्यूमिनियम की चोरी की गंभीर घटनाओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वर्ष 1973 के दौरान और 15 अप्रैल, 1974 तक चोपान के लोको शेड और यार्ड से कोयले और अल्यूमिनियम की चोरी के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से तटदूर खदाई कार्य वापस लेने का प्रस्ताव

8705. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से तटदूर खुदाई कार्य वापस लेने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डीजल सप्लाई की स्थिति के कारण रेलवे को क्षति होना

8706. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल-सप्लाई की स्थिति के कारण रेलवे को हानि पहुंचेगी : और

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे में इसके बढ़ते हुए उपयोग को कम किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) रेलों की पांचवीं योजना के कर्षण कार्यक्रम में विद्युतीकरण की अनुकूलतम दर और उपलब्ध भाप-इंजनों के अधिकतम उपयोग का ध्यान रखा गया है ।

रेलें अपना प्रत्याशित यातायात का लक्ष्य पूरा कर सकें, इसके लिये रेलों की डीजल तेल की आवश्यकता को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जायेगा ।

ईरान से अशोधित तेल के आयात की विनिमय दर पर मुआवजा

8707. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री अनादिचरण दास :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान ने संकेत दिया है कि अशोधित तेल मूल्य की विनिमय दर पर मुआवजा नये अन्तरण मूल्य (ट्रांस्फर प्राइस) पर लागू नहीं होगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस रवैये पर भारत को निराशा हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पेट्रोल पम्पों पर सप्लाई किये गये मिट्टी के तेल की चोर बाजारी

8708. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेष रूप से दिल्ली और उड़ीसा में, पेट्रोल पम्पों पर मिट्टी के तेल की सप्लाई उचित ढंग से नहीं की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो अनेक बेईमान व्यक्ति अधिक मात्रा में मिट्टी का तेल प्राप्त करने की व्यवस्था कर लेते हैं और उसे बहुत अधिक मूल्यों पर बेचते हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) मिट्टी के तेल की पेट्रोल पम्पों के माध्यम से सप्लाई अभी उड़ीसा में शुरू नहीं की गई है । दिल्ली में मिट्टी के तेल की पेट्रोल पम्पों तथा अन्य तरीकों से सप्लाई दिल्ली प्रशासन द्वारा राशन कार्डों पर नियमित की जाती है ।

(ख) और (ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को चोर बाजारी तथा अन्य जुर्म करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार है । इस बारे में जब कभी रिपोर्टें प्राप्त होती हैं, राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

भारतीय तेल टैंकर "वेलाडिला" का इटली के प्राधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाना

8709. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली के प्राधिकारियों ने 14 जनवरी, 1974 को भारतीय तेल टैंकर 'वेलाडिला' को रोम के निकट फूंलमिसिनो पत्तन पर पकड़ लिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कुछ अशोधित तेल समुद्र में रह गया था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) इस संबंध में नौवहन और परिवहन मंत्रालय के उप मंत्री द्वारा लोक सभा में दिनांक 25-2-74 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 676 के उत्तर को देखा जाय ।

भारत में कोयले से अशोधित तेल निकालने में अमरीका द्वारा रूचि लेना

8710. **श्री एन० शिवप्पा:**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत में कोयले से अशोधित तेल निकालने के प्रयास में रुचि दिखाई है ; और

(ख) किन किन अन्य देशों ने इस संबंध में खोज के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) कोयले से अशोधित तेल के निष्कर्षण के संबंध में इस मंत्रालय में अमरीका से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । कोयला तरलीकरण संयंत्र की स्थापना के लिये दो जापानी फर्मों, मित्सुई कंपनी तथा मित्सुविशी कंपनी ने अपने विचार खान विभाग को बताये हैं । दोनों कंपनियों के विशेषज्ञों की सहायता से भारतीय कोयले के परीक्षण का कार्य जारी है ।

पणजी में उच्च न्यायालय की स्थापना

8711. **श्री प्रबोध चन्द्र :**
श्री एम० सुदर्शनम् :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पणजी में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिये सरकार से अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां ।

(ख) गोवा प्रशासन के परामर्श से मामले की जांच की जा रही है ।

आयात रोकने के लिए चिकनाई तेलों के व्यापार का भारतीयकरण करने का प्रस्ताव

8712. **श्री प्रबोध चन्द्र :**
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकनाई-तेलों का आयात रोकने के लिये उनके व्यापार का भारतीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) लुब्रिकेटिंग तेलों को ल्यूब वेस स्टाक तथा योगजों से बनाया जाता है, देश में 80% से ऊपर वेस स्टाक्ज का निर्माण किया जाता है तथा शेष भाग का आयात किया जाता है। (आयात घटाने के लिये इनमें से कुछ वेस स्टाकों को स्थानीय रूप से विकसित करने हेतु प्रयत्न जारी हैं) जब इस वर्ष के अन्त में हल्दिया शोधनशाला का ल्यूब खंड चालू हो जायेगा, वेस स्टाकों का आयात लगभग 5% तक कम हो जायेगा । प्रयोग किए गए तेलों को पुनः साफ करके मशीन में घुमा के, लुब्रिकेटिंग तेलों को सुरक्षित रखने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

Registered Trade Unions of Delhi flood Control

8713. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the number and names of the registered trade unions of the employee of Delhi Flood Control;

(b) their membership, separately;

(c) the name of the Union that has been recognised by the Chief Engineer, Flood Control so far; and

(d) the action being taken to provide relief and facilities to the workcharged staff in the Flood Control?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) There is only one registered trade union in the Delhi Flood Control Wing namely "Delhi Flood Control Mechanical Workers' Union". It has 105 members and has not been recognised by the Chief Engineer, Flood Control, Delhi Administration.

(d) The Delhi Administration has stated that all possible facilities, admissible under the rules, are being provided to the workcharged staff in the Flood Control Wing.

91/92 बीकानेर मेल में दिल्ली से सीकर के लिए तीसरे दर्जे का एक अतिरिक्त डिब्बा लगाने की मांग

8714. **श्री शिव नाथ सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 91/92 बीकानेर मेल में दिल्ली से सीकर के लिए तीसरे दर्जे का एक अतिरिक्त डिब्बा लगाने की निरन्तर मांग की जाती रही है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) सीकर और लोहारू के बीच के रेलवे स्टेशनों से दिल्ली और दिल्ली से सीकर और लोहारू के बीच के स्टेशनों के लिए टिकटों की बिक्री की औसत संख्या कितनी है; और

(ग) दिल्ली और सीकर के बीच चल रहे वर्तमान दो सवारी डिब्बों की क्षमता कितनी है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। दिल्ली और सीकर के बीच तीसरे दर्जे का एक अतिरिक्त सवारी डिब्बा चलाने का न तो यातायात की दृष्टि से औचित्य है और न परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक ही है, क्योंकि 91/92 बीकानेर मेल गाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बा लगाने की गुंजाइश नहीं है।

(ख) अप्रैल, 1973 से मार्च, 1974 तक की अवधि के बीच सीकर और लोहारू के और बीच के स्टेशनों से दिल्ली के लिए तथा दिल्ली से इन स्टेशनों के लिए बेचे गये टिकटों का दैनिक औसत क्रमशः 69 और 78 टिकट था।

(ग) इतना यातायात लोहारू के रास्ते सीकर और दिल्ली के बीच चलने वाले 2 सीधे सवारी डिब्बों अर्थात् पहले और दूसरे दर्जे के एक मिले जुले सवारी डिब्बे और एक आंशिक 3 टायर शयनयान द्वारा पर्याप्त रूप से सम्भाला जा सकता है। इन सवारी डिब्बों की कुल क्षमता पहले दर्जे की 10 शयिकाओं, दूसरे दर्जे की 24 शयन शायिकाओं और 66 सीटों की अथवा कुल 100 शयिकाओं सीटों की है।

सदूलपुर-हनुमानगढ़ सैक्शन पर पहाड़सर के निकट फ्लैग स्टेशन बनाने का निर्णय

8715. **श्री एस० एन० सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सदूलपुर-हनुमानगढ़ सेक्शन पर पहाड़सर गांव के निकट फ्लैग स्टेशन बनाने का निर्णय किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इसे चालू क्यों नहीं किया गया ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) पहाड़सर गांव के समीप एक फ्लैग स्टेशन खोलने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है। लेकिन इस स्थान पर एक हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

वर्ष 1973-74 में राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को मंजूरी

8716. **श्री शिव नाथ सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने वर्ष 1973-74 में राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण को कौन-कौन सी योजनाओं को मंजूरी दी है और कितनी योजनाएं अभी विचाराधीन हैं; और

(ख) क्या मंजूर की गई योजनाओं के कार्य में अच्छी प्रगति नहीं हो रही है, और यदि हां, तो कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 1973-74 के वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को 15 स्कीमें स्वीकृत की हैं। इन स्कीमों में 709 ग्रामों के विद्युतीकरण और 12,507 पम्पों के अर्जन के लिए 6.19 करोड़ रुपये की ऋण सहायता निहित है।

7.40 करोड़ रुपये की 15 और स्कीमों को राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रायोजित किया गया था। इनमें दो स्कीमों को निगम द्वारा निर्धारित किए गए निर्देशनों के अनुसार संशोधन करने के लिए राज्य बिजली बोर्ड को वापस भेज दिया गया है। 6.03 करोड़ रुपये की शेष स्कीमें निगम के विचाराधीन हैं।

(ख) निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमें पांच वर्ष तक की अवधि में पूर्ण होने के लिए चरणबद्ध की गई हैं। ये स्कीमें 1973-74 में स्वीकृत हुई हैं और कार्यान्वयन के प्रारम्भिक चरणों में हैं।

जयपुर में उच्च न्यायालय की बैंच की स्थापना की मांग

8717. **श्री शिव नाथ सिंह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिवक्ताओं सहित एक हजार से अधिक व्यक्तियों का शिष्ट मन्डल जयपुर में उच्च न्यायालय की बैंच की स्थापना के सम्बन्ध में उनसे तथा प्रधान मंत्री से मिला था;

(ख) क्या उन्हें आश्वासन दिया गया था कि इस मामले में शीघ्र और सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है और कब तक निर्णय कर लिया जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) **और** (ग) जयपुर में उच्च न्यायालय बेंच के प्रत्यावर्तन के लिए कई अभ्यावेदन और ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। चूंकि इस प्रश्न पर कि क्या उच्च न्यायालय की, इसके प्रधान स्थान से भिन्न स्थान पर कोई बेंच होनी चाहिए, उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रथमत: राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाना है, अत: ज्ञापन और अभ्यावेदन राज्य सरकार को उसकी राय के लिए अग्रेषित कर दिए गए हैं। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

विदेशी भेषज फर्मों द्वारा धन का प्रत्यावर्त्तन

8718. **श्री गजाधर मांझी :**

श्री भालजीभाई परमार :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (25 प्रतिशत से अधिक साम्य पूंजी वाली) विदेशी फर्मों ने गत तीन वर्षों में 'बल्क' भेषजों और फार्म्यूलेशनों के अनाधिकृत उत्पादन के कारण कितनी विदेशी मुद्रा का प्रत्यावर्त्तन किया है;

(ख) कम्पनीवार मदों का ब्यौरा अनाधिकृत उत्पादन की मात्रा क्या है और कितनी विदेशी मुद्रा का प्रत्यावर्त्तन किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन विदेशी कम्पनियों को यह कहने का है कि वे विदेशी मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक को वापस अदा करें; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना का संकलन करना संभव नहीं है क्योंकि इस बारे में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। दोनों भारतीय तथा विदेशी फर्मों द्वारा औषधों का अधिक उत्पादन किये जाने से ऐसे प्रपुंज औषधों एवं सूत्र-योगों के आयात में कमी हुई है।

अलाटी माता-पिता को आवंटित आवास में रखने के लिये मंजूरी

8719. **श्री मालजीभाई परमार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किशनगंज और दिल्ली की अन्य रेलवे कालोनियों में अपने अलाटी माता-पिता को आवंटित आवास में जो रेलवे कर्मचारी रहते हैं, उन्हें अपने माता-पिता के साथ सरकारी आवास में रहने की अनुमति नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे रेलवे कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जो रेलवे आवास समिति द्वारा आवंटित आवास में अपने माता-पिता के साथ रह रहे हैं और अपने माता-पिता की आवंटित आवास में साथ रहने के कारण जिन्हें मकान किराया भत्ता नहीं मिलता ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए धनराशि की व्यवस्था

8720. **श्री अर्जुन सेठी : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैतरणी नदी (उड़ीसा) में बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए, नदी पर जलाशय बना कर, चौथी योजना की सीमा के बाहर कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है; और

(ख) वहां पर बाढ़ नियंत्रण उपायों को पूरा करने के लिए पांचवीं योजना में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) वैतरणी पर भीमकुंड जलाशय परियोजना को कार्यान्वयन के लिए अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है। चतुर्थ योजना के दौरान परियोजना के लिए कोई केन्द्रीय वित्तीय सहायता नहीं दी गई थी। इस स्कीम को राज्य की पांचवीं योजना में शामिल नहीं किया गया है।

बिहार में पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में सिंचाई सुविधाएं

8721. **श्री सुख देव प्रसाद शर्मा : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में बिहार को सिंचाई सुविधाएं देने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) बिहार की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में नई स्कीमों के साथ-साथ 14 वृहत तथा 26 मध्यम संतत स्कीमों को शामिल किया गया है। 1974-75 में इन स्कीमों पर स्वीकृत परिव्यय 36.39 करोड़ रुपये है। इनसे 1.5 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई शक्यता उत्पन्न होने की संभावना है।

Consultations with State Governments on Distribution of Furnace Oil to Small Scale Industries

8722. **Shri Devinder Singh Garcha:**

Shri Bhaoosahaib Dhamankar:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to State:

(a) whether distribution of furnace oil will be regulated through quota to organised and small scale sector industries;

(b) whether State Governments have been consulted for cooperation and distribution of this oil to their own industries; and

(c) the quantity required for consumption both by Centre and the States and how much is produced in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) At present oil companies are supplying upto 90% of existing customers requirements based on their 1973 offtakes. Supplies in future will be arranged on the basis of guidelines suggested by the Standing Committee on furnace oil.

(b) Yes Sir.

(c) Of the total estimated demand of about 8 million tonnes for heavy ends including furnace oil during 1974-75 indigenous production is estimated at 5.00 million tonnes. This is as per the latest indications of foreign exchange availability for import of crude oil and petroleum products during the year.

समुद्री-भूमि-कटाव रोकने संबंधी योजनाओं के लिये महाराष्ट्र को सहायता

8723. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान समुद्री-भूमि-कटाव रोकने सम्बन्धी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को कोई सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गई है और किन-किन परियोजनाओं के लिए सहायता दी गई है;

(ग) क्या पांचवीं योजना की अवधि के दौरान समुद्र से होने वाले भूमि-कटाव को रोकने के लिए महाराष्ट्र राज्य को कोई सहायता देने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है और किन-किन परियोजनाओं के लिए सहायता देने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान सरकार उम्मीदवारों का राजनैतिक दलों द्वारा किया गया खर्च

8726. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए चुनावों के दौरान सरकार, उम्मीदवारों तथा राजनैतिक दलों द्वारा पृथक्-पृथक् कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) चुनावों को कम खर्चीला बनाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं और उसके परिणाम-स्वरूप कितनी बचत हुई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) अभी हाल ही में हुए निर्वाचनों पर सरकार द्वारा 3,49,00,000 रु० (लगभग) व्यय किए गए।

जहां तक अभ्यर्थियों द्वारा किए गए व्यय का सम्बन्ध है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अधीन रिपोर्टें सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

विधि में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके द्वारा राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा की जाए कि वे निर्वाचनों के सम्बन्ध में उनके द्वारा किए गए व्यय की रकम की सूचना दें।

(ख) किसी राज्य में निर्वाचन के सम्बन्ध में व्यय निम्नलिखित कारणों से होता है :—मुख्य निर्वाचन आफिसर के कार्यालय और जिला कार्यालयों में निर्वाचन कर्मचारियों का नियोजन, निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना और उनका पुनरीक्षण, मतदान पेटियों और अन्य निर्वाचन सामग्री का भंडारकरण और उनका परिरक्षण और निर्वाचनों का वास्तविक संचालन। इस व्यय में निर्वाचन-कार्य में लगाए गए सरकारी कर्मचारियों और अन्यों को भत्तों का संदाय भी सम्मिलित है। अतः उस व्यय की रकम में कमी करने के लिए कोई उपाय करना न तो व्यवहार्य ही है और न समीचीन ही जो किसी राज्य में निर्वाचन कराने सम्बन्ध में, विशेष रूप से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, अपेक्षित सामग्री के खर्च में सामान्य वृद्धि और निर्वाचन कार्य में लगाए गए कर्मचारियों को संदत्त की जाने वाली उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक और अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। यह सामान्य तथ्य उत्तर प्रदेश में अभी हाल में हुए निर्वाचनों के मामले में भी समान रूप से लागू होता है।

तथापि, निर्वाचनों को कम खर्चीला बनाने की दृष्टि से, निर्वाचन विधियों के लिए नियुक्त संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट के भाग I में यह सिफारिश की है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को संशोधित किया जाना चाहिए। तदनुसार, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1973 पुरःस्थापित कर दिया गया है और वह लोक सभा में विचाराधीन है।

बिजली की दरों पर उपकर लगाने का प्रस्ताव

8727. **श्री बी० बी० नायक :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिजली की दरों पर उपकर लगाने और उसके विकास में सहायता करने के लिए जहां पन-बिजली पैदा होती है, उन क्षेत्रों में लगाने के लिए कोई प्रस्ताव मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दादरा और नगर हवेली में मिट्टी के तेल की कमी

8728. **श्री आर० आर० पटेल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादरा और नागर हवेली में मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो वहां की आवश्यकतानुसार मिट्टी के तेल की सप्लाई करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, और

(ग) क्या सरकार राशन कार्डों पर तेल बांटने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को निर्देश देगी;

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) डीजल तेल की मांग में वृद्धि हो जाने के कारण डीजल तेल का अधिकतम उत्पादन करने के लिये शोधनशालाओं के मिट्टी के तेल के उत्पादन में कमी करनी पड़ गई थी। अतः राज्यों के मिट्टी के तेल के कोटे में कमी करनी पड़ी थी। अप्रैल के लिये सभी राज्यों को दिये गये कोटे में 25 प्रतिशत की कटौती करनी पड़ी थी। मिट्टी के तेल के कोटे में की गई कटौतियों के जून 1974 तक बने रहने की आशा है।

(ग) इन कटौतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को वितरण के उचित प्रबन्ध करने का परामर्श दिया गया है। तथापि, इस बारे में किये जाने वाले प्रबन्धों के बारे में निर्णय सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा लिया जायेगा।

पांचवीं योजना के दौरान दादरा और नगर हवेली में बिजली की स्थिति को सुधारने के लिये मंजूर की गई धनराशि

8729. **श्री आर० आर० पटेल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दादरा और नगर हवेली में पांचवीं योजना के दौरान बिजली की स्थिति सुधारने के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : पांचवीं योजना के आकार और ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

बिजली की कमी के कारण दादरा और नगर हवेली में उद्योगों का बन्द होना

8730. **श्री आर० आर० पटेल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादरा और नगर हवेली में बिजली की गम्भीर कमी है और इस कारण उनके कारखाने बन्द हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में बिजली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। बहरहाल, वोल्टता कम होने की शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ख) वापी के निकट अतुल में 132 कि०वो० उप-केन्द्र के चालू होने से वोल्टता में सुधार हो जाएगा।

बिजली की आवश्यकता और उसके उत्पादन के बारे में सर्वेक्षण

8731. **श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हाल ही में देश में बिजली की आवश्यकता और उसके उत्पादन के बारे में एक सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सम्बन्धित राज्यों में इस कमी को दूर करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) अन्तिम रूप दिए जा रहे पांचवीं योजना के प्रस्तावों के आधार पर 9वें वार्षिक बिजली सर्वेक्षण के तत्वावधान में एक व्यापक अध्ययन किया जा रहा है। इस अध्ययन से छोटी अवधि के लिए तथा 10–15 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत् की आवश्यकता तथा उपलब्धता का पता चलाना अपेक्षित है। इस अध्ययन से भावी योजनाओं को इस ढंग से तैयार किया जाना सम्भव होगा जिससे विद्युत् की कमी को यथाव्यवहार्य शीघ्रातिशीघ्र समाप्त किया जा सके।

पांचवीं योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 16.55 मेगावाट (शुद्ध) के योग का लक्ष्य रखा गया है तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं।

डीजल और मौबिल आयल की आवश्यकता और उपलब्धि

8732. **श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डीजल और मौबिल आयल की कुल कितनी आवश्यकता है;

(ख) क्या वर्तमान उपलब्धि हमारी आवश्यकता के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो इसकी पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उक्त पदार्थों की वितरण पद्धति क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) देश में प्रत्येक पैट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, उपभोग, आदि के बारे में कोई सूचना बताना जन-हित में नहीं होगा।

(ख) और (ग) वर्ष 1974-75 के दौरान अशोधित कच्चे तेल तथा अन्य पैट्रोलियम उत्पादों को आयात करने हेतु विदेशी मुद्रा की उपलब्धि के वर्तमान संकेतों के आधार पर मध्यवर्ती आस्तुतों की उपलब्धि आवश्यकता से कम होगी। इसलिए खपत में ठोस कटौती करने के लिए, इन उत्पादों के प्रयोग में अधिक-से-अधिक बचत करनी होगी। खाना बनाने के लिए सोफ्ट कोक के प्रयोग तथा रोशनी के

लिए गांवों में बिजली लगाने के कार्य को बढ़ावा देकर मिट्टी के तेल के प्रयोग में सशक्त कमी करनी होगी। जहां तक लुब्रिकैंट्स का प्रश्न है, बेस आयलों, योगजों, आदि के योजनाबद्ध आयात द्वारा, किसी भी प्रकार की कमी उत्पन्न होने की आशा नहीं है।

(घ) समस्त देश में तेल कम्पनियों के फैले फुटकर बिक्रेताओं द्वारा हाई स्पीड डीजल आयल की बिक्री की जाती है। कृषि क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में एच० एस० डी० की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु कुछ राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों के अतिरिक्त इन फुटकर पम्पों द्वारा एच० एस० डी० की बिक्री करने में किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं लगाए गए हैं। तेल कम्पनियों बड़े और छोटे उपभोक्ताओं को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अपने वितरकों तथा फुटकर विक्रेताओं द्वारा लुब्रिकेटिंग आयल को प्रत्यक्ष रूप से बिक्री करती है।

जल संसाधनों का विकास करने के लिये विकसित प्रौद्योगिकी

8733. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जल संसाधनों का विकास करने का कोई प्रयास किया गया है, जिसको अनेक विकसित राष्ट्रों ने सफलतापूर्वक अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किये गये प्रयास का क्या परिणाम प्राप्त हुआ; और

(ग) इसे किस सीमा तक भारत में लागू किया जा सकता है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विकसित राष्ट्रों की आधुनिक प्रौद्योगिकी को भारतीय स्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए इसमें उपयुक्त संशोधन करने की आवश्यकता होती है। ऐसा किया जा रहा है। इसके परिणाम-स्वरूप वृहत् जल संसाधन परियोजनाओं का आयोजन किया जा रहा है और ये तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से अधिक सही है।

पश्चिम बंगाल में सिंचाई और विद्युत् परियोजनाएं

8734. **श्री गदाधर साहा** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) पश्चिम बंगाल के लिए इस समय कितनी सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार को गत दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा मांगी गई सहायता की तुलना में कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(घ) वित्तीय वर्ष 1974-75 में राज्य सरकार को कुल कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) पश्चिमी बंगाल में ऐसी कोई सिंचाई या विद्युत् परियोजना नहीं है जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही हो।

(ख) पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय सिंचाई परियोजना के लिए किसी प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार विचार नहीं कर रही है। केन्द्रीय क्षेत्र में फरक्का में एक ताप विद्युत् केन्द्र को पांचवीं योजना के दौरान प्रतिष्ठापित करने का विचार है।

(ग) और (घ) चौथी योजना में राज्य योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता समग्र राज्य के लिए ब्लाक ऋणों तथा अनुदान के रूप में दी गई थी तथा वह किसी परियोजना विशेष अथवा विकास-शीर्ष से सम्बद्ध नहीं थी। बहरहाल, पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार का उनकी वार्षिक योजनाओं 1972-73 तथा 1973-74 के लिए दी गई सहायता क्रमशः 46.34 करोड़ रुपये तथा 44.94 करोड़ रुपये थी। उनकी वार्षिक योजना 1974-75 हेतु दी जाने के लिए प्रस्तावित सहायता 44.94 करोड़ रुपये हैं।

रेल प्रशासन की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण

8735. **श्री अनादिचरण दास :**

श्री डी० पी० देसाई :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करने तथा रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या को कम करने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) लेकिन, महाप्रबन्धकों को अतिरिक्त अधिकार देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

बम्बई हाई और खम्भात में तेल के भारी भण्डार

8736. **श्री डी० डी० देसाई :**

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान रूस के भूवैज्ञानिक तथा तेल विशेषज्ञ प्रो० कालिनिन के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि खम्भात क्षेत्र में भूमि पर और तट-दूर क्षेत्रों में अध्ययनों से सिद्ध हो गया है कि भारत के लिए इस क्षेत्र में काफी संभावनायें है;

(ख) क्या उन्होंने सुझाव दिया है कि नये क्षेत्रों और नए प्रकार के निक्षेपों का पता लगाने लिए अधिक जोरदार प्रयत्न करने चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार को इस मामले की अच्छी तरह जानकारी है और तेल को अन्वेषण करने के लिए प्रत्येक कोशिश की जा रही है।

आसाम में चौथी योजना में बिजली उत्पादन का लक्ष्य

8737. **श्री तरुण गोगोई :**

श्री निहार लास्कर :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिजली के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वह लक्ष्य से कितना कम था ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ग) चतुर्थ योजना के अन्त तक 141.5 मैगावाट के लक्ष्य के प्रति 111.5 मैगावाट की प्राप्ति हुई है।

(ख) यह कमी नामरूप ताप विद्युत् केन्द्र विस्तार (30 मैगावाट) परियोजना के लिए उपस्कर की सप्लाई में देरी होने के कारण आई है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में आसाम में बनाई गई नई रेल-लाइनें

8738. **श्री तरुण गोगोई :**

श्री निहार लास्कर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम राज्य में चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी नई रेल-लाइनें आरम्भ की गई; और

(ख) इनमें कितनी अभी पूरी नहीं हुई हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान असम राज्य में किसी नयी रेल लाइन के निर्माण का काम नहीं शुरू किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल कर्मचारियों द्वारा धनबाद के उपायुक्त के समक्ष 21 जनवरी, 1974 को प्रदर्शन

8739. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री के० एम० मधुकर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों द्वारा धनबाद के उपायुक्त के समक्ष 21 जनवरी, 1974 को विशाल प्रदर्शन किया गया था और एक ज्ञापन दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

डिप्टी डिवीजनल सुप्रिंटेंडेन्ट, धनबाद द्वारा कर्मचारी समन्वय समिति, धनबाद के ज्ञापन लेने से इंकार

8740. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री के० एम० मधुकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री चिनमय, मुखर्जी, विधायक, धनबाद से 18 जनवरी, 1974 का तार मिला है जिसमें डिवीजनल रेलवे कर्मचारियों की समन्वय समिति का ज्ञापन डिप्टी डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट, धन बाद द्वारा लेने से इन्कार का उल्लेख है जो वे हजारों रेल-कर्मचारियों के 17 जनवरी, 1974 को किए गए विशाल प्रदर्शन के दौरान देना चाहते थे और जो अन्ततः एस० डी०ओ० धनबाद को दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और धनवाद से एस०डी०ओ० तथा उपायुक्त की रिपोर्ट और टिप्पणियां क्या हैं;

(ग) कर्मचारियों की शिकायतें और मांगों सम्बन्धी ज्ञापन लेने सम्बन्धी सरकारी नीति क्या हैं; और

(घ) उक्त ज्ञापन में उल्लिखित प्रत्येक मांग पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) धनबाद के मण्डल कार्यालय के सामने रेल कर्मचारियों के एक दल द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया था। यह दल भड़का हुआ था और अधिकारियों को गालियां दे रहा था । वे लोग एक अधिकारी का पुतला भी लाये थे जिसे बड़े भद्दे ढंग का हार आदि पहना रखा था। चूंकि मण्डल अधीक्षक वहां पर मौजूद नहीं थे इसलिए जिला इंजीनियर कर्मचारियों से मिलने के लिए गये। कर्मचारियों ने उन्हें कोई ज्ञापन नहीं दिया बल्कि गन्दी भाषा का उपयोग करते हुए उनका अपमान किया। इसके बाद इमारत में पूर्ण रूप से अव्यवस्था फैल गयी जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय मैजिस्ट्रेट को भी पुलिस की सहायता से हस्तक्षेप करना पड़ा।

एस०डी०ओ० तथा डिप्टी कमिश्नर, धनबाद की रिपोर्ट रेलवे को नहीं मिली है।

(ग) मान्यता प्राप्त यूनियनों से ज्ञापन लिये जाते हैं और उन पर कार्रवाई की जाती है। उनकी मांगों पर स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र द्वारा विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श भी किया जाता है।

मान्यता रहित यूनियनों से मिलने वाले ज्ञापन पर भी समुचित विचार किया जाता है और यथा संभव कार्रवाई की जाती है। उन्हें आमतौर पर दस्ती नहीं लिया जाता।

(घ) जैसा कि पहले बताया गया है यह ज्ञापन प्रशासन को नहीं दिया गया था।

धनबाद डिवीजन के रेलवे अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए नियत और खर्च किया गया धन

8741. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री के० एम० मधुकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए धन के नियतन के बारे में क्या नीति अपनाई जाती है;

(ख) वर्ष 1971-72 और 1973 में धनबाद डिवीजन में रेलवे अस्पताल और प्रत्येक स्वयं केन्द्र के लिए कितनी-कितनी राशि नियत की गई तथा व्यय की गई;

(ग) उक्त अस्पताल और प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र में 1971, 1972 और 1973 में कुल कितने-कितने वहिरंग रोगी पंजीकृत किए गए; और

(घ) धनबाद डिवीजन में स्थित रेलवे अस्पताल और प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षेत्र में कुल कितने रेल-कर्मचारी और उनके आश्रित रहते हैं और इस डिवीजन में ठीक-ठीक जनगणना करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :(क) धन का आबंटन अस्पताल में खाटों की संख्या और वहां के रोगियों की संख्या के अलावा स्थानीय परिस्थितियों और उस स्थान तथा वहां के लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है।

(ख) संलग्न विवरण I [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6876/74]। में धनबाद मण्डल के लिए आबंटित राशि और उसका व्यय दिखाया गया है । मण्डल अलग-अलग स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए धन का आबंटन नहीं करते। आवश्यकता के अनुरूप ही कर्मचारियों की स्वीकृति दी जाती है और तदनुसार ही औषधियों और भण्डार की व्यवस्था की जाती है।

(ग) विवरण II संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-6877/74]

(घ) विवरण III संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-6877/74] अन्य स्थानों की भांति धनबाद मण्डल में चिकित्सा लाभ प्राप्त करने वाली रेलवे की आबादी का अनुमान लगाने का तरीका यह है कि उस स्टेशन पर जितनी संख्या में रेल कर्मचारी होते हैं, उसे पांच अर्थात् परिषद की औसत संख्या से गुणा कर लिया जाता है।

उद्योगों को भट्टी तेल की सप्लाई में 20 प्रतिशत की कटौती

8742. **श्री निहार लास्कर :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उद्योगों को भट्टी तेल की खपत में 10 प्रतिशत की कटौती बढ़ा कर 20 प्रतिशत की जाने वाली है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में इसे अपनी खरीद में अधिक कठिनाई पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ग) इससे हमारे औद्योगिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) प्रतिमाह संभावित उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए, भट्टी के तेल की सप्लाई में माह के माह के आधार पर कटौती करने का निर्णय किया जाता है।

(ख) और (ग) वर्ष 1973 की कुल खरीद के आधार पर, जनवरी 1974 से तेल कंपनियां उपभोक्ता मांगों को 90% तक पूरा कर रही है। शेष 10% की उत्पादन की प्रभावित किए बिना भट्टी

तेल के उपयोग में बचत साधनों के प्रयोग द्वारा, बचाने का अनुमान है । तथापि आगामी माहों में भट्टी तेल की उपलब्धि में होने वाली अनुमानित कमी को ध्यान में रखते हुए, मई 1974 से कुछ विशिष्ट उद्योगों के लिए यह कटौती अतिरिक्त 10% की करनी होगी।

महाराष्ट्र के पिराई कारखानों के सम्मुख माल डिब्बों की कमी की स्थिति

8743. **श्री धामनकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिनौले के तेल तथा खली के ढुलाई के लिये माल-डिब्बे उपलब्ध न होने के कारण महाराष्ट्र के पिराई कारखाने संकट का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली, कानपुर और कलकत्ते को 15 करोड़ रुपये मूल्य का तेल तथा खली ले जाने के लिये आवश्यक माल-डिब्बे उपलब्ध कराने हेतु तुरन्त ही कुछ कदम उठाये जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा शुरू किया गया विद्युत बचत अभियान

8744. **श्री धामनकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा प्रारंभ किये गये बिजली की बचत करने संबंधी अभियान से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो बिजली की कुल कितनी बचत हुई और हरियाणा को प्रतिदिन कितनी बिजली सप्लाई की गई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में बिजली की बचत करने के लिए दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा अपनाए गए विभिन्न उपायों से प्रतिदिन लगभग एक लाख यूनिट की बचत होनी थी। बहरहाल, बचत की सही मात्रा का मूल्यांकन करना संभव नहीं हो पाया है।

अप्रैल महीने (22 तारीख तक) के दौरान, दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान इन्द्रप्रस्थ केन्द्र में हरियाणा के अंश के अतिरिक्त उस राज्य को प्रतिदिन लगभग 1.4 लाख यूनिट बिजली सप्लाई करने में समर्थ हो पाया है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में गुजरात में रेलवे लाइनें के लिये गुजरात सरकार से प्रस्ताव

8745. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में नई रेल लाइनें बिछाने के लिये बहुत से प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उनमें से अधिकांश प्रस्ताव रद्द कर दिये हैं ;

(ग) यदि हां, तो राज्य में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी नई रेल लाइनें बिछाई जायेंगी; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी रेल लाइनें बिछाने का कार्य आरम्भ किया गया ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य में नयी लाइनें बनाने और आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए गुजरात राज्य सरकार की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रस्तावों के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :—

(I) भावनगर-तारापुर बड़ी लाइन—इस लाइन के लिए इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण शुरू करने के लिए बजट में व्यवस्था कर दी गयी है। जब प्रस्तावित सर्वेक्षण पूरे हो जायेंगे उसके बाद इन प्रस्तावों पर आगे विचार किया जायेगा।

(II) गांधीधाम-लखपत बड़ी लाइन—इस बड़ी लाइन/मीटर लाइन रेल सम्पर्क के लिए इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किये जा चुके हैं और रिपोर्टों की जांच की जा रही है।

(III) दिल्ली-अहमदाबाद मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव-सर्वेक्षण किये जा चुके हैं और रिपोर्टों की जांच की जा रही है।

(IV) अंकलेश्वर-राजपिपला छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव—जब नवागांव बांध परियोजना के संबंध में परिवहन की आवश्यकताओं को अपेक्षित सूचना, जिसका ब्यौरा गुजरात सरकार से मांगा गया है, मिल जायेगी उसके बाद ही इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

(V) भावनगर-महुआ छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव—अलाभप्रद शाखा लाइन समिति ने इस आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण की सिफारिश की है। जब अलाभप्रद शाखा लाइन समिति के सुझाव के अनुसार प्रारम्भ में किये गये 12 खंडों के सर्वेक्षण के मामलों को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा उसके बाद ही सर्वेक्षण करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(VI) छोटा उदयपुरा-प्रतापनगर और छुछापुरा-टखाला छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव-सर्वेक्षण किया गया है और रिपोर्ट विचाराधीन है।

(VII) नदियाद-कापड़वंज छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव और लाइन को मोडासा और शामलाजी रोड तक बढ़ाना—इस लाइन के आमान परिवर्तन और इसे मोडासा तक बढ़ाने और विकल्प के रूप में शामलाजी रोड से मोडासा और कापड़वंज तक मीटर लाइन के लिए सर्वेक्षण का काम जारी है।

(ग) समग्र रूप से पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बनायी जाने वाली नयी लाइनों के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए, यह बताना कठिन है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोई नयी लाइन बनायी जायेगी या नहीं।

(घ) गुजरात में चौथी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गयी थीं :—

(i) वीरभग्राम-ओखा/पोरबन्दर मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव (लम्बाई 55.7 कि० मी० लागत 42.92 करोड़ रुपये)

(ii) साबरमती और गांधीनगर के बीच एक नयी बड़ी लाइन (लम्बाई 27.85 कि० मी० लागत 2.85 करोड़ रुपये) :

गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी को हुई हानि

8746. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी को केवल दो मास की ही छोटी सी अवधि में 5 करोड़ रुपये की हानि हुई है,

(ख) क्या उक्त हानि उच्च तकनीकी अधिकारियों की कथित लापरवाही तथा अकुशलता के कारण हुई और यह सन्देह किया जाता है इन तकनीकी दोषों को दूर किये जाने के पूर्व ही अगले दो मास में पांच करोड़ रुपये की हानि और इस प्रकार 4 मास में कुल हानि 10 करोड़ रुपये हो जायेगी,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है, और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) 5 फरवरी से द्वितीय यूरिया संयंत्र के बंद हो जाने के कारण कम्पनी, जो साम्य साझेदारी का राज्य सरकार तथा जनता का एक संयुक्त उद्योग उपक्रम है, को प्रति दिन लगभग 800 मी० टन यूरिया के उत्पादन की हानि हुई है ।

(ग) और (घ) उपकरणों के टिटानियम तह के कम हो जाने से यूरिया रियेएक्टर से लीकेज होने के कारण इसे बंद करना पड़ा। हानि काफी थी, जिसमें अनेक प्रकार के मरम्मत कार्य की आवश्यकता थी जिसके लिए विशेषज्ञता तथा विशेषज्ञों की सेवाएं जापान उपकरणों के सप्लायरों से मंगाई गई। ये विशेषज्ञ इस समय खराबियों का पता लगाने तथा सुधार करने में लगे हैं । इस सम्बन्ध में कार्य को मई, 1974 के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है।

कम्पनी के निवेदन पर जापानी तकनीकीविदों की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा शीघ्र सहायता दी गई। मरम्मत सम्बन्धी कार्य के सम्बन्ध में प्रगति पर सरकार सतर्कता पूर्वक ध्यान दे रही है।

बिजली इंजीनियरों द्वारा आन्दोलन की धमकी

8747. **श्री पी० एम० मेहता :**

श्री बी० मायावान :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बिजली इंजीनियरों ने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के साथ समानता तथा सेवा की अच्छी शर्तों की मांग के लिए कोई नया आन्दोलन करने की धमकी दी है;

(ख) क्या अखिल भारतीय बिजली इंजीनियरों के संगठन ने इस बारे में कोई ज्ञापन प्रधान मंत्री को दिया है; और

(ग) यदि हां, तो मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पंत) : (क) से (ग) अखिल भारतीय इंजीनियर संघ ने इंजीनियरों और भारतीय प्रशासनिक सेवा के बीच असामनताओं को दूर करने के लिए 1-4-1974 को प्रधान मंत्री को लिखा था। उन्होंने यह भी लिखा था कि उनके उस पत्र को आई० ए० एस० के साथ असमानता को दूर करने के लिए उनके द्वारा उचित समझी गई कार्यवाही जिसमें सामूहिक आकस्मिक अवकाश, कार्य बन्द करना तथा अन्य कोई भी कदम उठाना सम्मिलित है, करने के निर्णय को नोटिस समझा जाए। इस मामले पर ध्यान दिया जा रहा है।

चौथी योजना में गुजरात में बिजली की कमी

8748. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार द्वारा प्रकाशित चौथी योजना के कार्यनिष्पादन की सरकारी समीक्षा में विद्युत् उत्पादन लक्ष्य में 350 मैगावाट की कमी पर प्रकाश डाला गया है ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात राज्य द्वारा चौथी योजना में बिजली की कितनी कमी का अनुभव किया गया;

(ग) इस बारे में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और उक्त लक्ष्य कितना प्राप्त हुआ; और

(घ) कमी के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चौथी योजना के दौरान 754 मेगावाट अतिरिक्त प्रतिष्ठापित क्षमता के योग का लक्ष्य रखा था जिसमें से 334 मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका।

(घ) यह उकई जल-विद्युत् तथा उकई ताप-विद्युत् परियोजनाओं के चालू होने में हुए विलम्ब के कारण हुआ। यह विलम्ब इन परियोजनाओं को उपस्कर की सप्लाई में हुई देरी के कारण हुआ था।

गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर कम्पनी के विस्तार की योजना

8750. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

श्री राम सहाय पांडे :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर कम्पनी के विस्तार की योजना को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मोटी रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) जी हां। मैसर्स गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी लि० को निम्नलिखित अतिरिक्त क्षमताओं के विस्तार हेतु बड़ौदा स्थित अपने वर्तमान उर्वरक संयंत्र में पर्याप्त विस्तार करने के लिए एक आशय पत्र दिया गया है।

उत्पादन	क्षमता
	(प्रतिवर्ष मी० टन में)
अमोनिया	4,45,500
यूरिया	5,28,000

विस्तार योजना को फीडस्टाक के रूप में इंधन तेल दिया जाएगा।

हल्दिया शोधनशाला के लिये फ्रांसीसी बिक्रेता के माध्यम से ईरानी अशोधित तेल की सप्लाई

8751. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया शोधनशाला को ईरानी अशोधित तेल फ्रांसीसी तेल विक्रेता के माध्यम से मिलने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो ईरान से सीधे अशोधित तेल न लेने के क्या कारण हैं; और

(ग) फ्रांसीसी विक्रेता द्वारा अनुमानतः कितना मूल्य मांगा गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) भारतीय तेल निगम द्वारा कच्चे तेल की सप्लाई करने का ठेका फ्रांस की तेल कंपनी-मैसर्स टोटल इन्टरनेशनल (प्राइवेट) लिमिटड को 29 सितम्बर 1967 को दे दिया गया था। तब से कच्चे तेल की सप्लाई स्थिति तथा मूल्यों में व्यापक परिवर्तन हो गए हैं। इसके परिणामस्वरूप फ्रांस की तेल कम्पनी से मूल्य निर्धारण संबंधी शर्त (क्लौज) के बारे में पुनः बातचीत करना आवश्यक हो गया है। इस शर्त (क्लौज) के बारे में पुनः बातचीत होने तक, लाईट इरानियन कच्चे तेल की कुछ मात्रा जिसके लिए नेशनल इरानियन, आयल कं० से सीधे प्राप्त करने के लिए हाल ही में ठेका किया गया था, तदर्थ आधार पर हल्दिया शोधनशाला के लिए प्राप्त कर ली गई है ताकि इस शोधनशाला को चालू करने में कोई विलम्ब न हो।

वर्ष 1971-72 और 1972-73 में पश्चिम बंगाल और आसाम में गैर-सरकारी तथा सरकारी लिमिटेड कम्पनियां

8752. **श्री ए० क० एम० इसहाक** :

हाजी लुतफुल हक :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 में पश्चिम बंगाल और आसाम में काम करने वाली गैर-सरकारी तथा सरकारी लिमिटेड कम्पनियों के नाम क्या हैं, उनमें प्रत्येक में कितनी पूंजी लगाई गई है

और उस अवधि में ऐसी कितनी कम्पनियां और फर्में पंजीकृत की गई और प्रत्येक की कार्यकारी पूंजी कितनी है; और

(ख) उक्त अवधि में बन्द हो गई या समाप्त हुई कम्पनियों की संख्या कितनी है और प्रत्येक की कार्यकारी पूंजी कितनी थी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत, संसद् के समक्ष प्रस्तुत की गई सांविधिक रिपोर्ट के अनुसार, 31-3-72 व 31-3-73 तक, पश्चिमी बंगाल एवं आसाम राज्यों में, अपनी प्रदत्त पूंजी सहित, हिस्सों द्वारा सीमित, प्राइवेट तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की संख्या नीचे दी गई है :—

31-3-72 तक	पश्चिमी बंगाल	आसाम
पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां	2485	95
प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां	6847	350
योग .	9332	445
प्रदत्त पूंजी (करोड़ रु० में)	667.3	54.5
31-3-73 तक		
पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां	2515	95
प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां	7195	370
योग . . .	9710	465
प्रदत्त पूंजी (करोड़ रु० में) . .	674.2	57.3

पश्चिमी बंगाल एवं आसाम राज्यों में, 31-3-72 व 31-3-73 तक, पंजीकृत, हिस्सों द्वारा सीमित तथा कार्यरत, प्राइवेट एवं पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के नामों एवं उनकी अलग-अलग प्रदत्त पूंजी की बाबत सूचना के संकलन में अत्यधिक समय तथा श्रम लगेगा। तथापि, विभाग ने भारत में 31-3-70 तक कार्य कर रही कम्पनियों की वर्णमालानुसार सूची तैयार की है, एवं यह सूची वर्तमान में मुद्रणान्तर्गत है।

पश्चिमी बंगाल एवं आसाम राज्यों में, 1971-72 व 1972-73 के वर्षों के मध्य, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत, हिस्सों द्वारा सीमित, पब्लिक तथा प्राइवेट लि०, दोनों कम्पनियों की संख्या की बाबत सूचना, नीचे दी जाती है :—

	1971-72	1972-73
पश्चिमी बंगाल . .	337	445
आसाम	32	26

इन कम्पनियों में से प्रत्येक के नाम एवं प्राधिकृत पूंजी, संलग्न विवरण-पत्र 1 में दिये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखियें सं० एल० टी०-6877/74]

फर्मों के विषय में, कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये राज्य सरकारों के विषयान्तर्गत हैं।

(ख) पश्चिमी बंगाल एवं आसाम राज्यों में, 1971-72 व 1972-73 के वर्षों के मध्य, परिसमापन द्वारा, अथवा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560(5) के अन्तर्गत उन्मूलित हो जाने से, कार्य करना बंद कर देने वाली कम्पनियों की संख्या की बाबत सूचना नीचे दी जाती है:—

	1971-72	1972-73
पश्चिमी बंगाल	69	68
आसाम	3	15

इन कम्पनियों के नाम तथा प्रदत्त पूंजी संलग्न विवरण-पत्र 2, में, दिये जा रहे हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिय सख्या एल० टी०-6877/74]

पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में निर्माता कम्पनियां

8753. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र में उन निर्माता कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनकी प्रदत्त पूंजी एक करोड़ रुपये और उससे अधिक है और जो एकाधिकार व्यापार निर्बन्धात्मक प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत आती हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) : सूची संलग्न है। [ग्रन्थायल में रखी गई। दखिए संख्या एल० टी०-6878/74]

वर्ष 1972–73 और 1973–74 के अन्त में पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ज्वाइंट स्टाक कम्पनियां

8754. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के अन्त में पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में काम कर रही ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) प्रत्येक वर्ष के अन्त में इन कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी कुल कितनी थी; और

(ग) उस अवधि में कितनी ज्वाइंट स्टाक कम्पनियां स्थापित की गई और उनकी प्रदत्त-पूंजी का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्यों में 31-3-1973 तक कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत दोनों ही पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, शेयरों द्वारा सीमित ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों की कुल संख्या उनकी कुल प्रदत्त पूंजी सहित, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सदन के पटल पर प्रस्तुत सांवधिक रिपोर्ट के अनुसार, निम्नप्रकार दी जाती है:—

(करोड़ रुपयों में)

1972-73

	संख्या	प्रदत्त पूंजी
पश्चिम बंगाल	9710	674.2
महाराष्ट्र	7676	914.5

वर्ष 1973-74 की अवधि की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) वर्ष 1972-73 और 1973-74 (30-9-74) तक की अवधि में पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्यों में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत दोनों ही, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, शेयरों द्वारा सीमित ज्वाइंट स्टाक कम्पनियां, उनकी प्राधिकृत पूंजी सहित निम्न प्रकार हैं:—

(लाख रुपयों में)

	1972-73		1973-74 (30-9-74 तक)	
	संख्या	प्राधिकृत पूंजी	संख्या	प्राधिकृत पूंजी
पश्चिम बंगाल	445	4947	267	28076
महाराष्ट्र	700	16998	425	5608

पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र में 10 करोड़ रुपये और इससे अधिक पूंजी निवेश वाले उपक्रम

8755. **श्री ए० के० एम० इसहाक :**

श्री देवेन्द्र नाथ महाता :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनमें 10 करोड़ रुपये और इससे अधिक का पूंजीनिवेश है; और

(ख) उनमें से प्रत्येक में सरकार के कितने हिस्से हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) सूचना संग्रह की जा रही है एवं यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

गैर-सरकारी क्षेत्र में दो बड़ी उर्वरक परियोजनाओं की मंजूरी

8756. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी देने से पूर्व सरकारी क्षेत्र में उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना की सम्भावना का पता लगाया था, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां पांचवीं योजना अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में पांच प्रायोजनाओं की कार्यान्विति का सिद्धांत रूप में पहले ही अनुमोदन कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मुजफ्फरपुर (उत्तर-पूर्व रेलवे) में रेलवे आयोग में कदाचार और भ्रष्टाचार

8757. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुजफ्फरपुर (उत्तर-पूर्व रेलवे) में रेलवे आयोग में व्याप्त कदाचार और भ्रष्टाचार का पता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आयोग के अध्यक्ष के विरुद्ध आरोपों के बारे में जांच की है;

(ग) रेलवे आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने के लिये क्या मापदंड अपनाया जाता है; और

(घ) क्या वर्तमान अध्यक्ष पर ये मापदंड पूरे उतरते हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) हाल में एक शिकायत मिली है जो सम्भवतः मुजफ्फरपुर या उसके आसपास के कुछ लोगों द्वारा अध्यक्ष, रेलवे सेवा आयोग के विरुद्ध तथा कथित कदाचार और भ्रष्टाचार के संबंध में है।

(ख) नियमानुसार इस गुमनाम शिकायत पर कोई जांच नहीं की जा रही है।

(ग) रेल सेवा आयोग (अध्यक्ष, सदस्य-सचिव, और सहायक सचिव) भर्ती नियम, 1970 के अनुसार रेलवे सेवा आयोग में अध्यक्ष का पद इस प्रकार भरा जायेगा :—

(i) या तो सीधी भर्ती द्वारा जिसके लिए शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव आदि के विवरण सहित उपयुक्त समझे जाने वाले व्यक्तियों के नाम का एक पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाता है जो उस पेनल में से एक उम्मीदवार को चुन कर उसके नाम की सिफारिश करता है। इन व्यक्तियों में सेवा निवृत्त रेलवेस/रकारी अधिकारी, संसद के भूतपूर्व सदस्य और सम्मानित व्यक्ति जैसे शिक्षा शास्त्री प्रमुख वकील आदि होते हैं।

(ii) या केन्द्र या राज्य सरकारों या रेलों के अधिकारियों के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा यह प्रवरण संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाता है।

प्रवरण का जो भी तरीका है, नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से उनकी सिफारिश के आधार पर की जाती है।

(घ) जी हां।

मैसर्स लारसन एण्ड टुबरो द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान ब्राउन बोवेरी के विक्री कार्य को अपने अधीन लेना

8758. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स लारसन एण्ड टुबरो मैसर्स हिन्दुस्तान ब्राउन बोवेरी के प्रमुख उत्पादों का विक्रय कार्य अपने अन्तर्गत ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक हित की दृष्टि से इस अन्तरण को रोकने का है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

ए० ई० एन० एम० डोरनाकाल के अन्तर्गत खलासियों की सेवाएं समाप्त करना

8759. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० ई० एन० एम० डोरनाकाल के अन्तर्गत 22 सी एम आर खलासियों की सेवायें यकायक समाप्त कर दी गई है जबकि वे 8-10 वर्ष का निरन्तर सेवाकाल पूरा कर चुके थे और अस्थायी स्तर प्राप्त कर चुके थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) ये नैमित्तिक श्रमिक 7-11-72 से लगातार नौकरी में थे। काम कम होने के कारण उन्हें 18-9-1973 से नौकरी से हटा दिया गया। जब उस क्षेत्र में नये निर्माण-कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे, तो उन्हें काम पर लगाने में तरजीह दी जायेगी।

8760. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियन केबिल्स कारपोरेशन लिमिटेड पर नियंत्रण का अधिकार डन्कन ब्रादर्ज के गोयन्का को ठीक कौन सी तारीख को प्राप्त हुआ;

(ख) एशियन कैबल्स कारपोरेशन के निदेशक मंडल के सदस्य (i) डन्कन ब्रादर्ज द्वारा अधिकार में लिये जाने के समय (ii) अधिकार में लिये जाने के तुरन्त बाद तथा (iii) वर्तमान समय, में कौन कौन हैं;

(ग) एशियन केबिल्स के मुख्य हिस्सेदार कौन हैं और उनमें से प्रत्येक के कितने रुपए के हिस्से (i) डन्कन ब्रादर्ज द्वारा अधिकार में लिये जाने के समय (ii) अधिकार में लिये जाने के तुरन्त बाद तथा इस समय हैं;

(घ) क्या पूर्वोक्त कम्पनी पर किसी समय भी कम्पनी अधिनियम तथा एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो किस प्रकार का उल्लंघन किया गया था ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) मैसर्स एशियन केबिल्स कारपोरेशन लिमिटेड के कुछ शेयर 13-6-1966 को या इससे पूर्व गोयन्का समूह द्वारा निम्न प्रकार अधिग्रहण किये गये थे :—

संख्या		शेयरों की संख्या	कुल की प्रतिशत
1.	डन्कन ब्रादर्स एण्ड कम्पनी लिमिटेड	20,000	9.82
2.	के० पी० गोयन्का एण्ड संस लि० .	14,700	7.21
3.	जयपुर इन्वैस्टमेंट कम्पनी लि०	16,050	7.98

(ख) 21-4-66 तक (ii) 21-4-66 के तुरन्त पश्चात् और (iii) इस समय निदेशक मडंल का संयोजन अनुलंग्नक I में दिया जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6879/74]

(ग) अपेक्षित सूचना अनुलग्नक II में दी जाती है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-6879/74]

(घ) कम्पनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र के पास उपलब्ध सूचना में दिखाया गया है कि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कम्पनी द्वारा रजिस्ट्रार, निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा को दी गई सूचना के अनुसार उसका अभी तक किसी अभिकर्ता या वितरक के साथ ऐसा अनुबन्ध नहीं है कि जो एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की विषय सीमा के अन्दर लिया जा सके।

(ङ) उत्पन्न नहीं होता।

Financial Assistance to Rajasthan for Electrification of Villages

8761. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased refer to the reply given to Unstarred Question No. 5270 on the 18th December, 1973 regarding financial assistance to Rajasthan for electrification of villages and state:

(a) the names of those 30 villages for whose electrification funds were provided to Rajasthan Electricity Board by the Rural Electrication Corporation, and

(b) the time by which these villages will be electrified?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) The Rural Electrification Corporation had sanctioned 39 schemes of Rajasthan State Electricity Board upto 30-11-1973. Details of these schemes are given in the statement enclosed. [Placed in the Library. See no L.T. 6880/74].

(b) The Schemes sanctioned by the Rural Electrification Corporation envisage electrification of 2203 villages. As per phased programme of the schemes. these villages are likely to be electrified upto the end of 1975-76.

Electrification of Tehsils in Rajasthan

8762. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the number of Tehsils in Rajasthan out of the total number there, electrified so far; and

(b) the number of tehsils in respect of which sanction for electrification has been given?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) There are 196 Tehsil Head-Quarters in Rajasthan. 185 have been electrified so far.

(b) The Rajasthan State Electricity Board has given sanction for electrification of one more Tehsil Head-Quarter.

Cancellation of trains running between Udaipur and Chittaurgarh

8763. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the train starting from Udaipur at 9.45 A.M. for Chittaurgarh and another train starting from Chittaurgarh at 3.45 P.M. for Udaipur stand cancelled for the last three months; and

(b) if so, the reason therefor and the time by which the said trains would be restored?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) These trains have been cancelled due to difficult coal position and their restoration will be considered when adequate stocks of coal have been built up and the position eases in this regard.

उड़ीसा कंक्रीट प्रोडक्टस लिमिटेड

8764. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**

श्री लुतफल हक :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा कंक्रीट प्रोडक्ट्स लिमिटेड के निदेशक मंडल का गठन क्या है;

(ख) कम्पनी के प्रमुख शेयरधारियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक के पास कितने-कितने मूल्य के कितने-कितने शेयर हैं;

(ग) क्या कम्पनी के कार्यकरण की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ख) कम्पनी द्वारा प्रस्तुत 30-9-73 तक की बनाई गयी वार्षिक विवरणी में यथा प्राप्य शेयर-धारियों के नाम नीचे दिये जाते हैं :--

1. उड़ीसा सरकार और उसके नमित	1,70,000
2. श्री सुधाकर दास	20,000
3. श्री बी० पी० रुंगटा . . .	1,00,000
4. श्रीमती विद्या रुंगटा धर्मपत्नी श्री बी० पी० रुंगटा	5,000
5. श्रीमती लता रुंगटा पुत्री श्री बी० पी० रुंगटा	5,000
योग .	3,00,000

प्रत्येक शेयर का नाम मात्र मूल्य 1/- रु० है।

(ग) तथा (घ) :

यद्यपि कम्पनी के कार्यों की कोई जांच-पड़ताल नहीं की गई किन्तू भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक श्री सुधाकर दास द्वारा कतिपय शिकायतों का राज्य-सरकार के परामर्श से और कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 209(4) के अन्तर्गत, सीमित निरीक्षण किया गया था।

आनन्द बाजार पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता

8765. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आनन्द बाजार पत्रिका, कलकत्ता के निदेशक मडल के कौन-कौन सदस्य हैं;

(ख) मुख्य हिस्सेदारों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक द्वारा धारित हिस्सों का मूल्य कितना है;

(ग) क्या इस कम्पनी के मामलों में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) : (क) से (ख) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

बालमीर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के स्वामित्व में परिवर्तन

8766. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालमीर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के स्वामित्व में हाल ही में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ख) बालमीर लारी एण्ड कम्पनी में इस समय सबसे बड़े शेयरधारी ग्रुप का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस ग्रुप के विरुद्ध कम्पनी कार्य विभाग में कोई शिकायतें की गई हैं?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान् जी। बालमीर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड हाल ही में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित, एक सरकारी कम्पनी हो गई है। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, बालमीर लारी एण्ड कम्पनी लि० के 100 रु० प्रति हिस्से की दर के कुल 1,44,030 हिस्सों में से एक सरकारी कम्पनी इन्डो बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड, के पास अकेले 1,15,306 हिस्से, एवं बालमीर लारी एण्ड कम्पनी लि० के निदेशकों के साथ साझे के 250 हिस्से हैं।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

चौथी योजना में राजस्थान के लिए बड़ी और माध्यम सिंचाई योजनाएं

8767. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में पांचवीं पचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि का आंवटन किया गया है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राजस्थान में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हाथ में ली जाने वाली बृहत् एवं मध्यम स्कीमों के ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ख) पांचवीं योजना के लिए इन स्कीमों पर अनन्तिम परिव्यय 133.95 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

वर्ष 1973–74 और 1974–75 में राजस्थान के ग्रामों का विद्युतीकरण

8768. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1973-74 के दौरान राजस्थान में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया और वर्ष 1974-75 में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) राजस्थान में सभी गांवों का विद्युतीकरण करने संबंधी कार्यक्रम कब तक पूरा हो जाएगा?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1973-74 के दौरान राजस्थान में 879 ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ। 1974-75 के दौरान लगभग 1000 और ग्रामों का विद्युतीकरण करना प्रस्तावित है।

(ख) राजस्थान में 32,241 ग्राम हैं। 5,791 ग्रामों का पहले ही विद्युतीकरण हो चुका है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इसका योग 8742 तक पहुचने की संभावना है। जबकि शेष ग्रामों को उत्तरोत्तर विद्युतीकरण किया जाना जारी रहेगा। यह बताना संभव नहीं है कि राजस्थान में सभी ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक पूरा हो जाएगा।

पिछली चार पंचवर्षीय योजनाओं में तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनें

8769. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पर्वतीय क्षेत्रों में पिछली चार पंचवर्षीय योजनाओं में कितने मील रेलवे लाइनें बिछाई गई और पांचवीं योजना में यदि उसका कोई कार्यक्रम है तो वह क्या है; और

(ख) देश भर में उसी अवधि के दौरान पृथक-पृथक योजना में निर्मित लाइनों में उसका प्रतिशत कितना है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6881-/74]**

विभिन्न राज्यों के लिये पेट्रोल और डीजल का कोटा

8770. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1974 को प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिये पेट्रोल और डीजल का वर्तमान कोटा कितना है ;

(ख) क्या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का इनमें से किसी एक वस्तु का हाल ही में कोटा कम किया गया है, और यदि हां, तो सम्बन्धित राज्य का नाम क्या है और कितनी कटौती की गई है ;

(ग) क्या इन राज्यों/संघों राज्य क्षेत्रों में से किसी से इन वस्तुओं की भारी कमी का समाचार मिला है; और

(घ) इस कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) सरकार द्वारा पेट्रोल तथा डीजल तेल के कोई राज्य-वार कोटे निश्चित नहीं किये जाते हैं।

(ग) पेट्रोल की कमी के बारे में किसी राज्य/संघीय क्षेत्र से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, डीजल तेल की मांग में भारी वृद्धि होने के कारण देश के कुछ भागों से डीजल की कमियों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(घ) (i) अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिये डीजल तेल का अधिकतम उत्पादन करने के लिये मिट्टी के तेल के उत्पादन में कमी कर दी गई है।

(ii) अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये डीजल तेल की कुछ विशिष्टयों में अस्थाई तौर पर ढील दी गई है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये नई रेलवे आवास बस्तियों का निर्माण

8771. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ श्रेणी रेलवे कर्मचारियों के उपयोग में आ रही पुरानी रेलवे बस्तियों के स्थान पर नई आवासीय बस्तियां बनाने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पंचवर्षीय योजना में इसका कोई चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(ग) इस बारे में क्या वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ; और

(घ) प्रत्येक ऐसे मामले में कुल कितना व्यय होगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) रेलवे की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में योजना शीर्षक 'कर्मचारियों के लिए क्वार्टर' के अन्तर्गत 40 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है। इसमें 10 करोड़ रुपये का वह परिव्यय भी शामिल है जो उन पुराने क्वार्टरों के स्थान पर सभी किस्म के कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण पर किया जायेगा जो अपनी सामान्य आयु बिता चुके हैं और जिनकी मरम्मत पर बहुत अधिक खर्च होता है । धन की उपर्युक्त सीमा के अन्तर्गत पांचवीं योजना में एक कार्य-क्रम के आधार पर क्वार्टर बनाये जायेंगे । आशा है कि बदलाव लेखे में लगभग 5000 यूनिट तैयार हो जायेंगे और इन में से लगभग 75 प्रतिशत क्वार्टर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रहने के लिए उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ।

पांचवीं योजना में पन-बिजली के उत्पादन के लिये मांगी गई विदेशी वित्तीय सहायता

8772. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत् उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से पांचवीं योजना में पन-बिजली के उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता के रूप में विदेशी सहयोग मांगा गया है ;

(ख) यदि हां, तो कहां-कहां से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त होने की संभावना है ; और

(ग) भारत में राज्य-वार विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितनी-कितनी सहायता की आवश्यकता है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) (1) सोवियत संघ आस्थगित अदायगी शर्तें और भारत-रूस वाणिज्यिक करार—रु० 3.2 करोड़ के लगभग (सी० आई० एफ०)

(2) कनाडा से ऋण और अनुदान-कैनेडियन डालर 4.972 मिलियन (एफ० ए० एस०)

(ग) (1) लिंगनामक्की जल विद्युत् परियोजना (कर्नाटक)—रु० 3.2 करोड़ के लगभग (सी आई० एफ०)

(2) कुंडा जल विद्युत् परियोजना चरण-चार (तमिलनाडु) —कैनेडियन डालर 4.972 मिलियन (एफ० ए० एस०)

लघु उद्योगों के लिये प्लास्टिक का कोटा

8773. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे लघु उद्योग हैं जो लघु उद्योग निदेशालय में पंजीकृत हुए बिना प्लास्टिक का सामान बना रहे हैं और निर्माताओं से प्लास्टिक का कोटा प्राप्त कर रहे हैं और उसे खुले बाजार में

बेंच रहे हैं जब कि अन्य पंजीकृत फर्मों को उक्त सुविधाओं से वंचित रखा जाता है जिसके कारण उन्हें कच्चा माल प्राप्त करने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार अपरिष्कृत प्लास्टिक का वितरण अपने अधिकार में लेने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो कब, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) प्लास्टिक का सामान बनाने वाले लघु पैमाने के ऐसे यूनिट हैं जो राज्य उद्योग निदेशालय में पंजीकृत नहीं हैं और देशीय कच्चे माल का उत्पादन करने वाले निर्माताओं से कच्चा माल प्राप्त कर रहे हैं । यदि यूनिटों को किसी आयातित नियंत्रित कच्चे माल की आवश्यकता नहीं है तो यह आवश्यक नहीं है कि वे अपने आप को राज्य उद्योग निदेशालय में पंजीकृत करवायें क्योंकि प्लास्टिक के कच्चे माल के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है, यह संभव है कि ऐसे यूनिट हों जो उद्योग निदेशालय में पंजीकृत नहीं हैं और कच्चा माल प्राप्त कर रहे हैं, इन यूनिटों द्वारा खुले बाजार में कच्चे माल की बिक्री किये जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) प्लास्टिक रेसिन्ज के वितरण को अधिकार में ले लिये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि सरकार कुछ ऐसे प्रबन्धों की जांच कर रही है ताकि सामान बनाने वाले लघु क्षेत्र के नये यूनिटों (अर्थात् वे यूनिट जो 1 जनवरी, 1970 को अथवा इस के पश्चात् पंजीकृत हुए हैं) को थरमोप्लास्टिक रेसिन्ज अर्थात् पी वी सी तथा पोलिएथीलीन के देशीय उत्पादन का कुछ भाग प्राप्त हो जाये ।

सौराष्ट्र क्षेत्र में गत छः महीनों में गाड़ियों का रद्द किया जाना

8774. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत् छः महीनों में सौराष्ट्र क्षेत्र में कितनी रेलगाड़ियां रद्द की गईं और किन-किन मार्गों पर रद्द की गईं :

(ख) गाड़ियों के रद्द किये जाने के क्या कारण थे ; और

(ग) उन्हें फिर से कब चालू किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) कोयले की विषम स्थिति के कारण पिछले छः महीनों में, भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए सौराष्ट्र प्रदेश में 69 जोड़ी गाड़ियां रद्द की गयी हैं । एक सूची संलग्न है जिसमें प्रभावित होने वाले खण्डों का विवरण दिया गया है ।

(ग) कुछ गाड़ियों का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है । अन्य गाड़ियों के पुनः संचालन के सम्बन्ध में उस समय विचार किया जायेगा जब कोयले का पर्याप्त स्टाक जमा हो जायेगा और इस सम्बन्ध में स्थिति सुधर जायेगी ।

विवरण

सौराष्ट्र प्रदेश में पिछले छः मोहनों में गाड़ियां रद्द कर दिये जाने के कारण प्रभावित होने वाले खण्डों की सूची ।

अहमदाबाद–वोटाद–भावनगर

सुरेन्द्रनगर–पालीताणा

भावनगर–पालीताणा

पोरबंदर–जेतलसर–ढोला

राजकोट–जूनागढ़–वेरावल

महुआ–ढासा

महुआराजुला–विक्टर

खिजडीया–धारी–वेरावल

जूनागढ़–देलवाड़ा

वेरावल–देलवाड़ा

धारी–जूनागढ़

गदड़ा स्वामी नारायण–निंगाल।

वागसरा–कुंकावाव–डेरडी

सरडिया–शाहपुर–जूनागढ़

कोडिनार–प्राची रोड

वोटाद–जसदण

वांकानेर–मोरवी–नवलाखी

सिका–कानालूस

दहींसरा–मालीया मिआना।

ध्रांगध्रा–सुरेन्द्र नगर

थाग––चोटीला

खम्वालिया–सलाया

मेहसाना–राजकोट–ओखा

मेहसाना–राजकोट–वेरावल

मेहसाना–सुरेन्द्रनगर–भावनगर

मोरवी–टंकारा

मोरवी–घांटिला

जोरावर नगर-सायला

गुजरात में प्लास्टिक उद्योग की स्थापना का प्रस्ताव

8775. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में प्लास्टिक निर्माण उद्योग की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के लिये चुने गये स्थान का नाम क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) गुजरात राज्य में कोई भी थर्मा प्लास्टिक रेजिन का उत्पादन करने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में नये यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गत छः मास में गुजरात में बिजली का उत्पादन

8776. **श्री डी०पी० जदेजा:**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छः मास में गुजरात में बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : अप्रैल, 1973 से सितम्बर, 1973 तक 2605 मिलियन यूनिट की तुलना में गुजरात में अक्तूबर, 1973 से मार्च, 1974 तक विद्-युत् उत्पादन 2991 मिलियन यूनिट था । उकई जल विद्युत् परियोजना (4 × 75 मेगावाट) और उकई ताप विद्युत् परियोजना (2 × 120 मेगावाट), जो निर्माण की प्रौढ़ावस्था में हैं, के चालू हो जाने के उपरांत विद्युत् की सप्लाई स्थिति में और सुधार हो जाएगा ।

देशव्यापी हड़ताल रोकने के लिये रेल कचारी महासंघ के साथ वार्ता

8777. **श्री मधु दण्डते** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल रोकने के लिए उनके संघों के साथ बातचीत की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) हड़ताल को टालने के उद्देश्य से कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से अभी बातचीत चल रही है ।

देश-व्यापी रेल हड़ताल की धमकी पर रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड में मतभेद

8778. श्री मधु दण्डवते : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश-व्यापी रेल हड़ताल की धमकी से उत्पन्न मामलों पर केन्द्रीय रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड में मतभेद है ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ; और

(ग) क्या इन्हीं के कारण उक्त हड़ताल रोकने के लिए श्रम मंत्रालय से बातचीत आरम्भ करने को कहा गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भट्टी तेल का राशन करने की योजना

8779. **श्री मधु दण्डवते :**

श्री डी० वी० चन्द्र गोडा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भट्टी तेल का अनौपचारिक राशन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजना की मुख्य बातें क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) और (ख) भट्टी तेल का राशन करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि तेल कम्पनियां सभी भट्टी तेल उपभोक्ताओं को कार्ड जारी करेंगी और इस कार्ड में उन को दी गई सप्लाई दर्ज की जाएगी ।

Coal Crisis in Thermal Power Stations

†**8780. Shri Shankar Dayal Singh:** Will be Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the names of the thermal power stations that has to face crisis during the last six months due to Coal shortage; and

(b) the steps being taken by Government to overcome this difficulty?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) The following thermal power stations had to shut down for short periods during the last six months for want of coal:-

Station	Capacity
1. Mau (Uttar Pradesh)	15 MW
2. Beas Dam (Punjab)	11 MW
3. Chandausi (U.P.)	15.60 MW
4. Gorakhpur (U.P.)	15 MW
5. Surajpur (Haryana)	6.8 MW

In addition, the following thermal power stations had to resort to load sheding for short periods for shortge of coal:-

Station	Capacity
1. Kanpur (R.S.))U.P.)	87.5 MW
2. Sohwal (U.P.)	19.5 MW
3. Agra (U.P.)	19.65 MW
4. Shahpur (Gujarat)	16.0 MW

(b) Sustained efforts are being made jointly with the department of Mines and the Ministry of Railways to maintain coal supplies to the power stations as indicated below:-

(i) A Standing Linkage Committee has been set up in the Department of Mines to review the monthly allocation of coal to power stations.

(ii) A Control Room has been set up in the Ministry of Railways to review the daily supply and stocks of coal at different power stations.

(iii) A Joint cell has been created at Calcutta to review the loading and allotment of wagons for movement of coal to thermal power stations.

Despite low coal stocks at a number of thermal stations, the above efforts and constant monitoring have enabled maintenance of generation at as high a level as possible.

अन्तर्राज्यीय नदी विवाद

8781. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान अन्तर्राज्यीय नदी विवाद केन्द्रीय सरकार के निर्णय के लिए कब से विचाराधीन है ;

(ख) इन विवादों में कुल कितनी परियोजनाएं अन्तर्ग्रस्त हैं ; और

(ग) इन परियोजनाओं की कुल निर्माण लागत क्या है, कितना खर्च किया जा चुका है और और इनमें कितनी प्रगति हुई है और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा वहन की गई लागत का अनुमान क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) निम्नलिखित नदी जल-विवाद जैसाकि प्रत्येक के सामने लिखा गया है, न्यायधिकरणों के पास लम्बित पड़े हैं :—

(1) गोदावरी	अप्रैल, 1969
(2) नर्मदा	अक्तूबर, 1969
(3) कृष्णा	यह विवाद अप्रैल, 1969 में न्यायाधिकरण को निदिष्ट किया गया था । उसके निर्णय के साथ न्यायधिकरण की रिपोर्ट 24-12-1973 को प्राप्त हुई थी । इन निर्णयों पर राज्यों/केन्द्र द्वारा निर्दिष्ट मामले अब न्यायाधिकरण के पास लम्बित हैं ।

मई, 1972 में केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री के साथ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों द्वारा किए गए विचार-विमर्श के उपरांत कावेरी जल-विवाद पर केन्द्रीय सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है । इस बैठक में विवाद की बाचचीत द्वारा हल किए जाने पर मतैक्य हुआ था ।

(ख) इन अंतर्राज्यीय नदी विवादों के अंतर्गत 37 बृहत और 87 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं ।

(ग) इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 1580 करोड़ रुपये है । चूंकि ये परियोजनाएं अभी तक योजना आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है, इन सभी परियोजनाओं पर कार्य और व्यय बहुत अधिक नहीं हुआ है ।

सिंचाई परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था समग्र रूप से राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। अतः केन्द्र द्वारा लागत के बटवारे का प्रश्न ही नहीं उठता।

नहरों के माध्यम से सिंचाई जल की सप्लाई में जल रिसने के कारण होने वाली क्षति

8782. **श्री सतपाल कपूर:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नहरों के माध्यम से सप्लाई किये जाने वाले सिंचाई जल में रिसने के कारण होने वाली क्षति की प्रतिशतता का सरकार ने कोई अनुमान लगाया है।

(ख) क्या नहरों के किनारों को पक्का करने की प्रक्रिया अपनाकर रिसने से होने वाली पानी की इस क्षति को कम करने संबंधी कोई योजना विचारधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) नहर प्रणालियों में रिसने से होने वाली हानियां व्यापक रूप से भिन्न भिन्न हैं। ये हानिया मिट्टी की विशेषताओं, जलवायु, नहर सेक्शन और लम्बाई, नहर की अवधि इत्यादि जैसे विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करती हैं। अतः इस प्रकार की हानियों का निश्चित मूल्यांकन करना संभव नहीं है। कछारी भूमि में ये हानियां सामान्यतया नहर शीर्ष पर निस्सरण का लगभग 45 प्रतिशत है लेकिन अवरोधक मिट्टियों में ये बहुत कम होती हैं।

(ख) जहां भी नहर में पलस्तर करना आर्थिक तथा तकनीकी रूप से ठीक समझा जाता है, ऐसा कर दिया जाता है।

(ग) विभिन्न स्थितियों में अपनाने के लिए मितव्ययी किस्म के पलस्तर को तैयार करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है।

जल संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन घोषित करना

8783. **श्री सतपाल कपूर:** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के जल संसाधनों को राष्ट्रीय सम्पत्ति और केन्द्रीय विषय घोषित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) क्या कुछ राज्य इसका विरोध कर रहें हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में मार्गदर्शन करने तथा अन्तर्राज्यीय जल विवादों को तेजी से हल करने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् का गठन करने के एक प्रस्ताव पर कुछ समय से विचार किया जा रहा है। प्रथम पग के रूप में, संविधान के कुछ उपबन्धों में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव राज्यों को उनकी टिप्पणियों हेतु निर्दिष्ट किए गए थे। जबकि कुछ राज्यों ने संशोधनों का विरोध किया, अधिकतर राज्यों ने महसूस किया कि संसाधनों के क्षेत्र को केवल अन्तर्राज्यीय नदी जल पर विवादों तक ही समिति किया जाना चाहिए और जल के इस्तेमाल तथा नियंत्रण के संबंध में राज्यों के वर्तमान अधिकार पहले की तरह बने रहने चाहिएं। इस मामले का राज्य सरकारों द्वारा अभिव्यक्त किए गए विचारों की रोशनी में और अध्ययन किया जा रहा है।

पांचवीं योजना में ग्राम विद्युतीकरण को 20 नई परियोजनायें आरम्भ करना

8784. **श्री विक्रम महाजन :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ग्राम विद्युतीकरण को 20 नई परियोजनाएं किन राज्यों में आरम्भ की जाएंगी, उनके अंतर्गत कितना क्षेत्र लाया जाएगा तथा उनके लिए कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : प्रस्तावित 20 नई ग्राम विद्युत् सहकारिताओं में से छः आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा राज्यों में होंगी । आंध्र प्रदेश में ये सहकारिताएं कुडप्पा और विशाखापटनम जिलों में होंगी । इन दो स्कीमों के लिए क्रमशः 119.86 लाख रुपये और 115.80 लाख रुपये ऋण सहायता है । शेष सहकारिताओं के स्थल तथा वित्तीय आबंटन को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

इंजीनियरों की हड़ताल के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल द्वारा मांगी गई सहायता

8785. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने इंजीनियरों की हड़ताल के फलस्वरूप स्थिति बिगड़ने पर खेद प्रकट किया है और स्थति पर काबू पाने के लिए केन्द्र से सहायता की याचना की है ; और

(ख) यदि हां, तो दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया है कि जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने खेद प्रकट नहीं किया है । बहरहाल, पश्चिम बंगाल के विद्युत् मंत्री ने सिंचाई और विद्युत् मंत्री को पत्र लिख कर हड़ताल की स्थिति के दौरान विद्युत् शक्ति की सप्लाई को कायम रखने के लिए प्रशिक्षित अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति के रूप में उनकी सहायता मांगी है । इसी बीच, राज्य सरकार का अभियंताओं के साथ समझौता हो गया और हड़ताल समाप्त हो गई ।

वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 के दौरान विलम्ब शुल्क की वसूल न की गई राशि

8786. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में वर्षवार कुल कितना विलम्ब शुल्क वसूल नहीं किया गया ;

(ख) उक्त तीन वर्षों में वर्षवार कुल कितना साइडिंग शुल्क वसूल नहीं किया गया ;

(ग) उक्त वसूली न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) वसूल न की गई उक्त राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 1971-72 और 1972-73 के अन्त में विलम्ब शुल्क और साइडिंग प्रभार की बकाया राशि इस प्रकार थी :–

	विलम्ब शुल्क	साइडिंग प्रभार
1971-72	347 लाख रुपये	29 लाख रुपये
1972-73	519 लाख रुपये	24 लाख रुपये

1973-74 के अन्त के आंकड़े अभी तैयार नहीं हैं और संकलित होते ही उन्हें सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) अधिकांश बकाया राशि साइडिंग-धारियों द्वारा उत्पन्न कुछ विवादों अथवा विलम्ब शुल्क माफ करने के लिए दिये गये आवेदन-पत्रों के कारण है । इन्हें अन्तिम रूप से निबटाने में समय लगता है ।

(घ) बकाया राशि की प्रत्येक मद की पुनरीक्षा की जाती है और पत्र-व्यवहार और व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा उसकी वसूली का प्रयास किया जाता है । विवादास्पद मामलों पर बैठकों में विचार किया जाता है । कुछ मामलों में माल भेजने वालों को देय राशि को रेलवे को देय राशि के खाते में समायोजन के लिए रोक लिया जाता है ।

पश्चिम बंगाल को सन्थालडीह बिजली घर से बिजली की सप्लाई

8787. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन्थालडीह बिजली घर के चालू हो जाने से भी पश्चिम बंगाल के उद्योगों को बिजली की सप्लाई की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है ;

(ख) क्या स्थिति में और भी बिगाड़ आया है और 25% कटौती की योजना बन रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) प्रारंभिक कठिनाइयों के कारण संतालडीह में 120 मै० वा० की यूनिट का उत्पादन स्थिर नहीं किया जा सका है। गत कुछ दिनों में आऊटेजेस और कोयले की कम सप्लाई के कारण पश्चिम बंगाल में बंडेल केन्द्र और दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के विद्युत् केन्द्र में उत्पादन में कमी आ गई है । दामोदर घाटी निगम प्रणाली में भी बिजली का उत्पादन कम हुआ है । इन कमियों के परिणामस्वरूप विद्युत् आपूर्ति स्थिति खराब हो गई है जिसके कारण राज्य में उद्योगों पर बुरा असर पड़ा है । पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके द्वारा बिजली की सप्लाई में लगभग 25 प्रतिशत की कोई कटौती करने की किसी योजना का संकेत नहीं दिया है। बहरहाल, उन्होंने सूचित किया है कि समय-समय पर राज्य में अलग-अलग समय पर बिजली सप्लाई की गई है जिससे कि बिजली की वास्तविक उपलभ्यता के साथ भार की मांग

को पूरा किया जा सके । यह 15% कटौती के अलावा है जोकि काफी समय से लागू की गई है। राज्य में विद्युत् केन्द्रों में बिजली की उपलभ्यता में सुधार करने तथा भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड से विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति करके संतालडीह यूनिट के प्रचालन को स्थिर करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

जीवन रक्षक औषधियों के लिये पैकों की कमी

8788. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध कम्पनियां बहुत सी जीवन रक्षक औषधियों के लिये छोटे पैक नहीं बना रही क्योंकि वे थोड़ी सस्ती बेचते है और रोगियों को मंहगे बड़े पैक खरीदने के लिये विवश किया जा रहा है ;

(ख) क्या 'सारवीट्रेट के 100 गोलियों वाले छोटे पैक बाजार में मिल रहे है और यदि नहीं, तो क्या सरकार ने वे पैक न मिलने के कारणों की जांच की है ; और

(ग) क्या कम्पनी द्वारा छोटे पैकों का उत्पादन स्थगित कर दिये जाने के कारण वे नहीं मिल रहे है और यदि हां, तो कम्पनी ने इसके क्या कारण बताये हैं और यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है कि रोगियों को बड़े पैकों के लिये अधिक पैसे अदा करने की कठिनाई न हो ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) सरकार के पास जीवन रक्षा औषधों के छोटे पैकों की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है। सामान्यतः छोटे पैकों के मूल्य उस औषध के बड़े पैकों के मूल्य से आनुपातिक रूप से अधिक होते है।

(ख) 100 गोलियों वाले सार्विट्रेट के पैक बाजार में मिलते है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रैस से होने वाली हानि

8789. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रैस से सरकार को 15 लाख रुपये का घाटा होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ;

(ग) क्या इस मार्ग पर राजधानी एक्सप्रैस चलाने से सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्च करना पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) किसी एक गाड़ी के परिचालन से हानि या लाभ का हिसाब लगाना संभव नहीं है क्योंकि खर्च को गाड़ी वार दर्ज नहीं किया जाता

फिर भी, नयी दिल्ली और हावड़ा के बीच चलने वाली एक जोड़ी राजधानी एक्सप्रैस गाड़ियों पर 1973-74 में 37.22 लाख रुपये का प्रत्यक्ष व्यय होने का अनुमान है । इस प्रत्यक्ष व्यय में डीजल तेल, इंजन कर्मीदल, गाड़ी कर्मचारी आदि की लागत और ब्याज, सवारी डिब्बों और इंजनों का अनुरक्षण और मूल्यह्रास भी शामिल है लेकिन रेल-पथ, सिगनल और दूर-संचार की व्यवस्था और अनुरक्षण की लागत, ऊपरी खर्च आदि शामिल नहीं है । 1973-74 के दौरान इन गाड़ियों के टिकटों की बिक्री से कुल एक करोड़ और बत्तीस हज़ार रुपये की आमदनी हुई।

हिमाचल प्रदेश में तेल के लिये खोज

8790. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग हिमाचल प्रदेश में तेल की खोज कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक उसका क्या परिणाम निकला है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहन जवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) ज्वालामुखी क्षेत्र में अभी तक खोदे गये तीन एवं पांच संरचनात्मक कुओं में वाणिज्यिक महत्व का तेल अथवा गैस नहीं पाया गया, हिमाचल प्रदेश में चंगर तलाई तथा रामशहर क्षेत्र में व्यधन के लिए दो और स्थान दिये गये।

Irrigated land in U.P., M.P., Rajasthan and Bihar in Fourth and Fifth Plan

*8791. **Shri B. S. Chowhan:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the acreage of irrigated land in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Bihar at the end of the Fourth Five Year Plan; and

(b) the acreage of irrigated land thereby the end of the Fifth Five Year Plan?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) The acreage of irrigated land in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Bihar at the end of the Fourth Plan and as likely at the end of Fifth Five Year Plans are as follows :

State	IV Plan	V Plan
	(Irrigated land in '000' hectares)	
Uttar Pradesh	10603	14478
Madhya Pradesh	2094	3324
Rajasthan	2935	3470
Bihar	3705	4985

Check on Strikes

*8792. **Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether keeping in view the scarcity conditions and atmosphere of discontentment all over the country created as a result of strikes by Railway employees, Government have formulated any scheme to check such strikes in future;

(b) if so, the salient features thereof;

(c) whether Government have also formulated any scheme to create a sense of patriotism among the employees and to make them feel that it is a national loss; and

(d) if so, the broad features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) & (b) The legitimate demands of all categories of staff are considered and solved through the various tiers of the collective bargaining machinery the Permanent Negotiating Machinery and the Joint Consultative Machinery which have been functioning constitutionally and purposefully over a long period of time. Further, representations coming from any source, including unrecognised Unions are given due consideration and appropriate action is taken in each case. When there is so much scope for ventilating the grievances and getting them redressed, there is really no justification for out-bursts of strikes.

2. It has been decided to enforce the principle of 'No Work-No Pay' to discourage the elements instigating strikes and agitations.

3. It has also been dicided to recognise the services of loyal workers by grant of extensions, rewards, advance increments for outstanding service. Favourable consideration within administrative rules will also be given for appointment of children and dependants of loyal workers.

(c) and (d): Patriotism is inborn for people of a free country while motivations are provided by the educational systems as obtain in the states. Disciplines to keep the Staff on the right track is also not lacking.

Arab Countries offer of Oil in Exchange of Beef

*8793. **Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Arab Countries had offered to supply mineral oils to India in exchange of beef;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

Scheme to Save electricity at Delhi and other states

8794. **Shri Chandulal Chandrakar:**

Shri Bibhuti Mishra:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme to save the electricity in Delhi and other States;

(b) if so, the main features thereof;

(c) the extent to which electricity will be saved as a result thereof; and

(d) the works where the saved power would be utilized?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) & (b) Owing to power shortage in the Country, certain guidelines for effective power rationing have been evolved and circulated to the various State Governments and State Electricity Boards. These quidelines inter-alia suggest imposition of restrictions on the use of neon-signs, decorative lighting, illuminations on marriages and other functions and reduction of shopping hours etc.

(c) & (d) It is not possible to know exactly the extent to which the electricity will be saved, but the power thus saved will be utilized for the deficit States.

चौथी पंचवर्षीय योजना की सिंचाई परियोजनाओं को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा करना

8795. **डा० कर्णी सिंह:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनका निर्माण कार्य चौथी योजना में पूरा नहीं हो सका और जिन्हें अब पांचवीं योजना में पूरा किया जायेगा;

(ख) उनमें से प्रत्येक योजना के कब तक पूरे होने की संभावना है; और

(ग) उनके मूल और संशोधित प्राक्कलनों का ब्यौरा क्या है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वरप्रसाद): (क) और (ख) ऐसी बृहत् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम जोकि चौथी योजना से पांचवीं योजना में लाई गई हैं, और उनकी मूल और संशोधित लागतें क्रमशः उपाबंध-एक और उपाबंध-दो में दी गई हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6882/74]**

(ग) पांचवीं योजना के मसौदे में पिछली योजना से लाई गई सभी मध्यम परियोजनाओं को और निर्माण की प्रौढ़ावस्था में सभी बृहत् परियोजनाओं को पूर्ण करना परिकल्पित है। निम्नलिखित परियोजनाओं को छठी योजना में ले जाए जाने की संभावना है:—

(1) कर्नाटक में अपर कृष्णा

(2) केरल में कल्लाडा

(3) महाराष्ट्र में वार्ना एवं कृष्णा

(4) राजस्थान में राजस्थान नहर चरण-दो

और

(5) उत्तर प्रदेश में सारदा सहायक परियोजना।

कर्नाटक द्वारा कृष्णा जल-विवाद न्यायाधिकरण के सम्मुख पुनर्विलोकन याचिका दायर करना

8796. **श्री ए०के० कोत्राशट्टी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भी मुकदमा कर रही पार्टी द्वारा पुनर्विलोकन का अनुरोध किये जाने पर कृष्णा जल-विवाद के मामले में न्यायाधिकरण के निर्णय का पुनर्विलोकन करने की व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक राज्य ने राज्य को आवंटित जल के बारे में पुनर्विचार के लिए न्यायाधिकरण के सम्मुख पुनर्विलोकन याचिका दायर की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम और विवाद वाले सभी पक्ष इसे मानने के लिए बाध्य होंगे और अंतर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें इस पर अमल करना होगा।

बहरहाल, इस अधिनियम की धारा 5(3) में यह प्रावधान है कि अगर केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार का यह विचार है कि न्यायाधिकरण के निर्णय में कही गई किसी बात के लिए कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित है अथवा मूलतः न्यायाधिकरण को न सौंपे गए किसी प्वाइंट पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो ऐसा मामला न्यायाधिकरण को उनके द्वारा और विचार किए जाने के लिए पुनः सौंप दिया जाए। न्यायाधिकरण, उनके द्वारा उचित समझे गए स्पष्टीकरण अथवा मार्गदर्शन की और रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है तथा ऐसे मामले में न्यायाधिकरण का निर्णय तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाएगा।

कर्नाटक सरकार द्वारा कृष्णा-जल-विवाद न्यायाधिकरण को एक ऐसा संदर्भ भेजा गया है।

कर्नाटक में अवैतनिक रेलवे मजिस्ट्रेटों को यात्रा/दैनिक भत्ते की अदायगी न किया जाना

8797. **श्री ए०के० कोत्राशट्टी**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कतिपय रेलवे मजिस्ट्रेटों को एक वर्ष से अधिक समय से यात्रा/दैनिक भत्ते की अदायगी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) कर्नाटक में चलते फिरते रेलवे मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों द्वारा लगाये गये दण्ड एवं जुर्मानों से रेलवे को कितनी आय हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) कर्नाटक में सभी मजिस्ट्रेटों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाता है। और लेकिन, चूंकि दरों में संशोधन हो गया है, अतः जहां कहीं भी देय होगा; भुगतान की गयी राशि और भुगतान की जाने वाली राशि के अन्तर की अदयगी करने की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) 1973 के दौरान कर्नाटक में अवैतनिक रेलवे मजिस्ट्रेटों के जरिए प्राप्त रकम नीचे बतायी गयी है :—

	रु०
किराया और अतिरिक्त प्रभार (रेलों के खाते में जमा) . .	4,268
न्यायिक जुर्माना (राज्य सरकार के खाते में जमा)	18,348

कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

8799 **श्री एस०एन० सिंह देव :**

श्री देवेंद्र नाथ महाता :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय में काफी समय से न्यायाधीशों के कई पद खाली पड़े हैं;

(ख) क्या उक्त उच्च न्यायालय में 66,000 मामले अनिर्णीत पड़े हैं; और यदि हां, तो कब से; और

(ग) क्या इन पदों को शीघ्र भरने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच०आर० गोखले) : (क) जी, नहीं। इस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय में केवल 3 पद खाली हैं।

(ख) 1973 के अंत तक उच्च न्यायालय में 66,588 मामले अनिर्णीत पड़े थे जिसमें 33,828 मामले गत तीन से अधिक वर्षों से, 19,526 मामले 5 से अधिक वर्षों से और 5,600 मामले 10 से अधिक वर्षों से अनिर्णीत थे ।

(ग) पदों को भरने के प्रस्तावों को पहले ही स्वीकार किया जा चुका है और शीघ्र ही नियुक्तियों को अधिसूचित किया जाएगा।

बी० एन० एलियस एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

8800. **श्री एस०एन० सिंह देव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी० एन० एलियस एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) कम्पनी के प्रमुख शेयरधारियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक के पास कितने-कितने मूल्य के कितने शेयर हैं; और

(ग) इसका मुख्य व्यापार क्या है और कम्पनी की इस समय कुल चुकता पूंजी और परिसम्पत्तियां क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

बिजली की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में इस्पात पुनर्वेलन एककों का बन्द होजाना

8801. **श्री राम भगत पासवान** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बिजली की भारी कमी के परिणामस्वरूप राज्य में सब इस्पात पुनर्वेलन एकक बन्द हो गये हैं और इसके परिणामस्वरूप 10 लाख से अधिक व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि 6 मार्च, 1974 से रि-रोलिंग मिलों को विद्युत् की सप्लाई करना बन्द कर दिया था और इसे 16 अप्रैल, 1974 से फिर से चालू कर दिया गया था तथा विद्युत् की सप्लाई सप्ताह में 5 दिन 9 बजे प्रातः से 6 बजे सांय तक दी जा रही है।

(ख) 1974-75 के दौरान उत्तर प्रदेश में चालू होने के लिए संभावित निम्नलिखित नयी विद्युत्-जनन क्षमता से विद्युत् स्थिति में और सुधार होने की संभावना है :—

ओबरा विस्तार	2 × 100 मै०
यमुना-दो	1 × 100 मै०
यमुना-दो (चिबरी)	4 × 60 मै०

उत्तर प्रदेश को पड़ौसी विद्युत् प्रणालियों से भी यथासंभव राहत दी जा रही है।

वार्नर हिन्दुस्तान द्वारा चिकलेट बनाना

8803. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विविधिकरण के अधीन मैसर्ज वार्नर हिन्दुस्तान चिकलैट बना रहे हैं यदि हां, तो मंत्रालय ने इसे किस संदर्भ, संख्या और तिथि को डी० जी० टी० डी० को भेजा और इसे उन्होंने स्वीकार करते हुए जो उत्तर दिया उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) इस परियोजना के लिए उक्त फर्म को कौन-कौन सी मशीनों की अनुमति दी गई ;

(ग) क्या यें फर्म देश में 'नया साइनामाईड' बनाने के लिए 'बिटापि-कोलिन' आयात करते रहने के लिए उचित/अनुचित तरीके अपनाती रही है; और

(घ) क्या बड़े पैमाने पर औषधि निर्माताओं में पूंजी लगाने के इच्छुक लघु निर्माताओं को देश में विद्यमान ऐसी बहुराष्ट्रीय फर्में रोक रही हैं और यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) औद्योगिक लाइसेंस नीति के अन्तर्गत, लघु निर्माताओं को कोई औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है।

औषध उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों पर लगाये गये मूल्य नियंत्रण का तुलनात्मक अध्ययन

8803. **श्री के० एस० चावड़ा:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान औषध उद्योग के विदेशी क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र तथा लघु क्षेत्र पर लगाये गये मूल्य नियंत्रण के प्रभाव का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है;

(ख) क्या मूल्य नियंत्रण से लघु क्षेत्र को बहुत अधिक हानि पहुंची है क्योंकि अनेक मदों के ए कमुश्त सौदे से विदेशी फर्मों ने बहुत लाभ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो मूल्य नियंत्रण के मामले से एकमुश्त सौदे को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) 18 विदेशी एवं 5 अन्य कम्पनियों के बारे में किये गये अध्ययनों से पता चला है कि विदेशी फर्मों के लिए सूत्रयोगों की बिक्री पर लाभ प्रदतता 1969/1969-70 में 14.72% से 1972/72-73 में 7.54% तक तथा अन्य कम्पनियों के लिए 12.48% से 7.00% तक कम हुई।

(ख) जी नहीं। संगठित क्षेत्र में तथा मध्यम तथा लघु उद्योग क्षेत्र में कुछ अन्य फर्मों द्वारा उत्पादित तुलनात्मक उत्पाद के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत 1970 में लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा उत्पादित सूत्रयोगों के मूल्य नियत किये गये थे।

(ग) जी प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्णरेखा तटबन्ध योजना का क्रियान्वयन

8804. **श्री आर० एन० बर्मन:** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1973-74 के दौरान स्वर्णरेखा तटबन्ध योजना के क्रियान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह कब तक अपना काम करने लगेगा?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) 1973-74 के दौरान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की स्वर्णरेखा तटबंध स्कीमों के कार्यान्वयन में कोई प्रगति नहीं हुई। इस बेसिन के लिए एक व्यापक बाढ़ नियंत्रण योजना तैयार करने के लिए सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित स्वर्णरेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इन स्कीमों को संशोधित किया जाता है। पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सरकारों ने अभी तक संशोधित स्कीमों को अंतिम रूप नहीं दिया है।

रोशनी करने पर प्रतिबन्ध लागू करना

8805. **श्री आर० एन० बर्मन:** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बिजली की भारी कमी के कारण राज्य सरकारों से रोशनी करने पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है; और

(ख) समस्त देश में रोशनी करने पर समान प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) विद्युत् का प्रभावकारी राशन क ने के लिए कुछ सामान्य मार्ग निर्देशनों को तैयार किया गया और इन्हें विभिन्न राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों को परिपत्रित कर दिया गया है। इनमें बिजली के अपव्यय और उत्कृष्ट उपभोग को खत्म करने की सिफारिशें की गई हैं जिनमें ये शामिल हैं--सजावटी रोशनी, बोर्डों पर बिजली की सजावट, निआने-साईन का प्रयोग, वाणिज्य क्षेत्रों में गवाक्ष सज्जा के लिए बिजली का इस्तेमाल, शादियों तथा अन्य उत्सवों पर सचावटी रोशनी, उद्यानों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि में रोशनी। बहरहाल, ये प्रतिबंध राज्यों द्वारा लगाए जाने हैं।

जलपाईगुडी और रंगापानी (पूर्वोत्तर रेलवे) स्टेशनों के बीच रेल पटरियों से फिश प्लेटों का गायब होना

8806. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और रंगापानी स्टेशनों के बीच रेल पटरियों के फिश प्लेटें गायब मिली थीं;

(ख) क्या उक्त घटना की जांच की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। ये दोनों स्टेशन पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर स्थित हैं, न कि पूर्वोत्तर रेलवे पर।

(ख) और (ग) 29-3-1974 को लगभग 08.15 बजे रेलवे इंजीनियरी विभाग के मेट ने रंगापानी और न्यू जलपागुडी स्टेशनों के बीच महानन्दा पुल के पास 8 जोड़ी फिश प्लेटों और 32 बोल्टों के चोरी हो जाने की रिपोर्ट की। इस सूचना के प्राप्त होने पर, सिलीगुड़ी टाउन में सरकारी रेलवे पुलिस के प्रभारी अधिकारी उस स्थान पर पहुँचे और रेलवे सुरक्षा दल के कुत्ता दस्ते की सहायता से उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सिलीगुड़ी की सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा यह मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है।

बीकानेर डिवीजन के सहायक स्टेशन मास्टरों/स्टेशन मास्टरों को 1972 के दौरान नमक की गलत बुकिंग के लिये दोषपत्र का दिया जाना

8807. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 के दौरान नमक की गलत बुकिंग के लिये बीकानेर डिवीजन के कितने सहायक स्टेशन मास्टरों और स्टेशन मास्टरों को दोषपत्र दिया गया था;

(ख) कितने दोषपत्रों का निपटारा हो गया है और कितने बकाया पड़े हैं;

(ग) इन दोषपत्रों का निपटारा न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 1972 के दौरान नमक की गलत बुकिंग करने के लिए उत्तर रेलवे की बीकानेर मंडल में चौबीस स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों को चार्ज शीट दी गयी थी। इन चौबीस मामलों में से चार मामलों का निपटारा हो गया है और बीस मामलों का निपटारा अभी बाकी है।

(ग) इन मामलों का निपटारा कई कारणों से संभव नहीं हो पाया है जैसे दोषी कर्मचारियों द्वारा विभागीय जांच में सहयोग न करना और विलम्बकारी युक्तियां अपनाना, दोषी कर्मचारियों का प्रलेखों के निरीक्षण के लिए न आना तथा कभी-कभी दोषी कर्मचारियों द्वारा नामित सहायक रेल कर्मचारियों का उपस्थित न होना।

(घ) बकाया मामलों का यथाशीघ्र निपटारा करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है।

ब्रिटिश फर्मों के विरुद्ध उनके कर्मचारियों द्वारा एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार-प्रक्रिया आयोग से की गई शिकायत

8808. **श्री शशि भूषण** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित कुछ ब्रिटिश फर्मों के भारतीय कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के अध्यक्ष से भेंट की थी और उन से यह शिकायत की थी कि ब्रिटिश नियोजक गुप्त रूप से सौदे कर के सम्पत्तियों को बेच रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान ब्राउन बोवेरी कर्मचारी संघ के कुछ अभ्यावेदनों ने एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित किया है और मैसर्स लारसन एण्ड ट्यूबों लिमिटेड को हिन्दुस्तान ब्राउन बोवेरी के शेयरों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में शिकायत की है।

(ख) वित्त मंत्रालय ने जो विदेशी मुद्रा विनियम, अधिनियम, 1973 के लागूकरण के प्रशासन से संबंधित है, उल्लेख किया है कि कोई भी विदेशी कम्पनी, भारत में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पूर्व अनुमोदन के कुछ भी सम्पत्ति न धारण अभिग्रहण और निपटान कर सकती है। सम्पत्ति के निपटान के लिए आवेदन-पत्र सम्पत्ति आदि के मूल्यांकन के बारे में छानबीन किए जाते हैं और अनुमति दी जाती है। ये शक्तियां 1 जनवरी, 1974 से अध्याप्त की गई और ये अपने में पर्याप्त हैं। जबकि वित्त मंत्रालय ने छूदंभदल के किसी दृष्टान्त को नहीं देखा है जिसमें उनके द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उल्लंघनों से ग्रस्त अगर कोई विशिष्ट दृष्टान्त हो तो आगे जाँच के लिए दिया जा सके।

उड़ीसा में सिंचाई नहर

8809. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में प्रथम पंचवर्षीय योजना से योजनावार कितने मीलों में सिंचाई नहरें बनायी गयी; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विशेषरूप से बालासोर और मयूरभंज जिले में सिंचाई नहरों के निर्माण की अनुमानित योजना क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 2 बृहत् परियोजनाएं नामशः हीराकुड और सालन्दी तथा 6 मध्यम स्कीमें नामशः सालिपा, सालकी, बहुदा चरण-एक, बुध बुधियानी धनेई और हीराधरवती, जोकि विभिन्न योजनाओं में शुरू की गई थीं अब पूर्ण हो चुकी हैं। इनकी मुख्य नहरों और शाखाओं की लम्बाई लगभग 433 किलोमीटर है।

3 बृहत् और 12 मध्यम परियोजनाएं जोकि अब निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं पूर्ण होने पर 1000 कि० मी० और नहरों का योग होगा।

(ख) पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना से उड़ीसा में रेलवे लाइन का बिछाया जाना

8810. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना से उड़ीसा में योजनावार कितने मील नई रेलवे लाइन बनी;

(ख) पश्चिम बंगाल बिहार, और मध्य प्रदेश की तुलना में यह कितनी है; और

(ग) दक्षिण पूर्व रेलवे के माल परिवहन का प्रतिशत अखिल भारतीय प्रतिशत की तुलना में कितना है और दक्षिण पूर्व रेलवे और पूर्व रेलवे मेंग उड़ीसा कर्मचारियों चतुर्थ श्रेणी से लेकर ऊपर तक का प्रतिशत कितना है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1959 से पहले की अवधि की रेलवे किलोमीटर दूरी के आंकड़े राज्यवार उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों की सीमाओं में समय-समय पर परिवर्तन भी होता रहा है, अतः जो कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं उन्हें उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उल्लिखित चार राज्यों के उपलब्ध आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

राज्य	31 मार्च को सरकारी रेलों की मार्ग किलोमीटर की दूरी				
	1959	1961	1966	1969	1973
उड़ीसा	1368	1445	1711	1872	1876
पश्चिम बंगाल	3045	3057	3415	3667	3702
बिहार	4809	4953	5206	5147	5166
महाराष्ट्र . .		5139	5206	5201	5228

(ग) वर्ष 1972-73 में भारतीय रेलों पर कुल यातायात की तुलना में प्रारम्भिक मीटरिक टन और शुद्ध मीटरिक टन किलोमीटर के हिसाब से दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा ढोये गये माल यातायात का अनुपात इस प्रकार रहा है :—

	दक्षिण पूर्व रेलवे (दस लाख में)	भारतीय रेलों का जोड़ (दस लाख में)	कुल से दक्षिण पूर्व का प्रतिशत
प्रारम्भिक मीटरिक टन	59.3	201.3	29.5
मीटरिक टन किलोमीटर	26,657.3	136,542.0	19.5

कर्मचारियों की संख्या के आंकड़े मूल भाषा या क्षेत्र के आधार पर नहीं रखे जाते।

उड़ीसा में उद्योगों को विद्युत् की सप्लाई

8811. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उद्योगों को विद्युत् सप्लाई की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या वह मांग पूरी करने की स्थिति में है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कमी कब तक रहेगी और इस बारे में सरकार की क्या नीति है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) इस समय उड़ीसा में उद्योगों को विद्युत् आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक है क्योंकि भार मांग को पूरा करने के लिए विद्युत् जनन पर्याप्त है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी कम्पनियों द्वारा उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने और विक्रय में कथित कदाचार

8812. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा**: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों द्वारा अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने और विक्रय में किये जाने वाले कदाचारों का पता है;

(ख) क्या सरकार ने उनके कार्यकरण की जांच का आदेश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत वरुआ): (क) सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि दि कैडबरी फ्राई (इण्डिया) प्राइवेट लि० दि कालगेट पामोलिव (इण्डिया) प्राइवेट लि० एवं दि कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि० नामक तीन कपनियां एकाधिकारक व्यापार प्रथाओं में निरत हैं, अतः एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की

धारा 31 के अन्तर्गत एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग को निर्देश किये गये हैं। इन तीनों मामलों में आयोग की रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है। एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा कुछ क्षेत्रों में हाथ में लिये गये कुछ अध्ययनों के ब्यौरे दिनांक 2 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5400 के उत्तर में सदन के पटल पर प्रस्तुत किये गये थे। उन विदेशी नियंत्रित उपक्रमों अथवा कम्पनियों, जिनमें विदेशी साम्य सहभागिता उच्च प्रतिशत पर है, तथा उनके विरुद्ध निबंधनकारी व्यापार प्रथायें अपनाये जाने के आरोप हैं, की सूची, दिनांक 26 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 886 के उत्तर में, सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई थी।

दिनांक 23 अप्रैल, 1974 को उत्तर दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 7867 के भाग (क) में दिये गये सुझाव, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग के नोटिस में इसी प्रकार के विचाराथ लाये गये हैं कि क्या वह 31 दिसम्बर, 1972 की वर्ष समाप्ति की अपने कार्य-कलापों पर, वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के अध्याय 4 के पैरा 5 में यथा वर्णित अपने द्वारा की गई जांच-पड़तालों सहित इसमें वर्णित कम्पनियों के बारे में स्वयं के प्रस्ताव से जांच-पड़ताल करना चाहेंगे।

(ख) केवल कैडबरी फ्राई (इण्डिया) प्राइवेट लि० के एक मामले में सरकार ने, इस कम्पनी के कार्य-कलापों की जांच-पड़ताल करने के लिए, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, की धारा 44 के अन्तर्गत निरीक्षक नियुक्त किये थे।

(ग) आयोग के वह दृष्टिकोण कि उनके द्वारा किये जाने वाले अध्ययन पर्याप्त समय-लेने वाले हैं, एवं पर्याप्त सामग्री के संग्रह होने तथा, आयोग द्वारा औपचारिक कार्यवाहियां करने का निर्णय करने तक, इन अध्ययनों की बाबत ब्यौरे प्रगट करना, जांच-पड़ताल के हित में नहीं होगा, दिनांक 2 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5400 के उत्तर में सदन के नोटिस में लाये गये थे।

पैट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की उपलब्धता तथा खपत

8813. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा**: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 मार्च, 1974 को पैट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की वास्तविक उपलब्धता कितनी थी; और

(ख) क्या डीजल, मिट्टी के तेल तथा पैट्रोल की जरूरतों के आंतरिक उत्पादन एवं मित्र देशों के सहयोग से उत्पादन बढ़ाकर पूरा किया जायेगा, और यदि हां, तो उस बारे में ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) और (ख) प्रत्येक पैट्रोलियम उत्पाद की उपलब्धि तथा खपत के वास्तविक आंकड़े जन हित में बताये नहीं जा सकते। वर्तमान मांग को पूर्णतया पूरा करने के लिये मोटर गैसोलीन (पैट्रोल) की उपलब्धि इस समय पर्याप्त है। 1974-75 में सभी पेट्रोलियम उत्पादों जिन में डीजल तथा मिट्टी का तेल शामिल है, की उपलब्धि उस विदेशी मुद्रा पर निर्भर करेगी जो उस वर्ष के दौरान कच्चे तेल तथा अन्य कमी वाले उत्पादों के आयात के लिये दी जा सकेगी। विदेशी मुद्रा के वर्तमान संकेतों के आधार पर देश की मिट्टी के तेल तथा डीजल तेल की पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव नहीं हो सकेगा जब तक कि खपत में पर्याप्त प्रतिबन्ध लगाने के लिये इन के प्रयोग में अधिक से अधिक बचत नहीं की जाती।

आंध्र प्रदेश द्वारा कर्नाटक के लिये पानी का छोड़ा जाना

8814. **श्री के० मालन्ना :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित किये जाने के बाद कर्नाटक राज्य की जनता को पीने के लिए पानी दिया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना पानी दिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) राज्यों से की गई पूछ-ताछ के अनुसार कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के गठन के उपरान्त कर्नाटक राज्य में जनता के पीने के पानी के निमित्त जल देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के सहमत होने का प्रश्न ही नहीं उठा।

नेफ्था के मूल्य में वृद्धि के कारण पैट्रो-रसायन उद्योग को हुई हानि

8815. **श्री के० मालन्ना** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च और अप्रैल 1974 के बीच जब 25 मार्च, को नेफ्था का मूल्य 445 रुपये प्रति टन से बढ़ा कर 2,320 रुपये प्रति टन कर दिया गया था और जब मूल्य को घटा कर 1,000 रुपये कर दिया गया था, पेट्रो-रसायन उद्योग को कोई हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) इस विषय पर सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

अधीनस्थ क्लर्क द्वारा हस्ताक्षर किये गये जाली आय-कर कटौती किये गये प्रमाण-पत्र (हुबली-मैसूर)

8816. **श्री के० मालन्ना** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो और आय-कर के अधिकारियों को जाली आय-कर कटौती प्रमाण-पत्र (हुबली-मैसूर) बना कर आय-कर विभाग के साथ लाखों रुपयों की धोखाधड़ी किये जाने सम्बन्धी एक राष्ट्रव्यापी गिरोह का पता चला है।

(ख) क्या अनेक आय-कर प्रमाण-पत्रों पर, जिन पर डिवीजनल रेलवे अधिकारी के स्तर के व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहियें, अधीनस्थ क्लर्क ने हस्ताक्षर किये थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

वर्ष 1973-74 में उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर की गई धनराशि

8818. **श्री गजाधर माझी**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1973-74 में उड़ीसा राज्य में ग्राम विद्युतीकरण निगम की सहायता से आरंभ किये गये कार्यों के लिये कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई और अब तक पूरे किये गये काम का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उड़ीसा में ऐसे कौन से काम हैं जो ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने के लिये अभी विचाराधीन हैं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) 1973-74 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम ने उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड की 14 स्कीमें स्वीकृत की हैं। इन स्कीमों में पम्पों का उर्जन करने के लिए 4.74 करोड़ रुपये की ऋण सहायता निहित है। इन स्कीमों को 5 वर्ष तक की अवधि में पूरा करने के लिए चरणबद्ध किया गया है तथा इनका कार्यान्वयन अभी प्रारम्भिक अवस्था में है।

(ख) इस समय ग्राम विद्युतीकरण निगम उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड की 3.57 करोड़ रुपये की लागत की 10 स्कीमों पर विचार कर रहा है।

उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन विवरणियां अनिवार्य रूप से फाइल करने की व्यवस्था समाप्त करने का प्रस्ताव

8819. **श्री गजाधर माझी:**
श्री एम० एस० पुरती:

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अम्मीदवारों द्वारा अनिवार्य रूप से निर्वाचन विवरणियां फाइल करने की व्यवस्था समाप्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिजली बोर्डों के चेयरमैन का विद्युत् उत्पादन योजनाओं को क्रियान्वित करने का अनुरोध

8820. **श्री जी० वाई० कृष्णन्**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक राज्यों के बिजली बोर्डों के चेयरमैन ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि चालू वर्ष में राज्यों द्वारा केन्द्रीय सरकार की प्रस्तुत विद्युत् उत्पादन योजनाओं का शीघ्र अनुमोदन किया जाये;

(ख) क्या उन्होंने उन राज्यों की सहायता करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है जो चालू वर्ष में अनुमोदित योजनाओं को वित्तीय दृष्टि से क्रियान्वित करने की स्थिति में नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कुछ स्कीमों को छोड़कर पांचवीं योजना के राज्य क्षेत्र में शामिल की गई सभी स्कीमों को स्वीकृत कर दिया गया है, जिनका कुल योग लगभग 690 मैगावाट है। इन स्कीमों को अन्तर्राज्यीय पहलुओं के कारण या ईंधन की व्यवस्था को अभी तक अंतिम रूप न दिए जाने के कारण स्थगित रखा गया है। कुछ राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्ष पांचवीं योजना में सम्मिलत न की गई कुछ अन्य स्कीमों के साथ-साथ, इन स्कीमों को स्वीकृति देने पर बल दे रहे हैं ।

(ख) और (ग) कुछ राज्यों से विद्युत् परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त आवंटन के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। संसाधनों की उपलब्धता तथा इस वर्ष के दौरान प्राप्त क्रियान्विति की प्रगति के संदर्भ में इनकी जांच की जाएगी।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयला क्षेत्रों को डीजल आयल तथा अन्य स्नेहक की सप्लाई

8821. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगरौली, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयला क्षेत्रों के सभी कार्यों के लिये दैनिक कुल कितना डीजल आयल तथा अन्य स्नेहक लग जाता है ;

(ख) यह बड़ी मांग इस समय किस डिपो से पूरी की जाती है;

(ग) इन कोयला खाना से डिपो की दूरी कितनी है;

(घ) क्या सरकार संगरौली कोयला क्षेत्रों में मोरवा स्थान पर एक डिपो खोलना चाहती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) :(क) संगरौली कोल क्षेत्रों में झिगुरदाह और गोरवी खानों के लिए हाई स्पीड डीजल आयल और लुब्रीकेन्ट्स की दैनिक खपत निम्न प्रकार है :—

हाई स्पीड डीजल आयल	8,533 लिटर
लुब्रीकेन्ट्स	1,403 लीटर

(ख) इस समय यह सप्लाई मुगल सराय डिपो से की जाती है।

(ग) लगभग 175 किलो मीटर

(घ) और (ङ) संगरौली कोल क्षेत्र की खपत अभी तक इतनी अधिक नहीं है कि वहां नया डिपो खोला जाए। तथापि कोल खनन प्राधिकारियों ने भारतीय तेल निगम से संगरौली इलाके में एक डिपो की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा है जिस पर भारतीय तेल निगम विचार कर रही है।

बरौनी शोधनशाला में अशोधित पैट्रोलियम कोक का उत्पादन

8822. **श्री त्रिदिब चौधरी :**

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी शोधनशाला में 1972-73 और 1974 की पहली तिमाही में अशोधित पेट्रोलियम कोक का कुल वार्षिक उत्पादन कितना हुआ;

(ख) भारतीय तेल निगम के बरौनी स्थित कैल्सिनेशन प्लांट में कौलीनेटिड पेट्रोलियम कोक बनाने की कुल वार्षिक क्षमता कितनी है और 1972-73 और 1974 (प्रथम तिमाही) में वास्तविक रूप में कैलिनेटेड पेट्रोलियम कोक का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) बरौनी में अशोधित पेट्रोलियम कोक का कुल जमा स्टाक कितना है; और

(घ) क्या बरौनी में 40,000 टन अशोधित पैट्रोलियम कोक का जमा स्टाक बुरी तरह से दूषित हो गया है और उसका किसी प्रकार भी उपयोग नहीं किया जा सकता ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) अपरिष्कृत पेट्रोलिम कोक जिसमें बरौनी परिष्करणशाला के कोक केल्सीनेशन संयंत्र में शोधित अपरिष्कृत पेट्रोलियम कोक भी शामिल है का कुल वार्षिक उत्पादन वर्ष 1972 से निम्न प्रकार है :—

वर्ष	अपरिष्कृत पेट्रोलियम कोक का कुल उत्पादन (मी० टन में)
1972	87057
1973	83183
1974 की प्रथम तिमाही (जनवरी-मार्च)	25028

(ख) बरौनी कोक कैल्सिनेशन संयंत्र की रूप रेखा इस ढंग से तैयार की गई है कि उसमें 60,000 मी० टन प्रति वर्ष अपरिष्कृत पैट्रोलियम कोक का शोधन किया जा सके। इस डिजाइन में कैल्सिनेड पैट्रोलियम कोक के 66.6 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक उत्पाद की गारन्टी है और इस आधार पर 40,000 से 45,000 तक मी० टन प्रतिवर्ष उत्पादन का हिसाब लगाया है जोकि फीड करने की क्वालिटी पर निर्भर करता है। वर्ष 1972 से कैल्सिनेड पैट्रोलियम कोक का शुद्ध उत्पादन निम्न प्रकार है :—

वर्ष	कैल्सिनेड पेट्रोलियम कोक का शुद्ध उत्पादन (मी० टनों में)
1972	22603
1973	16204
वर्ष 1974 की प्रथम तिमाही (जनवरी—मार्च)	10013

(ग) इस समय बरौनी में अपरिष्कृत पेट्रोलियम कोक का कुल स्टाक 50,000 से 60,000 मी टन तक है।

(घ) जी, नहीं। बरौनी शोधनशाला में कोक की अधिक सूची का ध्यान रखते हुए पक्के प्लेट फार्म के अलावा अपरिष्कृत पेट्रोलियम कोक का संग्रह जमीन पर कई जगह करना पड़ा था। जमीन पर पड़े किसी ढेर की निचली सतह के कीचड़ धूल आदि के साथ दूषित हो जाने की सम्भावना है किन्तु इस की मात्रा थोड़ी समझी जाती है। तथापि उसका उल्लेख किया जा सकता है जबकि कैल्सिनेशन उद्देश्य के लिए अपेक्षित अपरिष्कृत पेट्रोलियम कोक के मामले में राख तत्व के बारे में अनुबन्ध कठोर है कार्बाइड उद्योग सदृश बहुत से अन्य औद्योगिक प्रयोगों के लिए स्वीकार्य राख की सीमा बहुत अधिक है।

Manjhi and Turtipar Railway Bridge across Ghaghara river

8823. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state

(a) how old is the Manjhi and Turtipar railway bridge across the Ghaghara riv on the Uttar Pradesh and Bihar borders;

(b) whether the State Government has been demanding its conversion into a rail cum-road bridge; and

(c) if so, the difficulties faced by the Railway Ministry in expanding this bridge when many new bridges have already been constructed in Bihar?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) The railway bridge over Ghaghara River between Manjhi and Bakulha stations is 62 years old. The other bridge over the same river between Turtipar and Bilthra Road stations is 71 years old.

(b) and (c) The railway bridges are constucted primarily for railway traffic. The facility for crossing of road traffic over such bridges is not provided as a rule but only in exceptional cases when the road authority/State Government specially requests for such a facility, with an undertaking to bear their share of the cost and provided the arrangement is found otherwise feasible.

The two railway bridges across Ghaghara River between Manjhi and Bakulha, and between Turtipar and Biltha Road Stations have been constructed as rail bridges only carry purely rail traffic. These bridges cannot carry road traffic in addition. The condition of these two bridges is otherwise sound and does not warrant replacement of girders at present. The State Government has been apprised of this position.

Conversion of lines into Broad Gauge in Eastern Districts of Uttar Pradesh

*8824. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to convert the narrow gauge lines in the Eastern Districts of Uttar Pradesh, especially in Varanasi and Chupra, into broad gauge lines during the current year;

(b) the time by which the said narrow gauge lines would be converted into broad gauge ones;

(c) whether it was proposed to him during his visit to the Eastern Districts of Uttar Pradesh that a new railway line should be laid from Belsare Road to Maniar-Balia via Sikanderpur and a double line be laid from Belsare Road to Basra via Nagra; and

(d) whether he had given an assurance in this regard and if so, the reasons why these lines could not be laid so far and the time by which these would be laid?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) & (b). Railway lines in this area are of metre gauge standard and not narrow gauge. Gauge conversion of Barabanki-Samastipur line, a major portion of which falls in Eastern Uttar Pradesh and which passes through Chupra, is already in progress. This work is expected to be completed by April, 1977. Gauge conversion of Varanasi-Bhatni M.G. section to B. G., was also considered but the examination of the survey reports revealed that this conversion would not be an immediate necessity. Provision has been made in the Budget for 1974-75 for carrying out engineering-cum-traffic surveys for the conversion of Allahabad-Varanasi M.G. section into B.G. This scheme would be further considered after the proposed surveys are completed. Due to stringency of funds, conversion of only arterial metre gauge sections which have reached near saturation points is being considered, hence other sections in the area, namely Varanasi-Phephna-Ballia-Chupra and Indara-Ballia have not been considered for conversion for the present.

(c) & (d) There is no place by name Belsare Road in this area. Presumably, reference is to Bilthara Road, a station on the Varanasi-Bhatni M.G. section of the North Eastern Railway. There have been representations for railway lines in this area, in particulars for a new line from Bilthara Road to Rasra via Nagra. However, as funds available for new lines are extremely meagre and would barely be sufficient to complete the works in progress and other projects to serve the core sector, the suggested lines in the area would have to await better times.

As even a single track new line between Bilthara Road and Rasra via Nagra is not being considered, the question of laying a double line between these places does not arise.

Arrangements to supply drinking water at stations on Eastern Railway

8825. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether adequate arrangements have not been made to supply drinking water and to deploy watermen at each station on the Eastern Railway and if so, the action being taken to make such arrangement?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): Adequate arrangements for supply of drinking water exist at all railway stations on the Eastern Railway.

Construction of Over-Bridge and Under-Bridge at Railway Crossing at Balia (N.E. Railway)

8826. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether his Ministry had sanctioned five years ago the work of constructing an over-bridge and an under-bridge at the railway crossing at Balia on N.E. Railway and the State Government had also agreed to contribute their share; and

(b) the reasons for not constructing these bridges so far and the time by which they are likely to be constructed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No.

(b) Does not arise.

दिल्ली में वकीलों द्वारा सैशन न्यायालय का बहिष्कार

8827. **श्री नवल किशोर शर्मा:** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अधिवक्ताओं ने सैशन न्यायालय का बहिष्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं और सरकार उनको कहां तक पूरा करने का विचार कर रही है;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों से भी अधिवक्ताओं द्वारा इस प्रकार की मांगें की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री आर० एच० गोखले) :(क) तथा (ख) ऐसा समझा जाता है कि अधिवक्ताओं ने 6 अप्रैल और 20 अप्रैल, 1974 को, जो शनिवार थे, दिल्ली के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का बहिष्कार किया। दिल्ली बार एसोसिएशन ने 29 मार्च, 1974 को एक संकल्प पारित किया जिसमें शनिवारों को पूर्ण अवकाश-दिवस घोषित किए जाने की मांग की गई और सूचित किया कि यदि उनकी मांग 5 अप्रैल, 1974 तक स्वीकार नहीं की गई तो बार के सदस्य उक्त तारीख के बाद शनिवारों को न्यायालयों में पैरवी के लिए उपस्थित नहीं होंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय को दिल्ली बार एसोसिएशन का संकल्प प्राप्त होने और उक्त एसोसिएशन के कुछ सदस्यों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भेंट किए जाने के पश्चात्, उच्च न्यायालय ने उक्त एसोसिएशन के अध्यक्ष को सूचित किया था कि न्यायालयों में अनिर्णीत और लम्बित पुराने मामलों की विशाल संख्या के और संस्थित किये जाने वाले नये मामलों की बड़ी संख्या के संदर्भ में इस विषय की जांच किया जाना आवश्यक है और इसमें कुछ समय लगने की संभावना है। इन परिस्थितियों को देखते हुए एसोसिएशन से अपने निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने का अनुरोध किया गया था। चूंकि यह विषय सामान्य नीति के ऐसे प्रश्न से सम्बद्ध है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इसलिए इस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडु सरकार का पांचवीं पंचवर्षीय योजना से सेतुसमुद्रम योजना के लिये अनुरोध

8828. **श्री बी० एस० मूर्ति:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सेतुसमुद्रम योजना आरम्भ करने के लिये केन्द्रीय सरकार पर जोर डाल रही है;

(ख) क्या इस बारे में राज्य सरकार के साथ कोई बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :(क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के अधिकारियों के बीच हाल में कोई बैठक नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे के अंगुली छाप परीक्षकों से अच्छे वेतनमानों के लिये अभ्यावेदन

8829. **श्री पन्नालाल बारुपाल**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड को वर्ष 1974 में रेलवे के विभिन्न अंगुली छाप परीक्षकों से अच्छे वेतनमानों के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो रेल मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है और अन्तिम निर्णय कब तक कर लिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां ।

(ख) उंगली छाप परीक्षकों के लिये वेतनआयोग द्वारा अनुमोदित संशोधित वेतन की दरें सरकार द्वारा मंजूर कर ली गयी हैं । इन वेतनमानों में, जिन्हें पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है, कोई आशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है ।

विभिन्न देशों के साथ अशोधित तेल के लिये समझौते

8830. **श्री समर गुह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोधित तेल तथा इसकी अदायगी के बारे में विभिन्न तेल उत्पादक देशों के साथ हाल ही में किये गये समझौते संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान भारतीय विदेशी मुद्रा पर पड़ने वाला दबाव किस सीमा तक कम हो जायेगा ;

(ग) ईरान, ईराक तथा अन्य देशों से हुए इस प्रकार के समझौते के कारण तेल के निर्यात संबंधी व्यय में कितनी कमी होने की संभावना है ; और

(घ) क्या प्रविदेशी मुद्रा व्यय में प्राप्त हुई इस प्रकार की राहत के आधार पर अशोधित तेल के उत्पादों के मूल्यों का पूर्ण मूल्यांकन किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) स्थगित भुगतान के आधार पर कच्चे तेल की सप्लाई के लिये ईराक तथा ईरान से द्विपक्षीय प्रबन्ध किये गये हैं । उन के ब्यौरों को बताना जनहित में नहीं है ।

(ख) और (ग) कच्चे तेल के आयात पर होने वाले व्यय में कोई कमी नहीं हुई है । तथापि उस अवधि जिस के लिये स्थगित भुगतान की सुविधाएं दी गई हैं के लिये विदेशी मुद्रा की मांग उस सीमा तक कम होगी जिस सीमा तक ऋण संबंधी सुविधायें उपलब्ध होंगी ।

(घ) इस के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

वर्ष 1971-73 के दौरान रेलवे को अदा किया गया विलम्ब शुल्क

8831. **श्री समर गुह**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-73 के दौरान माल के वैगनों को खाली करने में विलम्ब के लिए रेलवे को कुल कितना विलम्ब शुल्क अदा किया गया ;

(ख) क्या व्यापारियों और कारोबार करने वालों द्वारा जानबूझ कर गड़बड़ करके विलम्ब किये जाने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें या हैं ।

(घ) क्या रेलवे के वैगनों के आने जाने के बारे में संकट के अन्य कारणों का पता लगाया गया है ।

(ङ) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ; और

(च) वैगनों के निर्बाध रूप से आना-जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किय गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) (1) 1-12-72 से विलम्ब शुल्क की दरें बढ़ा दी गयी हैं ताकि उन्हें और कड़ा बना दिया जाये ।

(ग) (2) परिवहन समय समाप्त हो जाने के बाद माल के खो जाने और क्षतिग्रस्त हो जाने के लिये अभाननदार के रूप में रेलों की दायिता कम करने के उद्देश्य से भारतीय रेल अधिनियम में संशोधन किया गया है ।

(3) माल पाने वालों से सम्पर्क स्थापित किया जाता है और उन्हें सुपुर्दगी लेने तथा माल को स्टेशन से हटाने के लिये प्रेरित किया जाता है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) और (च) (1) दुर्घटनाओं, पटरी की टूट-फूट, नागरिक उपद्रवों और हड़तालों आदि के परिणामस्वरूप अस्थायी अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं । जैसे ही कारण समाप्त हो जाता है यह अवरोध दूर हो जाते हैं ।

(2) यातायात के तरीके में परिवर्तन हो जाने से लाइन क्षमता के अपर्याप्त हो जाने के कारण परिवहन में अवरोध पैदा हो सकते हैं । ऐसे अतिरिक्त यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए लाइन क्षमता के कामों की योजना तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना रेलों के परिचालन की एक स्थायी विशेषता है ।

बिजली के संकट के बारे में उच्च शक्ति-प्राप्त समिति का गठन

8832. **श्री समर गुह**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्यमान बिजली के संकट के मूल कारणों का पता लगाने के लिये कोई उच्च-शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने ऐसा मूल्यांकन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो देश में बिजली का वर्तमान संकटे जिन मूल कारणों से हुआ है उनके बारे में तथ्य क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के परामर्श के साथ देश में विद्युत आपूर्ति स्थिति की लगातार संवीक्षा विद्युत की कमी के कारणों का मूल्यांकन तथा उपचारी उपाय तैयार कर रहा है । वर्तमान विद्युत कमी के आधारभूत कारण ये हैं :—

(1) अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिये चौथी योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में 54 प्रतिशत की कमी ;

(2) फालतू पुर्जों, कोयले की उपयुक्त किस्म और प्रशिक्षित तकनीकी व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण संयंत्रों के उत्पादन में कमी ,

(3) कुछ अन्तर्राज्यीय एवं अन्य पारेषण लाइनों के पूर्ण होने में देरी , और

(4) कुछ जल-विद्युत परियोजनाओं के वाह क्षेत्रों में वर्षा का न होना ।

रेल मंत्रालय तथा परिवहन और नौवहन मंत्रालय में तालमेल

8833. **श्री० वी० एस० मूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय तथा परिवहन और नौवहन विभागों में जिन कामों में भी सम्भव है उनमें तालमेल बनाने के बारे कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) नौवहन और परिवहन मंत्रालाय की रेल सड़क समन्वयन के प्रयोजन से और जो इस समय उक्त मंत्रालय के विचाराधीन है, रेल मंत्रालय द्वारा सुझाये गये उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) राज्य सरकारों को कहा जा रहा है कि वे रेलवे स्टेशनों की भीतरी क्षेत्रों से जोड़ने के लिये सड़क संपर्कों की व्यवस्था करने के काम को प्राथमिकता प्रदान करें तदनुसार नौवहन और परिवहन मंत्रालय ने राज्य सरकारों से पत्र व्यवहार किया है ।

(2) क्षेत्रीय/राज्य परिवहन अप्राधिकरणों में केन्द्रीय सरकार (रेलवे विभाग) को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये मोटर वाहन अधिनियम, 39 की धारा 44(2) में संशोधन करने के लिये कार्रवाई की जा रही है।

(3) कुछ राज्य सरकारों द्वारा गठित कतिपय परिवहन परामर्श समितियों मंडलों में रेलों द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त करना ।

(4) केन्द्रीय परिवहन विकास परिषद् की पद्धति पर राज्य स्तर पर परिवहन विकास परि गठित करने के लिये, राज्य सरकारों से निवेदन किया जा रहा है। इन परिषदों में रे को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस मामले में भी नौवहन और परिवहन मंत्रालय ने रा सरकारों से अनुरोध किया है।

(5) अन्तर्राज्य परिवहन आयोग का सुदृढ़ीकरण और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 63-(2) घ के अन्तर्गत, आयोग की शक्तियों का प्रत्यायोजन ताकि वह किसी भी परमिट व प्रदान, निरस्त, निलम्बित या प्रतिहस्ताक्षरित कर सके। राज्य सरकारों द्वारा इसका विरो किया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश की रेल लाइनों की अखिल भारतीय औसत से अनुरूपता

8834. **श्री बी०एस० मूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की सभी रेल लाइनें अखिल भारतीय औसत के अनुरूप हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा विषमता दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। आन्ध्र प्रदेश में प्रति लाख आबादी पर रेलवे लाइनों की मार्ग किलोमीटर संख्या 10.9 है जबकि इसका अखिल भारतीय औसत 11.0 है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गान्धीधाम से लखपत-बरास्ता-मांडवी रेलवे लाइन के विस्तार तथा गान्धीधाम से भुज मीटरगेज को बड़ी लाइन में बदलना

8835. **डा० महिपतराय मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि या गान्धीधाम से लखपत तक बरास्ता मांडवी रेलवे लाइन के विस्तार तथा गांधीधाम से भुज तक मीटरगेज को बड़ी लाइन में बदले जाने का सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा हो जायेगा और ये परियोजनायें कब आरम्भ की जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मांडवी के रास्ते गांधीधाम और लखपत के बीच मीटर आमान बड़े आमान की रेल लाइन बनाने के लिये जिसमें एक वैकल्पिक लाइन के लिये गांधीधाम-भुज मीटर लाइन खंड का बड़े आमान में बदलाव शामिल है, सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा रही है। रिपोर्टों की जांच पूरी हो जाने के पश्चात् निर्माण परियोजनायें शुरु करने के संबंध में अन्तिम विनिश्चय किया जायेगा ।

मछलीपटम और रेपाल्ले क्षेत्रों में पेट्रोलियम के निक्षेप

8836. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछलीपटम और रेपाल्ले क्षेत्रों तथा इन क्षेत्रों के समुद्र तट में पेट्रोलियम के निक्षेपों का पता लगाने के लिये कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) अब तक किये गये भूगर्भीय और भूभौतिकीय सर्वेक्षणों और कम गहराई पर व्यधन और ग-चुम्बकीय सर्वेक्षणों से कोई खोज नहीं हुई है और न ही इन क्षेत्रों में पेट्रोलियम निक्षेपों की संभव मानता का पता चला है । तेल अन्वेषण का कार्य जारी है ।

रूसी तटदूर भूकम्पीय अभियान-दल का प्रतिवेदन

8837. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या 1967 के रूसी तटदूर भूकम्पीय अभियान दल के प्रतिवेदन पर पूर्णतया विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तेल और गैस को निकालने के लिये कुओं को खोदने के लिये और भूकम्पीय जांच करने के लिये कौन-कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चुना गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) कैम्बे की खाड़ी के दक्षिण भाग और इसके समीपवर्ती अरब सागर में आधुनिक और जटिल तकनीकों का प्रयोग करने वाले अतिरिक्त भूकम्पीय जांच-पड़ताल की जा चुकी थी जहां रूसी प्रपतटीय भूकम्पीय खोज यात्रा के दौरान संरचना संकेत मिले थे । उन सर्वेक्षणों के परिणामों पर आधारित अन्वेषणात्मक व्यधन के लिये अनेक स्थानों को मुक्त कर दिया है जिसमें से दो का पहले ही व्यधन कार्य हो चुका है। भारतीय महाद्वीपीय मग्न तट में रूसी भूकंपीय खोज यात्रा के परिणामों के आधार पर अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अतिरिक्त भूकंपीय जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता होगी जो कि कच्छ की खाड़ी के पश्चिम भाग और निकटवर्ती अरब सागर काठियावाड के तट से उत्तर क्षेत्र अरब सागर में बम्बई के दक्षिणी क्षेत्र पाल्क स्टेट कोरोमंडल तट से उत्तर क्षेत्र और बंगाल और महा नदी के मग्नतट क्षेत्र में है । इन की जांच पड़ताल करने के लिये तेल की प्राकृतिक गैस आयोग ने पहले से ही एक पूर्ण सुसज्जित भूकंपीय सर्वेक्षण पोत का आदेश दिया है। वर्ष 1975 के आरम्भ होते ही उसके आजाने की संभावना है ।

परिशिष्ट 2 आई० आर० ई० एम० के कोटे से अधिक कर्मचारियों को, जो वापिस भेजे गये, राहत

8838. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के अजमेर तथा दिल्ली स्थित ट्रैफिक एकाउंट्स आफिस तथा एफ० टी० ए० कार्यालयों में क्लर्क ग्रेड I के अवकाश-रिक्ति पदों का 25 प्रतिशत कोटा उपयुक्त वरिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति से भरे जाने के परिणामस्वरूप 1-4-60 के बाद परिशिष्ट 2 आई० आर० ई० एम० अर्हता प्राप्त जो कर्मचारी अपने कोटे में पदोन्नत हुये थे उन्हें रिक्ति अवकाश समाप्त होने पर अवनत कर दिया गया था ;

(ख) क्या उपरोक्त अनियमितता को इस बीच समाप्त कर दिया गया है और यदि हां, तो किस तिथि से ; और

(ग) कोटे से अधिक परिशिष्ट 2 आई० आर० ई० एम० कर्मचारियों को, जो अवनत कर दिये गये थे, क्या राहत दी गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 25 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत उपयुक्त वरिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप कोई पदावनतियां नहीं हुई हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों का कालका स्टेशन पर पार्सल क्लर्कों के घरों में घुस जाना

8839. **श्री महादीपक सिंह शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल के कुछ कर्मचारी जनवरी-फरवरी, 1974 में कालका स्टेशन पर पार्सल क्लर्कों के घरों में घुस गये और जबर्दस्ती कुछ मूल्यवान वस्तुयें उठा ले गये ;

(ख) क्या इन कर्मचारियों ने ताराज्ञापन द्वारा उच्चाधिकारियों को अभ्यावेदन पेश किये थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक जांच के आदेश देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक शिकायत मिली है कि 25/26 जनवरी, 1974 की रात को रेलवे सुरक्षा दल के दो रक्षकों ने कालका के पार्सल क्लर्क श्री घनश्याम नाथ को पकड़ा जिस पर एक इंजन से चुराया गया कोयला ले जाने का तथाकथित आरोप लगाया गया और इन रक्षकों ने उसके घर जाकर उसे छोड़ने के लिये दो कलाई घड़ियां और सोने की एक बाली ऐंठ ली ।

(ग) और (घ) दुर्भाग्यवश, रक्षकों के विरुद्ध पूरी गवाही न मिलने के कारण फौजदारी का मामला नहीं बन सका । फिर भी, रेलवे सुरक्षा दल के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की गयी जांच के आधार पर एक उप-निरीक्षक और दो रक्षकों के विरुद्ध कड़ा दण्ड देने के लिये आर्डर दिये गये हैं और चार्जशीटें जारी की जा चुकी हैं ।

Canal Extension work from Rangwan Dam in Chattarpur district (M.P.)

8840. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the progress of work for canal extension from Rangwan Dam in Chattarpur District, Madhya Pradesh; and

(b) the time by which the work of construction of this canal is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) The project is yet in the initial stage of construction and is likely to be completed by the end of the Fifth Plan.

बिहार में अपर सकरी बांध का निर्माण

8841. **श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पुलिस थाना गनवान में अपर सकरी बांध की योजना मूलतः किन प्रयोजनों से बनाई गई थी, किस एजेन्सी के माध्यम से बांध का निर्माण किया जा रहा है और इसकी अनुमानित लागत क्या है ;

(ख) इस योजना से गया तथा मुंगेर जिलों की कितने एकड़ भूमि लाभान्वित होगी और

(ग) इस प्रस्तावित बांध के निर्माण से कितने एकड़ भूमि तथा कितने गांव एवं कितने अभ्रक खाने डूबेंगी और इसके परिणामस्वरूप अनुमानतः कितने व्यक्ति विस्थापित होंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) हथिया अवधि के दौरान वर्तमान सकरी सिंचाई प्रणाली में जल की कमी रहती है । इस समस्या का निराकरण करने तथा अनिरिक्त क्षेत्रों की सिंचाई को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार एक संचयन स्कीम का अन्वेषण कर रही है । अपर सकरी जलाशय स्कीम के क्षेत्रीय अन्वेषण किए जा रहे हैं तथा उनके अगले वर्ष के प्रारम्भ में पूरे हो जाने की प्रत्याशा है । इस स्कीम की अनुमानित लागत लगभग 12 करोड़ रुपये है ।

(ख) गया, पटना तथा मुंगेर जिलों में लाभान्वित होने के लिये संभावित शुद्ध क्षेत्र लगभग 40,000 है० है ।

(ग) प्रस्तावित जलाशय में जलमग्न होने वाले क्षेत्र, गांवों की संख्या तथा अभ्रक खानों, यदि कोई हों, की संख्या के संबंध में विस्तृत सूचना तथा विस्थापितों की संख्या भू-वैज्ञानिक अनुसंधानों सहित, क्षेत्रीय अन्वेषणों के पूर्ण होने तथा विस्तृत रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिये जाने के उपरांत ही ज्ञात होगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance

जाली समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को अखबारी कागज का कोटा दिये जाने के समाचार

अध्यक्ष महोदय : श्री अटल बिहारी वाजपेयी ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : हमें अभी तक वक्तव्य उपलब्ध नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य मेरे पास भी नहीं है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The statement has not been made available.

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : मुझे इसके लिये खेद है । वास्तव में यह वक्तव्य हमें रात को ही प्राप्त हुआ और आज प्रातः ही हम इसे अन्तिम रूप दे पाये । इसकी प्रतियां कुछ ही मिनट पहले भेजी गई होंगी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रतियां अब भेजने का तो कोई लाभ ही नहीं है । कम से कम अध्यक्ष तक तो यह पहुंच जानी चाहिये थीं । वक्तव्य बहुत देर से आया है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, I call the attention of the Ministry of Information and Broadcasting to the following matter of urgent Public importance and request that he may make a statement thereon.

"Reported issue of newsprint Quotas to fictitious newspapers and periodicals."

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : किसी भी नये समाचार-पत्र/पत्रिका को अखबारी कागज का कोटा उसके द्वारा कतिपय औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही आवंटित किया जाता है । ये औपचारिकतायें हैं :—

सबसे पहले इसको प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उन जिला प्राधिकारियों जिनके क्षेत्र में प्रकाशन स्थान आता है, की मार्फत आवेदन करके प्रकाशन के प्रस्तावित नाम को पास करवाना होता है । नाम पास होने के उपरान्त इच्छुक प्रकाशक को पुनः संबंधित जिला प्राधिकारी की मार्फत प्रकाशन को निकालने के लिये एक घोषणा दायर करनी होती है।

समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं को अखबारी कागज का आवंटन समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार की सिफारिश पर आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक सूचना के द्वारा घोषित अखबारी कागज आवंटन नीति के अनुसार किया जाता है। समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार अखबारी कागज के कोटे के आवंटन की सिफारिश करने से पूर्व यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम में निर्धारित सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं । किसी भी समाचार-पत्र/पत्रिका को अखबारी कागज का कोटा तब तक आवंटित नहीं किया जाता जब तक ये औपचारिकतायें पूरी नहीं हो जातीं ।

किसी निश्चित लाइसेंसिंग अवधि में, अखबारी कागज आवंटन नीति के उपबन्धों की शर्तों के अन्दर-अन्दर, प्रकाशक को प्रस्तावित प्रकाशन के लिये अखबारी कागज का प्रारम्भिक कोटा दिया जाता है । नये समाचार-पत्र के मामले में प्रकाशक को आवेदन किए गए आयातित अखबारी कागज के मूल्य के 75 प्रतिशत के बराबर एक बैंक गारंटी देनी होती है। यह बैंक गारंटी तभी रिलीज की जाती है जब प्रकाशक प्रकाशन के प्रथम तीन महीनों के कार्य का ब्यौरा जो चार्टर्ड लेखाकार द्वारा प्रमाणिकृत हो, दे देता है।

जब प्रकाशक 40 टन या इससे अधिक अखबारी कागज के कोटे के लिये आवेदन करता है तो आवेदन-पत्र के साथ आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों में निर्धारित मूल्य की एक ट्रेजरी रसीद भेजनी होती है। प्रकाशक को उपयुक्त प्राधिकारी से प्राप्त आयकर जांच प्रमाण-पत्र या छूट संख्या भी देनी होती है ।

जहां किसी समाचार-पत्र की खपत संख्या की जांच समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार की सरकुलेशन टीम द्वारा की जाती है और उसकी खपत संख्या उसके द्वारा बताई गई खपत संख्या से कम आंकी जाती है तो उसको अखबारी कागज का कोटा आंकी गई खपत संख्या के हिसाब से ही आवंटित किया जाता है । समाचार-पत्र को गत दो लाइसेंसिंग अवधियों के दौरान पहले ही जारी किए गए कोटे का उस आधार पर पुनः-समंजन किया जाता है ।

सरकार के ध्यान में यह आया है कि कुछ प्रकाशकों जिन्होंने अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अखबारी कागज का कोटा प्राप्त कर लिया है, ने अपने प्रकाशनों को नहीं निकाला है । ऐसे प्रकाशनों के उदाहरण भी मिले हैं, जिनको कोटा मिला, परन्तु बाद में पता लगा कि वे वजूद में नहीं

हैं । ऐसे कदाचारों का तभी पता लगता है जब समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार की सरकुलेशन टीम प्रकाशन के स्थान की आवधिक जांच कर अपनी रिपोर्ट देती है या काजजी प्रमाण सहित विशिष्ट शिकायत प्राप्त होती है । जब मामला पकड़ा जाता है तो संबंधित प्रकाशक को उसको मिले अखबारी कागज के कोटे का हिसाब देने के लिये कहा जाता है । यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो मामला आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय की इन्फोर्समेंट ब्रांच को जांच-पड़ताल करने के लिये भेज दिया जाता है। यदि इस कदाचार को रोकने के लिये यह निर्णय ले लिया जाए कि किसी प्रस्तावित समाचार-पत्र को अखबारी कागज का कोटा तब तक न दिया जाय जब तक वह निर्धारित न्यूनतम अवधि के लिये अपने प्रकाशन को प्रमाणित न कर दे तो इससे वास्तविक प्रकाशनों पर भी प्रभाव पड़ेगा । उनकी यह जायज शिकायत होगी की अखबारी कागज के प्रारम्भिक कोटे के आवंटन के बिना उनके लिये पत्र का प्रकाशन करना संभव नहीं होगा । तथापि, अखबारी कागज के दुरुपयोग की शिकायतों को देखते हुये नये प्रकाशनों को अखबारी कागज आवंटित करने की प्रक्रिया पर पुनर्विलोकन किया जा रहा है, और उसको 1974-75 के लाईसेंसिंग वर्ष के लिये अखबारी कागज की आवंटन नीति में घोषित किया जायेगा।

मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार बेईमान तत्वों के द्वारा अखबारी कागज के दुरुपयोग के प्रति जागरूक है । ऐसे दुरुपयोग के मामले जब भी सरकार के ध्यान में आते हैं, उनकी उचित जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई की जाती है । समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार की सरकुलेशन टीमों की संख्या सीमित है और सामान्यतः एक प्रकाशन स्थान पर तीन-चार वर्ष में केवल एक बार ही जाया जा सकता है और उसकी जांच की जा सकती है। खपत संख्या की जांचों को कारगर बनाने के लिये हाल ही में इस पद्धति का विकेन्द्रीकरण करने का निर्णय किया गया है और अब बम्बई (पश्चिमी क्षेत्र को कवर करने के लिये), मद्रास (दक्षिण क्षेत्र को कवर करने के लिये), कलकत्ता (पूर्वी क्षेत्र को कवर करने के लिये), तथा दिल्ली (उत्तरी क्षेत्र को कवर करने के लिये) के प्रादेशिक केन्द्रों में एक-एक सरकुलेशन अधिकारी तैनात कर दिया गया है।

तथापि, इस बुराई को कारगर ढंग से समाचार-पत्र उद्योग के सहयोग से ही रोका जा सकता है । अखबारी कागज का कोटा केवल प्रस्तावित प्रकाशनों सिहत समाचारपत्रों को आवंटित किया जाता है और कोटे का दुरुपयोग केवल प्रकाशकों की मिलीं भगत से ही हो सकता है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कल के इकोनोमिक टाइम्स में जो समाचार छपा है, उसका ध्यान किया गया है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को उसकी आवश्यक जांच करने के लिये कहा गया है।

श्री समर गुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समय मैं व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री समर गुह : पूर्णतया संबद्ध मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम प्रस्तावक सदस्यों वाली सूची में है और उस समय आप अपनी बात कह सकते हैं । श्री वाजपेयी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Had the Commerce Minister been there, it would have been better.

There is acute shortage of newsprint in the country. Consequently on one side the newspaper prices are going up and on the other, there is cut in the number pages of newspapers. This Government has been an utter failure so far as the production and import of newsprint

is concerned. Though I do not want to raise the issue of production of newsprint because it is not directly concerned with the motion. But it is a fact that the production of newsprint has not increased to the desired extent in the country. Now the question is that of import of newsprint and its proper distribution.

It was surprising to note that 7,000 tonnes of newsprint is lying on the ports of Canada and the same is not being lifted by Shipping Corporation because it is cheaper to bring newsprint. It is a matter of pity that there is acute shortage of newsprint in the country and Government of India is not adopting a clear policy about it. May I know from the hon. Minister whether it is a fact that purchased newsprint is lying in Canada and a dispute is going on between Shipping Corporation and the State Trading Corporation for bringing the same. On the other hand we will have to pay a demurrage to the tune of about two lakhs rupees in foreign exchange.

Now the question is about the distribution of imported newsprint. Though there is a set procedure for the same but it has been accepted by the hon. Minister that there can be some malpractices. But I want to know who is responsible for the malpractices ? In reply to a question, it was stated by the Government on 21st February, 1974 :

'Newspapers claiming circulation of 2,000 copies are not required to submit a chartered.

Accountent Certificate in support of their claim.'

But this has not been mentioned in todays statement. Rather it has been stated :

'The Bank guarantee is released only after the publisher has furnished performance particulars for the first three months of publication certified by a chartered accountant.

Both these statements are contradictory. May I know which of them should be treated as correct by the House?

The newsprint quota is issued to a large number of fictitious newspapers and periodicals. The Registrar of Newspapers, S.T.C. and Commerce Ministry Officers are hand and glove with each other in making fictitious issue of quotas. It is a big racket. It has been stated by the Economic Times :

"Incidentally malpractices indulged in by certain individuals in the Bombay office of State Trading Corporation are also been unearthed. Here it is alleged that two officials handling allocation of newsprint set up an agency of their own and sold newsprint for a premium. The agency, it is stated, operated from the STC office itself.

Those who are in need of newsprint, get the same through STC. May I know whether hon. Minister had any discussion on this subject with STC and Commerce Ministry? It has also been stated that the newspaper circulation is observed by team of Registrar, Newspaper Office, may I know if any such case has since been deducted by the team?

On 21st July 1974, it was stated by Mr. Gujral that the Government would launch prosecution against those indulging in malpractices with the newsprint circulation. Checking will be stricker. In view of this I want to know any case has been registered against any newspaper of factitious circulation. May I know if Government is going to make it

a cognisable offence ? Why Government is silent in this respect ? Is there any Committee for making effective coordination between his Ministry, Registrar Newspapers Commerce Ministry and S.T.C. or not ? These are all interconnected questions but nothing has been said about them in the statement. I would like that hon. Minister should throw some light on these aspects.

Shri I. K. Gujral : Regarding the points raised by Shri Vajpayee, I want to submit that we are having only four Circulation Checking Teams but still an attempt is made to make more and more checking of newspapers. In 1972, there were about 118 newspaeprs whose circulation figures were not correct. Their circulation was revised and newsprint quota curtailed. That way we saved about 500 tonnes of newsprint. The prosecution is necessary for effective implimentation of it . We send all the cases of import control to the Enforcement Directorate for prosecution. In some cases they have launched prosecution. If the Ministry of Information takes the power of launching prosecution that would be more effective. I agree to the suggestion given by Shri Atal Bihari. We want to take an early decision in this regard by consulting the Ministry of Law.

A mention has been made about the import of newsprint from Canada. According to all the previous agreements which were concluded with Canada, the F.O.B. responsibility happened to be of Canada but since there is shortage of newsprint. Canada has got rid of the shipping responsibility. We have accepted their condition. Our shipping is not advanced. We have had discussion with the Ministry of Shipping in this regard. It appears that there will be newsprint crisis during June-July.

A question was raised that the small newspapers have not to submit Chartered Accountant's certificate. We call for Chartered Accountant's Certificate from the newspapers every year whose circulation is less than two thousand newspapers but the new newspapers produce the certificate of performance after four months. At that time we ask for a certificate to prove if they have utilised the newsprint allotted to them or not

Shri Vajpayee mentioned about the officers of the S.T.C. We contacted the S.T.C. and they have replied that 'the officers' have been transferred.

The Newsprint Advisory Committee goes into the whole policy and it takes care of the purchase and shipment.

Shri Madhu Limaye (Banka) : I would like to draw the attention of the hon. Minister to the news published in the Economic Times. It says :

> "At least 25 per cent of about 3000 newspapers and periodicals recommended to the Government for issue of newsprint quota are stated to be either fictitious parties....."

A serious allegation has been made. If the Government checks the issue of 25 per cent of newsprint quota to fictitious parties, the shortage of the newsprint can be met to some extent.

May I know whether the Government has any such information that the officers who have recommended the issue of newsprint quota to the fictitious newspapers have been punished ? I request the hon. Minister to clarify the position.

A few years ago when the case of Bennett Coleman. Came to light and there were many sorts of allegations in the report of the Inquiry Commission against the Shanti Prasad Jain Group which manipulated newsprint and waste on a large scale but the Government did not give any punishment to them. Not only this, the Government does not pay attention to the wrongs done by the two Directors on the Board of Directors of this Company. At that time an assurance was given that the newspapers journalists would be given representation on the Board of Directors but to whom the representation was given. They show reluctance in issuing newsprint quota to the newspapers like "Janata", "Sadhna" and "Pratipaksh.". The hon. Minister should have a little thinking in this regard.

The names of an Industrial House of Poona and a Member of Parliament have been mentioned. I do not know which Member of Parliament publishes a daily newspaper. Shri Anantrao Patil is sitting before me. If his feelings have been hurt, I would like to appeal him to smash the racket prevalent in the S.T.C.

श्री आई० के० गुजराल : श्री मधु लिमये द्वारा लगाये गए आरोप को मैंने देखा है कि जिन अखबारों को अखबारी कागज दिया गया है उनमें से 25 प्रतिशत जाली अखबार हैं । इस समय इस बारे में कोई ब्यान देना जल्दबाजी होगी । हमारे सामने दो बातें हैं। यदि हम किसी अखबार को कोटा नहीं देते हैं तो सभा में कहा जाता है कि प्रेस की स्वतन्त्रता का दमन किया जा रहा है और यदि हम कोटा दे देते हैं, तो कोई कदाचार हो जाता है । एक बार हमने यह सोचा कि जो नया अखबार निकले वह पहले तीन या छह महीने तक अखबार निकालते रहें और फिर हमारे पास अखबारी कागज के लिये आयें। इसमें दिक्कत हुई और हमें नीति बदलनी पड़ी । यदि "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित आरोप को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वह नये समाचार-पत्रों के विरुद्ध है । हम पुनः पुरानी नीति अपनाने पर विचार कर रहे हैं ।

कोई भी अधिकारी अखबारी कागज के आवंटन की सिफारिश नहीं करता है । हमारी नीति स्पष्ट है । यदि कोई अधिकारी दोषी पाया गया, तो मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि उसे क्षमा नहीं किया जायेगा ।

बेनेट कोलमैन के निदेशक बोर्ड को बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा गठित किया गया था । अतः इन सामान्य आरोपों को उस संदर्भ में देखना होगा ।

मेरे मित्र ने कहा कि "प्रतिपक्ष" जैसे अखबारों को अखबारी कागज नहीं दिया जाता है । यह कहना ठीक नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : I said they show reluctance.

Shri I. K. Gujral : They do not show reluctance but issue whatever is available.

श्री अनन्तराव पाटिल (खंड) : (व्यवधान)—चूंकि श्री मधु लिमये ने मेरा नाम लिया है अतः मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। प्रेस रजिस्ट्रार, एस० टी० सी०; बम्बई 'आथोराइजेसन्स' जारी करता है। अखबारों को अखबारी कागज के लिये एस० टी० सी० के पास जाना पड़ता है और कुछ अधिकारियों का संबंधित अनुमति देने वाले एजेंटों और आयात गृहों के साथ होता है।

अगर हमें अखबारी कागज का कोटा सोमवार को मिलता है तो हमें मंगलवार या बुधवार आने के लिये कहा जाता है और फिर तीन दिन पंक्ति में खड़ा होना पड़ता है। यह हालत बम्बई में है ।

श्री धामन कर (भिवंडी) : 'इकानामिक टाइम्स' में यह समाचार पढ़कर बहुत दुःख हुआ कि प्रकाशकों और समाचार पत्र चलाने वालों ने अखबारी कागज के लिये एक गिरोह बनाया हुआ है। अखबारों का काम समाचार देना और चोरबाजारी को रोकना है परन्तु अब अखबारें ही चोरबाजारी में लगी हुई हैं, तो देश की हालत का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

वाणिज्य मंत्रालय तथा रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर्स के कार्यालयों द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों के बावजूद भी बड़े पैमाने पर चोरबाजारी क्यों चल रही है?

अखबारी कागज पर लगी रोक के बावजूद कई समाचार-पत्र 8 पृष्ठों के समाचार पत्र निकाल रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन समाचार पत्रों को एकाधिकारी चला रहे हैं और उन्होंने रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर्स से सांठ गांठ की हुई है। अथवा काफी मात्रा में अखबारी कागज जमा किया हुआ है। जो समाचार-पत्र विनियमों का पालन करते हैं उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है।

अखबारी कागज के आवंटन का मानदंड क्या है? क्या कागज परिचालन के आधार पर दिया जाता है अथवा विनियमों के लागू होने तक समाचार-पत्रों के पृष्ठों के आधार पर दिया जाता है? क्या सरकार ने उन समाचार-पत्रों और सार्वधिक पत्र-पत्रिकाओं के बारे में पूरी-पूरी जांच कर ली है जिन्हें अखबारी कागज का कोटा दिया जा रहा है? क्या यह सच है कि कुछ बड़े एकको ने अखबारी कागज जमा किया हुआ है और वे विशिष्ट विचारधारा वाले पत्र-पत्रिकाओं को इसकी सप्लाई कर रहे हैं? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अखबारी कागज की चोरबाजारी जोरों पर है और यदि हां, तो इसको रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

मंत्री महोदय ने बताया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इसकी जांच करेगा। क्या तब तक यह घोटाला चलता रहेगा? क्या कागज की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार नए कारखाने स्थापित किए जाने की संभावना का पता लगायेगी? क्या उन पत्र-पत्रिकाओं के लिये अखबारी कागज का कोटा अब तक दिया जा रहा है जो पहले ही बन्द हो चुके हैं? कदाचारों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री आई० के० गुजराल : अखबारी कागज का कोटा गत वर्ष के निष्पादन और परिचालन के आधार पर दिया जाता है। हम परिचालन लेखापरीक्षण ब्यूरो के प्रमाण-पत्र को भी आधार मानकर कोटा देते हैं परन्तु इसके बावजूद भी कुछ कदाचार हैं। जो समाचार-पत्र पंजीकृत हैं, परन्तु प्रकाशित नहीं किए जाते, हम उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हैं और हमने कुछ मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी भेजे हैं। अखबारी कागज के और कारखाने भी स्थापित किए जा रहे हैं। अखबारी कागज के खराब निकल जाने से कोटा लेने वाले को ही घाटा होता है। हम केवल कुछ प्रतिशत कागज क्षतिपूर्ति के लिये देते हैं और मेरे विचार में 6 या 7 प्रतिशत कागज अधिक दिया जाता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): मेरे विचार में कागज की कमी कृत्रिम है। अखबारी कागज की चोरबाजारी करने वालों को अपनी जेबें भरने का पूरा अवसर मिल रहा है।

अखबारी कागज का नियंत्रित मूल्य 2800 रुपये प्रति टन है जबकि चोरबाजार में इस का मूल्य 6,000 रुपये प्रति टन तक है। सरकार को इस बात की पूरी जानकारी है। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स के भ्रष्ट कर्मचारियों के साथ बड़े-बड़े समाचार पत्रों के मालिकों की सांठ-गांठ से ऐसा हो रहा है। राज्य व्यापार निगम भी इसके लिये जिम्मेदार है। अखवारी कागज के वितरण की प्रणाली भी

दूषित है और समाचार पत्रों की परिचालन संख्या को बढ़ा-चढ़ा कर दिखा दिया जाता है और अखबारी कागज का अधिक कोटा ले लिया जाता है । सरकार स्वामित्व को समाप्त करने की कई वर्षों से बात कर रही है परन्तु सरकार को अखबारी कागज के बड़े उपभोक्ताओं के साथ मित्रता और सहानुभूति है और यही कारण है कि सरकार अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिये ढांचे को खराब करना नहीं चाहती ।

कागज की कमी यदि वास्तव में विद्यमान है तो फिर नए संस्करण निकालने की अनुमति क्यों दी जा रही है ? दूसरी बात यह है कि 3,000 समाचार पत्रों में से 25 प्रतिशत समाचार पत्र ऐसे जो नकली कोटा ले रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप कागज चोरबाजार में जा रहा है तीसरे, कई समाचार-पत्र जानबुझ कर अपनी परिचालन संख्या को बढ़ा-चढ़ा कर अधिक कोटा ले लेते हैं । भ्रष्ट कर्मचारियों की बड़े-बड़े व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ है । राज्य व्यापार निगम के दो कर्मचारियों को इस सिलसिले में रंगे हाथों पकड़ा गया था परन्तु जेल भेजने के बजाय उनका तबादला कर दिया गया । मैं सरकार पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि वह जानबूझ कर चोर बाजारी को रोकना नहीं चाहती क्योंकि वह समाचार पत्रों से राजनीतिक चंदा लेना चाहती है ।

"बासुमती" पत्रिका के श्री ए० के० सेन अखबारी कागज की चोरबाजारी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे परन्तु उस मामले पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? दूसरे आनन्द बाजार पत्रिका वालों को भी 4,500 मन अखबारी कागज की चोरबाजारी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था परन्तु उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक "बासुमती" का सम्बन्ध है, जांच चल रही है । जांच की प्राणाली ऐसी है कि हम पर्याप्त आधारों के बिना मुकदमा नहीं चलाते और इसमें समय लगना स्वाभाविक है । जहां तक "आनंद बाजार" पत्रिका का सम्बन्ध है, मैंने उन्हें लिख दिया है कि इस मामले में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । इसलिए हमने आगे कार्यवाही नहीं की ।

जहां तक नए संस्करणों और पत्रों के प्रकाशन का सम्बन्ध है, सरकार इस बात का निर्णय नहीं कर सकती कि नए संस्करण निकाले जाएं अथवा नहीं । सर्वोच्च न्यायलय ने उनको यह अधिकार दे रखा है कि वह नए संस्करण छाप सकते हैं । नए संस्करण छापने वालों को नियतित अखबारी कोटे के भीतर ही गुजारा करना होता है और यह देखना उन का काम है कि क्या उनके पास पार्याप्त अखबारी कागज है । हम अपनी इच्छा से कोई भी पत्र बन्द नहीं कर सकते ।

माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए अन्य प्रश्न वर्तमान मामले से सम्बन्धित नहीं है और किसी अन्य अवसर पर मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : 'इक्नामिक टाइम्स' में अखबारी कागज के घोटाले तथा कागज की चोरबाजारी की खबर छपी है । यह भी कहा गया है कि 30,000 समाचार पत्रों में से 25 प्रतिशत पत्र जाली हैं अथवा छपते ही नहीं है । अगर यह समाचार सही है तो इसका अर्थ यह हुआ कि 750 पत्र-पत्रिकाएं जाली हैं अथवा प्रकाशित नहीं होती हैं और अखबारी कागज चोरबाजार में चला जाता है और यही कारण है कि देश में अखबारी कागज की कमी है ।

यह बात मंत्री महोदय जानते हैं कि बड़े-बड़े समाचार-पत्रों को परिचालन लेखापरीक्षण ब्यूरो से परिचलान सम्बन्धी प्रमाण-पत्र मिलता है और उस परिचालन के आधार पर सरकार अखबारी कागज का कोटा आवंटित करती है। यह बात भी सभी जानते हैं कि बड़े-बड़े समाचार पत्र और साप्ताहिक पत्र पत्रिकाएं अखबारी कागज की चोरबाजारी करते हैं।

आयात किए गए अखबारी कागज के आधार पर तथा परिचालन लेखापरीक्षण ब्यूरो द्वारा दिखाए गए परिचालन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अखबारी कागज की बनावटी कमी है और इस बनावटी कमी के कारण कागज की कीमत बढ़ गई है; और उपभोक्ता को यह भार वहन करना पड़ रहा है।

क्या सरकार ने समाचार-पत्रों के नाम और परिचालन संख्या को प्रकाशित किया है ? क्या प्रत्येक समाचार पत्र, पत्रिका को दिए जाने वाले अखबारी कागज के कोटे का ब्योरा प्रकाशित किया जाएगा ताकि जनता तथ्यों को जान सके: दूसरे, क्या सरकार ने परिचालन लेखापरीक्षण ब्यूरो के प्रतिवेदन की जांच करने के लिए कोई तंत्र बनाया है ताकि प्रतिवेदन में दिए गए आंकड़ों की सत्यता का पता लगाया जा सके।

अखबारी कागज की चोर बाजारी के आरोप में राज्य व्यापार निगम के दो अधिकारियों को पकड़ा गया था। यह घटना दिसम्बर की है। उन अधिकारियों को स्थानान्तरित कर दिया गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वाणिज्य मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सूचना भेजी थी और यदि मंत्री महोदय को यह जानकारी मिली थी तो उन्होंने दिसम्बर में क्या कार्यवाही की ? केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कब शुरू की गई थी ? क्या मंत्री महोदय ने इस बात की जांच की थी कि दो अधिकारियों पर इतनी हल्की कार्यवाही क्यों की गई जबकि उनके विरुद्ध गंम्भीर आरोप थे। मंत्री महोदय वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी जिसने सूची को स्वीकृत किया था और साथ ही वह बम्बई और दिल्ली के राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री आई० के० गुजराल : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं वाणिज्य मंत्रालय ने हमें बताया है है कि उन्होंने राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी है और प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में उन्हें स्थानान्तरित किया गया है, और पूरी जांच होने पर सही कार्यवाही की जाएगी।

दिसम्बर में वाणिज्य मंत्रालय से हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिए कार्यवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि कोई कार्यवाही की गई है अथवा नहीं या दिसम्बर में वाणिज्य मंत्रालय को इस मामले की जानकारी थी अथवा नहीं। माननीय सदस्य यह प्रश्न वाणिज्य मंत्रालय से पूछ सकते हैं अथवा मैं यह सूचना वाणिज्य मंत्रालय को भेज दूंगा।

रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स हर वर्ष सूची का अनुमोदन करता है। भारत में 11,000 समाचार-पत्र पत्रिकाएं है जिसमें से केवल 700 समाचार पत्र और 1,800 सावधिक पत्र पत्रिकाएं अखबारी कागज के लिए आवेदन करते है।

कठिनाई यह है कि नए पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करने के लिए आवेदन पत्र मिल रहें हैं और गत वर्ष 263 पत्रों के नाम दर्ज किए गए थे । यह एक चिंता का विषय है और इसलिए नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है । इसलिए मैंने प्रतिपक्ष के सदस्यों को पेशकश की थी हम सब बैठकर इस विषय पर चर्चा करें और कोई समाधान निकालें ।

ए०बी०सी० अपना दायित्व भली प्रकार निभा रहा है और हमें उसमें सदाचार की कोई जानकारी नहीं मिली है । बल्कि मुझे यह बात बड़े दुख: से कहनी पड़ रही है कि अधिक शिकायतें तो हमें छोटे समाचार पत्रों के बारे में प्राप्त हो रही हैं जबकि हमारी नीति छोटे समाचारपत्रों को सहायता करने की है, इसलिए हमें इसी क्षेत्र पर कड़ी निगाह रखनी है दूसरे क्षेत्र पर तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है । यहां तक कि इकोनोमिक टाइम्स की कहानी भी उसी क्षेत्र पर आधारित है इसलिए उसकी ओर से आखें नहीं मूंद सकते ।

रेल कर्मचारी द्वारा हड़तालो के बारे में
RE STRIKE BY RAILWAY EMPLOYES

श्री एस०एम० बनर्जी (कानपुर) : हम पहले ही सूचना दे चुके हैं आप हमें भी दो मिनट के लिये सुन लीजए ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : We have written to you about strike in Railways, The Prime Minister has written to all the Chief Ministers that no bonus can be given to railway employees. On the hand the hon. Railway Minister offers for talks with open mind but on the other hand the Prime Minister has made up her mind. The arrests have also been reported.

Shri Madhu Limaye (Banka) : On one side they plead on talks and on the other they are making arrests. You kindly give two minutes each to all of us.

Mr. Speaker : The Prime Minister is fully within her right to give directives to her Chief Ministers and her administration. There should be some limit to anything. No question, no discussion I have not allowed any member, whether a motion nor any discussion. No point of order either. You people are making a mockery here everyday. Every name and there you raise this can't you do without that ? After all there is a procedure for doing anything. We have called a meeting of Business Advisory Committee on the 2nd. What more you want ? Everyday you are raising it under Rule 377, and you would continue Indefinitely. Then, you get one of your own but join others also—what's all that ?

A point of order can be raised on certain item or point under discussion. But unless there is no item no issue at all, how can you ask for a point of order ? We have finished with first item and there is no business at hand just now.

It is, there, does not belove you to act like that everyday. Yesterday I permitted adjournment motion but later on you yourself said that you got ample opportunities on the Demands on Grants in Ministry of Home Affairs, and that you did not need Adjournment motion.

I would call the meeting of the Rules Committee and you fix up a certain period to make such a noise or hue and cry. You shout for 15-20 minutes and we would listen to that silently.

श्री एस०एम० बनर्जी : रेल मंत्री एक वक्तव्य दें और हम उस पर चर्चा आरम्भ करें ।

अध्यक्ष महोदय : किस बात पर मंत्री महोदय का वक्तव्य मांगे ? दो तारीख को मीटिंग करेंगे तो उसमें देखेंगे । मुझे खेद है कि अब में अगली मद के अतिरिक्त किसी बात की अनुमति नहीं दूंगा (व्यवधान) मैं किसी सदस्य को नहीं बुला रहा हूं । आप सब बैठ जाईये । ये सब लोग मेरी अनुमति के बिना ही बोले जा रहे हैं । मैं मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिये नहीं बुलाऊंगा । अखबारों में तो हर रोज़ कुछ न कुछ आता है और आप हर रोज़ इस तरह खड़े हो जाते हैं, यह कोई तरीका है ? मैं प्रति दिन तो मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिये नहीं कह सकता हमने दो मई को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक निश्चित की है और वहां चर्चा करेंगे । आप लोगों को विपक्ष के अधिकार हैं परन्तु आप सभा को सैसन तक नहीं ले जा सकते अगर आप लोगों ने हीं सभा की कार्यवाही चलानी है तो फिर मेरी कोई जरुरत नहीं है यहां । श्री मधुलिमये !

विशषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

भारतीय तेल निगम के श्री सी०आर० दास गुप्त द्वारा पाइपलाइन्स जांच आयोग के समक्ष पेश किया गया शपथ-पत्र

Shri Madhu Limaye (Banka) : On reading a news item on April 27, 1974 in Times of India, I was taken aback to find that Shri C.R. Dass gupta, who had flouted the cabinet decision on the report of the Ganga Pollution Inquiry Committee and also had acted against the provision of Report of the Public Unde taking Committee was promoted as the chairman of the Indian Oil Corporation, particularly when he as well as the two other officer of the I.O.C. viz. S/Shri P.R.K. Menon and Kamaljit Singh, were rejected by the Hakser Committee which was appointed by the Central Government to select a chairman each for the O.N.G.C. and I.O.C. The Committee had selected Shri Dass. It is now very strange that Shri C.R. Dass Gupta has been appointed as the Chairman of I.O.C. in defiance of the opinion of the Hakser Committee.

Also I have no intention to challenge the promotion of Shri C.R. Dass Gupta. Through this Privilege Motion I propose to draw your attention to the breach of privilege of the Public Undertakings Committee which was headed by you yourself, Sir. The contempt of that Committee amounts to the contempt of this entire House.

The committee in its 66th Report, which was presented during the Fourth Lok Sabha, has said :—

> "It is also on record that the Managing Director was acting on his own in his dealings with Snams as well as Bechtels in vital matters concerning the capacity of the pipeline, by passing thus the authority both of the Board of Directors and Government.

The Board of IOC have also gone on record to the effect, at the meeting held on 3rd February, 1968, that : 'Out of the report and the discussions thereon it emerged that the Board had been bypassed in the matter. The Board was very emphatic that the matters of such importance should necessarily be reported to the Board at the earliest possible opportunity. The Board also wanted to place on record that in future all such important matters which entail in itself any project of capital nature involving its performance, its cpaacity, design or of financial implications, should be brought before the Board for its notice and appropriation. The Board's decision in the above matter also applies to any significant amendments which are of the above nature to any existing contracts or project."

The Committee also objected to Government's action of including in the terms of reference of Takru Inquiry Commission the case of Shri P.R. Naik who did not take the Board of Directors into Confidence. The P.U.C. was so much determined about this case that in its 33rd Report of 5th Lok Sabha, it said :

"The above recommendations are very clear, unequivocal and emphatic. The then Managing Director admittedly acted on his own; he did by-pass the Board of Directors in his dealings with Snam and Bechtels in vital matters concerning the capacity of the HBK pipeline; the amendment of contract did adversely affect the capacity of the pipeline; negligence was substantitated against the MD/IRL for not bringing these to the notice of the Board/Government; the General Manager and Managing Director were perfunctory and casual in dealing with an important communication of the 26th September, 1963 from Bechtels to IRL mentioning the design capacity of H-B Pipeline as 1.9 million tonnes per annum. These are all matters of fact and they had been amply and demonstrably established.

What the Committee wanted in these recommendations was that a thorough investigation for fixing responsibility on all those officials who were and casual in discharging their responsibilities should be conducted. The Committee expect that Government would do that even now."

The Committee never wanted that the facts established by it should be questioned and examined by Takru Commission. On the other hand it has desired that the Govt. should confirm these fact before the commission; but the Government contrary to that asked Shri C.R. Dass Gupta to do that I cite these sentences from that Report :

"It is quite obvious from the above recommendations that the Committee based on the whole set of evidence and information available to them had pointed out in clear and in no uncertain terms that induction of Bechtels in the Pipeline Projects was wrong, improper and unjustified and that undue favours were shown to the Bechtels at all stages during their association with the pipeline projects. By referring this matter to a Commission of Inquiry under term of reference (a)(ii), the Government have only re-opened the issues highlighted in the recommendations.

In the opinion of the Committee, reference of this particular matter unde (a)(ii) to Commission of Inquiry was not warranted. In the context of these recommendations, an enquiry would have been in order for the specific purpose of fixing responsibility for the grave lapse pointed out by the Committee."

In the end, the Committee says :

"The Committee take a serious view of Government's attempt to misconstrue the recommendations of the Committee."

Also on page 69, the Committee desired that :

"The Committee expect the Government to defend and pursue their recommendations contained in their 66th Report of the Fourth Lok Sabha (1969-70) on Indian Oil Corporation (Pipelines Division) in letter and spirit before the Commission of Enquiry with the same sense of urgency that was markedly evident from the above report....."

But the Government, just to appease his former Managing Director Shri P.R. Naik and the Senior officer Shri Kashyap got a false affidavit filed by Shri C.R. Dass Gupta before the Takru Commission.

Thus my main allegation is that a false affidavit was got filed before the Takru Commission against the conclusions and facts, not the opinion—established by the Public Undertaking Committee. Under appendix 'C' of the items under condition, Shri Dass Gupta gave the following statement under oath :—

"7.32. These facts would indicate that neither the Managing Director by passed the Board in his dealings with Snam and Bechtels in vital matters concerning the capacity of the Haldia-Barauni- Kanpur pipeline nor the Amendment of the contract adversely affected the capacity of the pipeline, and therefore, the question of any negligence on the part of anyone in the IRL does not arise."

श्री नरेन्द्र कुमार साहबे (बेतूल) : क्या यह हलफ नामा है ?

श्री मधुलिमये : जी हां।

The Committee had made it clear not once but twice that as regards facts there was no question of any doubt or re-examination and it wanted that the guilty persons should be brought to book.

Later on the Government submitted a charge-sheet putting 14 allegations, the Takru Commission confirmed that, but as you know, the matter came in the Privilege Committee. Shri P.R. Naik was suspended by the Cabinet but the Supreme Court held that decision void on very technical grounds. And Shri P.R. Naik got the opportunity of getting retired whereafter the Government said that they could do nothing. But as regards Shri P.R. Naik, he had to accept that the Report of P.V.C. was very objective in its judgment and that was not nfluenced by any one.

I hereby cite a dialogue :—

"**Shri Somnath Chatterjee** : About certain persons having been influenced, do you stick to that?

Mr. Chairman : Please answer yes or no. Do not give your elaborate reply.

Shri P.R. Nayak : I had said that after reading the second Report of the Public Undertakings Committee I felt that the conclusion [I had reached about influence, persuasion, inducement, etc. was incorrect and that the Committee had come to these conclusions objectively in its best judgment.

Shri Somnath Chatterjee : Therefore, you agree that you should not have used those words.

Shri P.R. Nayak : I agree.

Shri Somnath Chatterjee : Are you prepared to withdraw those words unhesitantingly ?

Shri P.R. Nayak : Yes, I am."

Unconditional, unqualified apology.

And thus he offered unconditioned and unqualified apology before the P.V.C. and the P.V.C. granted him a pardon.

My point is that the various Parliamentary Committees take undaunted pains in preparing their reports but since the job of implementation thereof is in the hands of the Government, those are not implemented upto two to four years. The Ganga Water Pollution case was so much dragged that Shri Balwant Singh, the Gneeral Manager, Shri P.R. Naik, Shri C.R. Dass Gupta and Shri Kashyap managed to retire before any action could be taken against them.

So this is a case of contents of the entire House and therefore under Rules 226, 227, you please refer it to Privilege Committee whose decision we would always honour.

अध्यक्ष महोदय : जब कल मैंने आपका प्रस्ताव पढ़ा तो मुझे उस समय के सारे प्रतिवेदन भी पढ़ने पड़े । यह मामला वर्ष 1969 में उठा था और सरकारी उपक्रम समिति का यह निष्कर्ष था कि श्री नायक ने निदेशक मंडल की उपेक्षा की और बिना सलाह लिये ठेके में संशोधन कर दिया । समिति ने इसे अनुचित और श्री नायक को दोषी पाया । फिर एक मामला श्री खेडा के पत्र का था जिसमें उन्होंने कहा था कि समिति पर कोई प्रभाव डाला गया था । सभा ने इस को बहुत गंभीरता से लिया और फिर विशेषाधिकार समिति में उनकी क्रास एग्जामनेशन हुई जिसमें श्री सोमनाथ चटर्जी और एक श्री साठे भी थे । कुछ प्रश्नों के बाद श्री नायक ने यह स्वीकार कर लिया था कि वह स्वंय गलती पर थे और समिति के निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ अर्थात् ओब्जेक्टिव थे । इसी बीच टकरू आयोग नियुक्ति हो गया और उसके समक्ष श्री सी० आर० दास गुप्ता ने एक हलफनाम दिया और उसमें इसने श्री नायक का समर्थन किया जबकि स्वंय श्री नायक ने विशेषाधिकार समिति के सामने अपनी ग़लती स्वीकार कर ली थी ।

परन्तु एक बात है कि श्री दास गुप्ता ने सरकारी उपक्रम समिति का हवाला कभी नहीं दिया । मैंने खूब ध्यान से जांच की है । उन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसका हवाला दिये बिना ही टकरू आयोग के सामने अपने दस्तावेज़ पेश कर दिये थे ।

श्री मधु लिमये : यह तो स्पष्ट ही है । ऐसी सिफारिशें किसी अन्य समिति ने तो दी ही नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे, यदि हम इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपे तो फिर टकरू आयोग तथा इस समिति के बीच टकराव होनें की संभावना है । हमने स्थिति को वर्तमान के हिसाब से देखना है ।

Shri Madhu Limaye : First of all we never wanted Takru Commission. Secondly, if that Commission given a wrong report, then I would place a privilege motion against that also. This is the right of the House. That would be on facts not on opinion.

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर हैरत कि जबकि उसका बॉस उसका मित्र स्वंय मानता है कि उसकी गलती है फिर भी श्री दास गुप्ता कहते है कि नहीं, श्री नायक ने ठीक किया ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इन दोनों के वक्तव्यों में जो परस्पर विरोध है वह विभिन्न तो है परन्तु यह संम्भव है कि श्री नायक ने स्वंय को बचाने के लिये कह दिया कि वह गलती पर था और श्री दास गुप्ता ने भी उसी का समर्थन करते हुए कह दिया है कि श्री नायक ठीक कह रहे हैं अर्थात् जो कुछ मान रहे हैं वही ठीक है । यह भावना भी तो हो सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : खैर, न्यायलय के सामने मामला है । उसकी निर्णय से तो पता लगेगा कि कौन सही है कौन गलत है । श्री नायक ने श्री साठे को अपने पत्र में जो कहा था उसको उन्होंने विशेषाधिकार समिति के सामने ठीक कर दिया है । अब रहा श्री दास गुप्ता के द्वारा टकरू आयोग के सामने दिया गया हलफनामा । अब उसे विशेषाधिकार समिति के सामने लाने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि मामला न्यायलय में है और तब तक .....

Shri Madhu Limaye : Against whom has he spoken ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सरकारी उपक्रम समिति का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अन्य समिति कौन सी है ? इस सभा को सरकार द्वारा सरकार उपक्रम समिति के निष्कर्षों की अपेक्षा के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करना ही चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें सरकार अन्तर्गस्त नहीं है ?

श्री मधु लिमये : सरकार ने ही तो समिति के निर्णय की अपेक्षा कर यह विवादग्रस्त स्थिति पदा की है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: We were not aware that this matter would come up today. You please postpone it. In the meantime papers can be sent to the Members and they may also form their opinions.

Shri Madhu Limaye : I agree to this suggestion.

श्री नरेन्द्र कुमार साहवे: यह बड़ा नाजुक मामला है महत्व इस बात का भी है कि उन्होंने नाम लिया है या नहीं । मतलब तो इससे है कि क्या वह अपने हलफनामें में उन तथ्यों का वर्णन कर सकते हैं जोकि एक संसदीय समिति के निष्कर्षों के विरुद्ध हैं । जब तक यह मामला एक संसदीय समिति के विचारधीन था तो यह उनका कर्तव्य था कि वह यह देखें कि इस समिति ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं और वह किसी न्यायलय में उनके विरुद्ध कुछ न कहें। नाम लेने या न लेने से कुछ नही होता ।

आप उस समिति के उस समय अध्यक्ष थे। क्या श्रीमान् । आप हमें बता सकते हैं कि क्या सचमुच ही उस हलफनामें में संसदीय समिति के निष्कर्षों के विरुद्ध तथ्य रखे गये थे।

अध्यक्ष महोदय : यहां मैं आपको उस प्रतिवेदन के बारे में नहीं बता सकता ।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : वस्तुत : सरकार ने टकरू आयोग के सामने अपने हलफनामें में यह ब्यान दिया कि किसी प्रकार का कोई आरोप आदि नहीं था परन्तु अब हमने श्री खेडा से प्रश्न किये थे तो उन्होंने अपनी गलती मान ली थी और स्वीकार किया था कि वह अपने हलफनामें में संशोधन करने के लिये एक अन्य हलफनामा देगें । इसलिये टकरू आयोग के सामने सरकारी उपक्रम समिति द्वारा निकाले गए निष्कर्ष ही विचारधीन थे। मैं इस बात को तो नहीं लेता कि आपकी वे बातें टकरू आयोग के सामने जानी चाहिए भीं या नहीं । अब तो हमारे सामने यह प्रश्न है कि उन्होंने सरकारी उपक्रम समिति के निष्कर्षों का हवाला दिया था उस संदर्भ में नाम लेना या न लेना जरुरी नहीं है । वस्तुत: तकरू आयोग के सामने सरकारी उपक्रम समिति का प्रतिवेदन है जिस पर जांच की जा रही है । मैं निम्नलिखित अंश उद्धृत करता हूं :— उन्होंने कहा :—

"These facts would indicate.....

——that fact he has mentioned in the affidavit——

".....that neither the Managing Director bypassed the Board.....

——the Public Undertakings Committee had said that the Managing Director had bypassed the Board in clear terms——

".....in his dealings with Snam and Bechtels in vital matters concerning the capacity of the Haldia-Barauni-Kanpur pipeline nor the amendment of the contract adversely affected the capacity of the pipeline....."

यह भी सरकारी उपक्रम समिति का निष्कर्ष है इससे आपको क्या चाहिये ? वह इस समिति के निष्कर्षों का विरोध कर रहें हैं । इस प्रकार यह अवमान का स्पष्ट मामला है और उन्होंने इस समिति का मज़ाक बनाया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह भी एक संयोग था कि मैं उस समिति का अध्यक्ष था। मैंने सोचा था कि चलो मामला खत्म हुआ लेकिन यह तो फिर जीवित हो गया लिमये जी आप भी भूल गये थे परन्तु उनकी नियुक्ति का समाचार पढ़कर आपको ख्याल आ गया कि यह वही व्यक्ति है ।

Shri Madhu Limaye : I had only heard about the affidavit and had not read that Had I not gathered ample proof I would have not raised that.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्रीमान् पहले तो आप यह निश्चित कर लीजिए कि क्या यह एक प्रमाणित मामला बनता है कि सरकारी उपक्रम समिति के निष्कर्षों की अवहेलना की गई है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानतुर) : मेरा सुझाव है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये और वह उस पर कार्यवाही टकरू आयोग के प्रतिवेदन के बाद करे। समिति इस बीच साक्षी एकत्रित करती रहे ।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : श्री बनर्जी का सुझाव बड़ा विद्वतापूर्ण है अथवा उससे संबोधित व्यक्ति को बयान कार्यवाही पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप यहां कोई कार्यवाही करते हैं तो उन्हें एक निश्चित स्वीकृति करनी पड़ेगी और इसके फलस्वरूप उनके बचाव-प्रयासों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप विशेषाधिकार समिति से कह दें कि यह ठकरन आयोग के प्रतिवेदन के आने के बाद ही इस पर कोई कार्यवाही करे अन्यथा दोनों निष्कर्षों के परस्पर विरोधी विचार होने की स्थिति में मामला और जटिल हो जायेगा। अब एक प्रश्न यह भी है कि क्या कोई व्यक्ति किसी अदालत या आयोग के के समक्ष पेश होते समय किसी संसदीय समिति के निष्कर्षों के विरुद्ध अपना बयान कर सकता है। यदि इसका यह अर्थ है कि यदि एक संसदीय समिति ने कोई निर्णय दे दिया तो किसी भी अदालत या आयोग के सामने उसका विरोध नहीं किया जा सकता तो ऐसी बात तो संविधान में भी नहीं है। हमारे निष्कर्षों को सच्चे हृदय से लेना चाहिये परन्तु उन्हें किसी व्यक्ति को परेशान करने की दृष्टि से उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिये उस आयोग में अपने बयाव का मौका मिलना चाहिये इस लिये मेरा अनुरोध है कि आयोग की रिपोर्ट आने तक इस मामले में कार्यवाही स्थगित रखी जाये . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरकार की आलोचना दो अवसरों पर हुई है। एक तो जबकि समिति ने अपने निष्कर्ष स्पष्ट रूप से दिये है और अपने प्रतिवेदन के अन्त में फिर से ज़ोर देकर उनको पाने की है फिर भी यह मामला ठकरन आयोग को दिया गया। इस बीच अनेक बातें हो गई। सभा में भी जोरदार चर्चा हुई थी आलोचना की गई थी और मामला विशेषाधिकार समिति को गया था। दूसरी स्थिति तब पैदा हुई जबकि श्री दासगुप्ता को भारतीय तेल निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब विशेषाधिकार समिति को यह मामला भेजने में दिक्कत यह है कि आयोग इस मामले पर विचार कर रहा है और वह यह न चाहेगा कि समिति में उसका टकराव हो। मैं इस पर कार्यवाही स्थगित रखता हूं फिर कभी इस पर विचार करेंगे।

श्री मधु लिमये : इसे विशेषाधिकार समिति के पास स्थगित रखा जाये।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : टकराव का तो प्रश्न ही नहीं है।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : यह सभा ठकरन आयोग को समाप्त कर सकती है।

श्री मधु लिमये : बहुत पैसा व्यर्थ हो चुका है। यह सभा एक संकहद द्वारा ठकरन आयोग को भंग कर दे।

अध्यक्ष महोदय : विशषाधिकार समिति क्या करेगी ?

श्री एस० एम० बनर्जी : वह साक्षियां एकत्र करेगी।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : श्री बनर्जी ने काफी अच्छा सुझाव दिया है। यदि यहां कार्यवाही आरम्भ कर दी जाती है तो आयोग के समक्ष वह अपना मामला ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पायेगें। अतः यह मामला तब तक विशेषाधिकार समिति को नहीं सौंपा जाना चाहिये जब तक कि ठकरन आयोग का निर्णय नहीं आ जाता, अतः स्थिति यह होगी कि हमारे समक्ष दो अलग अलग निकायों के दो अलग अलग निर्णय आ जायगें और सम्बद्ध व्यक्ति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस संबन्ध में सब से महत्वपूर्ण बात हमारे समक्ष यह आयेगी कि क्या कोई व्यक्ति न्यायालय अथवा आयोग के समक्ष जाते समय संसदीय समिति के निर्णयों के विरुद्ध अपनी सुरक्षा में कुछ कह सकता है या नहीं ? अतः मेरा निवेदन है कि आयोग का प्रतिवेदन आने तक यह मामला निलम्बित रखा जाना चाहिये . . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दो अवसरों पर सरकार की आलोचना की गई। एक बार समिति के प्रतिवेदन के अन्त में और दूसरी बार तकरू आयोग के सन्दर्भ में। इसके बाद भी सदन में काफी आलोचना हुई और अन्ततः यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया। दूसरी बार यह मामला फिर उस समय सामने आया जब श्री दासगुप्त को भारतीय तेल निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेंगुसहाय) : वस्तुतः यह मामला यह है कि क्या किसी व्यक्ति को न्यायालय अथवा आयोग के समक्ष यह कहने का अधिकार है कि संसद ने जो किया है, वह उचित नहीं है । क्योंकि यह मामला विशेषाधिकार के रूप में उठाया गया है, अतः इसकी जांच गहराई से करवाई जानी चाहिये। प्रश्न यह भी सामने आता है कि क्या इसे अवमानना माना जाय या विशेषाधिकार का प्रश्न ? अतः इस संपूर्ण प्रश्न पर सही ढंग से विचार किया जाना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I am not in agreement with the opinion expressed by Shri Mishra. I, think we should be given an opportunity to discussion this question. Either it should be referred to Privilege Committee with the advice that it should not give its decision till the submission of report by Takru Commission or it should be kept pending with you and we should be given an opportunity to discuss the same.

श्री पीलू मोदी (गोदरा) : आयोग की स्थापना सभा द्वारा की जाती है और सभा को उसे समाप्त करने का भी अधिकार है । केवल एक संकल्प पास करके ही सभा ऐसा कर सकती है । यदि सभा इस बात से सन्तुष्ट है कि जो कुछ भी कहा गया है वह सरकारी उपक्रमों की समिति के निष्कर्षों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने की दृष्टि से कहा गया है, तो मेरे विचार से इस आधार पर कार्यवाही की जानी चाहिय ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा विचार है कि यदि केवल इस आधार पर यह मामला विशेषाधिकार समिति को नहीं सौंपा जाता कि आयोग द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है, तो यह तो संसद की प्रभुसत्ता से सम्बद्ध मामला बन जाता है । अतः हम सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति के निष्कर्षो की ओर उतना ध्यान नहीं दे रहे जितना कि हमें देना चाहिये। जब पहले हम इस प्रकार के मामले विशेषाधिकार समिति को भेज चुके हैं तो फिर वही प्रक्रिया श्री दासगुप्त के मामले में अपना कर हम यह मामला विशेषाधिकार समिति को क्यों नहीं भेज सकते।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में यह मामला श्री मधु लिमये द्वारा कुछ अन्य बात से आरम्भ किया गया। उन्होंने अपनी बात नियुक्ति के प्रश्न से आरम्भ की .....

Shri Madhu Limaye : I wanted to give the background what is wrong in it ?

अध्यक्ष महोदय : श्री दासगुप्ता की नियुक्ति का उल्लेख किया गया। नियुक्त किये गये अधिकारी के विरुद्ध कुछ आरोप थे। श्री लिमये इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहते थे परन्तु अब उनका कहना है कि वह इसे उसके साथ सम्बद्ध नहीं करना चाहते थे। .....

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): सरकार को उसकी नियुक्ति करने का किस प्रकार अधिकार है ?

श्री पीलू मोदी : यह दोनों अलग अलग बातें है। एक विशेषाधिकार तथा अवमानना का प्रश्न है तो दूसरा सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की नियुक्ति करने का

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (मद्रास) संशोधन आदेश 1974 तथा केरल और कर्नाटक राज्य के सम्बन्ध में परिसीमन आदेश

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी नीति राज सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (मद्रास) संशोधन आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 114 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[मंत्रालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6872/74]

(2) परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिसीमन आयोग के निम्नलिखित आदेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) केरल राज्य के संबन्ध में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 11, जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 अप्रेल, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० आ० 241 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) कर्नाटक राज्य के संबन्ध में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 12, जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 248 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6863/74]

भारत के नियंत्रक, और महालेखापरीक्षक का वर्ष 1972-73 का प्रतिवेदन संघ सरकार के विनियोग लेखे (सिविल) 1972-73 तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1970-71 के प्रतिवेदन के कुछ भाग

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) की एक प्रति।

(2) वर्ष 1972-73 के लिये संघ सरकार के विनियोग लेख (सिविल) की एक प्रति।

(3) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970-71 के प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) के निम्नलिखित भागों (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

भाग तीन : त्रिवेणी स्ट्रक्चुरल्स के कार्यकरण का मूल्यांकन।

भाग चार : केन्द्रीय भांडागार निगम के कार्यकरण का मूल्यांकन।

भाग पांच : हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी के कार्यकरण का मूल्यांकन।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6864/74)

लुबरीजोल इंडिया लिमिटेड, का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा राजस्थान मिट्टी तेल, व्यापारी लाइसेंसिंग आदेश, 1971 के बारे में अधिसूचनाएं

पूर्ति मंत्री (श्री शाहनवाज खां): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) लुबरीजोल इंडिया लिमिटिड के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लुबरीजोल इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेख तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6865/74]

(2) (एक) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० आ० 236 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 जनवरी 1974 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान मिट्टी तेल व्यापारी लायसेंस आदेश, 1971 को संक्षिप्त विचारण के लिये एक विशेष

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6866/74)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इस बारे में सरकारी ज्ञापन

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): मैं **श्री राम निवास मिर्धा**, की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित कतिपय मामलों में सरकार द्वारा आयोग की सलाह स्वीकार न किये जाने के कारण बताने वाला ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6867/74]

भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड जादुगुडा के वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): **मैं श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय युरेनियम निगम लिमिटेड जादुगुडा के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारतीय युरेनियम निगम, लिमिटिड जादुगुडा का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेख और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6868/74]

श्रीमन् मधवा सिद्धांत ओन्नाहिनी परमानेंट निधि लिमिटेड के बारे में अधिसूचनाएं

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 जनवरी, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मैसर्स श्रीमन् मधवा सिद्धान्त ओन्नाहिनी परमानेंट निधि लिमिटेड को 'निधि घोषित किया गया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय तमिलनाडु में है।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6869/74]

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा रक्षा नाविकर (अर्हताएं तथा प्रमाण-पत्र) संशोधन नियम, 1974

औद्योगिक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड कलकत्ता का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखें तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6871/74]

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रक्षा नाविक (अर्हताएं तथा प्रमाण-पत्र) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 339 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6872/74]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

Committee on Absence of Members

चौदहवां प्रतिवेदन

14 वां प्रतिवेदन

श्री एस० सी० सामन्त (ताम्लुक): मैं सभा की बैठको से सदस्यों की अनुपस्थिति संबन्धी समिति का 14वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

———

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

64वां, 66वां, 53वां, 56 वां, तथा 63 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री आर० के० सिन्हा: मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) (एक) सूचना और प्रसारण मंत्रालय--दूरदर्शन के संबन्ध में 64 वां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के संबन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(2) (एक) इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के संबन्ध में 66वां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के संबन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(3) निर्माण और आवास मंत्रालय--राष्ट्रीय जलपूर्ति कार्यक्रम के बारे में समिति के 38वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबन्ध में 53वां प्रतिवेदन।

(4) सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय--विद्युत् के बारे में समिति के 39वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबन्ध में 56वां प्रतिवेदन।

(5) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)--रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये गये पासों और पी० टी० ओ० के वित्तीय परिणामों के बारे में आंकड़े तथा रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के वार्षिक प्रतिवेदन में उनके प्रकाशन के संबन्ध में समिति के 44वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के संबन्ध में 63वां प्रतिवेदन।

(6) सामान्य मामलों के संबन्ध में समिति (1973-74) की बैठकों के कार्यवाही--सारांश।

———

लोक लेखा समिति

Public Accounts Committee

113वां, 132वां तथा 133वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु: मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) वित्त मंत्रालय के संबन्ध में समिति के 94वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबन्ध में 113वां प्रतिवेदन।

(2) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1964-65 से 1970-71 के लेखे संबन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों के बारे में समिति के 93वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबन्ध में 132वां प्रतिवेदन।

(3) वित्त, गृह मंत्रालयों और मंत्रिमंडल (कार्मिक विभाग) के संबन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) के संबन्ध में 133वां प्रतिवेदन।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

Committe on Public Undertakings

55वां, 56वां, प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री नवल किशोर शर्मा: मैं सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के संबन्ध में 55वां प्रतिवेदन।

(2) इंडियन ड्रग्स एंड फारमेस्यूटिकल्स लिमिटेड के संबन्ध में 56वां प्रतिवेदन।

(3) समिति के प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबन्ध में समिति (1973-74) की बैठकों के कार्यवाही सांराश।

(4) प्रक्रिया तथा विविध मामलों के संबन्ध में समिति (1973-74) की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

Joint Committee on Offices of Profit

नवां प्रतिवेदन

श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामा राव : मैं लाभ के पदों संबन्धी संयुक्त समिति का 9वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

विद्युत क्षेत्र (विशेष न्यायालय विधेयक)

Distributed Areas (Special Courts) Bill

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री लीलाधर कटकी: मैं कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण विक्षुध क्षेत्र (विशेष और उससे संबन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन न्यायालय) विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

Committee on Welfare of Scheduled Castes, and Scheduled Tribes

सदस्य निर्वाचित करने के लिये राज्य सभा से सिफारिश

श्री धरणधर बसुमतारी: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफ़ारिश करती है कि राज्य सभा डा० जैड० ए० अहमद के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबन्धी समिति से त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुए स्थान पर अनुपाती प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा समिति में राज्य सभा का एक सदस्य निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा समिति में इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा डा० जैड० ए० अहमद के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबन्धी समिति से त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुए स्थान पर अनुपाती प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा समिति में राज्य सभा का एक सदस्य निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा समिति में इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ

The motion was adopted

कोयला खान (संरक्षण और विकास) विधेयक

COAL MINES (CONSERVATION AND DEVELOPMENT) BILL

इस्पात और खान मंत्री (श्री केशव देव मालवीय) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कोयले के संरक्षण तथा कोयला खानों के विकास के लिये और उससे संबन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कोयले के संरक्षण तथा कोयला खानों के विकास के लिए और उससे संबन्धित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री केशव देव मालवीय : मैं विधेयक को पुनःस्थापित करता हूं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

नियम 377 के अंतर्गत

MATTERS UNDER RULE 377

पश्चिम बंगाल में नमक के सकट का समाचार

श्री समर गुह (कन्टाई) : आजकल पश्चिम बंगाल में नमक का भंयकर अभाव है । नमक का मूल्य 10 से 15 गुणा बढ़ गया है । स्थिति इतनी गंभीर है कि पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में नमक 2 से 3 रुपये प्रति किलो बेचा जा रहा है । इस अभाव का कारण यह बताया गया है कि जो जहाज तूतीकोरिन से नमक लाते है, उनमें से नमक नहीं उतारा जा रहा है । सरकार द्वारा इसका कारण श्रमिक गड़बड़ी बताया जाता है । परन्तु वास्तविकता इससे भिन्न है। मेरा विचार है कि पश्चिम बंगाल में नमक का अभाव जानबूझकर जहाजों से माल न उतरवा कर, थोक व्यापारियों के कहने से करवाया गया है । यद्यपि वह इसके लिए विलम्ब शुल्क देते है परन्तु विलम्ब शुल्क देने के बाद भी वह नमक को काले बाजार में ऊंचे दामो पर बेचते है। सरकार द्वारा अन्य कार्यों के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस औद्योगिक सुरक्षा बल तथा प्रादेशिक सेनाओं का उपयोग किया जाता है । मैं समझता हूं कि सरकार को इनकी सेवाओं का लाभ जहाजों से माल उतारने के लिए भी कर लेना चाहिये ताकि अकाल की स्थिति को कुछ सीमा तक कम किया जा सके। इसके साथ ही मेरा दूसरा सुझाव यह है कि कन्टाई तथा उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में भी काफी नमक उपलब्ध हो सकता है । इस क्षेत्र में नमक उत्पादन का उचित विकास किया जाना चाहिये ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इसका उत्तर कौन देगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत एक अन्य मामला भी है .....

श्री समर गुह : मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस संबन्ध में वक्तव्य दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सब तो ठीक है। इसके बारे में कौन से मंत्री महोदय वक्तव्य देगें, यह बात हम संसदीय कार्य मंत्री पर ही छोड़ देते हैं। हमारे पास नियम 377 के अन्तर्गत एक अन्य मामला भी है । नियम 377 के अन्तर्गत प्रस्ताव भेजने की प्रथा महत्व प्राप्त करती जा रही है । पहले ऐसे प्रस्ताव की सूचना केवल एक ही सदस्य द्वारा दी जाती थी। मंत्री महोदय चाहे तो इसके बारे में अपना वक्तव्य दे सकते हैं। अगर नहीं, तो वह फिर किसी दिन वक्तव्य दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दूंगा। हमने ध्यान आकर्षण सूचना के बारे में कुछ नियम बनाये हैं क्योंकि नाम इतने अधिक होते है कि हमें बैलट करना पड़ता है । अब हमने नामों की संख्या को 5 तक सीमित रखा है ।

कोलार सोना खानों को बन्द करने का समाचार

श्री जी० वाई० कृष्णन (कोलार) : कोलार सोना खान को 1884 में मैसर्स टेलर एंड कम्पनी ने आरम्भ किया था। 1957 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के अप्रभावशाली और अन्य अकुशल कार्य के कारण कम्पनी का भविष्य अंधकारमय प्रतीत होता है ।

विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि सरकार से खाने बन्द करने की सिफ़ारिश की गई थी। और सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही है । इस्पात और खान मंत्रालय के 1973-74 के प्रतिवदन के अनुसार कोलार सोना खान में 31 मार्च, 1973 को 44,66,536 टन अयस्क का भंडार था। उक्त भंडार कोलार सोना नये अयस्कों का पता न लगने पर भी खानों को, 15 से 20 वर्ष तक चलाने में पर्याप्त है ।

यह सामान्य धारना है कि कोलार सोना खान घाटे में चल रही हैं । मंत्रालय के प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि कम्पनी को उत्पादित सब सोना अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की दर से सरकार को देना होगा। उक्त मूल्य बाजार मूल्य से बहुत कम है ।

कम्पनी को दी गई राजसहायता भी कम है । अतः कम्पनी को बन्द करने का कोई प्रस्ताव मान्य नहीं है । उक्त सोना खान विश्व में उत्पादित सोने का एक तिहाई उत्पादन कर रही है । पिछले वर्षो की तुलना में अयस्क का और सोने का कुल उत्पादन आधे से भी कम रह गया है ।

औद्योगिक और आर्थिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक सोना कोलार सोना खानों तथा हट्टी खानों से लेना पड़ेगा। वर्तमान प्रबन्ध निदेशक कर्मचारियों को हटाकर खान को बन्द करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री के० मालन्ना (मधुगिरी) : इस्पात और खान मंत्रालय के प्रतिवेदन में खानों को बन्द करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । यदि खान को बन्द किया जाता है तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। इससे अधिकांश कमजोर वर्ग के लोग प्रभावी होंगे। बहुत से उपकरणों और अन्य वस्तुओं को मनमाने ढंग से रद्दी के रूप में बेचा जाता है । खानों के बन्द होने से हमें बड़ी मात्रा में सोने की हानि होगी।

माननीय मंत्री को इस बारे में जांच के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करनी चाहिये।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : आज स्थिति बहुत गम्भीर है। देश की समस्त अर्थव्यवस्था सोना खानों में सोने की उपलब्धता पर निर्भर है । प्रबन्धकों पर समस्त सोना खान को बन्द करने के लिये जोर डाला जा रहा है। उनके द्वारा इस बारे में दी गई दलीलें मान्य नहीं हैं । खानों को बन्द करना न केवल वहां बड़ी संख्या में काम कर रहे कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध होगा बल्कि राष्ट्र हित के विरुद्ध भी होगा। नये भंडारों का पता लगाने के लिये कोई तकनीकी कार्यवाही नहीं की गई है । सरकार ऐसी सोना खान को कैसे बन्द कर सकती है जो लाभ में चल रही है ?

प्रबन्धक खानों को बन्द करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में जांच करने के लिये एक उच्चस्तरीय जांच समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

श्री बी०वी० नायक (कनारा) : सोने का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ा है और वह अभी भी बढ़ रहा है । इस मामले पर संकीर्णता से विचार न कर राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से एक विषेशज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिये जो यह केवल कर्नाटक का प्रश्न नहीं यह समस्त राष्ट्र का प्रश्न है। आशा है मंत्री महोदय इस मामले के इस पहलु की ओर ध्यान देंगे।

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : कोलार सोना खानों के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता से मैं सहमत हूं। कोलार सोना खान को बन्द करने का कोई विचार नहीं है। खानों की गहराई और कार्य की धीमी गति के कारण हम अब नये तरीकों और नये स्थानों का प्रयास कर रहे हैं जहां हम अपने कार्यक्रम आरम्भ कर सके। इसके अतिरिक्त कार्यक्षेत्र का नया कार्यक्रम अब पूरा होने वाला है । हमने क्षेत्र का सर्वेक्षण कर लिया है और उस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियां का पता लगाया है ।

जहां तक मूल्यों का संबन्ध है, कोलार सोना खानों और हट्टी सोना खानों के मूल्य में काफी अन्तर है । इसको चालू रखने के लिये आवश्यक धन हम वित्त मंत्रालय से प्राप्त कर लेंगे। हम उक्त क्षेत्र में न केवल सोने की खुदाई का कार्यक्रम तेजी से आरम्भ करेंगे बल्कि अत्यावश्यक अन्य सामग्रियों का भी कार्यक्रम आरम्भ करेंगे। जिससे हमारे कर्मचारी बेकार न हो जाये और उनकी छंटनी न करनी पड़े।

वित्त विधेयक, 1974

FINANCE BILL, 1974

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

माननीय सदस्यों द्वारा इस विधेयक के बारे में दिये गये सुझावों पर मैंने ध्यानपूर्वक विचार किया हैं । उनको ध्यान में रखके मेरा विचार अपने कुछ प्रस्तावों में संशोधन करने का है ।

देश में पेट्रोलियम उत्पादों की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए मैंने कोयला चालित वायलरों तथा तेल-चालित बायलरों को कोयला चालित बायलरों में परिवर्तित करने के लिये मशीनरी या संयंत्रों पर एक वर्ष के लिये छूट जारी रखने का प्रस्ताव रखा है । पता लगा है कि उद्योगों को 1 जून, 1975 तक नये वायलरों की डिलीवरी नहीं मिलेगी। अतः विकास छूट के रूप में कर में रियायत देने का प्रस्ताव रखा गया है ।

इसी प्रकार की रियायतें कोयले से चलने वाले भट्टी, ईंटों के भट्टों ओवनों तथा तेलचालित उपकरणों को कोयला चालित उपकरणों में परिवर्तित करने के लिये मशीनरी अथवा संयंत्रों के संबन्ध में भी दी जायेगी ।

विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत करदाता द्वारा अपनी जिम्मेदारी से बनाई गई मशीनरी या संयंत्रों को भी विकास छूट दी जायेगी यदि वे इस आशय का संतोषजनक साक्ष्य दें कि ऐसी मशीनरी बनाने के लिये 1 दिसम्बर, 1973 से पहले ही कदम उठाये जा चुके थे।

चूंकि कर में छूट देने का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा के संशोधनों को बढ़ाने की है, अतः वित्त विधेयक द्वारा संबन्धित उपबन्धों में विदेशी मुद्रा में भुगतान विनियमन कानूनों के अनुसार भारत में लाई गई आय पर ही छूट देने की व्यवस्था करने हेतु भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने का प्रस्ताव है। कुछ वैध और अनिवार्य कारणों से इस धन को भारत में लाने में विलम्ब हो सकता है। रिर्जव बैंक की अनुमति से जो धन भारत से बाहर उपयोग में लाया गया है, कर में छूट देने के उद्देश्य से उसे भारत में लाया गया माना जायेगा। उक्त करों में रियायतें तभी दी जायेंगी जब विदेशी आय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो जिससे हमारे विदेशी मुद्रा संशाधनों में वृद्धि हो।

आयकर अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत विशेष रक्षित खातों में अन्य वित्तीय निगमों द्वारा अन्तरित किये गये लाभ पर निर्धारित सीमा के अन्तर्गत आय कर की छूट दी जाती है। मान्य वित्त निगमों को प्रस्तावित छूट के लाभ को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

अप्रत्यक्ष करों के मामले में काफी आलोचना हुई है। मैं समझता हूं कि प्रस्तावों में संशोधन किया जाना जरूरी है।

प्राप्त हुये विभिन्न अभ्यावेदनों और उनके संबन्ध में किये गये अध्ययनों को ध्यान में रखते हुये उन छोटे एककों को उचित छूट देने का प्रस्ताव किया गया है जो अपने कारखानों में 10 हार्स पावर से अधिक विद्युत शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं और विद्युत से सोडावाटर बनाते हैं। अतः सोडावाटर पर कर से छूट दी जायें।

यह प्रस्ताव भी किया गया है कि रोबस्ता, लाइबेरिया और एक्सलासिया किस्म की काफी पर लगने वाले 100 रुपये प्रति क्विंटल शुल्क को हटाकर 75 रु० प्रति क्विंटल किया जाए जबकि अन्य किस्म की क्योर्ड काफी पर 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से शुल्क लगता है। मैंने यह भी प्रस्ताव किया है कि लैक्सीन पर से शुल्क कम किया जाए। मोम वाले कागज और पालिथिन वाले कागज के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कागज के संबन्ध में निर्माताओं को साम्यता देने हेतु मेरा विचार इस पर 80 पैसे प्रति किलोग्राम की निचली दर निश्चित करने का है।

मैंने यह भी प्रस्ताव किया है कि जो मात्रा 20 मीटरी टन से अधिक न हो उसे एक निर्माता एक वित्तीय वर्ष में बिना स्टाम्प के चला सकता है। उसमें शर्त यह है कि संपूर्ण वित्तीय वर्ष में यह मात्रा 40 मीटरी टन से अधिक नहीं होनी चाहिये।

उत्पादन शुल्क को कम करने का भी मैंने प्रस्ताव रखा है। मेरा सुझाव है कि इसे भिन्न भिन्न प्रकार के कागजों पर 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : इस विधेयक से संकेत मिलता है कि सरकार की नीति बड़े एकाधिचारियों और भुस्वामियों के सामने पराजित हो गयी है। यह नीति कांग्रेसी सरकार के वर्गगत गुण के समान है। सरकार की जन विरोधी नीतियों जन साधारण को लूट रही हैं और बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचा रही है। वित्त विधेयक से साधारण लोगों को क्या लाभ हुआ है? प्रतिवर्ष बढ़ने वाले

कर के भार को कम करने के बजाय वित्त विधेयक ने लोगों पर और अधिक कर लगाये हैं । बहुत सी वस्तुओं पर भारी उत्पादन लुल्क लगाया गया है जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का प्रभाव और बढ़ेगा। यदि सरकार ने अपना रवैया और अपनी नीतियों नहीं बदली तो वर्तमान मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था को और धक्का पहुंचेगा ।

घरेलू उपयोग की विभिन्न वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाया गया है । तम्बाकू, सिग्रेट, सूती कपड़े और कांच की वस्तुओं पर कर में और वृद्धि कर दी गई है । अनुमानों के अनुसार लोहा, इस्पात, सीमेंट, प्लाईवुड आदि पर उत्पादन शुल्क लगाने से इनके थोक भाव 10 प्रतिशत बढ़ जायेंगे ?

1948 में मूल्य सूंचकांक 100 को जो गत वर्ष 316 हो गया है एक वर्ष में मूल्य सूचकांक लगभग 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक बढ़ गया है । बजट के बाद गेहूं, अंडे, सरसों के तेल, वनस्पति और विस्कुटों के मूल्य 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक बढ़े हैं।

आम उपभोग की कीमतों में वृद्धि के कारण जनता की क्रयशक्ति क्षीण हो गई है । कार्मिक वर्ग और मजदूरों की वास्तविक आय घाटे की व्यवस्था और मुद्रास्फीति से लगातार कम होती जा रही है ।

1951 से 1961 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय में कुल मिलाकर 1.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है । 1961 से 1971 के दौरान उक्त आय आधी अर्थात् 0.8 प्रतिशत रह गयी है। लेकिन 1973-74 की आर्थिक समीक्षा में यह स्वीकार कीया गया है कि राष्ट्रीय आय में 1972-73 में वास्तव में कमी हुई है ।

बेरोजगारी में भी बहुत वृद्धि हुई है। गुजरात विश्वविद्यालय के एक अर्थशास्त्री ने इसका अध्ययन किया है । इससे पता चला है कि बेरोजगारी में 1960-61 से 1972-73 की अवधि के दौरान 362 प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

सामाजिक न्याय का जहां तक संबंध है लोगों का जीवन स्तर गिरता आया है । कांग्रेस सरकार द्वारा अपनायी गई आर्थिक नीतियों के कारण नगरीय और ग्रामीण जनसख्या के अतर में वृद्धि हुई है । शहरी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है ।

प्रत्यक्ष करों में कमी हुई है जबकि कुल कर राजस्व के अनुपात में अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि हुई है । वास्तविक आय घट गई है । कार्मिक वर्ग की आय में भी वृद्धि हुई है किन्तु यह सारी वृद्धि नियोजकों और सरकार द्वारा छीन ली गई है ।

प्राक्कलन समीति ने कमजोर वर्ग को उधार देन और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, विशेषकर कृषि क्षेत्र तथा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण देने संबंधी नीति पर असंतोष व्यक्त किया है । इन बैंकों द्वारा बड़े व्यापार गृहों के सवत्त अग्रिमों पर ओवर ड्राफ्टों पर कोई अंकुश नहीं रखा जाता है । मेरा सुझाव है कि अवश्य ही एक समिति का गठन किया जाय जो इस बात की जांच करे कि किस को ओवरड्राफ्ट करने दिया जाये या किसको ऋण दिया जाये ।

पिछले एक वर्ष से पूर्वी राज्यों से जूट उत्पादक यह मांग करते आ रहे हैं कि जूट की कीमतों में वृद्धि को जानी चाहिए ताकि उन्हें उनकी उत्पादन लागत मिल सके । अब मूल्य निर्धारित किये जा चुके हैं किन्तु ये उनकी आशाओं से बहुत ही कम है । महाराष्ट्र राज्य को अधिकाधिक लाइसेंस और

आशयपत्र दिये जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल को नहीं दिए जा रहे हैं जबकि वहां अनेक कारखानों के विस्तार के लिए आधारभूत ढांचे हैं और गुंजायश भी है। केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए उतना नहीं किया है जितना कि उसे करना चाहिए था।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बैतूल) : मैं श्री यशवंतराव चव्हाण को उनके एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष पद को सफलतापूर्वक निभाने के लिये बधायी देता हूं। यह इस देश का सम्मान किया गया है कि वे इस संस्था के प्रधान बने।

वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक प्रस्तुत करते हुए विधेयक के कुछ उपबंधों, जिनमें संशोधन किया जाना है, का उल्लेख किया है।

कर की अधिकतम सीमान्तर दर को 97.75 प्रतिशत से घटा कर 77 प्रतिशत करना साहसिक और यथार्थ कदम है। हमारे देश में काफी लम्बे समय से करों की ऊंची दरे चली आ रही हैं। वे दरें ईमानदार करदाताओं के लिये दण्डात्मक रही हैं और जो करों की चोरी करते हैं वे साफ बच निकलते हैं। अतः कर की दरों को युक्तिसंगत बनाना आवश्यक है। यदि निम्न आय वर्ग के करदाताओं को राहत दी जाती है तो मुझे आशा है कि वित्त मंत्री विधेयक को अंतिम रूप देने से पूर्व दरों को पुनः नया रूप देंगे।

कराधान सीमा को 7,500 रुपये तक बढ़ाने की आवश्यकता है। इसे केवल 6,000 रुपये तक ही बढ़ाया गया है। रुपये की क्रय शक्ति में भारी ह्रास को ध्यान में रखते हुए 7,500 रुपये कमाने वाले व्यक्तियों को राहत दी जानी चाहिए।

आजकल यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या यह देश लोकतंत्र के रूप में जीवित रह सकेगा या आर्थिक संकट के कारण इसका विध्वंस हो जायेगा। अब परीक्षा की घड़ी आ गई है, ऐसी परीक्षा जिसमें यह सिद्ध करना है कि हमारा लोकतंत्र में विश्वास वास्तविकता है। जब तक हम इस चुनौती का गंभीरतापूर्वक सामना नहीं करेंगे तब तक मुझे आशंका है कि हम वह सब कुछ खो बैठेंगे जो हमने पिछले कुछ वर्षों में प्राप्त किया है।

सरकार को चाहिए कि वह अपनी कमियों के लिये उनका उत्तरदायित्व स्वीकार करे जो कमियां ढीले प्रशासन, विशेषकर चोर बाजारियों, जमाखोरों के संबंध में हुई है। ये लोग गरीब आदमियों का शोषण कर रहे हैं। सरकार मे धन संबंधी और राजकोषीय अनुशासन में ढील बरती है उसके लिये उसे क्षमा नहीं किया जा सकता।

यदि दस वर्षों की सुनियोजित अर्थव्यवस्था के बावजूद प्रति व्यक्ति आप यें गिरावट आई है तो कहीं न कहीं कोई कमी अवश्य है। हमें अधिक तेज और कल्पनाशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। आवश्यक वस्तुएं तथा खाद्यान्न की कमी की समस्या हमारे सामने है। चोर बाजारी से मध्यम वर्ग पर खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है। मध्यम वर्ग के लोगों को या तो बेईमानी के तरीके अपनाने पड़ते हैं या फिर वे गरीबी के स्तर के निकट आते जा रहे हैं। फिर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को समस्या भी है। परन्तु मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति से अधिक गंभीर और कोई बात नहीं है। यदि देश को रक्त क्रांति से बचाना है तो मुद्रास्फीति को रोकना होगा। मूल्यों को स्थिर करना होगा। अतः सबसे पहली

आवश्यकता राजकोषीय अनुशासन की है । यह वर्ष पांचवीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष है । संसाधन जुटाने के लिये प्रयास किये जाने चाहिए । राज्यों के लिये यह आवश्यक है कि वे ससाधन जुटायें और औद्योगिक उत्पादन बढ़ायें । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 10 प्रतिशत तक प्रगति हुई है ।

आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब में बिजली का संकट है । बिजली के बिना औद्योगिक उत्पादन कैसे बढ़ सकता है ।

इसके अतिरिक्त हमें एक नई कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता है । हमारी कृषि नीति त्रुटि-पूर्ण रही है । हर बार सम द्रुत कार्यक्रम बनाते हैं । और वह द्रुत कार्यक्रम समाप्त हो जाता है । हम एक दीर्घावधि कार्यक्रम क्यों नहीं तैयार करते । मैं निवेदन करूंगा कि अभी भी हमारे पास गेहूं का उत्पादन बढाने की काफी गुंजाइश है । किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक देने के प्रयास किये जाने चाहिए । वितरण प्रणाली भी ठीक नहीं है। उर्वरक कारखाने क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं

एक अत्यधिक कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली होनी चाहिए । हमने खाद्यान्न के सरकारीकरण के फैसले को वापस ले लिया है सुनियोजित योजना में अत्यधिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली समुचित ढंग से व्यवस्थित नहीं है तो हमें खाद्यान्नों की उचित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तैयार करनी चाहिये ।

मुद्रा स्फीति की समस्या का शत प्रतिशत उपाय है । इस बात का अध्ययन किया जाना चाहिये कि ब्राजील ने इस समस्या का समाधान कैसे किया है । वहां एन्टोनियो डेल्फिन नाटो ने उन अरूढ़िवादी तथा गतिशील तरीकों का प्रयोग किया जिनका अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में पहले कभी पता नहीं था ।

इन गतिशील उपायों को देखा जाना चाहिये और उनकी हमारे उपायों के साथ तुलना की जानी चाहिए । प्रत्यक्ष कराधान (संशोधन) विधेयक के बारे में कल प्रवर समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें 20 प्रतिशत की प्रारंभिक ह्रास की कर रियायत संबंधी राहत दी गई है । जो ह्रास दूसरे या तीसरे वर्ष में होना चाहिये या उसे पहले ही वर्ष में ही दे दिया गया है ।

भ्रष्टाचार के बारे में हम बहुत वार्ता करते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि हम राजनीतिक बातों को कानूनी रूप दिये बिना भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त कर सकते हैं ।

इसके अतिरिक्त मुद्रा के विमुद्रीकरण की बात कही जा रही है । इस प्रकार का विमुद्रीकरण वे ही लोग करना चाहते हैं जो देश को खतरे में डालना चाहते हैं ।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : I am not going into the legal complexities of the Finance Bill,

श्री इसहाक संभली पीठासीन हुए

[Shri Ishaque Sambhali in the Chair]

The Finance Bill on the budget proposals have to be viewed in the context of the impact they have on the common people. The framers of the budget have to consider whether these proposals give rise to the inflationary trends, whether prices will further go up immediately. Today we find that prices of almost all the commodities have increased. What the Government is doing to remedy the situation ?

It is true that there is scarcity of a number of commodities in the country but on the other hand black-market is rampant in the country and the Governmental machinery has failed in checking it.

Shri Salve has rightly said that the value of rupee is going down. The Government often raises loans from public and invite investments in national Saving Schemes or fixed deposit schemes. But the money returned to the creditors after stipulated period is far less in real value, therefore, the Government should at least repay the same value which the creditors had paid at the time of depositing money or investment.

The present budget does not help remove regional disparity. The region of North Bihar is still backward and nothing has been done for bringing it to the general economic level in the country. It is essential in the national interest that the regional disparity should be removed.

Bihar is in the grip of political restlessness. Students are agitating there.

At certain places in Bihar, there was firing and inhuman treatment was given to the people. These things should be considered seriously.

Shri Lalji Bhai (Udaipur) : There is no quorum.

Mr. Chairman : The bell is being rung. Now, there is quorum.

Shri D.N. Tiwary : If any circular is issued from the Ministry or Department, that should be followed impartially.

In his Department, especially in the Central Excise department, there is a Coterie of Officers. They do not want to go outside Delhi on transfer.

I do not want to name anybody. You can pick up the list and you would come to know. These things have been going on for the last 10-12 years.

Shri Hukam Chand Kachwai : On a point of order. A very important debate is going on in the House, but no cabinet Minister is present. Only one Lady Deputy Minister is sitting. When Sardar Hukam Singh was Speaker here, he had given a directive that at least one cabinet Minister should always be present in the House. Therefore kindly ask some cabinet Minister to sit here.

Mr. Chairman : It is true that all the Members of the House should realise their sense of responsibility. I am pained to see such a meagre attendance while this important finance Bill is being discussed.

As regards the presence of a Minister, according to the rules, any Minister of the Department whose subject is being discussed can suffice.

The Dy. Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohtagi) : Shri Tiwari has just now put allegations of corruption against the officials of the Railways. I would request him to cite specific cases and proofs thereof and we would take appropriate action.

Shri D.N. Tiwari : I have already written to the Prime Minister. I am not talking in the air. Your circulars should be effective on everybody equally, let anybody feel aggrieved of it or not.

I am not in agreement with Shri Salve that demonetisation won't help. I am for demonetisation. Any money, not accounted for, i.e., black money, should be confiscated; and that can be done only by demonetisation. I would request the political parties not to accept donations from industrialists because that would not be else than black money since there is a ban of political donation by the companies.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : It has been said that since Shri Chavan has taken over as Finance Minister, there has been very much deficit financing and the masses have been suffering because of price rise. But may I first of all know who is "Janata" ? Our 'Janata' i.e., our masses are not only those very few who live in cities but our people in villages which from the 80% part of our population are our Janata, and they are not affected by price rise. The benefit of rise in the prices of meat, eggs, vanaspati, wheat, rice etc. is now going to our poor farmers who until now were very hard hit since they were not getting proper price for their produce. Now when some money has started going towards our rural areas, the profiteers in our cities have started crying because formerly these very people were making huge profits at the cost of our poor farmers and the consumers in the cities.

Thus this price-hike has been conducive in bettering the condition of our poor rural folk. The price hike in respect of the items like toothpaste etc., the items of use by urban people has affected only a very little part of our population. Then why to make so much hue and cry for only those 5 per cent or even less ? Similarly only 5 percent of the 20 percent of our population in the cities take part in movements etc. A farmer never takes part in any movement since a farmer of even 2 acres of land is dam happy on his earnings out of his land. In Andhra Pradesh if a farmer sows cotton in one acre, he can earn Rs. 5,000. Therefore it is not correct to say the rise in prices is causing a great harm to the nation. On the other hand only certain vested interests whose incomes are now being shared by the rural people now are sore about it.

Secondly, the labour movement has caused a great harm to the nation. An average labourer is earning between Rs. 500 to 600 a month.

Shri Hukam Chand Kachwai : Wrong. He does not have correct information.

Shri M. Ram Gopal Reddy : Shri Kachwai is much interested in organised and industrial labourer which can bring the work at stand still any time. Do not the agricultural labour suffer from anything, have they ever gone on strike ? I consider the strikers as traitors and disloyal to the nation. Loyal and patriots never give up their duty.

It is incorrect to suggest that the Finance Minister is escaping from his responsibilities. In fact, there is need for every Ministry to see to their own responsibilities since in many ways the Finance Ministry's functions depend upon the functions of various Ministries and their Departments. For example, take the export items. If the concerned Departments i.e., S.T.C., do not export the items according the prescribed targets, that would certainly affect the foreign exchange earnings. In case of sugar export, the Finance Ministry want to export 10 lakh tons of sugar but the Ministry of Agriculture is not agreeable to this. Does it not adversely affect our foreign exchange earnings ?

You have urged for coal based boilers for save precious oil. But I warn you that we should not consume more coal also otherwise our coal ovens would also get emptied. They

cannot last long. This rate of exploitation of coal would not survive foi more than 400 years. The oil producing countries have also reduced the exploiting of oil reserves lest they should turn into deserts again. They have increased the prices also of their oil.

Unemployment is increasing and the people should be given work. But our friends in opposition are keeping away the people from learning anything to earn their livelihood. They are misleading the young people towards their bad luck and doom. We have been noticing for the last 3-4 years that the members of opposition are entangling the students in the activities of their political interests and keeping away the students away from Studies.

With these words. I fully support the proposals.

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : इस बात पर सभी सर्व सम्मत हैं कि हमारा देश आज कल निकृष्टतम् आर्थिक संकट से गुजर रहा है प्रति दिन ही हम छात्र उपद्रव, श्रमिक आन्दोलन नियमानुसार काम करो" हड़ताल, रेल हड़ताल आदि की बात सुनते हैं जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था का विकास रुकता है । फिर प्रायः ही पुलिस गोली कांड, लाठी चार्ज वगैरह के मामले होते हैं और पुलिस पर मानव-अत्याचार के आरोप लगते हैं ।

पुलिस कर्मचारियों की भी शिकायतें हैं और एक कनिष्ठ पुलिस अधिकारी से लेकर डी०आई०जी० तक को यह शिकायत कि उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है । उनको क्षोभ है कि उनको तो रिटायर होने के समय केवल 2200 रुपये मिलते हैं जबकि एक आई०ए०एस० को 3000 रु० मिलते हैं । राज्यों के पुलिस अधिकारियों की अधिकतम पेंशन केवल 1000 रुपये तय की गई है । भारतीय पुलिस अधिकारी की पेंशन को भी 2500 रु० तक बढ़ाने में क्या हर्ज है ?

ब्रिटिश शासन काल में एक राज्य के आई०जी० का दर्जा किसी राज्य के प्रमुख सचिव (चीफ़ सैक्रेटरी) के बराबर होता था परन्तु बाद में भारत सरकार के निर्देशों के फलस्वरूप उसका दर्जा केवल एक संयुक्त सचिव के बराबर रह गया । एक आई०जी० एक आई०ए०एस० अधिकारी के समक्ष अपनी बात पर जोर नहीं डाल सकता । मेरे विचार से आई०जी० का दर्जा बढ़ाया जाना चाहिये ।

आज एक पुलिस अधिकारी या तो काम से दबा हुआ या थका हुआ या फिर अत्याचारी पुलिस अधिकारी के रूप में नज़र आता है । आज उसे अपने लिये युवक लड़कों का सहारा लेना पड़ता है । कितनी निकृष्ट बात है यहां अनेक वर्षों से एक पुलिस आयोग बनाने की मांग की जा रही है जोकि पुलिस अधिकारियों की शिकायतों को दूर करे । पुलिस के भारत में ही भ्रष्ट नहीं बल्कि विदेशों में भी भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं क्योंकि जितनी आफर शक्ति किसी को मिल जाती है वह उतना ही भ्रष्ट हो सकता है । आज महंगाई वृद्धि बढ़ गई है। धान के मूल्य वर्ष 1971-72 में 47-48 रुपये प्रति क्विंटल थे परन्तु आज प्रायः दूगने मूल्य हैं । 16 मार्च, 1974 को श्री फखरूद्दीन अली अहमद ने कहा कि चावल की वसूली का 50 लाख टन का लक्ष्य पूरा हो जायेगा। फिर भी मूल्यों में वृद्धि क्यों हो रही है । मेरा सुझाव है कि नगरीय क्षेत्रों में इसके लिये राज सहायता दी जाये । क्या सरकार ऐसा कर सकती है । हमसे हम उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को सहायता कर सकते हैं ।

आज तस्करी भी बहुत बढ़ गई है । उड़ीसा में सीमान्त क्षेत्रों में इसका बोल बाला है । गुण्डे रेल गाड़ियां रोक लेते हैं और यात्रियों से उनके चावल तथा अन्य वस्तुएं छीन लेते हैं मुझे खुद अनुभव हुआ । 6 मार्च को तीन लम्बे सफर की गाड़ियों का स्टेशनों पर ही रोक लिया गया वहां न तो

पुलिस थी और न ही प्रशासन । हमने जिला अधिकारियों से टेलीफोन पर बात की परन्तु कोई नहीं आया । जिन लोगों ने हवाई जहाज या अन्य गाड़ियां पकड़नी थी उनका बेहद परेशानी हुई । सरकार ऐसे मामलों को ध्यान देकर लोगों को राहत दे ।

उड़ीसा के लोग यह भावना रखते हैं कि भारत सरकार उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये कुछ भी नहीं कर रही है । शायद सरकार भी यह स्वीकार करती है और मुझे आशा है कि वह उड़ीसा को कुछ भाग अवश्य देगी । आखिर वह भी तो भारत का एक हिस्सा है ।

सरकार ने रंगाली नदी घाटी परियोजना के लिये कुछ नहीं किया है और स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना को भी पांचवी योजना में शामिल नहीं क्या है । यह बड़े ही खेद का विषय है । लोग हर वर्ष इन नदियों की बांढ़ से ग्रस्त और त्रस्त होते हैं, सरकार करोड़ों रुपये की राहत भी देती है परन्तु बाढ़ की बला को दूर करने के लिए स्थायी नदी घाटी परियोजना क्यों नहीं बनाती ? हर वर्ष लोग अधिकारियों के सामने भीख का कटोरा लेकर जाते हैं कि हमें राहत दो । विशेषज्ञों ने तो स्वर्ण रेखा परियोजना को अन्तिम रूप दे दिया है परन्तु इसमें अन्तर्गस्त तीन राज्य चुप बैठे हैं और यह परियोजना केन्द्र सरकार के पास पड़ी है । केन्द्र सरकार इसमें अपना हस्तक्षेप करे ताकि वह योंजना क्रियान्वित हो और हम लोग बाढ़ का शिकार होने से बचें ।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों के लिये तुरन्त ही कोई मध्यम क्षेणी के उद्योग आरंभ किये जाने चाहियें । उड़ीसा के आदिवासी लोग अत्यन्त सुसंस्कृत हैं । परन्तु यह भी खेद की बात है कि वहां 25 वर्ष से परिवार नियोजन अभियान के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि कुछ वर्षों में हमें उड़ीसा में आदिवासी ही नज़र नहीं आयेंगे । हमें उनका रोज़गार तथा छोटे उद्योग उपलब्ध कराने चाहिये ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें और पनप सकें ।

सरकार समाज के कमजोर वर्ग को राष्ट्रीकृत बैंकों से राहत दिलवाये । लोग बैंकों के राष्ट्रीयकरण को एक बड़ा बावेला ही समझते हैं हालांकि मैं जानता हूं कि इससे टैक्सी चालकों, गाड़ीवानों रिक्शा चालकों आदि को समाजवाद की झलक मिली है । परन्तु राष्ट्रीयकृत बैंकों के एजेन्ट और मैनेजर गरीब लोगों को लाभान्वित नही होने दे रहे हैं और बड़े बड़े व्यापार गृहों से सांठ गांठ किये हुए हैं । गरीब वर्ग को ऋण नहीं दिया जाता है । यह केवल मेरे चुनाव क्षेत्र में ही नहीं बल्कि देश में सर्वत्र हो रहा है । ऐसे बैंक अधिकारियों तथा एजन्टों को इस प्रकार दण्ड दिया जाये कि सबको इबरत हासिल हो, लोगों का बैंकों में विश्वास आये । आखिर एक राष्ट्रीयकृत और एक निजी बैंक में कितना अन्तर है ।

प्रत्येक जिले में एक समन्वय समिति हो जिसमें वहां के संसदसदस्यों को भी रखा जाये ताकि 10 लाख लोगों का वह प्रतिनिधि भी निर्णय करने में सहयोगी हो । तभी हम लोगों का मार्गदर्शन और उनकी सहायता कर सकते हैं । अतः ऐसी समितियों में संसदसदस्यों को रखा जाये चाहे वे किसी भी दलके हों और ऐसी समितियां देश भर में गठित की जायें ।

मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर विचार करें ।

Shri Ram Singh Bhai (Indore): I congratulate the hon. Finance Minister on presenting such an appropriate Financial Bill in this critical hour of economic crisis. A country's prosperity is known on the basis of its *per capita* income and calorie of food every person gets every day.

But it is really a state of great concern and dismay that although our country is having a large area of 33 crore hectare of land of which about half the land is cultivable; and also very large spell of forestry and mineral deposits, still we find starvation, scarcity , hoarding and indiscriminate rise in prices and adulteration alround. We are getting 1,900 calorie of food on average instead of at least 3,000 calories. In Pakistan and Sri Lanka it is 2,400 and 23,00 respectively. We lay behind these countries in repect of *per capita* income also. It is a matter of great dismay and the hon. Minister should look into that since he is in a position to give right direction to other Ministers also. The atmosphere of stikes, go slow absence of discipline and efficiency plus non-productivity is eating away the nation.

We always talk of industrial development and do not anything in respect of agricultural front. Mills are closing down for want of cotton, oil seeds, sugar cane and jute. Non-availability of raw material is causing lay-offs and its sudden arrival compels overtime work.

Thus we have to give preference to agricultural development to industrial development. Agricultural growth would automatically give a boost to industrial growth. We should therefore stress more upon our basic needs first. Our country is an embodiment of variety of people and climatic conditions. Our prime need is water paucity of which has been responsible in less production in our fields. Our production should increase in accordance with increase in our population. We should, therefore, look towards our irrigation projects and other modes of irrigation besides controlling rain waters; and send water wherever it is not available. There should be at least one water tank in every village may it he for use of agriculting purposes or for the use of line-stock.

It is my experience that the labourers do not want to go on strike on their own. Actually they are incited to go on strike by certain political parties and other vested interests for their own selfish motives and gains. I do not want that there should be a ban on strikes but we should make legislation to ban the entry of outer people in the workers forums. We find that the representatives in various undertakings and industrial boards are not the labourers themselves but only certain vested interests. Thus you are not in contact with labour leaders but political leaders who incite the workers to act in the manner which may prove conducive in their own selfish motives. They do not care the benefit of the labourers whom they pretend to represent. A right step to curb such things would eliminate strikes, slow downs and work to rule etc. to a large extent. This would also lesser certain irresponsibility demands also.

As and when we increase the allowances of the workers, prices and price indices also rise faster. We should link the price index with cost of living as has been done in many industries. We should, therefore, have a wage policy under which we can fix up all these things.

Mr. Chairman : I have got a list in which Shri B.V. Naik's name comes after two or three names but since he has desired to speak earlier owing to certein urgency, I am allowing him. Shri B.V. Naik !

श्री बी०वी०नायक (कनारा): श्रीमन्, मुझे भी अपने से पहले वक्ताओं से भिन्न आपसे कुछ नहीं कहना है । परन्तु जहां मैं इस वित्तीय विधेयक का स्वागत करता हूं वहां कुछ विशिष्ट प्रस्तावों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

सरकार ने लोकतंत्र, समाजवाद और धर्म निर्पेक्षता के आधार पर शासन प्राप्त किया है परन्तु आज कल कुछ नेताओं विशेषकर विपक्षी नेताओं के भाषणों ने लोकतंत्र के प्रति सन्देह व्यक्ति किया है । उदाहरणार्थ स्वतंत्र पार्टी के नेता श्री पीलू मोदी ने यहां सभा में तथा इससे बाहर भाषण दिये कि हमारा लोक तंत्र या तो केवल संसद के इस सत्र तक या फिर अधिकाधिक अगले 10 मास तक ही टिक सकेगा । हालांकि आज की आर्थिक स्थिति से तो मैं भी बहुत निराश हूं परन्तु जो नेता शासन की प्रणाली को ही सन्देह पर्ण बनाते हैं तो फिर उने हम में से उन्हीं लोगों को रोकना जो लोकतंत्र में पूरी आस्थ रखते हैं ।

यहां मैं दलगत बात नहीं कर रहा हूं । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते तो उन्हें फिर लोकतांत्रिक पद्धति पर बनी सरकारें चलायें ।

श्री नरेन्द्र कुमार साहब ने ब्राजील के तजुर्बे का जिक्र किया परन्तु उस देश का वह तरीक कामयाब होने पर भी आज वहां की आर्थिक स्थिति डावांडोल हो रही है । वहां अमीर और गरीब के बीच असमानता बढ़ गई है । आज हमारे देश में भी अमीर अधिक अमीर होता जा रहा है और निर्धन अधिक निर्धन । आम लोगों की क्रय शक्ति घटती जा रही है । हमें इसे रोकना है ।

निधन व्यक्तियों को अत्यावश्यक वस्तुओं की खरीद के लिये अनुदान देकर ही उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है ।

योजना मंत्री योजना प्रक्रिया एवं आवश्यकताओं को भली प्रकार जानते हैं । इस देश में वनस्पति घी का कितने प्रतिशत लिवर ब्रादर्स द्वारा बनाया जाता है । हमारे जैसे देश के लिये आजकल लोगों को जीवन-यापन करना कठिन हो गया है ।

पांचवी योजना के प्रारूप में उल्लख किया गया है कि उसमें घाटे की अर्थ-व्यवस्था को कोई स्थान नहीं होगा । फिर भी 100 करोड़ रुपये से अधिक की घाटे की अर्थ-व्यवस्था रखी गई है जिसके वर्ष के अंत तक कई गुणा बढ़ जाने की संभावना है ।

हम अपनी सुरक्षा पर 2000 करोड़ रुपया व्यय करते हैं जबकि रूस अमरीका आदि महान शक्तियां हमारे पूरे पंचवर्षीय योजना व्यय जितना व्यय सैनिक प्रयत्नों पर करते हैं । यदि हम एशिया के लिये कोई सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था कर पाते हैं तो हम अपने रक्षा परिव्यय में काफी बचत कर सकते हैं । इस प्रकार की बचत को निर्धन लोगों में अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण पर लगाया जा सकता है ।

सरकारी उपक्रमों के व्यूरों ने अपना वर्ष 1972-73 का प्रतिवेदन दिया है । यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस समय सबसे बड़ा एकाधिकार सरकार ही है । सरकारी प्रतिष्ठानों पर इस समय 5931 करोड़ रुपये लगे हुए हैं । उनमें पिन से लेकर वायुयान तक बन रहे हैं । यह पूंजी देश के सबसे बड़े एकाधिकार गृह टाटा से भी 8-10 गुणी अधिक है । दस बड़े सरकारी प्रतिष्ठानों, यथा हिन्दुस्तान स्टील, बोकारो स्टील, उर्वरक निगम, हैवी इंजीनियरी कार्पोरेशन, भारतीय खाद्य निगम आदि के से केवल 17 करोड़ रुपए की उपलब्धि हुई है जबकि उन पर 3665 करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है ।

इन प्रतिष्ठानों को उचित ढंग से क्यों नहीं चलाया जाता ताकि इन पर लगी 6000 करोड़ रुपए की लागत पर 10 प्रतिशत लाभ अर्थात् 600 करोड़ रुपए की आय हो सके ।

Shri Amarnath Vidyalankar (Chandigarh) : Generally I support the Finance Bill. Everybody recognises that the economic conditions in our country is very much deteriorated and we are passing through a state of financial emergency. In spite of our efforts we are not able to check it. Two different type of economic systems are simultaneously prevailing in our country, one is black economy and the other is white economy. The black economy is getting supreme day by day. We in this country are not able to increase our earning capacity whereas our spending capacity goes on increasing. We have provision for various type of training and train engineers etc. but alongside with it unemployment increases. Certain classes have great spending power and the others follow them. It has been suggested in the house many a times that consumption be controlled. It was also suggested that fine cloth may be manufactured only for export.

There are two type of economic systems in the world today. We have adopted the evils of the capitalistic economy and have not been able to adopt the qualities of that system. It is necessary that we may carry on our march with determination. Our goals are not clear before us.

I am neither in favour of deficit financing nor am I against it. What is important is that how we spent the monies. If we spend on unproductive items it would lead us to hell.

Our administrative machinery today needs proper directive.

So far as my constituency Chandigarh is concerned, there are great number of educated persons. But there is no democratic set up. People have to defend on bureaucratic machinery for every matter. They have only the right to elect one Member of Parliament every five year.

Our Government has faith in democracy. But they have not provided for a democratic set for Chandigarh. Where most of the inhabitants are educated.

Though Chandigarh is a planned city slums are cropping up there. The reason for this is that planners forgot to make provisions for lower class of people like industrial labours vendors, cycle mechanics, motor mechanics. Now these people construct jhugis wherever they find place. It is not altogether wrong on their part as they require a roof over their heads. This problem should be solved with the cooperation of the people. These days plans and schemes are drafted in well-furnished offices and local needs are lost sight of while making these plans. I suggest that people should be consulted while making plans for them.

Economic problems are also facing the country. The problem of poverty still remains unsolved. The labour class neither gets sufficient money nor the housing facility. Even their minimum needs are not met. They put their demands before concenred authorities and when their demands are not met they resort to strikes etc. One hon. Member said that political parties make political use of such situations. To some extent it is also right. But

we should not forget that the workers or labourers have got their own problems and whenever their demands are not met they resort to strikes. Political parties only intensify such struggles. So we should hear them patiently and we should invite them to give suggestions regarding solution of their problems. People should be made to feel that they are also participants in running the administration of the country. A feeling should be inculcated in the minds of people that what is being done by Government is in their best interests. Only then they will cooperate in the implementation of schemes. It is possible only when affected people are taken into confidence; matters are discussed with them and their suggestions are invited while solving their problems. Democratic means should be adopted instead of bureaucratic orders for solving the problems. With these words. I support the Finance Bill.

श्री चमलेंदु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : वित्त विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अत्यधिक मुद्रा स्फीति की निन्दा करता हूं । अनाज उर्वक, और तेल की कमी पर भारतीय प्रशासकों को सोचना होगा। अभाव की स्थिति और ऊंचे मूल्यों से समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव पड़ा है । हमारी अर्थव्यवस्था आज लचर पचर है । इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए आर्थिक और प्रशासनिक विशेषज्ञों को मिलकर प्रयास करना होगा, राजनीतिक दृढ़ता बरतनी होगी और जनसाधारण का सहयोग प्राप्त करना होगा । इस संकट की घड़ी में वित मंत्री ने जो उपाय किये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं । जहां कराधान का संबंध है, अब कलजोर की सिफारिश के अनुसार खर्च पर कर लगाया जाना चाहिए । काले धन के प्रभाव को रोकने के लिए खर्च पर कर लगाना और भी अधिक जरूरी है । साथ ही यह बताना चाहूंगा कि मुद्रास्फीति विश्वव्यापी है । हां भारत में यह अपेक्षाकृत अधिक है । अब विचारणीय प्रश्न यह है कि इस समस्या से कैसे निवटा जाये ।

आर्थिक संकट से निपटने के लिए मैं पहला सुझाव यह देना चाहूंगा कि सरकारी क्षेत्र के कारखानों के कार्यकरण में सुधार किया जाय और उनकी पूरी क्षमता को उपयोग में लाया जाये जिससे उत्पादन में वृद्धि हो विद्युत के अभाव से बचने के लिए सरकारी संयंत्रों में "रक्षित बिजली घर" (केप्टिव पावर प्लांट) होने चाहिएं ताकि विद्युत की कमी होने पर भी क्षमता का पूर्ण उपयोग हो सके ।

यद्यपि हमारी योजना का स्वरूप आधुनिक है, किन्तु यह उपभोग के आंकड़ों पर आधारित न होकर विभिन्न राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों के अपर्याप्त आंकड़ों पर आधारित है । यदि हमारी योजना का आधार ठीक न हुआ तो विभिन्न बड़ी योजनाओं से स्थानीय विषमता बढ़ती जायेगी । छोटा नागपुर के क्षेत्र के आदिवासी लोग अब आन्दोलन कर रहे हैं, वे अवरूद्ध प्रगति, एक फसलीय अर्थव्यवस्था, वर्षा की विफलता और वन संबंधी कानूनों का विरोध कर रहे हैं । हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। उस क्षेत्र में सोयाबीन तथा सूरजमुखी की खेती के लिए सिंचाई हीन खेती की तकनीक शुरू करनी चाहिए । मैं एक अन्य सुझाव यह देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में चार बड़े उद्योग अर्थात् अभ्रक (लाख) (शैलक) बीड़ी और रेशम (टसर) श्रम-प्रधान उद्योग लगाये जायें । यदि ऐसा किया गया तो छोटा नागपुर का कायाकल्प हो जायेगा । आजकल छोटा नागपुर में स्वचालित यंत्रों वाले बड़े उद्योग हैं और दूसरी ओर वहां बेरोजगार लोग बहुत हैं । सरकार को उद्योगों का एक ऐसा मझौला क्षेत्र आरंभ करना चाहिए जिससे क्षेत्रीय विषमता दूर हो जाये ।

Shri Sukhdeo Prasad Verma (Nawada): Mr. Chairman, Sir, we are going to have fifth Five Year Plan. Four Plans have already been executed. They have yielded good results in economic terms. A lot of capital or wealth has been produced in the country. But the capital so produced could not be distributed evenly and fairly with the result that regional imbalance increased enormously. Had there been equal distribution of the wealth, there could have not been so many problems before the country. It leads to the conclusion that there has been defects in the planning. So far all the plans were made by the officers at high level. In my opinion Plans should have been formulated at lower level. All Legislators, M. Ps. and Panchayat level people should have been associated with the plan-formulation. I request that we should have a second look on the Plans in this light. We should ensure the equal distribution of wealth produced in the country. Had there been equal distribution, there could have not been concentration of wealth into a few hands and the problem of black money could not have arisen.

India is an agricultural country and about 68 percent people of this country are engaged in this profession. The economy of the country will not be improved unless agricultural production is increased. Government should pay attention to it. As regards Bihar, I would like to point out that there is about 428 lakh acres cultivable land in the State. But there is lack of irrigation facilities. During last four Plans only 12 per cent of land could get irrigation facilities. If we will proceed at this rate, how can we increase agricultural production ? Bihar is a backward state. Inspite of the assurance that large sum will be allocated for backward States. It is not done in respect of Bihar. Not even a single thermal power station has been so far set up in the State by the Central Government. So I request that Central Government should set up a thermal power station at Telughat in Bihar as coal and water both are available there.

As regards my area. I would like to say that a 202 kilometre long road was to be constructed in my area with the central finance. Work was started thereon and 80 to 85 per cent work is completed. Road construction material worth Rs. 85 lakhs is still lying there, but another amount of Rs. 35 lakhs is required for completion of the road. Central Government has refused to give this amount and the work on the road has been stopped. The road so far constructed can not be used as it is constructed in patches. So I request that the Central Government should give the required amount for the construction of road.

An agitation is going on in Bihar. It is directed against corruption, high prices and unemployment. But I would like to warn the Finance Minister that another agitation by backward classes of the State is in offing. In States like Tamil Nadu and Andhra Pradesh reservation for these backward classes has been made in various services of the State. Similar provision should be made on all India level. A memorandum from All India Backward Classes Association has also been submitted in which it is demanded that reservation for these classes should be made in services by amending the relevant provision of the constitution. I also request that the report of the Commission for Backward Classes constituted in 1954 under the Chairmanship Kakasaheb Kalelkar, should be brought before and discussed in the House with these words I support the Bill.

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : श्रीमान, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं । आज देश के सामने खाद्य समस्या है । खाद्य समस्या दो प्रकार की है—एक सतत रहने वाली और दूसरी क्षणिक । निर्धन लोगों के लिए खाद्य समस्या निरन्तर रहती है जबकि खाद्याभाव की समस्या अमीरों से संबद्ध है । पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को पेड़-पौधों की जड़े और पत्तियां तक खानी पड़ती हैं। दूसरी ओर नगरों में लोग कई प्रकार का भोजन एक साथ करते हैं । इस स्थिति में विषमता कैसे पूरी की जा सकती है ।

आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या आर्थिक संकट की है । इस समस्या का हमें स्थायी हल खोजना चाहिए । इसके समाधान हेतु हमें विकास का समाजवादी ढांचा उसी प्रकार अपनाना होगा जैसे कि हमने देश के लिए समाज का समाजवादी स्वरूप स्वीकार किया है । देश के विकास की योजनाएं बनाते समय हमें पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना चाहिए । हमें विलास-उपभोग की वस्तुओं के लिए कम राशि नियत करनी चाहिए और आम उपयोग की वस्तुओं के लिए अधिक । साथ ही यह अनुरोध है कि पिछड़े क्षेत्र के लिए अधिक नियतन किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि पांचवीं योजना में इस मद के लिए अधिक राशि रखी जायेगी । परन्तु केवल राशि अधिक देने से ही पिछड़े क्षेत्रों का विकास न होगा ? वहां के लोगों का आर्थिक शोषण रोकने के लिए भी हमें कार्यवाही करनी होगी । उस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं भी उपलब्ध करनी होंगी । इस दिशा में सरकार द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों के बाद भी बहुत कम किया गया है। आदिवासी क्षेत्रों का उद्धार क्षणिक उपाय से न होगा बल्कि इसके लिए दीर्घकालिक उपाय अपेक्षित हैं ।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल पूरा कर सकते हैं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

Papers laid on the Table—contd.

खंडसारी चीनी पर उत्पादन शुल्क के बारे में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1974 के अधीन अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) की अधिसूचना जी०एस०आर० संख्या 197 (ङ) दिनांक 30 अप्रैल 1974 की एक प्रति (अंग्रेजी और हिन्दी दोनों संस्करण), व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रथालय में रखा गया, देखिये सं० एल टी 6870/74]

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 2 मई, 1974/12 वैसाख 1896 (शक) के 11 बजे म०पू०तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, May 2, 1974/ Vaisakha 12, 1896 (Saka).

MGIPRRND—IV N.S.—26 LSS/74-8-10-74—490